अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Wednesday, 26th April, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.........
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 26 अप्रैल, 1989/6 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
7	नीचे से 7	"कुरूपा" के स्थान पर "कुरूप" पढ़िये।
15	9	"वस्तुबों" के स्थान पर "वस्तुओं" पढ़िये।
23	नीचे से 11	"विग्विजय सिंह" के स्थान पर "दिग्विजय सिंह" पढ़िये।
30	12	"पुरुषोत्तम" के स्थान पर "पुरुषोत्तमन" पढ़िये।
83	3	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क) से (ग)" पढ़िये।
93	नीचे से 4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" पढ़िये।
121	1	"वोर" के स्थान पर "ओर" पढ़िये।
155	नीचे से 2	"ओर में" के स्थान पर "ओर से में" पढ़िये।
167	नीचे से 9	"प्राणिग्राही" के स्थान पर "पाणिग्राही" पढ़िये।
193	1	"उपाध्यक्ष लहोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।
193	4	"श्री वी० किशोर चन्द्र एम० देव" के स्थान पर "श्री वी० किशोर चन्द एस० देव" पढ़िये।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 49 तेरहवां सत्र, 1989/1910—1911 (शक)

अंक 37, बुधवार, 26 अप्रैल, 1989/6 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 737,738,741, 743, 744, और 747	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 739,740,742 746,748, से 752 और 754 से 757	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7003 से 7016, 7018 से 7028, 7030 से 7116 और 7118 से 7164	34 - 150
सभा पटल पर रखे गए पत्र	151—152
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	—153
65वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	—153
79वां और 80वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
लोक लेखा समिति	– 154
159वां, 164वां और 165वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	—154
57वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	— 154
48वां प्रतिवेदन	
सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	—155
24वां और 25वां प्रतिवेदन	
कार्यवाही-सारांश	—155
बंगलौर नगर में टेलीफोनों के लिए किराया प्रभार में वृद्धि किए जाने के बारे में याचिका	—155

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित† चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न के उस ही सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 153—176

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का धीमा कार्यान्वयन

श्री हरीश रावत 155—161

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 155—172

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह 161—163

श्री अजय मुशरान 163—172

नियम 377 के अधीन मामले 173—176

(एक) गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कमला-बलान, बागमती और अन्य नदियों पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान —173

(दो) सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में स्थानीय लोगों की भर्ती संबंधी नीति को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे

(तीन) कानपुर की पेय जल समस्या को दूर किए जाने हेतु गंगा नदी पर द्वारवाला बराज परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी 173

(चार) हिंगोली (महाराष्ट्र) में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठोड़ —174

(पांच) नासिक, पुणे और सिंधुदुर्ग में प्याज, अंगूर और आमों के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटिल —175

(छः) बंगाल पाटरीज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य —175

(सात) ईद-उल-फितर 7 मई, 1989 को होने के कारण उस दिन के लिए निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एम० बनातवाला —175

(आठ) दिल्ली और हावड़ा को जोड़ते हुए गया-दियुल लाइन पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री कुंवर राम —175

(नौ) हथकरघा उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाए जाने की आवश्यकता

श्री आर० जीवरत्नम —176

(दस) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के संतरा और कपास उत्पादकों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी —176

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव 177—209

श्रीमती बसवराजेश्वरी 177—180

श्री एच०एन० नन्जे गौडा 180—183

श्री दिनेश गोस्वामी 183—189

सरदार बूटा सिंह 190—209

अनुदानों की मांगें, 1989-90 210—252

(एक) विदेश मंत्रालय

श्री बी०आर० भगत 210—215

श्री ई० अय्यपू रेड्डी 216—219

श्री सुरेश कुरूप 219—221

श्री बिपिन पाल दास 221—225

श्री एच०एम० पटेल 225—229

श्री इन्द्रजीत गुप्त 229—234

श्री के० नटवर सिंह 234—238

श्री कादम्बुर जनार्दनन 238—239

श्री पी०वी० नरसिंह राव 239—245

(दो) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि 247—252

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989-90

पुरः स्थापित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी०के० गढ़वी —253

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी०के० गढ़वी —254

लोक सभा

बुधवार, 26 अप्रैल, 1989/6 बैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यानों के मूल्यों एवं खुले बाजार में उनके मूल्यों में अन्तर

[अनुवाद]

*737. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की कुल खपत की कितने प्रतिशत राज्यवार सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है ;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली प्रमुख खाद्य वस्तुओं के मूल्यों और उनके प्रवृत्त बाजार मूल्यों में औसत अन्तर कितना है ; और

(ग) चावल, गेहूं, चीनी आदि जैसी प्रमुख खाद्य वस्तुओं के इस समय प्रवृत्त थोक मूल्यों को स्थिर रखने के लिए यदि कोई कार्यविधि अपनायी गई है तो वह क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गेहूं तथा चावल आवंटित करती है । वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय आवंटनों में से गेहूं व चावल की उठाई गई मात्रा का प्रतिशत नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल उठाई गई मात्रा का प्रतिशत	गेहूं उठाई गई मात्रा का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	99.22	69.15
2.	असम	100.88	93.78

1	2	3	4
3.	बिहार	25.10	80.18
4.	गुजरात	93.24	90.73
5.	हरियाणा	69.47	48.39
6.	हिमाचल प्रदेश	97.33	88.93
7.	जम्मू व कश्मीर	84.91	67.94
8.	कर्नाटक	98.41	84.88
9.	केरल	105.99	65.28
10.	मध्य प्रदेश	82.60	73.12
11.	महाराष्ट्र	96.64	98.66
12.	मणिपुर	63.48	35.00
13.	मेघालय	98.16	96.83
14.	नागालैण्ड	86.25	95.83
15.	उड़ीसा	80.95	81.93
16.	पंजाब	33.87	10.87
17.	राजस्थान	37.92	89.44
18.	सिक्किम	72.18	80.00
19.	तमिलनाडु	103.83	44.56
20.	त्रिपुरा	87.50	54.67
21.	उत्तर प्रदेश	77.75	81.47
22.	पश्चिम बंगाल	81.50	88.70
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	34.67	38.10
24.	अरुणाचल प्रदेश	87.20	81.88
25.	दादरा व नगर हवेली	19.44	25.00
26.	दिल्ली	88.47	88.03
27.	गोवा	87.93	96.67
28.	लक्षद्वीप	94.55	0.00
29.	मिजोरम	98.55	57.94
30.	पाण्डिचेरी	13.00	0.00
31.	दमन व दीव	29.63	47.06
32.	चंडीगढ़	98.33	75.93
	योग :	91.56	82.27

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जाने वाले चावल, गेहूं तथा लेवी चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा 31.3.1989 को चुने केन्द्रों में इन वस्तुओं के औसत खुले बाजार मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(31.3.1989 की स्थिति)

मूल्य रु० प्रति कि.ग्रा.

वस्तु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य	खुला बाजार मूल्य (औसत)
चावल	2.44 (चावल कामन)	4.34
गेहूं	2.04	3.07
चीनी	5.25 (अंतिम खुदरा मूल्य)	7.16

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चुनी आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान करना ;

(3) जब भी आवश्यकता हो, घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, खाद्य तेल, दालें, पेट्रोलियम उत्पाद आदि, का आयात करना ;

(4) दालों, खाद्य तेल, गोश्त आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात को विनियमित करना।

(5) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे चोरबाजारी, जमाखोरी तथा ऐसी अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने वाले व्यापारियों, दलालों आदि के विरुद्ध सख्त कदम उठाएं और उनके विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाएं।

(6) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की विभिन्न स्तरों पर निरंतर परिवीक्षा की जा रही है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि सभा पटल पर रखे गए विवरण मे मुझे प्रसिद्ध परारीमन कहावत **'सवाल-ए-दीगर, जवाब-ए-दीगर'** की याद आती है। मैंने प्रश्न के प्रथम भाग में राज्यों को आवंटन के बारे में अथवा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन आवंटनों को उठाने की प्रतिशतता के बारे में नहीं पूछा है मैंने एक बहुत ही साधारण सी बात पूछी है कुल खपत कितनी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल कितनी सप्लाई की जाती है और कुल खपत का कितना प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है ?

यह स्पष्ट है कि लोगों की शत-प्रतिशत जरूरतें और आवश्यकताएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सप्लाई से पूरी नहीं की जाती हैं। यह काफी समय से बढ़ रही हैं इसमें और अधिक युनिटों की स्थापना की गई है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे खाद्य पदार्थों की देश में कुल खपत में प्रतिशत-वार वृद्धि हुई है लेकिन हम उसका वर्तमान स्तर जानना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय द्वारा इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब कम से कम इसमें प्रतिशतता तो दी गई है।

श्री तम्पन थामस : वह प्रतिशतता खाद्य पदार्थों के उठाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा और कोई तात्पर्य नहीं था।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरी सूचना यहां उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। वर्ष 1988 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल की कुल 156 लाख टन सप्लाई की गई थी जो लगभग 15.6 मिलियन टन है।

अब यह अनुमान लगाते हुए कि हमारे बढ़िया किस्म के खाद्यानों, गेहूं और चावल का औसत उत्पादन 100 मिलियन टन है तो वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों की कुल आवश्यकताओं का लगभग 15 प्रतिशत ही सप्लाई किया जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ठोस आंकड़े क्या हैं अथवा यदि ये तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तो वह ये आंकड़े बाद में किसी और तारीख को मुझे दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत ही उदार व्यक्ति हैं।

श्री सुखराम : मेरे मंत्रालय द्वारा खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। राज्यवार खपत की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, सबसे पहले हमें प्रत्येक राज्य के खाद्यानों के उत्पादन की कमी का पता लगाना होगा और हम उसका कितना प्रतिशत पूरा कर रहे हैं और राज्य सरकारें अन्य साधनों से कितनी सीमा तक उसे पूरा कर रहे हैं। ये आंकड़े मेरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई और उसे उठाने के आधार पर, हमने केवल यह सूचना दी है जिसे माननीय सदस्य ने पूछा है। वास्तव में यह सूचना बाद में देनी भी सम्भव नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपको यह बताना चाहिए था।

श्री सुख राम : सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कितना प्रतिशत पूरा किया जाता है इसका पता लगाने के लिए इन आंकड़ों की आवश्यकता है उस प्रयोजन के लिए, किसी राज्य विशेष की सम्पूर्ण कमी का पता लगाना पड़ेगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यदि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो कम से कम राष्ट्रीय आंकड़े आसानी से दिए जा सकते हैं मैंने अभी अभी आंकड़ों का हिसाब लगाया है और मैं उन्हें आपके समक्ष रख रहा हूं इस तथ्य को देखते हुए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है और यह एक राष्ट्रीय उद्देश्य है कि लोगों की खाद्यानों की अधिकतम आवश्यकताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। मेरा अनुमान है कि जो कुछ देश में पैदा होता है वह देश में ही खप जाता है—हो सकता है कि खपत

उससे भी कुछ ज्यादा हो क्योंकि हम आयात भी करते हैं। हमारे पास आयात के आंकड़े हैं। कुल उत्पादन तथा कुल आयात को जोड़ दें तो उससे कुल खपत निकल आती है।

अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं।

श्री सुखराम : मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करता हूं। यदि माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण देश के लिए पूछा होता तो वास्तव में यह आंकड़े दिए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए पूछा है। ऐसा करना संभव नहीं है। आप अभी अपना प्रश्न देखिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यदि आपके लिए राज्यवार आंकड़े देना सम्भव नहीं है, तो आपने कुल राष्ट्रीय आंकड़े दिए होते और कहा होता कि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सुखराम : उस मामले में आप आपत्ति करते।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरा दूसरा प्रश्न वैचारिक प्रश्न है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संकल्पना से सम्बन्धित है। अब, जैसाकि मैं समझता हूं, मेरे प्रश्न के भाग (ग) का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। भाग (ग) में, मैंने पूछा है कि क्या बाजार में खाद्यानों के थोक मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई कार्यविधि अपनाई गई है अथवा सरकार ने किसी कार्यविधि पर विचार किया है। मैं बाजार में खुदरा मूल्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोक मूल्यों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात कर रहा हूं जो कि समस्या का मूल कारण है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा विचार किया गया है, यदि मैं बिजली से एक उपमा देता हूं खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ता के बीच एक समानान्तर मार्केट बनाने की अनुमति दी जाए, आप उपभोक्ता को एक विकल्प की अनुमति दीजिए। इलाके के बनिये के पास जाने, इलाके की किराने की दुकान पर जाने की बजाए, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाए। वास्तव में जिस बात की आवश्यकता है वह थोक और खुदरा व्यापारियों के बीच समानान्तर मार्केट की है क्योंकि थोक व्यापारियों द्वारा जमाखोरी करने, मूल्यों को ऊपर ले जाने, मूल्यों को कम करने, कम सप्लाई करने आदि के लिए क्षमता, संसाधन और प्रयोजन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने अथवा सरकार समस्या के इस पहलू के बारे में, खाद्यानों में थोक व्यापार पर नियंत्रण करने के बारे में, खुदरा व्यापारियों की सप्लाई के दूसरे स्रोत के बारे में सोचा है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका साधारण सा उत्तर 'जी नहीं' है।

श्री सुखराम : आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, हम थोक विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए स्टाक की सीमा निश्चित करते हैं, और हम इस अधिनियम के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं और व्यापारियों को जमाखोरी की अनुमति नहीं देते हैं। इसी वजह से हम थोक मूल्य को एक निश्चित स्तर तक रख पाए हैं। जहां तक खुदरा मूल्यों का संबंध है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत ही प्रभावी साधन है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हर वर्ष 14 से 15 मिलियन टन खाद्यान्न जारी करते है और यह एक प्रभावी साधन है, और इसमें भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और जहां तक उपभोक्ता मूल्यों का सम्बन्ध है इससे मूल्यों को नियंत्रित रखने में सहायता मिलेगी।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं मानता हूं कि थोक व्यापार में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सी. माधव रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, उनके अनुसार पंजाब को जितना स्टाक एलोट हुआ था, उस में जो स्टाक उठाया गया, वह चावल का 33.89 पर-सेन्ट दिखाया है और गेहूं का सिर्फ 10.82 पर सेन्ट दिखाया है। इसका क्या यह मतलब है कि एलोटमेंट इतना ज्यादा किया गया कि उनको पूरा स्टाक उठाने की जरूरत नहीं थी या फिर डिस्टर्ब्ड कंडिशन्स की वजह से वे उठा नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय : वे तो पैदा ही आपके लिए करते हैं और बड़े दरियादिल हैं। अगर वे खुद खा लेंगे, तो फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुख राम : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि गेहूं और चावल दोनों के लिए पंजाब केन्द्रीय पूल में 60 से 65 प्रतिशत तक का योगदान करता है। अतः उन्हें इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मुश्किल में किन्ही खाद्यानों की आवश्यकता होगी। हम पंजाब के लिए जो भी आवंटन करते हैं वे उसे भी नहीं उठा रहे हैं अतः यही कारण है कि पंजाब कम खाद्यान उठा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं और चावल के बारे में अगर थोड़ी सी भी, एक रुपये या आठ आने की भी, बढ़ोतरी हो जाती है, तो हल्ला मच जाता है। सरकार की यह रिपोर्ट है कि देश जो है, वह खाद्यान्न के मामले में बिलकुल आत्मनिर्भर है, जब आत्मनिर्भर है, तो देश में मिलों में बने हुए माल को कोई जहां चाहे मनमाने ढंग से बेच सकता है लेकिन गल्ले पर प्रतिबंध है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब खाद्यान्न की कमी नहीं है, तो वे क्या मुक्त व्यापार करने की इजाजत देंगे।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, अनाज के मामले में देश आत्म-निर्भर है इसका सबूत तो माननीय सदस्यों को इस बात से मिल गया कि गत वर्ष, एक वर्ष पहले जब बहुत बड़ा संकट देश के सामने आया तो करीबन 24 मिलियन टन फूडग्रेंस—चावल, गन्दम—जो देश के गोदामों में था, उनसे सारे देश को सप्लाई किया, कहीं विदेश से अनाज लेकर के सप्लाई नहीं किया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में पैदा हुआ अनाज हमने अपने गोदामों में रखा और बफर स्टाक से उनको इशू किया।

जहां तक फ्री ट्रेड का ताल्लुक है, हम जो सपोर्ट प्राइस देते हैं वह इस वास्ते देते हैं कि जो किसान पैदा करते हैं कहीं वे उसकी डिस्ट्रेस सेल न कर सकें। इस वास्ते मिनिमम प्राइस, फ्लोर लेबुल पर प्राइस निर्धारित, कर के, उस पर हम खरीदते हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो।

दूसरे लोगों को खुली छुट्टी है कि कहीं पर भी वे बिक्री कर सकते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : कई प्रदेशों में वह नहीं जाता है। अगर आप फ्री कर दें तो हर जगह वह जा सकता है।

श्री सुख राम : कहीं कोई जोनल सिस्टम नहीं है। हर जगह जा सकता है। हमने अनाज के ऊपर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : यह प्रश्न पूछकर श्री शाहबुद्दीन ने बहुत ही बुद्धिमता दिखाई है। उत्तर के साथ संलग्न विवरण में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनमें हमें इन बातों को समझाने का अवसर मिला है। जब मैंने इनको पढ़ा तो मैंने देखा कि राज्यों द्वारा खाद्यानों को उठाने का प्रतिशत 14 से 105 के बीच में है, कुछ राज्यों ने केवल 14 प्रतिशत खाद्यान ही उठाए हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों ने 105 प्रतिशत खाद्यान उठाए हैं। चावल के मामले में तथा गेहूं के मामले में, केरल ने क्रमश: 105 प्रतिशत और 65 प्रतिशत उठाया था। कुछ मामलों में मात्रा कम कर दी गयी है। विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 145 लाख टन खाद्यान्न दिये गये परन्तु अब इसे घटाकर 115 लाख टन कर दिया गया है। इसमें कमी प्रतीत होती है। प्रश्न यह है कि खपत में कितनी वृद्धि हुई है और क्या अनुपात है। यहां उठायी गयी मात्रा के अनुपात को बताया गया है। इससे कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगता है।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन में कमी करने के क्या कारण हैं। दूसरे, क्या सरकार किसी विशेष राज्य को उसकी मांगों के अनुसार गेहूं की जगह चावल का आबंटन करने पर विचार करेगी तथा प्रत्येक राज्य के चावल के कोटा का पुन: आबंटन करेगी ?

श्री सुख राम : सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल अनुपूरक है। यह राज्य के उत्पादन में कमी की प्रतिस्थापन नहीं है। सच तो यह है कि खाद्यान्न राज्य का विषय है। सरकार राज्य सरकारों के कार्यों को पूरा करती है। जहां तक आबंटन का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं तथा मैंने अभी सभा में बताया है कि एक वर्ष पहले भयंकर सूखा पड़ा इसलिये अधिक खाद्यान्न खपत हुई, इससे खाद्यान्न के उत्पादन का भी नुकसान हुआ जिसके फलस्वरूप अनुमानित खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा स्टॉक में कमी आ गयी, रबी तथा खरीफ की भरपूर फसल के कारण खुले बाजार में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध था इसलिये हमें राज्यों को चावल के आबंटन में 20 प्रतिशत की कमी करनी पड़ी। ऐसा केवल केरल के मामले में ही नहीं है बल्कि सभी राज्यों के आबंटन में कमी की गयी है, हम सभी राज्यों की अधिकांश मांगों को पूरा कर रहे हैं तथा जहां तक केरल का सम्बन्ध है, इसे केवल 105 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। केरल के विगत महीने के बकाया स्टॉक के कारण इतना खाद्यान्न आबंटित किया गया है। सदस्यों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि केरल को सर्वाधिक खाद्यान्न आबंटित किया गया है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है। केरल इसकी सबसे अधिक मात्रा उठाता है।

श्री सुरेश कुरूपा : क्या आप पहले जितनी मात्रा आबंटित करेंगे ?

आदिवासी क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*738. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में अब तक उचित मूल्य की राज्यवार कितनी दुकानें खोली गई ; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या निम्नवत है :—

राज्य		आदिवासी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1442
2.	अरुणाचल प्रदेश	496
3.	असम	4573
4.	बिहार	9954
5.	गुजरात	4773
6.	हिमाचल प्रदेश	143
7.	कर्नाटक	1668
8.	केरल	20 (1.4.1987 से खोली गई)
9.	मध्य प्रदेश	5,000 (लगभग)
10.	महाराष्ट्र	2897
11.	मणिपुर	558
12.	मेघालय	2786
13.	मिजोरम	788
14.	नागालैंड	305
15.	उड़ीसा	4401
16.	राजस्थान	1137
17.	सिक्किम	209
18.	तमिलनाडु	151 (समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में)
19.	त्रिपुरा	367
20.	उत्तर प्रदेश	473
21.	पश्चिम बंगाल	2210 (समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में)
22.	अंडमान व निकोबार द्वीप	40
23.	दादरा व नगर हवेली	55
24.	दमण व दीव	16
25.	लक्षद्वीप	27

गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी में कोई आदिवासी/समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्र नहीं है।

(ख) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आमतौर पर तथा विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर सलाह दी गई है। उन्हें सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में स्थिर उचित दर की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं, वहां आदिवासी क्षेत्रों आदि में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल वैनें चलाई जाएं। यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे क्षेत्रों में नियत मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए साप्ताहिक हाटों में बिक्री केन्द्र भी खोले जा सकते हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

केन्द्रीय सरकार भी आदिवासी, दूरस्थ, दूर तक फैले, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए मोबाइल वैनें क्रय करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना स्कीम चला रही है। सरकार ने समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों (सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामान्य दरों से कम) पर रियायती खाद्यान्न सप्लाई करने की भी एक योजना नवम्बर, 1985 में आरंभ की है।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब के अन्तिम भाग में कहा है कि केन्द्रीय सरकार आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए मोबाइल वैनें खरीदने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना स्कीम भी चला रही है। मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि मैं आदिवासी क्षेत्र उड़ीसा का निवासी हूं जहां बहुत कम मोबाइल वैनें हैं जो पन्द्रह दिन में एक बार अर्थात महीने में दो बार आती हैं। आदिवासियों को एक महीने में चावल का अपना मासिक कोटा खरीदने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह मोबाइल वैनों की संख्या दुगनी करने का प्रयास करेंगे ताकि वे सप्ताह में कम से कम एक बार जा सकें और आदिवासी एक महीने में चार बार अपने चावल का कोटा खरीद सकें।

श्री सुखराम : उड़ीसा सरकार को आदिवासी और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 22 मोबाइल वैन खरीदने के लिए सहायता दी गयी है। यदि उड़ीसा सरकार अनुरोध करेगी तो हम उड़ीसा के आदिवासी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों की समस्या के समाधान के लिए इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।······(**व्यवधान**)।

प्रो. एन. जी. रंगा : उन्होंने मोबाइल वैनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा है ······। (**व्यवधान**)

श्री सुखराम : महोदय, हम राज्य सरकार को वाहन देते हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कार्य है कि इनका दुर्गम, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी निगरानी राज्य सरकार को करनी चाहिए।······(**व्यवधान**)।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उन्हें सलाह दीजिए।

श्री के० प्रधानी : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि अधिकांश आदिवासी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं वे साधारण वितरण की दुकानों से चावल या गेहूं नही खरीद सकते इसलिए रियायती खाद्यान्न सप्लाई योजना चलायी गयी है ताकि आदिवासी अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दिन में दो बार सामान्य भोजन करने के लिए रियायती दर पर चावल खरीद सकें। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आदिवासी क्षेत्रों में सुपुर्दगी मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है। सामान्य वितरण की दुकान पर 25.1 89 से पांच पैसा प्रतिकिलो के हिसाब से वृद्धि हुई है इसके विपरीत आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य चावल की दर में 34 पैसे प्रतिकिलो की वृद्धि हुई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में साधारण चावल के मूल्य में 1.60 पैसे से लेकर 1.94 पैसे तक और साधारण दुकान पर 2.39 पैसे से लेकर 2.44 पैसे तक की वृद्धि क्यों हुई है।

श्री सुखराम : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 1985 में प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना चलायी थी इसके अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों को अधिक रियायती मूल्य पर खाद्यान्न दिये जाते हैं जो 1981 की जन गणना के अनुसार देश के 191 ब्लाकों की 57 मिलियन जनसंख्या की पूर्ति के लिए हैं। इस योजना से पहले की खाद्यान्न आवश्यकता पांच या छ: लाख टन आंकी गयी। परन्तु अब सरकार दो मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न दे रही है। विगत वर्ष में इस क्षेत्र के लिए 22 लाख टन खाद्यान्न दिये गये। इससे यह स्पष्ट है कि हम देश के आदिवासियों की खाद्यान्न की मांग कितनी पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक मूल्य मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के निर्गम मूल्यों में काफी अन्तर है। इसलिए खाद्यान्न आवटंन में कमी की गयी ताकि आदिवासी क्षेत्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों का अधिक दुरुपयोग न हो सके। समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों में 50 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर है। समेकित आदिवास विकास कार्यक्रम में साधारण किस्म के चावल का निर्गम मूल्य 194 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 254 रुपये प्रति क्विंटल हैं। समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम में अच्छी किस्म के चावल का निर्गम मूल्य 254 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसका मूल्य 304 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम में सर्वोत्तम किस्म के चावल का निर्गम मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसका मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल है इस प्रकार इन आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न अधिक रियायती दरों पर दिये जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : रियायती दरों पर खाद्यान्न केवल उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में दिये जाते हैं जो समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तंगत आते हैं। समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम में 45 प्रतिशत आदिवासी आते हैं तथा 55 प्रतिशत आदिवासी समेकित आदिवास विकास कार्यक्रम के अन्तंगत्त नहीं आते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को सभी आदिवासियों के क्षेत्रों में लागू करने के लिये कोई प्रस्ताव है?

श्री सुखराम : इस योजना में केवल उसी ब्लाक को शामिल किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासी हैं। और जिस ब्लाक में 50 प्रतिशत से कम आदिवासी है उसे इस योजना में शामिल नही किया गया है। इस योजना में शामिल ब्लाकों में यदि गैर-आदिवासी लोगों को भी आदिवासियों के समान सुविधायें दी गई हैं। इस योजना को उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता जहाँ 50 प्रतिशत से कम आदिवासी हैं क्यों कि उस स्थिति में इसे अन्य गैर-आदिवासी लोगों पर भी लागू करना पड़ेगा। माननीय सदस्य को वित्तीय सहायता के आयाम पर ध्यान देना चाहिए जिसे भारत सरकार को वहन करना है तत्पश्चात हम उसका विस्तार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामर : अध्यक्ष महोदय, ट्राइवल एरियाज में जो दुकानें खोली जाती हैं उनको खोलने के लिए अरबन एरियाज के लोग आते हैं जबकि ट्राइवल एरियाज में भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वे दुकानें नहीं दी जाती। वे लोग 90 परसेंट काला बाजार करते हैं। जिनके पास पहले खाने के लिए नहीं था, आज उनके पास दो-दो ट्रक हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पढ़े-लिखे आदिवासियों को ये दुकानें दी जाएंगी।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घपला होता है, ब्लैक मार्केट होता है, उसके बारे में कई बार हमने लिखकर दिया है और बताया भी है कि कहां से माल किस मिल में जा रहा है क्या इस पर भी कार्यवाही की जाएगी। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको अवसर दिया जायेगा। आज हमारे यहां 100 किलो मीटर से आकर लोग धंधा करते हैं, इसके बजाय वहीं के लोगों के लिए कोई इंतजाम होगा कि नहीं।

श्री सुख राम : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल लोगों को दुकानें दी जानी चाहिए और उनके माध्यम से वितरण होना चाहिए। इसके बारे में हम प्रांतीय सरकारों को बार बार लिखते हैं और सलाहकार समिति की बैठक में भी कहते हैं। जो लोग काला-बाजार करते हैं, उनके लिए कानून है, इतना सख्त कानून है कि उसके तहत बहुत बड़ी सजा उनको दी जा सकती है। प्रान्तीय सरकारों को अधिकार है, मगर हमारी जो सीमा है, जहां तक केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है हम सारा फूड ग्रेन प्रान्तीय सरकारों को देते हैं और यह काम प्रान्तीय सरकारों का है कि वह इस व्यवस्था को ठीक करें। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी शिकायत हो तो हमें जरूर लिखें, हम प्रान्तीय सरकार से उस मामले को टेक-अप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस में तो इनके आया है, इन्होंने कहा है।

श्री पीयूष तिरकी : बहुत दफा सुनने में आया कि एम. आर. शाप में सब-स्टेंडर्ड फूड सप्लाई होता है। दूसरे बड़े दुकानदारों के साथ इनकी मिली भगत होती है और वहां से सड़ी-गली चीजें लेकर वितरण सेंटर में, विशेषकर ट्राइवल एरिया के सेंटर्स में सब स्टेंडर्ड फूड वितरित होता है। हमारे यहां बेरोजगारों की बहुत तादाद है। क्यों नहीं सरकार बेरोजगार युवकों को एम. आर. शाप देने के लिए व्यवस्था करती है? दूसरा यह कि क्या सरकार यह भी सोचती है कि जो बहुत गरीब इलाके हैं वहां पर यदि वह पैसा न दे सकें तो उधार में भी देने की व्यवस्था करेगी?

श्री सुखराम : अध्यक्ष जी, जहां तक केन्द्र सरकार का ताल्लुक है हमने सभी राज्यों से कहा है, बार-बार लिखा है कि को-आपरेटिव को प्राथमिकता दी जाये और पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जाये। फेयर प्राइस शाप का काम प्रान्तीय सरकारों का काम है, इसका देना और उसकी व्यवस्था करना भी उन्हीं का काम है। जहां तक बैकवर्ड एरिया का ताल्लुक है, इसको प्राथमिकता दी हुई है। माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो हमारे नोटिस में लायें, हम प्रान्तीय सरकारों को लिख सकते हैं।

एकीकृत अस्पताल प्राधिकरण की स्थापना करना

[अनुवाद]

*741. श्री राम प्यारे पनिका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निर्माणाधीन नये अस्पतालों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में सभी अस्पतालों के कार्यकरण को सुधारने और बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली में नये अस्पतालों के निर्माण की प्रगति का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं के पुन: संगठन के लिए एक प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली अस्पताल प्राधिकरण की स्थापना की संभावना भी शामिल है, विचाराधीन है। सुझाव में इस बात पर विचार किया गया है कि दिल्ली में चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों के नियमन, नियंत्रण और नियोजन के लिए एक दिल्ली अस्पताल प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न भागों में 11 अस्पतालों के निर्माण करने का विचार किया है। पलंगों की संख्या, ये अस्पताल कहां-कहां पर स्थित हैं और इनको चालू करने की अनुमानित अवधि का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है :-

	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या	मौजूदा स्थिति	चालू करने की अनुमानित अवधि
1.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	500	जून, 1987 में अंतरंग सेवा	पहले से ही चालू है।
2.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर	500	250 पलंग उपलब्ध हैं।	पहले से ही चालू है।
3.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	100	दिसम्बर 1987 से आंशिक रूप से अंतरंग सुविधाएं शुरू की गई हैं।	आंशिक रूप से पहले से ही चालू है।
4.	राव तुला राम अस्पताल, जाफरपुर	100	निर्माण कार्य अग्रिम अवस्था में है।	चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यह भवन सौंपा नहीं गया है इसलिए बहिरंग रोगी विभाग सेवाएं शुरू नहीं की गई है।

5. खिचड़ीपुर अस्पताल,	100	व्यय की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।	मार्च, 1992 तक संभवतः बहिरंग विभाग सेवाएं और मार्च, 1993 तक अंतरंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी जाएगी।
6. जहांगीरपुरी अस्पताल	100	खर्च की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।	मार्च, 1992 तक संभवतः बहिरंग विभाग सेवाएं और मार्च, 1993 तक अंतरंग सेवाएं प्रारंभ कर दी जाएगी।
7. पुठखुर्द अस्पताल	100		मैदान गढ़ी के मामले में भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण लेने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवेदन कर दिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण इस मामले पर विचार कर रहा है। जहां तक अन्य का संबंध है इन अस्पतालों के लिए भूमि-अधिगृहित कर दी गई है। मार्च, 1994 तक संभवतः बहिरंग विभाग सेवाएं और मार्च, 1995 तक अंतरंग सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।
8. मैदान गढ़ी अस्पताल	100		
9. रघुबीर नगर अस्पताल	100		
10. रोहिणी काम्पलेक्स अस्पताल	500		
11. सिरसपुर अस्पताल	100		

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और हम सब लोगों का इससे सम्बन्ध है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब दिल्ली में महामारी फैली थी, खासकर यमुना पार इलाके में तो हजारों आदमी कालकवलित हो गये थे। दिल्ली में अस्सी लाख की आबादी है और यहां पर अभी तक 18 हजार बैड्स की व्यवस्था है। मैंने हिसाब लगाया है कि एक हजार पर 2.2 बैड आते है। प्रतिदिन हजारों-लाखों की संख्या में दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं। इससे

स्थिति बहुत भयावह और गम्भीर है। खासकर स्लम और झुग्गी-झोपड़ी वाले एरियाज में जहां कि ड्रेनेज की प्रापर व्यवस्था नहीं है। जो गम्भीरता है उसको देखते हुए मैं चाहता हूं, जब कि आप केपिटल जोन बनाने जा रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से भी मिलने जा रहे हैं उन सब परिस्थितियों को देखते हुए कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र यहां पर चिकित्सा की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकें?

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, माननीय सदस्य ने राजधानी दिल्ली के हालात के सम्बन्ध में अभी कुछ बयान किया है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सरकार की ओर से, जब मैं कहती हूं कि सरकार की ओर से, तो उस के माने यह नहीं कि सिर्फ मेरे मंत्रालय की ओर से, बल्कि दिल्ली प्रशासन की ओर से भी, यहां जो एन.डी.एम.सी. है, उसकी ओर से भी, हमेशा यह प्रयास होता रहा है कि दूर-दूर दिल्ली के इलाकों में रहने वाले जितने लोग हैं, विशेषतया स्लम्स में रहने वाले लोगों तक हम अधिक से अधिक स्वास्थ्य की सुविधायें पहुंचायें। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली में, विशेष रूप से जे.जे. कॉलोनीज में दिल्ली प्रशासन की ओर से 20 मोबाइल डिस्पैंसरीज का एक फ्लीट बनाया गया है, जिसे रीसैंटली 18 फरवरी, 1989 को दिल्ली में ही लॉंच किया गया था उसके अंतर्गत हमारी करीब 60 ऐसी टीमें हैं, जिसमें से प्रत्येक टीम में एम मैडिकल ऑफिसर होता है, एक नर्स होती है, एक फार्मेसिस्ट होता है और एक अटैन्डैंट होता है, जो बराबर दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में घूम-घूम कर, वहां एक निश्चित दिन जाकर, दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती रहती हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : अभी जैसा यहां माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली प्रशासन म्युनिसिपल कार्पोरेशन और यूनियन गवर्नमेंट तीनों के मिलाकर दिल्ली में मात्र 76 अस्पताल हैं, इनके अतिरिक्त 11 नये अस्पताल दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिनमें बैडों की कुल संख्या जोड़ने पर 2300 बैड आती है, और 18000 बैडों की व्यवस्था हमारे पास पहले से मौजूद है, इस सब के बावजूद स्थिति बहुत भयावह है। आपने जिन छोटी-मोटी दवाओं की बात की, मान्यवर उनका इम्पेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्यों कि दिल्ली की आबादी पहले ही बहुत ज्यादा है और बाहर से लोग बराबर आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के तीनों ग्रुप यानी दिल्ली प्रशासन, म्युनिसिपल कार्पोरेशन और केन्द्रीय सरकार मिलकर, आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जितने अस्पताल फैले हुए हैं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अपने मैडिकल इंसटीट्यूट और सफदरजंग अस्पताल को भी मिलाकर, आप एक यूनिफाइड ऑथोरिटी बनायें जिससे कि सारे दिल्ली के अस्पतालों का प्रशासन एक जगह केन्द्रित हो जाये और जब भी दिल्ली में कोई भयावह स्थिति उत्पन्न हो, बीमारी फैले तो उसकी देखरेख आसानी से की जा सके क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। मुझे वह स्थिति याद है जब पिछले दिनों दिल्ली के एक भाग में भयंकर बीमारी फैली थी तो देश के कौने कौने से वे लोग भी यहां आने से डरते थे, जिनका यहां आना बहुत जरूरी था, वे लोग दिल्ली नहीं आये। इसलिए दिल्ली के सम्बन्ध में तो आपको विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी इस समस्या के निदान और समाधान के लिये दिल्ली में कोई औथोरिटी शीघ्रातिशीघ्र बनाने पर विचार करेंगी।

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने राजधानी दिल्ली शहर के अस्पतालों के सम्बन्ध में काफी चिन्ता व्यक्त की है और मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूं। आपने कहा है कि हम राजधानी दिल्ली के अस्पतालो की अवस्था ठीक से नही कर पा रहे हैं तो देश के अन्य शहरों में स्थित अस्पतालों की दशा कैसे सुधार पायेंगे। इसके साथ साथ आपने यह भी कहा है कि दिल्ली में सभी

अस्पतालों को मिलाकर एक औथोरिटी बनायी जाये, जिसके अन्तर्गत सभी अस्पतालों का मैनेजमैंट रहे । मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना उचित समझती हूं कि कुछ समय पूर्व हमारे पास होम मिनिस्ट्री की ओर से यह सूचना आयी थी, जिसमें कहा गया था कि हम अभी ऐसा कोई मेजर डिसीजन न लें क्योंकि सरकारिया कमीशन की सिफारिशें जब तक होम मिनिस्ट्री के पास नहीं आती हैं, तब तक हम इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले सकते । आपने जो दूसरे सुझाव दिये वे भी स्वागत योग्य हैं । हम यहां सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखते हैं कि राजधानी के अस्पतालों का संचालन ठीक करने के लिये, किस प्रकार उनमें सुधार लाया जा सकता है, उनका मैनेजमैंट कैसे ठीक किया जा सकता है, आप अपने सुझाव हमें देते रहें ।

राजस्थान से हथकरघा और हस्तकला वस्तुओं का निर्यात

[अनुवाद]

*743. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1988 के दौरान वस्त्रों के कुल निर्यात में हथकरघा और हस्तकला क्षेत्रों का कितना-कितना योगदान है ;

(ख) इनमें प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान का इसमें से कितना हिस्सा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा और हस्तकला उत्पादों के डिजाइनों को आधुनिक बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किये हैं ताकि विदेशों में उनकी मांग और बढ़ सके ; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में अब तक कितनी डिजाइन संस्थाएं स्थापित की गई हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) वर्ष 1985 से 1988 तक हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्रों के अनन्तिम निर्यात नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रु० में)

मद	1985-86	1986-87	1987-88
कुल वस्त्र निर्यात	2830.36	3276.64	4583.49
जिसमें से			
(क) हथकरघा			
उत्पाद	421.08	391.80	516.19
(ख) हस्तशिल्प	503.19	415.47	540.94

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषद ।

(ख) से (घ) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते । सरकार हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के डिजाइन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठा रही है ताकि उनकी विपणन क्षमता में सुधार लाया जा सके । देश में तेइस बुनकर सेवा केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं जो कि हथकरघा क्षेत्र को आवश्यक डिजाइन और तकनीकी निविष्टियों की व्यवस्था करते हैं । एक बुनकर सेवा केन्द्र जयपुर में कार्य कर रहा है ।

हस्तशिल्प क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार ने नये डिजाइन, औजार उपस्कर बनाने के लिए तथा उनकी जानकारी कारीगरों को देने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर में चार क्षेत्रीय और तकनीकी विकास केन्द्र स्थापित किये हैं। जयपुर में हैंड-प्रिंटिड वस्त्रों के लिए एक संस्थान कार्य कर रहा है जो कि परम्परागत माध्यमों, प्रक्रियाओं डिजाइन प्रौद्योगिकी आदि विषयक प्रलेखन तथा उसकी जानकारी देने से सम्बन्धित कार्य निष्पादित करता है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के डिजाइन को अप-टेट न किए जाने के कारण और देश में इनके बहुत अच्छे विशेषज्ञ न होने से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्शन में जो कमी आ रही है और उसके कारण एक्सपोर्ट में भी कमी आ रही है, इस सम्बन्ध में आप क्या ठोस कदम उठाना चाहते हैं जिससे कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ सके और इनका एक्सपोर्ट बढ़ सके जिससे हमारी स्थिति मजबूत हो सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं माना जाना चाहिए कि टैक्सटाइल एक्सपोर्ट में वृद्धि नहीं हुई है और कमी आई है। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है 1985 86 में 2830.36 करोड़ रुपए था जो 1986-87 में 3276.64 करोड़ रुपए हो गया और 1987-88 में 4583.49 करोड़ रुपए हो गया। इसलिए इसमें बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है और यहां तक सारे देश का जो सम्पूर्ण एक्सपोर्ट है, उसका 25 प्रतिशत टैक्सटाइल क्षेत्र से होता है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है।

(अनुवाद)

प्रो० एन०जी० रंगा : वह हथकरघा बुनकरों के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : सर, हैंड लूम के लिए भी मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 1985-86 में 421.08 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ और 1986-87 में 391.80 करोड़ रुपए का और 1987-88 में 516.19 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ जो कि काफी मात्रा में पिछले वर्षों से ज्यादा था। यह सही है कि डिजाइन इत्यादि को सुधारने के लिए हमें ज्यादा काम करना चाहिए। इस के लिए भी हमारे यहां प्रावधान हैं। वीवर्स सेंटर्स बने हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के नए डिजाइन बनाने के सेंटर्स बने हुए हैं और जो हमारी नई योजनाएं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के विकास के लिए हैं, उनमें इन दोनों का रोल काफी बड़ा माना गया है। इसके अलावा जो हमारे हथकरधा का काम करने वाले हैं उनको अच्छी तरह से ठीक कीमत पर सूत कैसे मिले सके, उसकी कोशिश जारी है और एक्सपोर्ट के लिए कई रियायतें दी गई है और हम पूरी कोशिश कर रहे है कि एक्सपोर्ट इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़े।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट में कमी के बारे में पूछा था न कि टैक्सटाइल के एक्सपोर्ट में कमी के बारे में। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में टैक्सटाइल के मुकाबले में बड़े सहायक हो सकते हैं क्योंकि इनमें इन्वेस्टमैंट भी बहुत कम होता है और अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो क्या

सरकार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में और इस वर्ष में विशेष प्रावधान करने जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के क्षेत्र में बहुत व्यक्ति काम करते हैं और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि खेती-बाड़ी, कृषि के बाद में सबसे बड़ा कोई सेक्टर यदि है, जो कि हमारे देश में रोजगार उपलब्ध कराता है, तो वह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स हैं। इसलिए सरकार हमेशा इनकी बहबूदी कैसे हो, वे अपने काम में कैसे लगें, पूरा उत्पादन बढ़ता रहे, और उनकी बिक्री होती रहे। उसके बारे में कई योजनाएं बनाई हैं, उनके करघों का नवीकरण कैसे किया जाये उसके लिए नए करघों को ईजाद किया गया है। जो बुनकरों के घर हैं, वर्किंग शैड्स हैं, मकान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए और नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन उनका सूत ठीक दाम पर देने के लिए बनाई है और भी कई प्रकार की इसकी योजनाएं हैं।

आठवीं योजना में हम चाहते हैं कि इन योजनाओं को और ज्यादा साकार बनाएं, नई योजनाओं का इसमे समावेश किया जाए ताकि इस क्षेत्र में हम जो और काम करना चाहते हैं, वह करें। यों भी रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध नहीं हो रहे है। औद्योगीकरण से हमारे देश की बेरोजगारी हट नहीं सकती अन्ततोगत्वा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में ही हम जोर देना पड़ेगा ताकि एम्प्लायमेंट को प्रीजर्व कर सकें और बढ़ा सकें।

(अनुवाद)

प्रो० एन०जी० रंगा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका को हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में अमेरिका के विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा पैदा की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कोई विशेष प्रयास कर रही है ? हाल ही मे उन्होंने हथकरघा वस्त्रों पर बनी किनारी (बार्डर) के बारे में आपत्ति उठायी है। वर्तमान स्थिति कैसी है ? क्या उस कठिनाई को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास किया जा रहा है ?

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य श्री रंगा साहब हमेशा हाथ-करघा उद्योगों के लिए चिन्तित रहते हैं और आज सुबह ही मैं उनसे बात कर रहा था कि हम कितनी योजनाएं इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए बना रहे हैं, ताकि मैं उनको आश्वस्त कर सकूं कि हम बहुत ही चिन्तित हैं और उनकी चिन्ता को हम स्वीकार करते हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे जो हाथ करघें के बने वस्त्र हैं और जो मेड-अप का एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है, उसमें जो सिलाई थोड़ी बहुत बैडशीट्स की होती है, वह भी हाथ से करें और मशीन का इस्तेमाल न करें। यह बात उन्होंने दो साल पहले उठाई थी, पिछले वर्ष हमने उनसे बातचीत करके उनसे मनवाया कि आप हाथ से चलाने वाली मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर इस साल उन्होंने यह बात उठाई है। हमने यहां से अपने अधिकारियों को वहां भेजा है और उनसे बातचीत हुई है और हमें विश्वास है कि विचार-विमर्श से कुछ सफल नतीजे निकलेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमने एक्सपोर्ट को रोका नहीं है, वह जारी है और बाद में उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, यह बाद में सोचेंगे। लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको रोका नही जाएगा। अमेरिका सरकार से बातचीत चल रही है और आशा है संतोषजनक हल निकलेगा।

उन्होंने पाकिस्तान के साथ इस तरह का करार नहीं लगाया है और हिन्दुस्तान के लिए ऐसी बात कर दी है। यह भी हमने उनसे कहा है और इस पर भी वह विचार कर रहे हैं। हमें यह विश्वास रखना है कि बातचीत का नतीजा ठीक और संतोषजनक निकलेगा।

श्री सलाउद्दीन : आपने हैंडलूम उद्योग के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में अपने ट्रेनिंग सैंटर खोल रखे हैं। हमने अखबार में पढ़ा है कि भदोई और मिर्जापुर के बुनकरों के द्वारा बनाए गए वस्त्रों को बेचने के लिए विश्व के कई क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र खोले गए है एवं उसकी सुरक्षा के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन भारत सरकार ने वेस्ट जर्मनी के केन्द्र को बन्द कर दिया है जिससे बुनकरों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है और वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। वह इन केन्द्रों के आदेशानुसार उत्पादन कर चुके हैं और अब उनके लिए इन वस्त्रों को बेचना मुश्किल हो जाएगा और वे बेकार और बर्बाद हो जाएंगे। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा कि वेस्ट जर्मनी के केन्द्र को बुनकरों के हित को कायम रखने के लिए इस केन्द्र को पुन: खोलने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य का संकेत शायद हमारे वेस्ट जर्मनी के हमवर्ग में वेयर-हाउस के बारे में है जो कई वर्षों से चल रहा था और निरन्तर हमको उनमें घाटा हो रहा था क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर इत्यादि थे वह पूरी तरह से काम नहीं करते थे। इसके बारे में प्रतिवेदन आए हैं उन पर विचार कर के अगर यहां के एक्सपोर्टर इत्यादि उस सहूलियत का फायदा उठाना चाहें तो हम उस पर पूरा विचार करेंगे लेकिन हमारा अनुभव पिछले वर्ष में यह रहा था कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम एक्सपोर्ट काउंसिल प्रमोशन काउंसिल के द्वारा वह चलाया जाता था और उस कार्पोरेशन ने विचार-विमर्श के बाद यह तय किया कि इससे ज्यादा फायदा नहीं है, नुकसान ही है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, और भी सुझाव मिले हैं, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हमें वैसे सुझाव और भी मिले हैं। हम कारपोरेशन को कहेंगे कि वह उन पर पुनर्विचार करे।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान का हैंडलूम विश्वविख्यात है और खासतौर से कैथून में कोटा-डोरिया की जो साड़ियां हैं वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। सौभाग्य से ये मेरे क्षेत्र में आती हैं, परन्तु उनकी कठिनाइयां बहुत अधिक हैं और मीडिएटर उनका शोषण करते हैं। इसी प्रकार से टाई एण्ड डाई की जो चुनड़ी की साड़ियां हैं वह भी राजस्थान की बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल जो दक्षिण में है वह दक्षिणी राज्यों के हैंडलूम की तरफ विशेष तौर से ध्यान देती है और वह राजस्थान की पूरी तरह से उपेक्षा करती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि ... (व्यवधान)।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह असत्य है। इस क्षेत्र में लगे लोग भूखे मर रहे हैं। रंगा जी के क्षेत्र में तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं राजस्थान की बात कर रही हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या वह राजस्थान की तरफ विशेष ध्यान देंगे या उसको कोई विशेष सुविधा प्रदान करेंगे?

श्री राम निवास मिर्धा : केथून में बहुत वर्षों से हथकरघा पर डोरिया आदि साड़ियों का निर्माण होता है। माननीय सदस्या ने कई दफा इसके बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है। हमने राज्य सरकार से बात भी की। परन्तु दिक्कत यह है कि वहां जो उत्पादन होता है, सहकारी

समितियां न होने की वजह से पूरा बुनकरों को जो फायदा मिलना चाहिये नहीं मिल सका है। हम राज्य सरकार से इस बारे में सम्पर्क किये हुए हैं। मैंने उनसे कहा है कि कहां एक विशेष योजना बनायें कि किस प्रकार से कंथून और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। उनको किस प्रकार से सूत दिया जा सके और खास तौर से उनकी मार्किटिंग पर ध्यान दिया जाये। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं नहीं समझता कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल दक्षिण में होने के कारण दिक्कत पड़ रही है। एक्सपोर्ट्स को जो दिक्कत है उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की रचना

[अनुवाद]

*744. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की रचना क्या है और इसके सदस्यों की नियुक्ति किस-किस तारीख को की गई थी ;

(ख) आयोग द्वारा शिकायतों के निपटान में औसतन कितना समय लिया जाता है ; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में निम्नलिखित सदस्य हैं : —

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री बी०बी० ईराड़ी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)	—अध्यक्ष
2. श्रीमती ए०एस० विजयकर	—सदस्य
3. श्री वाई० कृष्णन	—सदस्य
4. डा० ए०के० घोष	—सदस्य
5. डा० रईस अहमद	—सदस्य

अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 17 अगस्त, 1988 को जारी की गई अधिसूचना के जरिए की गई थी।

(ख) और (ग) इसने 3 मामलों की सुनवाई की है और उन्हें आदेश के लिए रिजर्व रखा है। आयोग को आशा है कि अब तक प्राप्त सभी मामलों को अगले दो महीनों में निपटाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में यह बताया गया है कि 17 अगस्त 1988 को पूरी कमेटी बना दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चेयरमैन को कब बनाया गया और अन्य सदस्यों को कब बनाया गया ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चेयरमैन को किस ने बनाया है ?

अध्यक्ष महोदय : और बनाया है तो क्यों बनाया है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह अपने आप में स्पष्ट है। 17 अगस्त 1988 को नोटिफिकेशन हुआ। उसमें चेयरमैन और सदस्यों का नोटिफिकेशन हो गया मगर जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है और उसकी नियुक्ति का सम्बन्ध है वह ए. सी- सी. से एप्रूव होना था। इसमें पहले से ही इनिशिएट कर लिया गया था। नोटिफिकेशन के इश्यू होने में चेयरमैन की एप्रूवल ले ली गई और उन्होंने चार्ज भी ले लिया। लेकिन जहां तक बाकी मैम्बरों का ताल्लुक है उन्होंने 17 अगस्त के बाद चार्ज ले लिया।

श्री सी. जंगा रेड्डी : चेयरमैन की नियुक्ति पहले हो गई और मैम्बरों की नियुक्ति बाद में हो गई, लेकिन नोटिफिकेशन एक बार में ही निकाल दिया गया। चेयरमैन के पास जितनी शिकायतें आ रही हैं उनका जवाब देने के लिये क्या कोई स्टाफ की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में जिला स्तर पर इस कमेटी की नियुक्ति हुई है ? अगर नहीं हुई तो क्या कारण है ? क्या केन्द्रीय सरकार उनको कोई सहायता दे रही है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, ये चेयरमैन की नियुक्ति करना इस वास्ते पहले उपयुक्त समझा कि कम से कम उपभोक्ताओं को जो शिकायतें देनी हैं, या प्रान्तीय सरकारों ने जो कमीशन का गठन किया है, स्टेट लेविल पर, वहां कम से कम अपील दायर कर सकें इस वास्ते चेयरमैन की नियुक्ति पहले कर दी गई, नोटिफिकेशन बाद में हुआ और जब तक कि सारा कमीशन नहीं बनता तब तक कोई भी, चाहे वह ओरिजनल ज्यूरीडेक्शन का था या अपील थी, तब तक वह सुनवाई नहीं कर सकता था। इसके बाद ही और कुछ मकान वगैरह की समस्या रही, जब सारा कमीशन बन गया और उन्होंने चार्ज ले लिया तो उसके बाद उन्होंने अपीलों की और शिकायतों की सुनवाई शुरू कर दी।

जहां तक राज्यों का प्रश्न है, हमने लगातार सभी राज्यों से कहा। सात राज्यों में तो कमीशन को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेविल पर नियुक्तियां कर दी गई हैं, कुछ में एप्रूवल दे दी गई है और हम सभी राज्यों के लगातार सम्पर्क में हैं कि वह जल्दी से कमीशन, जो क्वासी ज्यूडिशियल फोरम है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेविल पर बनायें। मैं समझता हूं कि इसमें तेजी से बहुत से राज्यों में काम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को अब तक केवल 3 मामले सौंपे गये हैं। भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि लगभग 200 मिलियन लोग उपभोक्ता बाजार में है परन्तु भारत में उपभोक्तावाद का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। यहां कोई भी निवारण प्रणाली नहीं हैं तथा ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके माध्यम से शिकायतों को क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि उपभोक्तावाद हमारे समाज का एक अंग बने।

श्री सुख राम : महोदय, यदि माननीय सदस्य जबाब के भाग (ख) और (ग) पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि आयोग ने 3 मामलों में सुनवायी की है तथा सभापति द्वारा उत्तरदायित्व

संभालने से 1988 में 8 शिकायतें और 6 अपीलें दर्ज हुई तथा 1989 में 16 शिकायतें और 2 अपीलें दर्ज हुईं। उनमें से तीन में सुनवाई हो चुकी है तथा हमें बताया गया है कि निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा तथा दूसरे मामलों में भी आयोग शीघ्र सुनवायी करेगा।

श्री सी. जंगा रेड्डी : बड़े धीरे कार्य किया गया है।

श्री सुख राम : कार्य अभी शुरू हुआ है।

[हिन्दी]

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कंज्युमर्स की कुछ ऐसी जनरल शिकायतें होती हैं जिनके मुताल्लिक गवर्नमेंट को खुद ही सोच कर कायदे कानून बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर इस देश में मोटरकार कम्पनियां, स्कूटर बनाने वाली कम्पनियां फ्यूल एफीसिएण्ट गाड़ियां नहीं बनाती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो कंज्यूमर्स से डिपोजिट ले लेती हैं, काफी पैसा बुकिंग का और उसके बाद अगर वह वापस लेना चाहें, अपना पैसा तो कई-कई साल तक वह कम्पनियां डिपाजिट वापस नहीं करतीं। क्या उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई कायदा बना कर सख्ती करने के लिए यह मिनिस्ट्री कुछ सोच रही है ताकि आम लोगों की यह शिकायत दूर हो? कम्पनियां पैसा लेकर बैठ जाती हैं और उस पर सूद कमाती रहती हैं और बार-बार कहने पर भी पैसा वापस नहीं किया जाता।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मामले यहां उठाये हैं, यह सारे कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट में आते हैं और जो कंज्यूमर चाहे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर या नेशनल लेविल पर बने हुए जो कमीशन हैं उनमें आ सकते हैं। मैं माननीय सदन की सूचना के लिए बता दूं, जैसे तीन मामलों का मैंने कहा है, इसमें जो आये वह बहुत बड़े महत्व के हैं जैसे :

[अनुवाद]

डेसू द्वारा दोषपूर्ण बिल, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को असुविधायें तथा नादिया नगर निगम द्वारा उपकर।

[हिन्दी]

बैंक स्ट्राइक हो गई, उसके खिलाफ हुआ है, उसमें कम्पेसेशन डिमाण्ड की हुई है।

अध्यक्ष जी, मैं पहले भी इस माननीय सदन में कह चुका हूं, यह एक सोशल मूवमेंट है और राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को इसमें हिस्सा लेना है। महज एक आफिशिल एजेंसी के द्वारा ही इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं, बल्कि बहुत सी जो हमारी वालन्ट्री आर्गेनिजेशन हैं और दूसरे लोग शामिल होगें तथा उसमें लोगों के अधिकारों के बारे में लोगों को अवगत करायेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ आज तक स्वतन्त्रता के बाद इस देश में कोई नहीं बना है।

"आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी"

[अनुवाद]

*747. **श्री वी. तुलसी राम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 तक आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी गई छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से कौन-कौन सी अभी भी मंजूरी के लिये लम्बित हैं ;

(ख) इन्हें मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पर्यावरणीय मंजूरी केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में ही लेनी होती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से 31 मार्च, 1989 तक प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है। इस समय कोई परियोजना मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

विवरण

1. **मंजूर की गई परियोजनाएं :**

(1) सिंगूर सिंचाई परियोजना ।

(2) तेलुगु गंगा परियोजना ।

2. **नामंजूर की गई परियोजनाएं :**

(1) वामस धारा चरण-2 ।

(2) श्री सेलम राइट ब्रांच कैनल ।

(3) श्रीराम सागर संशोधित (चरण-1) परियोजना :

(4) येलेरू सिंचाई परियोजना ।

(5) पोलावरम सिंचाई परियोजना ।

(6) जुराला सिंचाई परियोजना ।

(7) इंचामपल्ली सिंचाई परियोजना ।

3. **लम्बित परियोजनाएं :**

शून्य ।

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसी राम : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत सुन्दर जवाब दिया है··· ·· (व्यवधान)·······मंत्री जी ने बताया है, वामस धारा चरण-2, श्रीसेलम राइट ब्रांच कैनल, श्रीराम सागर संशोधित (चरण-1) परियोजना, येलेरू सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, जुराला सिंचाई परियोजना, इंचामपल्ली सिंचाई परियोजना—इन सातों परियोजनाओं को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब आप कहते हैं कि हमारे पास कोई पैंडिंग नहीं है, निल है। यह इनका क्या चमत्कार है, पता नहीं किस ढंग से इन्होंने किया है। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहां के किसान और वहां के गरीब लोगों का अच्छे होना आपको, आपकी सरकार को पसन्द नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब श्री अन्जैया जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पोलावरम सिंचाई परियोजना का फाउन्डेशन किया था। क्या यह भी कुछ महत्व नहीं रखता है, अन्जैया जी की मृत्यु हो गई तो क्या यह परियोजना भी मर गई ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार येलेरू सिंचाई परियोजना विशाखापट्टनम स्टील प्लान्ट के लिए पानी देने की योजना है।

उन्हीं से पानी मिलता है, नहीं तो स्टील प्लांट्स कैसे चलेगा, अगर यह पानी वहां से नहीं मिलेगा। यदि आप इसके पीछे राजनीति लाए तो कैसे वहां के किसान जिन्दा रहेंगे और कैसे राष्ट्र का वह भाग डवेलप होगा। इसका आप थोड़ा शान्ति से और संतोषजनक जवाब इस सदन को दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष जी, मैंने जो जवाब दिया है, वह अपनी जगह पर मुकम्मिल है। इरिगेशन की सात परियोजनायें ऐसी हैं, जिनको हमने रिजेक्ट किया है, इनमें से छः प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिसमें बावजूद हमारे बार-बार लिखने के रिक्विजिट इनफार्मेशन स्टेट गवर्नमेंट या प्रोजैक्ट्स आथोरिटी को जो भेजनी थी, वह हमारे पास नहीं आई। सिर्फ एक प्रोजैक्ट पोलावरम सिंचाई परियोजना ऐसी है, जो फौरेस्ट्री एंगल के मैरिट्स के ऊपर रिजैक्ट किया है और जो छः प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए हैं, उनमें जो रिक्वायर्ड इन्फार्मेशन प्रोजैक्ट्स अथारिटी की तरफ से आनी चाहिए, वह नहीं मिली। अध्यक्ष जी, हमारी परेशानी है, कि बावजूद इन्फार्मेशन नहीं आने पर भी अगर हम प्रोजैक्ट्स को काफी अर्से तक, पैंडिंग रखते हैं, नहीं आती है, तो हमारे ऊपर यह चार्ज लगता है कि हम प्रोजैक्ट्स को पैंडिंग रख रहे हैं। इसीलिए हमने यह तरीका अपनाया है कि टाइम लिमिट (व्यवधान)....एक समय निर्धारित कर दिया है कि इस निर्धारित समय के अन्दर अगर हमको इन्फार्मेशन नही पहुंचाई जाएगी...तो हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं होगा कि हम उन प्रोजैक्ट्स को फार नान-फर्निशिंग आफ इन्फार्मेशन रिजैक्ट कर दें अलबत्ता जब भी हमको इन्फर्मेशन पहुंचा देंगें, हम उनको फिर री-ओपन कर देगें (व्यवधान)।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"सुन्दरवन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव"

[अनुवाद]

*739 **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में कृषि उद्योग और अन्य विकासात्मक आधार ढांचा सुविधायें स्थापित करने के लिये कोई योजनायें तैयार की गई हैं, यदि हां, तो उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं से इस क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया गया है ;

(ग) इन परियोजनाओं का सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या यह निर्धारित करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि क्या ऐसी परियोजनाओं की स्थापना से बाढ़ और तूफानों के दौरान लोगों की जान माल को तो खतरा पैदा नहीं हो जायेगा, यदि हां, तो इस अध्ययन से क्या परिणाम निकला है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि से सहायता प्राप्त सुन्दरवन विकास परियोजना का कार्यान्वयन सुन्दरवन विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का पहला चरण 30 जून, 1989 तक पूरा किया जाना है। जून, 1988 तक इस परियोजना पर 3287 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। 6150 लाख रुपए के अनुमानित परिव्यय से परियोजना का दूसरा चरण सरकार के विचाराधीन है। यह भी पता लगा है कि राज्य सरकार सुन्दरवन क्षेत्र में नीमपीठ में एक करोड़ रुपए की लागत से चुकन्दर पर आधारित एक संयुक्त क्षेत्र की अल्कोहल परियोजना लगा रही है।

(ख) यद्यपि पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऐसी परियोजनाओं के विस्तृत प्रयास मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ऐसी परियोजनाओं के लिए मंजूरी देते समय उपयुक्त एजेंसियों द्वारा आमतौर पर इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित परियोजनाओं को सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाहर कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इससे उद्यान पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अभी अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

विकलांग कल्याण संघ को स्थान का आवंटन

*740. **श्री वी० कृष्णराव** :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषरूप से झुग्गी और झोपड़ी क्षेत्रों में चुने गए विकलांग बच्चों के लिए कक्षाएं सचालित करने हेतु विकलांग कल्याण संघ, नई दिल्ली से स्थान के आवंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) स्थान का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निजी संस्थायें सामान्यतूल से वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं तथा इसलिए इस संघ के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

*742. **डा० ए० के० पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत निर्माण अथवा/और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इसके फलस्वरूप कितनी भूमि अपने कब्जे में वापस ली है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसी घटनाएं समय-समय पर ध्यान में आती रही हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी भूमि पर जानबूझकर किया गया अतिक्रमण एक संज्ञेय अपराध है। दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना दर्शाने वाला विवरण 2 संलग्न है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर क्षेत्रवार अतिक्रमण के ब्यौरे

(आकड़े एकड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	योग
1.	1986	53.78	12.42	8.00	15.00	89.20
2.	1987	10.27	4.35	3.50	13.00	31.12
3.	1988	6.25	2.50	3.50	9.00	21.25
4.	1989	3.00	0.75	2.00	3.00	8.75
योग :		73.30	20.202	17.00	40.00	150.32

वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन मामलों में गिराने की कार्यवाई की गई इनकी संख्या :

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या
1.	1986	13069
2.	1987	6473
3.	1988	9731

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमित की गई 168.50 एकड़ भूमि वापिस ले ली गई।

विवरण—2

मामलों की संख्या

वर्ष	सूचित किये गये	निरस्त किये गये	स्वीकार किये गये	चालान किये गये	दोषी	निर्दोष	निर्णयधीन	जांचाधीन	जिनका पता नहीं है
1986	902	18	884	865	352	35	3[illegible]8	—	19
1987	1390	19	1371	1292	604	19	669	12	65
1988	642	3	639	612	479	1	172	11	16

व्यक्तियों की संख्या :

वर्ष	गिरफ्तार किये गये	चालान किये गये	दोषी	निर्दोष	निर्णयाधीन	जांचाधीन	मुक्त किये गये
1986	1193	1189	615	32	542	–	4
1987	2030	2017	1207	43	741	5	30
1988	1018	1011	851	2	158	6	1

विश्वव्यापी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

*746. **श्री रणजीतसिंह गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वव्यापी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कितनी राशि आबंटित की गई है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा 240 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई थी। इस परिव्यय में वैक्सीन के उत्पादन के लिए 26·73 करोड़ रुपये शामिल थे और इसे बायोटैक्नोलाजी विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। शेष रकम कोल्ड चेन और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने, परिवहन वाहनों, वैक्सीन खरीदने, अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती, सभी चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय स्टाफ के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार में वृद्धि करने तथा इस कार्यक्रम के संबंध में अन्य अपेक्षाओं की आपूर्ति करने, जिसमें इसकी मानिटरिंग और मूल्यांकन शामिल है, पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए है।

यूनिसेफ के साथ हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार, यूनिसेफ द्वारा इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहायता में से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपकरण और अन्य मदें खरीदी जा रही हैं। यूनिसेफ के माध्यम से खरीदे गए उपकरण और वैक्सीन की कीमत को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रावधान में समायोजित किया गया है।

राज्य सरकारों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नकद सहायता भी प्रदान की जाती है। अब तक राज्यों को नकद सहायता के रूप में तथा राज्यों को सप्लाई की गई वैक्सीन और उपकरणों के भुगतान के लिए 86.52 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। अभी तक काफी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उपकरण खरीदे जाने हैं और उस पर होने वाला व्यय बाद में बुक कर लिया जाएगा।

1989-90 के दौरान 60 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है।

भारतीय रुई निगम के निदेशकों का यात्रा व्यय

***748. डा० वी० वेंकटेश :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय रुई निगम, बम्बई के निदेशक के दौरों पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या पिछले वर्ष किए गए खर्चे की तुलना में इन खर्च में वृद्धि हुई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम के प्रबन्ध मंडल के प्रत्येक सदस्य ने प्रतिमास दिल्ली तथा अन्य स्थानों का कितनी बार दौरा किया ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) निगम के वर्ष 1988-89 (1.9.88 से 31.3.89) वित्तीय वर्ष में निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक सहित, क्रियाशील निदेशकों द्वारा किए गए दौरों, विदेशी दौरों सहित, पर हुआ व्यय 2.85 लाख रुपए है।

(ख) जी हां। वर्ष 1987-88 तथा 1986-87 के दौरान क्रमश: 1.88 लाख रु० तथा 1.47 लाख रुपए की राशि व्यय हुई जबकि वर्ष 1988-89 के दौरान 31.3.1989 तक 2.85 लाख रुपए व्यय हुए।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक तथा क्रियाशील निदेशकों द्वारा किए गए दौरों का माल वार वितरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	पदनाम	दिल्ली के दौरे	अन्य स्थानों के दौरे
	1	2	3
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक		
	सितम्बर, 88	3	4
	अक्तूबर, 88	1	2
	नवम्बर, 88	1	2
	दिसम्बर, 88	2	2
	जनवरी, 89	3	—
	फरवरी, 89	3	—

1	2	3
मार्च, 89	2	1
निदेशक (पी. एंड. एस.)		
सितम्बर, 88	—	4
अक्तूबर, 88	—	5
नवम्बर, 88	—	1
दिसम्बर,88	—	2
जनवरी, 89	1	1
फरवरी, 89	1	1
मार्च, 89	1	3

"हिमाचल प्रदेश में खनन योजनाओं की स्वीकृति"

*749. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में खनन योजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो प्रत्येक मामले में कब तक निर्णय लिया जायेगा तथा उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को सातवीं योजना अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में किसी खनन स्कीम को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी, मैसर्स प्रताप सीमेंट वर्क्स लिमिटेड द्वारा चूना पत्थर के खनन के लिए हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में 9.25 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि तथा सहकारिता विभाग को प्राप्त हुआ था जो उस समय वानिकी का कार्य देखता था। इस प्रस्ताव को दिसम्बर, 1983 में पर्यावरण विभाग को पर्यावरणीय पहलुओं पर उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। इस प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिसम्बर, 1987 में नामंजूर कर दिया था क्योंकि परियोजना प्रस्तावकों ने पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं भेजी थी।

कपड़े का उत्पादन और उसकी बिक्री

*750. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कपड़े का वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ और इस कपड़े में प्रयुक्त सूत का अनुपात क्या है ;

(ख) देश में उक्त अवधि के दौरान कपड़े की वर्षवार, कुल कितनी बिक्री हुई ; और

(ग) कपड़े का गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के तीनों क्षेत्रों द्वारा कुल कपड़ा उत्पादन, कपास की खपत के अनुमानित प्रतिशत अनुपात सहित नीचे दिया गया है :

वर्ष	कपड़े का कुल उत्पादन (मिलियन मीटर में)	कपड़े की खपत का अनुमानित प्रतिशत अनुपात
1986-87	12988	82
1987-88	12992	79
1988-89 (अनुमानित)	13570	78

(ख) कपड़े की कुल बिक्री की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका विपणन कुल मिलाकर गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कपड़े की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1986	577.64	435.20
1987	775.42	601.43
1988	833.69	736.23

"एड्स" रोग से ग्रस्त बच्चे

*751. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेष रूप से बम्बई क्षेत्र में, बच्चों में "एड्स" रोग के लक्षणों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने बच्चों में "एड्स" के लक्षणों का पता चला है ; और

(ग) बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) बम्बई में अथवा देश के किसी अन्य भाग से किसी ऐसे शिशु का पता नहीं चला है, जिसे एड्स हो। तथापि, एड्स निगरानी केन्द्रों द्वारा 4 सोरोपॉजिटिव शिशुओं, जिनमें बम्बई का एक शिशु शामिल है, की सूचना मिली है। इन बच्चों में से किसी भी बच्चे में अभी एड्स के चिह्नों और लक्षणों का पता नहीं चला है।

(ग) सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए निगरानी केन्द्रों और 4 रेफरल केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से अत्यधिक खतरे वाले समूहों की जांच करने के लिए उपाय कर रही है। बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, बंगलौर, लखनऊ, गोवा, जयपुर, श्रीनगर और कटक में एड्स के रोगियों के क्लिनिकल उपचार के लिए एड्स यूनिटें खोली जा रही हैं। डाक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और कन्डोम के इस्तेमाल का प्रचार करने के लिए लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेन्टल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाईसेस के लिए आठवीं योजना में आबंटन

*752. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

उड़ीसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना करना

*754. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री वक्कम पुरुषोत्तम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और ऐसे कितने केन्द्र स्थापित कर लिए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) आठवों पंचवर्षीय योजना के प्लान दस्तावेज को योजना आयोग ने अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक राज्य में खोले जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या तथा रखे गए लक्ष्य उपाबंध में दिए गये हैं।

उपाबन्ध

सातवीं योजना के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्रम सं०	राज्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप-केन्द्र	
		लक्ष्य	उपलब्धि (प्रत्याशित)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रत्याशित)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	39	1150	928	4000	3000
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	5	25	28	90	135
3.	असम	30	52	200	255	3421	3398
4.	बिहार	97	47	1500	1461	6500	6500
5.	गोवा, दमण व दीव	2	2	7	9	10	13
6.	गुजरात	100	131	690	571	1250	1272
7.	हरियाणा	50	40	212	238	767	778
8.	हिमाचल प्रदेश	7	7	83	81	560	304
9.	जम्मू व कश्मीर	15	9	200	197	1367	1362
10.	कर्नाटक	86	48	805	765	2086	866
11.	केरल	100	50	833	764	2833	2824
12.	मध्य प्रदेश	100	88	731	830	5385	5885
13.	महाराष्ट्र	78	130	261	336	4419	4419
14.	मणिपुर	10	5	33	37	63	119
15.	मेघालय	8	5	22	33	230	250
16.	मिजोरम	4	4	18	18	58	58
17.	नागालैंड	6	4	12	14	101	124
18.	उड़ीसा	92	50	500	501	1800	1800
19.	पंजाब	56	46	330	235	250	250

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	25	106	702	597	4210	3830
21.	सिक्किम	4	2	2	2	50	50
22.	तमिलनाडु	120	106	1057	997	3000	2463
23.	त्रिपुरा	7	6	15	37	300	242
24.	उत्तर प्रदेश	259	146	2500	2486	7466	5059
25.	पश्चिम बंगाल	184	118	488	488	4600	4600
26.	पांडिचेरी	1	0	6	6	0	0
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3	5	13	42	66
28.	चण्डी गढ़	0	0	3	0	0	0
29.	दादरा व नागर हवेली	2	0	0	3	15	15
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	2	0	0	10	0
	योग :	1553	1251	12390	11919	54883	49764

दिल्ली में एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

*755. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए कुछ डाक्टरों से कोई सर्वेक्षण करवाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिल्ली में स्थापित चार निगरानी केन्द्र एच. आई. वी. एण्टीबाडीज की विद्यमानता के लिए अधिक खतरे वाले समूहों के व्यक्तियों, रक्तदाताओं और विदेशियों के रक्त की जांच करते हैं।

31. 3. 1989 तक 25875 व्यक्तियों की जांच की गई है और इनमें से 29 व्यक्ति सीरम पॉजिटव पाए गये हैं ।

कर्नाटक को आवश्यक वस्तुओं की कम मात्रा में सप्लाई किया जाना

[अनुवाद]

*756. **श्री जी. एस. बासवराजू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितनी मात्रा में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की मांग की थी, कितनी मात्रा आवटित की गई तथा उसके द्वारा कितनी मात्रा का उठान किया गया ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के आवंटन में कमी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य की सम्पूर्ण मांग को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1988-89 के दौरान कर्नाटक के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की माँग, आवंटित की गई मात्रा तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख मी. टनों में)

वस्तु	मांग	आबंटन	उठाई गई मात्रा
गेहूं	3.0	1.82	1.70
चावल	9.0	5.70	5.54
खाद्य तेल	1.33	0.44	0.41
(तेल वर्ष 1988-89 के लिए)			
(नवम्बर, 88 से अक्तूबर 89 तक)			

लेवी चीनी : लेवी चीनी का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की माँग अथवा अनुरोध के आधार पर नहीं, बल्कि 1. 10. 1989 की अनुमानित आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के एक समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। कर्नाटक को फरवरी, 1987 से प्रति मास 17.769 मी. टन लेवी चीनी आवंटित की जा रही है।

मिट्टी का तेल : कर्नाटक को 1988-89 के दौरान 4.05 लाख मी.टन मिट्टी का तेल आबंटित किया गया है, जिसमें से जनवरी, 1989 तक 3.36 लाख मी.टन मात्रा उठाई गई है। मिट्टी का तेल निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर आबंटित किया जाता है। बाढ़, सूखा अथवा खाना पकाने की गैस की कमी जैसी विशिष्ट स्थितियों के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अतिरिक्त /तदर्थ आवंटन करने पर भी विचार किया जाता है।

कंट्रोल का कपड़ा : 1.4.1988 से 31.3.1989 की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य संघ, बंगलोर से 19.20 लाख वर्ग मीटर सूती कंट्रोल के कपड़े तथा 2.25 लाख लीनियर मीटर पोलीयस्टर सूती मिश्रित कमीज के कपड़े के लिए डिमान्ड पैटर्न/मांग प्राप्त हुई थी, जिसके प्रति 26.48 लाख वर्ग मीटर कंट्रोल का सूती कपड़ा तथा 2.25 लाख लीनियर मीटर पोलीयस्टर-सूती कमीज का कपड़ा निर्मुक्त करने के अनुदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त माँग/निर्मुक्ति के प्रति 1. 4. 1988 से 31. 1.1989 की अवधि के दौरान वास्तव में 18.755 लाख वर्ग मीटर सूती कंट्रोल का कपड़ा तथा 0.47 लाख मीटर पोलीयस्टर-सूती कमीज का कपड़ा प्रेषित किया गया।

(ख) से (घ) खाद्यान्नों का आबंटन आमतौर पर केंद्रीय पूल में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। ये आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं किए जाते हैं

भरपूर फसल होने से खुले बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण चावल तथा खाद्य तेलों के आबंटनों में हाल ही में कमी की गयी है।

भवन निर्माण उद्योग में महिला श्रमिकों की सुरक्षा

*757. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण में बड़ी संख्या में कार्यरत महिला श्रमिकों को सिर पर भारी वजन उठाने और कई मंजिलों तक ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें गिरने के संभावित खतरों तथा अन्य खतरों से बचने के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण उद्योग में विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए भार उठाने तथा सुरक्षा के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो ऐसे मानदण्ड कब तक निर्धारित किये जायेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) हालांकि केन्द्रीय सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि भवन निर्माण क्रियाकलापों में लगी बहुत सी महिला श्रमिकों को भारी वजन ले जाने तथा ऐसी दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनसे उनके जीवन को खतरा होता है, लेकिन यह सच है कि भवन निर्माण क्रियाकलापों में सुरक्षा के लिए अभी तक कोई सांविधिक मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि भवन निर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों पर बहुत से श्रम कानून लागू हैं, लेकिन सुरक्षा तथा कल्याण का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए कोई सांविधिक संहिता उपलब्ध नहीं है। भवन और निर्माण कर्मकारों,जिनमें महिला कर्मकार शामिल हैं, का नियोजन तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने तथा इनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1988 शीर्षक नामक एक विधेयक 5.12.1988 को राज्य सभा में पेश किया गया है। आशा है कि संसद द्वारा इस विधेयक के पारित किए जाने तथा मॉडल नियमों के अपनाए जाने से भवन निर्माण क्रियाकलापों की कामकाजी दशाओं तथा सुरक्षा स्तरों में सुधार होगा।

आल इंडिया कोल, एश एंड ट्रांशिपमेंट मजदूर यूनियन, धनबाद की ओर से ज्ञापन

7003. **श्री रेणुपद दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया कोल, एश एंड ट्रांशिपमेंट मजदूर यूनियन, धनबाद ने 16 फरवरी, 1989 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल) को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) आल इंडिया कोल, एश एंड ट्रांशिपमेंट मजदूर यूनियन धनबाद द्वारा पूर्वी रेलवे और जिला आयुक्त, धनबाद को प्रस्तुत एक ज्ञापन में, बिहार सरकार द्वारा विनिर्माण, भवन, सड़क आदि के अनुसूचित नियोजन के लिए निर्धारित मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों के भुगतान और रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदारों के जरिये एश और कोल हैंडलिंग में लगे मजदूरों के स्थायी विलयन से संबंधित मांगों को उठाया गया था।

(ग) मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों के भुगतान के संबंध में सभी पक्षकारों के साथ संयुक्त विचार विमर्श को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा प्रारम्भ किया गया है। ए. और कोल हैंडलिंग में लगे मजदूरो के स्थायी विलयन से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा बताया गया है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को मकान

7004. **डा० मनोज पांडे** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को मकान के आवंटन के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को मकानों का आवंटन किए जाने के संबंध में अप्रैल, 1976 में जारी किए गए अनुदेशों का सितम्बर, 1988 तक पालन किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन सम्पदा निदेशालय द्वारा मांगा गया प्रमाणपत्र ठीक प्रकार से जारी नहीं कर रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले पर पुनर्विचार करने और अप्रैल, 1976 के अनुदेशों को वापस लेने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 5.9.1988 को तारांकित प्रश्न संख्या 488 (लोक सभा) का उत्तर देते समय यह ध्यान में आया कि टाइप-II, III तथा IV में दिल्ली प्रशासन पूल में आवंटन दी गई अग्रता तारीख से आगे थी। यद्यपि, दिल्ली प्रशासन अप्रैल, 1976 में निर्धारित प्राय: प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता रहा।

(ग) सामान्यपूल और दिल्ली प्रशासन पूल में 5.9.88 को आवंटन की गई अग्रता की तारीख के संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों से यह पता लगेगा कि दिल्ली प्रशासन ने सही प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

सामान्य पूल तथा दिल्ली प्रशासन पूल के आवंटन की गई अग्रता तिथि 5.9.88 की स्थिति

टाइप	सामान्यपूल	दिल्ली प्रशासन
I	7.4.1971	दिसम्बर, 1968
II	1.9.1965	फरवरी, 1960
III	15.2.1965	दिसम्बर, 1972
IV	12.10.1959	दिसम्बर, 1964
V	1.1.1986	शून्य
VI	1.1.1986	जुलाई, 1969

"उर्वरक संयंत्रों से प्रदूषण"

7005. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक संयंत्रों से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विशेषकर इनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों/प्रदूषकों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) चार चरणों वाला एक कार्यक्रम तैयार किया गया था । इसके प्रथम चरण में विद्यमान प्रदूषण का मूल्यांकन तथा रख-रखाव और संयंत्र में संशोधन का कार्य आता है ; दूसरा चरण प्रदूषण भार में कमी करने तथा शोधन पद्धतियाँ बनाने तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ; तीसरे चरण में शोधन संयंत्रों को चालू करने और नए संयंत्रों के लिए बड़े संशोधनों को पूरा करना है तथा चौथे चरण में पुराने संयंत्रों के लिए बहिस्राव संयंत्रों को लगाने का कार्य किया जाना है । जहां तक इसके कार्यान्वयन की रीति का प्रश्न है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उर्वरक उद्योग पर गठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृतिक बल आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा करते हैं तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से संगत अधिनियमों के उपबंधों का प्रयोग करते हुए अनुपालना सुनिश्चित करते हैं ।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन

7006. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम मंत्री** बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्तावित संशोधनों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और इसके लिए संसद में कब तक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1988 लोक सभा में 16.12.1988 को पेश किया गया है । इस विधेयक में कर्मकारों द्वारा कीटनाशक, पेस्टीसाइड तथा अन्य विषैले पदार्थों के प्रयोग तथा हैण्डलिंग में अपनाये जाने वाले सुरक्षा मानकों की व्यवस्था किए जाने तथा अधिनियम के कल्याणकारी उपबंधों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है । इस विधेयक में किसी कार्य को कराने के लिए नियोक्ता द्वारा लगाए गए ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों के संबंध में "परिवार" तथा "नियोक्ता" की परिभाषाओं में संशोधन करने, बागानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने तथा अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने पर शास्तियों को अधिक कठोर बनाने के नियोक्ता के दायित्व से संबंधित उपबंध बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि

7007. श्री एन. डेनिस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर में पड़ी खाली भूमि का हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध खाली भूमि का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध खाली भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर यथा सूचित आधिक्य खाली भूमि का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिक भूमि का अनुमान (हेक्टेयरों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	9614.77
2. असम	73.43
3. बिहार	235.45
4. गुजरात	32513.00
5. कर्नाटक	9089.26
6. मध्य प्रदेश	6555.50
7. महाराष्ट्र	48119.66
8. उड़ीसा	106.30
9. पंजाब	1830.26
10. राजस्थान	27369.14
11. उत्तर प्रदेश	54743.57
12. पश्चिमी बंगाल	5007.00
13. पांडिचेरी	185.86
14. दिल्ली प्रशासन	332.81
15. छावनी क्षेत्र	606.18
16. चण्डीगढ़	12.73
	196394.92

सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध

7008. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार और हरियाणा सरकार सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगाने के उपाय कर रही है जैसाकि 12 और 14 मार्च, 1989 को इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या सरकार को इन सरकारों से धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक केन्द्रीय कानून बनाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार नए कानून में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने सम्बन्धी प्रावधान शामिल करने का भी विचार है ; और

(घ) सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहनों में धूम्रपान रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं क्योंकि "धूम्रपान निषेध" चिन्ह कारगर नहीं रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके धूम्रपान पर एक व्यापक कानून बनाने का विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि वे वर्तमान धूम्रपान निषेध संबंधी/कानून को मनोरंजन के विभिन्न स्थानों पर लागू करें और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इसे लागू करें।

ग्रामीण परिवार कल्याण कार्यक्रम

7009. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी योजना के दौरान अब तक ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के नेट वर्क के कार्यों पर कोई निगरानी रखी जाती है ; यदि हां, तो किस प्रकार से निगरानी की जाती है ;

(ग) इस निगरानी के परिणामस्वरूप किस प्रकार की त्रुटियां सामने आई हैं ; इन केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के कार्यकरण को ठीक करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर राज्य के पूर्वी क्षेत्र में, चालू वर्ष के दौरान कितने उपकेन्द्रों के खोले जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय के परिवार कल्याण बजट से ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1985-86 से 1988-89 के दौरान 66574.48 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है। यह राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए खर्च की गई धनराशि के अतिरिक्त है।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों जैसे प्राथमिक परिचर्या संस्थाओं के कार्य की मानीटरिंग स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों द्वारा तदर्थ सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न अनुसंधान संगठनों द्वारा हाल में किए गए अध्ययन उपकेन्द्रों पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की कमी, फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का कुशल पर्यवेक्षण और विशेषकर फील्ड स्तर पर अर्ध चिकित्सा स्टाक की फील्ड स्तर पर मानीटरिंग और पर्याप्त दक्षता की कमी, बताते हैं। राज्य सरकारों के ध्यान में अध्ययनों के परिणामों को लाने के अतिरिक्त राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकों में और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन में भी इन केन्द्रों की कार्यदक्षता में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान 559 उपकेन्द्रों की स्थापना करना स्वीकार कर लिया गया है। जिलावार आवंटन राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तथापि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नए उपकेन्द्र खोलते समय पर्वतीय, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साइकिल भत्ता

7010. **श्री राज कुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम के समान साईकिल भत्ता देने का आदेश दिया गया था ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने के लिए साईकिल भत्ते को बढ़ा कर 40 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी साईकिल भत्ते की यही दरें लागू की गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8.9.1987 से 40 रुपये प्रतिमाह की दर से साइकिल भत्ता मंजूर किया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी समूह "घ" के कार्य प्रभारित स्टाफ सहित कर्मचारियों को 25 रुपये प्रतिमाह दे रहा है।

(घ) इस समय, दिल्ली विकास प्राधिकरण का साइकिल भत्ता 40 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली में जनकपुरी में पोलिक्लीनिक की सुविधा

7011. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सबसे बड़ी आवासीय कालोनी जनकपुरी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा की दृष्टि से अभी तक अपेक्षित रही है तथा हजारों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उसके परिवारों को इस क्षेत्र में एक विस्तृत पोलिक्लीनिक की व्यवस्था न होने के कारण इधर-उधर भटकना पड़ता है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के रोगियों को होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तथा नैदानिक सुविधाओं हेतु क्रमशः राजौरी गार्डन, मायापुरी, हरी नगर तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक के दुरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जनकपुरी के लाभार्थियों को अपेक्षित पोलिक्लिनिक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जनकपुरी 1,11 और नांगल राय स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय जनकपुरी में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। जनकपुरी में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की क्रमशः हरिनगर, राजौरी गार्डन और नारायणा स्थिति यूनिटों से प्राप्त कर रहे हैं। जनकपुरी इलाके के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक पॉलि-क्लीनिक पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के एक प्लाट पर पॉलि-क्लीनिक के भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है।

चिराल यौगिक की संश्लेषण विधि से औषधों का तैयार किया जाना

7012. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबा के वैज्ञानिक, "संयसिस आफ चिराल कम्पाउंड्स" (चिराल यौगिक की संश्लेषण विधि) से औषध तैयार करने में लगे हुए हैं, जैसा कि 27 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति के विकास में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस पद्धति से बनाई गई औषधियां विषरहित और सहगामी दुष्परिणाम रहित होगी जैसा कि रसायनिक मिश्रणों से बनी औषधियों के मामले में होता है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस पद्धति से बनाई गई औषधियां वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद होगी ; और

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए तत्काल अपेक्षित आवश्यक औषधियों के उत्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) यह सूचना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हानि

7013. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को संचालित संबंधी भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में हानि के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :-

(1) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी ;

(2) कपास तथा अन्य निवेशों की कीमतों में वृद्धि ;

(3) बिजली की कटौती तथा कैप्टिव पावर की ऊंची लागत ;

(4) बैशी श्रमिक बल ;

(5) बढे हुए महंगाई भत्ते आदि की वजह से मजदूरी में वृद्धि ;

(6) मिलों के आधुनिकीकरण तथा श्रमिक सुव्यवस्थीकरण योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।

(ग) मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने मिल विशेष कार्य योजना बनाई है।

सरकारी गोदामों में पड़ी प्रतिबंधित और प्रयोगावधि-समाप्त दवाइयां

7014. **श्री एस० डी० सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के गोदामों में इस समय कौन सी प्रतिबंधित दवाएं और कौन सी ऐसी दवाएं पड़ी हैं जिनके प्रयोग की तारीख समाप्त हो चुकी है ;

(ख) ये दवाइयां कब खरीदी गई थीं ;

(ग) अब इन दवाइयों का किस प्रकार प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी धनराशि की हानि होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) डिपुओं में कुछेक अप्रचलित और पुरानी औषधें पड़ी हुई हैं।

(ख) 10 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न तारीखों को इन औषधियों की आवश्यकता थी।

(ग) और (घ) इन औषधियों को निर्माताओं ने मुक्त बदलवाने के प्रयत्न चरणबद्ध ढंग से किए जा रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

7015. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को बंगाल लैमप्स लिमिटेड और बेलरेक्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों से कर्मचारियों को भविष्य निधि की एकत्रित बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उक्त कम्पनियां अपने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट चला रही हैं और यह समाचार है कि इन कम्पनियों ने इन ट्रस्टों से भारी राशि निकालकर अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग कर ली है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी मिलों के लिए कर्नाटक को मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस

7016. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए क्षेत्र-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या राज्य ने वर्ष 1988-89 के दौरान इस संबंध में कोई अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक राज्य में नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उसी अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए तीन आशय पत्र प्रदान किए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र	क्षमता (टी०सी०डी० में)	आशय पत्र जारी करने की तारीख
1.	कृष्णा एम०एस०के०लि० अथानी, जिला बेलगाव	सहकारी	2500	2.11.88

2.	मैं० श्रीभाग्य लक्ष्मी एस०एम०के० लि०, खानापुर, जिला बेलगांव	सहकारी	2500	2.11.88
3.	मैं० नारन्जा एस०एस०-के० लि०, ग्राम चिल्लार्गी, जिला बिदार।	सहकारी	2500	20.3.89

चीनी मिलों में पुरानी मशीनें

7018. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी चीनी मिलें हैं ;

(ख) क्या देश में अधिकतर चीनी मिलें अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार चीनी उत्पादन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनकी मशीनें पुरानी पड़ चुकी हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसी चीनी मिलों की संख्या क्या है ; और

(घ) इन के नवीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश में स्थापित चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार (खाद्य विभाग) चीनी फैक्ट्रियों को अपने प्लांट और मशीनों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण करने के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण सुलभ कर रही है। इसके अलावा केन्द्रीय वित्तीय संस्थान अर्थात आई०एफ०सी०आई० और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्वासन /सक्षम क्षमता तक विस्तार करने के लिए सुगम शर्तों पर ऋण मुहैया कर रहे हैं। कई फैक्ट्रियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है।

विवरण

राज्यवार, क्षेत्रवार कुल स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की संख्या (15.4.1989 को स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	राज्य	नीजी	सरकारी क्षेत्र/ राज्य की अपनी	सहकारी	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	45	29	30	104
2.	बिहार	20	10	—	30

1	2	3	4	5	6
3.	पंजाब	2	2	9	13
4.	हरियाणा	1	—	7	8
5.	पश्चिम बंगाल	1	1	—	2
6.	असम	—	1	2	3
7.	नागालैंड	—	1	—	1
8.	राजस्थान	1	1	1	3
9.	मध्य प्रदेश	5	—	3	8
10.	उड़ीसा	1	—	3	4
11.	महाराष्ट्र	11	—	90	101
12.	गुजरात	—	—	17	17
13.	गोवा	—	—	1	1
14.	तमिलनाडु	14	2	12	28
15.	कर्नाटक	8	3	18	29
16.	पांडिचेरी	1	—	1	1
17.	आंध्र प्रदेश	10	6	18	34
18.	केरल	1	—	2	3
19.	मणिपुर	—	—	—	—
20.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—
	जोड़	121	56	214	391

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों का आबंटन

7019. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजधानी (नई दिल्ली) में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को आपसी आदान-प्रदान के आधार पर रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध कराती है, यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले उड़ीसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न टाईपों के कितने क्वार्टर आबंटित किए गए हैं और उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आबंटन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से कितने क्वार्टर प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिन्हें अधिक लागत पर अपने घर-परिवार की व्यवस्था करनी पड़ती है, को राजधानी में पर्याप्त संख्या में सरकारी क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। सलग्न विवरण में दिए गए मानदण्डों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार दिल्ली में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकानों का आवंटन करती रही है।

(ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को 10 रिहायशी एकक दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 381 क्वार्टर सौंपे हैं।

(ग) मंत्रिमण्डल वास समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशनों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवंटनों की जांच की जाती है। इस प्रकार विद्यमान कोटा बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी वास के आवंटन के मानदण्ड।

1. पहले ही किए गए मौजूदा आवंटनों को जारी रखने की अनुमति दी जाए।

2. भविष्य में, दिल्ली में तैनात राज्य सरकारों के अधिक से अधिक पांच कर्मचारियों को सामान्य लाइसेन्स फीस के भुगतान पर वास का आवंटन किया जाए, जहां 12 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार मौजूदा आवंटन पांच से कम हैं वहां इस संख्या तक ही सीमित किया जाए।

3. जहां राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के अथिति गृह बना लिए हैं उन मामले में सामान्य पूल भवनों, जिनका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा अथिति गृह (गैस्ट हाउस) के रूप में किया जा रहा है, को छः माह की अवधि के भीतर सामान्यपूल में वापस लिया जाए।

4. दिल्ली के अलावा दिल्ली में तैनात संघ राज्य क्षेत्र के अधिक से अधिक दो अधिकारी/कर्मचारियों को सामान्यपूल वास का आवंटन किया जाए।

5. जब कभी भी राज्य सरकार का कोई निवासी आयुक्त (रैजीडैन्ट कमिश्नर) बदल जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी को सम्बन्धित राज्य के राज्य सरकार के कर्मचारियों के दखल में दिल्ली में कुल क्वार्टरों की संख्या को ध्यान में रखे बिना प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए उपयुक्त टाइप का रिहायशी वास इस शर्त पर दिया जाए कि पूर्ववर्ती निवासी आयुक्त उस वास को एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर खाली कर देगा तथा खाली होने पर उसे सामान्यपूल में वापस करना होगा। पूर्व रेजीडैन्ट आयुक्त को रहने की अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद वास को खाली करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा न करने पर उन्हें अविलम्ब बेदखल कर दिया जाएगा।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति

7020. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कुल बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल बिक्री में इस तीव्र गिरावट के क्या कारण है ; और

(ग) इस गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास की कुल बिक्री इस प्रकार थी :—

1986-87	—	228.65 लाख रुपये
1987-88	—	320.55 लाख रुपये
1988-89	—	410.34 लाख रुपये

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

"उड़ीसा में लुप्त प्राय: प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास हेतु विशेष व्यवस्था"

7021. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास हेतु विशेष व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने हेतु केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) "संकटापन्न प्रजातियों की कैप्टिव ब्रीडिंग और पुनर्वास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उड़ीसा सरकार से ब्रीडिंग पूलों, तालाबों, जल आपूर्ति और उपकरणों जैसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 2.75 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर उतनी ही राशि प्रदान की गई है।

"दलदली भूमि का संरक्षण"

7022. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोलह दलदली भूमियों के संरक्षण के लिये कोई कार्य योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में नमभूमि के संरक्षण के लिए एक स्कीम आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 16 नमभूमियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए चुना गया है। अब तक 8 नमभूमियों के बारे में कार्य योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	चुनी गई नमभूमि	राज्य	क्या कार्य योजना को मंजूरी दी गई	आवंटित धनराशि (लाख रुपए में)
1.	कोलेरू	आन्ध्र प्रदेश	जी हां	7.50
2.	वूलर	जम्मू और कश्मीर	जी हां	7.70
3.	चिल्का	उड़ीसा	जी हां	7.45
4.	लोकटक	मणिपुर	जी हां	17.90
5.	भोज	मध्य प्रदेश	जी हां	4.75
6.	साम्भर	राजस्थान	जी नहीं	शून्य
7.	पिचोला	राजस्थान	जी नहीं	शून्य
8.	अष्टमूडी	केरल	जी नहीं	शून्य
9.	सष्ठमकोटा	केरल	जी नहीं	शून्य
10.	हरिके	पंजाब	जी हां	11.90
11.	कंजली	पंजाब	जी हां	7.42
12.	सुखना	चण्डीगढ़	जी हां	6.60
13.	उजनी	महाराष्ट्र	जी नहीं	शून्य
14.	रेनुका	हिमाचल प्रदेश	जी नहीं	शून्य
15.	काबर	बिहार	जी नहीं	शून्य
16.	नलसरोवर	गुजरात	जी नहीं	शून्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एल०आई०जी०/एम०आई०जी० फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

7023. **श्री आर०एन० यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एल०आई०जी० और एम०आई०जी० के फ्लैटों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों के पुराने और नये मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कन्नौर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के कर्मचारियों को पर्व-अग्रिम

[अनुवाद]

7024. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत सभी एककों/मिलों में कर्मचारियों को वेतन, पर्व अग्रिम आदि जैसे नौकरी संबंधी लाभ समान रूप से दिए जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें विद्यमान विभिन्नता का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में केरल में कन्नोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के कर्मचारियों की ओर से वर्ष 1988 और 1989 के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) एन०टी०सी० मिलों के कामगारों सहित वस्त्र कामगारों के मामले में मजदूरी ढांचे क्षेत्र-सह-उद्योग सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अतः यह ढांचे सभी एन०टी०सी० मिलों में एक समान नहीं हैं क्योंकि ये मिलें अलग-अलग वस्त्र क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार मजदूरी ढांचों के निर्धारण में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है।

दिल्ली में भूमि की समस्या

7025. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के अव्यावहारिक कारोबार में शामिल है तथा इसे वेतनभोगी वर्ग के लोगों एवं सामान्य नागरिकों के भुगतान करने की क्षमता से बहुत अधिक दर पर भूमि की बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि इसमें भूमि का अधिग्रहण बहुत ही कम कीमत पर किया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के इस कारोबार को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में भूमि की समस्या को एक नये दृष्टिकोण से विचार करने का हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि के लिए मुआवजा दिया जाता है। अब तक अधिग्रहित की गई भूमि तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई भूमि में से, वाणिज्यिक प्लाटों को प्रचलित मार्किट दरों पर खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है। रिहायशी प्लाटों को अधिकांशतः पूर्व निर्धारित दरों पर बेचा जाता है जो अधिग्रहण की लागत सेवाओं, ऊपरी लागतों आदि सहित विकास की लागत को ध्यान में रखते हुए "लाभ-हानि रहित" के सिद्धान्त पर निर्धारित की जाती हैं। उन सहकारी ग्रुप आवास समितियों को पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर विकसित भूमि आंवटित की जाती है जिनकी सदस्यता में आमतौर पर मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं। प्लाटों

की नीलामी से बची शेष भूमि का उपयोग स्कूलों एवं अस्पतालों जैसी संस्थाओं को भूमि की लागत में कमी करके सहायतार्थ किया जाता है तथा विकसित प्लाटों को समाज के कमजोर वर्गों को तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य विकास गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम को हुआ घाटा

7026. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा :**

श्री के० राम चन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बोरों के सौदे में भारतीय खाद्य निगम को घाटे के बारे में 29 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3921 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को बोरियों के सौदे में हुए घाटे के संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) यह मामला जांचाधीन है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 'बंगलौर सिटी सिल्क एक्सचेंज' को रेशम की सीधी सप्लाई

7027. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड 'बंगलौर सिटी सिल्क एक्सचेंज' को रेशम की सीधी सप्लाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 'बंगलौर सिटी सिल्क एक्सचेंज' को रेशम सीधे सप्लाई करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

वनस्पति का उत्पादन

7028. **श्री एच. ए. डोरा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान वनस्पति का अधिक उत्पादन हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां । गत तीन तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर)/वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के दौरान वनस्पति का उत्पादन निम्नवत रहा :—

(मात्रा लाख मी. टन में)

	तेल वर्ष	वित्तीय वर्ष
1985-86	9.17	8.68
1986-87	9.27	9.17
1987-88	9.85	9.80
1988-89	4.16 (अनुमानित) (नवम्बर से मार्च)	9.95 (अनुमानित)

(ख) चालू वर्ष के दौरान वनस्पति के उत्पादन में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है :—

(1) इसकी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होना ।

(2) आय में अधिक वृद्धि ।

(3) औद्योगिकीकरण ।

(4) आबादी में वृद्धि ।

(5) कच्ची सामग्री का आसानी से उपलब्ध होना, आदि ।

दिल्ली में दूषित जल की सप्लाई

7030. **श्री पी. एम. सईद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीने के दौरान दिल्ली में दूषित जल सप्लाई किए जाने के बारे में उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या शिकायतें मिलने के पश्चात प्रयोगशालाओं में जांच कराई गई थी और यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान की प्रयोगशाला में जल की कोटि के बारे में 163 शिकायतें तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो नलकूपों तथा गहरे हैण्डपम्पों के जरिये पानी की सप्लाई करता है, को 8 शिकायतें प्राप्त हुई थी । दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान को 114 शिकायतों की जांच के परिणाम सन्तोषजनक मिले । शेष 49 मामलों में, यह पाया गया था कि पालिका की मुख्य लाइन

से उपभोक्ता सर्विस पाइपों में रिसाव के कारण पानी गन्दा हो गया था। मरम्मत/ठीक करने के पश्चात् पानी की कोटि में सुधार हुआ था। 8 शिकायतों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए और पानी पीने योग्य पाया गया।

"मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति"

7031. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख सिचाई परियोजनायें और पन बिजली परियोजनायें वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिये लंबित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं की आवश्यक स्वीकृति शीघ्र ही प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की कोई भी जल विद्युत परियोजना या बड़ी सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नही पड़ी है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबन्धों के तहत पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाती है। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होता है जिनमें बनेतर प्रयोजनों के लिए वन-भूमि को उपयोग में लाया जाना होता है। केवल दो परियोजनाओं अर्थात् बोधघाट जल विद्युत परियोजना तथा बाणसागर बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विचार किया जाना है क्योंकि इनके बारे में आवश्यक आंकड़े और कार्ययोजनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित ब्यौरे तथा योजनाएं शीघ्रता से भेजे जाए राज्य के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किया जाता है जिनमें फील्ड दौरे भी शामिल हैं।

दिल्ली में संज्ञेय अनधिकृत निर्माणों के मामले

[हिन्दी]

7032. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1984 से आज तक वर्ष-वार संज्ञेय अनधिकृत निर्माण के कितने मामलों में न्यायालयों ने स्थगन आदेश जारी किए हैं, और इस समय कितने मामले निर्णयाधीन हैं ;

(ख) स्थगन आदेश रद्द करवाने के लिए वर्ष 1984 से आज तक क्या कदम उठाए गए हैं और कितने मामलों में स्थगन आदेश रद्द किए गए ; और

(ग) अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में लोगों द्वारा जनहित में सरकार की मदद किए जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमपुरी जनता फ्लैट के पाकेट-दो में पार्कों का रख-रखाव

[अनुवाद]

7033. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमपुरी जनता फ्लैट, नई दिल्ली के पाकेट-दो के आवंटिती संघ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्षेत्र में सार्वजनिक पार्कों के उचित विकास और रख रखाव के लिए अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं क्योंकि फ्लैटों को, जब तक दिल्ली नगर निगम को सौंप नहीं दिया जाता जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि, जनता फ्लैट, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली के पाकेट-2 को दिल्ली नगर निगम को पहले ही अन्तरित कर दिया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में स्थित पार्कों का अनुरक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है । पार्कों का विकास कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है ।

हथकरघा बुनकरों को सहायता

7034. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हथकरघा बुनकरों को कोई राहत या सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में कोई दल भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में हथकरघा बुनकरों को सरकार का और क्या सहायता प्रदान करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1986-87 1987-88 और 1988-89 में विभिन्न राज्य सरकारों को 43417.57 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई । उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं ।

(ग) और (घ) हथकरघा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति से संबंधित मामलों और हथकरघा क्षेत्र के लिए महत्व के मुद्दे की पुनरीक्षा हर तिमाही में नई दिल्ली में हथकरघा और

वस्त्र निदेशकों की बैठक में की जाती है। जब कभी राज्यों में कोई विशेष समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तब उन पर विचार-विमर्श करने के लिए अधिकारियों को राज्यों में भी प्रतिनियुक्त किया जाता है।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	योजनाओं का नाम	रिलीज की गई राशि			
		1986-87	1987-88	1988-89	योग
योजना स्कीम					
1.	प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियों को शेयर पूंजी सहायता।	170.36	125.00	152.00	447.36
2.	राज्य हथकरघा शीर्ष समितियों को शेयर पूंजी सहायता।	200.00	149.75	90.00	439.75
3.	राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।	205.00	192.00	92.50	489.50
4.	करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	180.46	204.64	204.38	589.48
5.	बुनकर समितियों को प्रबन्धकीय उपदान।	30.00	31.00	36.00	97.00
6.	करघा-पूर्व करघा पश्चात संसाधन सुविधाओं के लिए सहायता।	215.00	203.50	180.00	598.50
7.	थ्रिफ्ट फण्ड	61.66	65.44	84.99	212.29
8.	वर्कशेड-सह-आवास	207.67	149.73	388.71	746.11
9.	निर्यात उत्पादन परियोजनायें/ हथकरघा विकास परियोजनाएं	90.00	100.00	93.83	283.83
10.	राज्यों में प्रवर्तनतन्त्र की स्थापना।	—	25.00	13.20	38.20
गैर-योजना स्कीम					
1.	जनता कपड़ा	9634.81	9136.08	10006.53	28777.42
2.	हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	2830.38	3322.64	4545.11	10698.13
	योग	13825.34	13704.98	15887.25	43417.57

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रिश्चियन अस्पताल का अधिग्रहण

7035. **श्री देबी घोषाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले क्षय रोगियों की सुविधा के लिए बंद पड़े क्रिश्चियन अस्पताल, श्यामनगर (पश्चिम बंगाल) का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। सूचित किया गया है कि क.रा.बी. निगम, श्याम नगर क्रिश्चियन अस्पताल का अधिग्रहण करने और क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत इसे टी.बी. अस्पताल के रूप में चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर अगस्त, 1988 में सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है। उन्होंने तदनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वे जमीन/भवन तथा उपकरण के स्थानांतरण संबंधी अपेक्षित प्रस्ताव को निगम के औपचारिक अनुमोदन हेतु भेजें। तथापि, राज्य सरकार से अपेक्षित प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

रक्त जांच उपकरणों की खरीद के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

7036. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रक्त में एड्स के जीवाणुओं की जांच के लिए विशेष रक्त जांच उपकरण की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह उपकरण किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) इस उपकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने रक्तदाताओं की जांच और एड्स यूनिटों की स्थापना के लिए जे०जे० ग्रुप अस्पताल, बम्बई में एड्स के रोगियों के लिए क्लिनिकल प्रबन्ध करने के लिए 15.30 लाख रुपये की राशि रिलीज की है। उपर्युक्त क्रियाविधियों को चलाने के लिए एड्स यूनिट के लिए आवश्यक उपकरण हैं :

(1) रेस्पिरेटर।

(2) मॉनिटरिंग यूनिट।

(3) अल्टासऊंड टैब्लाइजर्स।

(4) प्रकाश स्रोत सहित एंडोस्कोप्स का पूरा सेट।

(5) प्रकाश स्रोत सहित ब्रोन्को स्कोप।

(6) लघु ऑटोक्लेव।

बम्बई में जे०जे० ग्रुप अस्पताल जड्स यूनिट ने पहले से ही जनवरी, 1989 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

आंध्र प्रदेश में रेशम बुनाई उद्योग

7037. **श्री मानिक रेड्डी : क्या वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रेशम बुनाई उद्योग विलोपन का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस आयोग को पुनः चालू करने और बुनकरों को मदद देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार बुनकर सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता, करघों का आधुनिकीकरण, हथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट देना, किफायत निधि योजना, वर्कशेड-सह-आवास योजना आदि जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश के (आन्ध्र प्रदेश सहित) हथकरघा बुनकरों (रेशम बुनकरों सहित) को सहायता प्रदान करती रही है।

गेहूं उत्पादकों को बोनस

7038. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाने को ध्यान में रखते हुए गेहूं उत्पादकों को "बोनस" देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) खाद्यान्नों के भंडारों को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा सरकार के समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के प्रति गेहूं की वसूली की जाती है। किसानों द्वारा पेश किए गए तथा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी गेहूं को वसूली एजेंसियों द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

बेरोजगार मेडिकल स्नातक, तकनीकी स्नातक और डिप्लोमा धारी

7039. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगार मेडिकल स्नातकों, तकनीकी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों का पता लगाने के लिए राज्य-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होती है ; और

(घ) सरकार ने उन्हें शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाएं हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) देश में बेरोजगार मेडिकल स्नातकों, तकनीकी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार द्वारा मेडिकल स्नातकों, तकनीकी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाये गए कदमों के विवरण 7वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिए गए हैं।

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास का निर्यात

7040. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रुई निगम को कपास का निर्यात करने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय रुई निगम द्वारा रुई निर्यात करने का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) भारतीय रुई निगम ने तीन वर्षों 1982-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान अपने रुई के निर्यात से 131.56 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

(ख) और (ग) चालू रुई वर्ष 1988-89 के दौरान सरकार ने अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 50,000 गांठों का निर्यात कोटा तथा भारतीय रुई व्यापार निगम लि० द्वारा निर्यात के लिए बंगाल देशी की 1241 गांठें रिलीज की हैं।

रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के भूखण्डों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण को मध्यमआय वर्ग के भूखण्डों में परिवर्तित करना

7041. **श्री राम सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग और मध्यमआय वर्ग की श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत कितने व्यक्तियों को अभी भूखण्ड आवंटित किये जाना शेष है ;

(ख) पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक भूखण्ड आवंटित किए जाने की संभावना है ;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान और वर्ष 1989 में निम्न आय वर्ग के भूखंडों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण को मध्यमआय वर्ग के भूखंडों के पंजीकरण में परिवर्तन करने संबंधी आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) इन आवेदन पत्रों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी तथा उनके अनुरोध को कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) निम्न आय वर्ग	...	25,113
मध्यम आय वर्ग		18,644

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण शेष पंजीकृत व्यक्तियों को अगले पांच वर्षों के भीतर चरण-बद्ध तरीके से प्लाट आबंटित करेगा।

(ग) 1988 में चार तथा 1989 में एक।

(घ) रोहिणी आवासीय योजना में श्रेणी बदलने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने तथा उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम (एन.जे.एम.सी.) के अन्तर्गत पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

7042. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम के अन्तर्गत चल रही मिलों का उनके लगातार घाटे में चलने को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण करने का हाल ही में निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि आबंटित की गई ;

(ग) क्या इस राशि का उपयोग एक निश्चित सीमा तक आधुनिकीकरण हेतु किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात उत्पादन में कमी आई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन मिलों में घाटे को रोकने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम की 5 इकाईयों के लिए अक्तूबर, 1982 में आधुनिकीकरण तथा नवीकरण (एस/आर) योजनाओं को मंजूरी दी है। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत निम्न राशियां आबंटित कीं :

1986-87	...	2.24 करोड़ रु०
1987-88	...	2.00 करोड़ रु०
1988-89	....	1.00 करोड़ रु०

जिन मिलों में ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

1986-87	....	120.1 मिलियन टन
1987-88	...	95.9 मिलियन टन
1988-89		122.2 मिलियन टन

वर्ष 1987-88 में 73 दिनों की हड़ताल के कारण उत्पादन कम रहा। घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1) क्षमता उपयोग में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रायोजित एम./आर. योजनाओं को पूरा करना।

2) नई प्रौद्योगिकी आरंभ करना।

3) उत्पाद विविधीकरण।

4) निवेश लागत में कमी करना।

पत्थर की खानों का राष्ट्रीयकरण

[अनुवाद]

7043. **डा० दत्ता सामंत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में पत्थर की खानों और क्रशरों के कार्यकरण की जांच करने के लिये गठित आयोग ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) समझा जाता है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के एसोसिएट फैलो, डा० एम. जैन ने, जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात की जांच करने तथा रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया था कि वर्ष 1982 की रिट याचिका संख्या 2135 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन किया गया है या नहीं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। श्रम मंत्रालय को उक्त रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

बसन्त विहार में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

7044. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसन्त विहार में केन्द्रीय सरकार आवास कम्पलैक्स से संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण के लिए उत्तरदायी थे जिनके कारण वहां के निवासियों द्वारा वर्ष 1987-88 में किसी समय बनाया गया मन्दिर भी गिरा दिया गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या भूमि के बहुत बड़े भाग पर चिन्मय स्कूल का अवैध निर्माण करने के कारण दिल्ली नगर निगम प्राथमिक स्कूल और दिल्ली प्रशासन स्कूल के लिए निर्धारित भूमि, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन को नहीं सौंपा जा सकी ; यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार उन अधिकारियों

के नाम क्या हैं, जिनके अधीन यह अनधिकृत निर्माण किया गया और सरकार का ऐसे अधिकारियों/इंजीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) अनधिकृत रूप से निर्मित मन्दिर को गिराये जाने और चिन्मय स्कूल द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम की भूमि को वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं, जिससे कि वहां पर बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनाया जा सके ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी केन्द्र सरकार आवासीय काम्प्लेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जब अनधिकृत मन्दिर के रूप में हुआ अतिक्रमण ध्यान में आया, तभी उसे हटाने के लिए निवासियों की एसोसिएशन की मदद मांगी गई। एसोसिएशन से कोई उत्तर न मिलने पर, एसोसिएशन को सूचित करते हुए मन्दिर गिरा दिया गया था।

बताया जाता है कि दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन को आवंटित भूमि पर चिन्मय विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। चूंकि इस अतिक्रमण के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी उत्तरदायी नहीं था, इसलिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य नागरिक पूर्ति निगमों के गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

7045. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य नागरिक पूर्ति निगमों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) नागरिक पूर्ति विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भण्डारण गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत केवल निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहायता के लिए पात्र है :

(1) असम (2) त्रिपुरा (3) मणिपुर (4) मेघालय (5) मिजोरम (6) नागालैंड (7) अरूणाचल प्रदेश (8) सिक्किम (9) हिमाचल प्रदेश (10) जम्मू व कश्मीर तथा (11) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।

गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित सहायता दी गई :-

(लाख रुपए में)

वर्ष	राज्य	मंजूर की गई राशि
1987-88	हिमाचल प्रदेश	13.0
1988-89	नागालैंड	5.36
1988.89	मेघालय	6.0

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"स्वीकृति हेतु विचाराधीन महाराष्ट्र की परियोजनाएं"

7046. **श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचाराधीन है, और ये परियोजनायें कब से विचाराधीन हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1989 तक जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शेष परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 1989 तक भेजी गई लम्बित और स्वीकृत विकास परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कुछ परियोजनाएं अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत न करने के कारण ही लंबित हैं। परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किया जाता है जिससे सभी आवश्यक आंकड़े और पर्यावरणीय कार्य योजनाएं शीघ्र भेजी जाए ताकि उन पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	**लंबित परियोजनाएं :**	
	1. नदी घाटी परियोजना :	
	शून्य	
	2. ताप विद्युत परियोजनाएं :	
1.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र, सातवीं यूनिट।	यह प्रस्ताव इस मंत्रालय में पहली बार अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के जिन ब्यौरों के लिए अनुरोध किया गया था वे अब प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है।
	3. औद्योगिक परियोजनाएं :	
2.	थाणे में मैसर्स नोसिल का पेट्रो-रसायन काम्लेक्स का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।	यह प्रस्ताव मंत्रालय में पहली बार जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के ब्यौरे अप्रैल, 1989 में प्राप्त हुए हैं और अब उनकी जांच की जा रही है।

3. एकीकृत स्टील लिमिटेड, वर्धा।	प्रस्ताव मंत्रालय को नवम्बर, 1986 में प्राप्त हुआ था। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तथा वहन क्षमता रिपोर्ट जनवरी, 1989 में प्राप्त हुई थी, जिनकी अब जांच की जा रही है।
4. इनलैण्ड स्टील लिमिटेड, वर्धा।	प्रस्ताव इस मंत्रालय में नवम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ था। दिसम्बर, 1988 में प्राप्त ब्यौरों की अब जांच की जा रही है।

2. स्वीकृत परियोजनाएं :

1. नदी घाटी परियोजनाएं :

1. पवन जल विद्युत परियोजना।
2. नन्दुर माधेश्वर परियोजना।
3. उज्जैनी जल-विद्युत परियोजना।
4. निचली तिरना परियोजना।
5. निचली दुधना परियोजना।
6. भास्ता-जल-विद्युत परियोजना।
7. खड़क वासला हाइडल परियोजना।
8. दूधगंगा सिंचाई परियोजना।
9. निचली पैनगंगा परियोजना।
10. कानबर जल-विद्युत परियोजना।
11. मानिकदोह जल-विद्युत परियोजना।
12. सूर्य जल-विद्युत परियोजना।
13. धाम जल-विद्युत परियोजना।
14. कोयना चरण-4 परियोजना।
15. वरना हाइडल परियोजना।
16. तालम्बा जल-विद्युत परियोजना।
17. तालम्बा सिंचाई परियोजना।
18. घाटघर पम्पेड स्टोरेज।
19. मुन परियोजना।
20. भीरे जल-विद्युत परियोजना।

21. वान परियोजना ।

22. गांसीखुर्द परियोजना ।

23. कोयना कृष्णा लिफ्ट सिंचाई परियाजना ।

2. **ताप विद्युत परियोजनाएं :**

24. खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र (टी. पी. एम.) चरण-2

25. टाटा विद्युत केन्द्र, ट्राम्बे ।

26. बी.एस.ई.एस. का दाहनू ताप विद्युत केन्द्र ।

केरल में और मेडिकल कालेजों के खोले जाने की मांग

7047. **श्री के० मोहनदास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ और मेडिकल कालेज खोलने की मांग की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

"बिहार में वन संरक्षण"

[हिन्दी]

7048. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान वन संरक्षण के लिये बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में कितने पेड़ लगाये गये ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पूरी धनराशि इसी मद पर खर्च की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वनरोपण सहित वन संरक्षण के तहत बिहार के लिए आवंटन इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि)	राज्य योजनाओं में आवंटित धनराशि
1987-88	34.61	10.50
1988-89	43.11	15.00
1989-90	45.28	22.50 (प्रस्तावित)

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में लगाए गए वृक्षों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	लगाए गए वृक्षों की संख्या (लाखों में)
1987-88	3152.00
1988-89 जनवरी, 1989 तक)	3603.54
1989-90 (प्रस्तावित लक्ष्य)	4400.00

(ग) और (घ) धनराशि को उपयोग करने में कुछ कमी रही है जिसका कारण राज्य की समग्र संसाधन स्थिति बताई गई है।

"हिमालय क्षेत्र में वन"

7049. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यवर्ती और पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में वनों का वर्गीकरण किया गया है ;

(ख) कितने वन क्षेत्र अच्छी स्थिति में हैं और ऐसे कितने क्षेत्र में बहुत कम वृक्ष हैं ;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक वृक्षारोपण करके इन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मध्यवर्ती और पश्चिम हिमालय में वनों का वर्गीकरण उनमें विद्यमान वृक्षों के हिसाब से निम्नानुसार किया गया है :—

(1) बन्द वन (40 % से अधिक घनत्व वाले)

(2) खुले वन (10 % से 40 % तक गनत्व वाले)

(ख) मध्यवर्ती और पश्चिम हिमालय के तीन मुख्य राज्यों में वन क्षेत्रों का विस्तार नीचे दिया गया है :-

राज्य का नाम	बन्द वन	खुले वन
	(क्षेत्र वर्ग किमी. में)	क्षेत्र वर्ग किमी. में)
1. जम्मू व कश्मीर	12978	7902
2. हिमालय प्रदेश	9908	2974
3. उत्तर प्रदेश	13713	7319
4. (8 पहाड़ी जिले)		
कुल :	36599	18195

(ग) और (घ) पश्चिम हिमालय के ऊपरी आवाह क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने का एक विशेष कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है। हिमालय क्षेत्र को हरा-भरा बनाने की योजना में वर्तमान संसाधनों का संरक्षण करना, बन्द और ठीक समय पर घास की कटाई के जरिए चरागाहों और वन क्षेत्रों से घास के उत्पादन में वृद्धि करना, अवक्रमित वन क्षेत्रों की बहाली करना, अधिक टिकाऊ

जलावन की लड़की के उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रभावी अग्नि शमन उपाय करना, चराई और जलावन की लकड़ी एकत्र करने के लिए कतिपय क्षेत्रों को चयन के आधार पर बन्द करना तथा वनरोपण कार्यक्रमों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

राज्यों को परिवार नियोजन के लिए विशेष प्रोत्साहन

[अनुवाद]

7050. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शत-प्रतिशत सफलता पाने वाले राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में केरल को शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) परिवारनियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छे कार्य निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद पुरस्कार देने की एक योजना है। 1988-89 से आगे प्रभावी संशोधित योजना में गर्भनिरोधन के लिए अपनाए गए तरीके के अनुसार पुरस्कार की व्यवस्था है। नसबन्दी आपरेशन के कम से कम 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने और प्रत्येक अन्य तरीकों जैसे आई. यू. डी., प्रचलित गर्भ निरोधक और खाई जाने वाली गोलियों के 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पुरस्कार का हकदार हो जाता है। यदि क्षेत्र, मूल्यांकन में सेवाओं की प्राप्ति के अस्वीकरण के अनुसार नसबंदी के मामले में 5% या इससे अधिक केस, आई. यू. डी. के मामले में 10 प्रतिशत या अधिक केस तथा प्रचलित गर्भनिरोधकों और खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के संबंध में 15% या इससे अधिक केस पाए गये तो कोई भी राज्य एक तरीका विशेष में पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा। तथापि राज्य का कार्य निष्पादन नसबन्दी और आई. यू. डी. के संबंध में गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर और प्रचलित गर्भ निरोधक और खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता के संबंध में गुणवत्ता सूचकांक और एकरूपता सूचकांक के आधार पर समायोजित/नगण्य समझा जाएगा।

एक राज्य एक वर्ष में पुरस्कार के रूप में नसबन्दी के लिए एक करोड़ रुपये, आई. यू. डी. के लिए पचास लाख रुपये और प्रचलित गर्भ निरोधक और खाई जाने वाली गोलियों में से प्रत्येक के लिए दस लाख रुपये से अधिक नहीं ले सकता।

(ग) और (घ) उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 1988-89 के दौरान केरल राज्य ने नसबन्दी, आई. यू. डी., प्रचलित गर्भ निरोधक और खाई जाने वाली गोलियों के लिये क्रमश: 102.1 प्रतिशत, 100.2 प्रतिशत, 88.1 प्रतिशत और 108.5 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए "होलिडे होम्स"

7051. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या शिमला और अन्य स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई "होलिडे होम्स" की सुविधा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी उतने ही प्रभार के भुगतान पर प्रदान की जाती है जितना प्रभार सेवारत सरकारी कर्मचारियों से लिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कन्याकुमारी स्थित हालिडे होम में सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पूरे वर्ष वास उसी किराये पर उपलब्ध किया जाता है जो सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वसूल किया जाता है, जबकि मसूरी और शिमला स्थित हालिडे होम्स में वर्ष के दौरान उनको केवल 16 जुलाई से 14 अप्रैल तक उसी किराये पर वास उपलब्ध किया जाता है।

(ग) सीजन के दौरान, जो वर्ष में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होता है, शिमला और मसूरी स्थित हालिडे होम्स में सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वास की अत्यधिक मांग रहती है। इस कारण से सीजन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती दर पर वास नहीं दिया जाता है ।

बन्द कपड़ा मिलों को पुन: खोलना

7052. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश के विभिन्न भागों में बन्द कपड़ा मिलों को पुन: खोलने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कुछ बंद पड़ी कपड़ा मिलों का प्रबंध ग्रहण करने के बाद ऐसे बंद मिलों के सभी कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है ; और

(ग) सरकार ने देश में औद्योगिक एककों को अपनी स्वेच्छा से बंद करने से रोकने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) बन्द वस्त्र मिल को पुन: खोलना मिल की स्थापित की जा रही अर्थक्षमता पर निर्भर करता है। यह क्रमश: प्रबन्ध, श्रम, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और राज्य सरकार आदि सभी सम्बन्धितों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने बम्बई की कुछ बन्द पड़ी वस्त्र मिलों का प्रबन्धग्रहण करने के बाद केवल उतने ही कामगारों को पुन: रोजगार दिया है, जितने कामगार उन मिलों की कार्य क्षमता के सचालन के लिए आवश्यक थे।

(ग) राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ओ) के तहत मिल बन्द करने के लिए अपेक्षित पूर्वानुमति देते समय यह विचार करे कि मिल बन्द किया जाना न्याय संगत है अथवा नहीं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्स को मान्यता प्रदान न करना

7053. **श्री उत्तम राठौड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंसेस दिल्ली के छात्रों और अध्यापकों ने कालेज को मान्यता दिलाने के लिये हाल के सप्ताहों में आन्दोलन और हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) यदि कालेज को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, तो कालेज में छात्रों को किन हालतों में दाखिला दिया गया ;

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उपरोक्त कालेज को मान्यता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों ने मार्च, 1989 में लगभग 10 दिन की हड़ताल की थी । अध्यापकगण हड़ताल पर नहीं थे । लेकिन, उन्होंने छात्रों के हितों का समर्थन किया था, जो यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज को स्थायी मान्यता देने की मांग कर रहे थे ।

इस मुद्दे को दिल्ली विश्वविद्यालय, तथा दिल्ली प्रशासन जो इस कालेज का संचालन करते हैं, के साथ उठाया गया । उप-राज्यपाल ने भारत सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा कालेज और अस्पताल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों तथा छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(i) अस्पताल में 700 पलंगों की क्षमता होनी आवश्यक थी । ये पलंग पहली जुलाई, 1989 तक लगा दिए जाएंगे ।

(ii) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित पद पहली जुलाई, 1989 तक भर दिए जाएं ; और

(iii) कालेज की प्रयोगशाला सुविधाओं में पहली जुलाई 1989 तक वृद्धि कर दी जाएगी ताकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अपनी संतुष्टि के लिए जुलाई, 1989 के तीसरे सप्ताह में एक नया निरीक्षण करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुख्य मुद्दे संतोषजनक ढंग से पूरे कर लिए गए हैं ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सिफारिश की थी कि 1988 के पश्चात् जब तक निर्दिष्ट कमियां दूर नहीं होती कालेज में दाखिले रोक दिये जाएं । कालेज समय-समय पर की गई कार्रवाई का विवरण देता रहा था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद निरीक्षण दल भेजती रही थी । अंतिम निरीक्षण 1988 में किया गया था । कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और इसकी डिग्री भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गए। एम० बी० बी० एस० के छात्रों के शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सफदरजंग अस्पताल के उन चिकित्सा अधिकारियों को मान्यता प्रदान की गई जिन्हें शिक्षण का आवश्यक अनुभव प्राप्त था।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की ही एक अपेक्षा के रूप में प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल विभागों का विस्तार किया गया। कालेज और उसके साथ लगे हुए गुरू तेग बहादुर अस्पताल शाहदरा की स्थापना के कार्य में तेजी लाई गई तथा जनवरी, 1986 से कालेज का अपने परिसर में चरणवार तरीके से स्थानान्तरण प्रारम्भ कर दिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने दोनों परिसरों में कालेज का निरीक्षण किया और निरीक्षकों की अभ्युक्तियों पर अनुपालन रिपोर्टें भेजी गई।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज में एम० बी० बी० एस० कर रहे छात्रों के कैरियर को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उनकी डिग्रियां मान्यताप्राप्त हैं तथा वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आती हैं। फिर भी यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से स्थायी मान्यता दिलाने के लिए उपर्युक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

पटसन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना

7054. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन वस्तु निर्माता विकास परिषद ने सरकार से पटसन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये कोई उपाय करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है ; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) सरकार को पटसन विनिर्माण विकास परिषद् से कोई विशेष सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर भी, पटसन विनिर्माण विकास परिषद् (जे. एम. डी. सी.) से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं, जिन पर उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार विचार करती है। पटसन उद्योग के दीर्घकालीन विकास के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं और इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें पटसन विनिर्माण विकास परिषद कार्यान्वित कर रही है :-

(I) पटसन विविधीकृत उत्पादों की घरेलू बिक्री बढ़ाने के लिए आन्तरिक विपणन सहायता योजना।

(II) विदेशी बाजारों में विविधीकृत पटसन उत्पादों के संवर्धन और बिक्री के लिए बाह्य विपणन सहायता।

(III) कच्चे पटसन की कीमतों को स्थिरता प्रदान करने के लिए कच्चा पटसन बफर स्टाक योजना, जिसमे उपजकर्त्ताओं और साथ ही अन्य प्रयोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो।

(Iv) भारतीय राज्य व्यापार निगम के सहयोग से पटसन, हैसियन और टाट के लिए ऊंचे मूल्य की विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेने के लिए निर्यात कीमत स्थिरीकरण योजना।

(v) विविधीकृत पटसन मदों के संवर्धन के लिए पूरे देश में और विदेश में मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करना और उनमें भाग लेना।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

[हिन्दी]

7055. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में ऐसे अस्पतालों की संख्या कम है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य में ऐसे और अस्पताल खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) इस समय बिहार में छह कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। ये अस्पताल आदित्यपुर, डालमियांनगर, मैथन, मुंघेर, फुलवाड़ी शरीफ तथा रांची में स्थित हैं।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र में अस्पतालों की व्यवस्था करना बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए, विभिन्न राज्यों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम गिरडीह में एक और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है।

"वन्य जीवन अभयारण्य में वन जीवों की संख्या"

]अनुवाद]

7056. **डा० फूल रेणु गुहा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वन्य जीवन अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है जहां वन्य जीवों की संख्या में कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) देश के वन्यजीव अभयारण्यों में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को कड़ाई से लागू करना ;

(2) ज्ञात संकटापन्न प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची -1 में शामिल करना ताकि शिकार और चोरी - छिपे शिकार के खिलाफ उन्हें पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(3) वन्यजीवों के परिरक्षण एवं सुरक्षा हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष वेतन वृद्धि

(हिन्दी)

7057. **श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन के आवधिक उपायों को अपनाने वाले राज्य सरकार के उन स्थायी कर्मचारियों को जिन्हें विशेष वेतनवृद्धि प्रदान की गई है केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में उनकी नियुक्ति किए जाने पर विशेष वेतन वृद्धि का हकदार नहीं माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस प्रकार के मामलों को विनियमित करने के बारे में कोई आम आदेश नहीं है । इस प्रकार के मामले जब कभी आते हैं तो उनकी गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं ।

एक श्रेणी नीचे आवास आवंटित करना

[अनुवाद]

7058. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या एक श्रेणी नीचे आवास आवंटन करने की अनुमति दी गई है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना का अनेक वर्षों से आवंटन के लिए इंतजार कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हितों को किस प्रकार सुरक्षा करने का विचार है ; और

(ङ) क्या टाईप एक में एक श्रेणी नीचे आवास आवंटित करने की अनुमति न देने का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 17.3.89 को, ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि जो कर्मचारी टाइप-II से टाइप-IV तक के वास के पात्र हैं, ऐसे कर्मचारियों के अनुरोध पर वे एक टाइप नीचे आवास आवंटन के लिए भी पात्र होंगे। तदनुसार, इस प्रकार के कर्मचारियों से 23.3.89 को आवेदन-पत्र मांगे गये हैं। ये अनुदेश 31.12.89 को समाप्त होने वाले वर्तमान आवंटन वर्ष के लिए प्रयोजनार्थ होंगे।

(ग) और (घ) उनकी पात्रता वास से एक टाइप नीचे के वास की पेशकश करने से किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होगा।

(ङ) जी, नहीं।

आवासीय फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग

[हिन्दी]

7059. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिकांश आवासीय कालोनियों में धीरे-धीरे भूमितल के फ्लैटों में दुकानें, कारखाने तथा कार्यालय खोलने की प्रथा बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आवासीय फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"चन्दन के वृक्ष लगाना"

[अनुवाद]

7060. **श्री एन. डेनिस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां चन्दन के वृक्ष उगाये जाते हैं ; और

(ख) इन राज्यों के वन क्षेत्रों में चन्दन की लकड़ी पर आधारित उद्योग कहां-कहां मौजूद हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्लीनोक्वीनोल औषध समूह

7061. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतों कि क्लीनोक्वीनोल औषध-समूह के कारण "एस० एम० ओ० एन०" हो रहा है, के आधार पर सरकार पुनः विचार करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का इन औषधों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए गैर-सरकारी विशेषज्ञों/संगठनों की राय प्राप्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत में औषधों के क्लीनोक्वीनोल समूह के प्रयोग के कारण एस. एम. ओ. एन. की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नही हुई है।

तथापि, सरकार ने दोनों सदनों के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिन्ता के कारण एक बार फिर से विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए आंकड़े स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाएंगे।

चूंकि ऐसे अध्ययन किसी भी अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए काफी समय लेते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

यौन परिवर्तन करने संबंधी शल्य-चिकित्सा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून

7062. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हाल ही में यौन परिवर्तन करने संबंधी शल्य चिकित्सा के मामलों के संबंध में कानूनी, चिकित्सीय और सामाजिक पहलुओं पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार यौन परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध लगाने तथा "यौन परिवर्तन" और "यौन सुधार" करने संबंधी शल्य चिकित्साओं के बीच स्पष्ट अन्तर करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जो यौन परिवर्तन पर रोक लगाता हो तथा "यौन परिवर्तन" एवं "यौन सुधार" आपरेशन में अंतर निर्धारित करता हो। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में जन्म-पूर्व विश्लेषणात्मक तकनीक के इस्तेमाल को विनयमित करने के लिए एक अधिनियम बनया है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को दिया गया ऋण

7063. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों को चीनी विकास कोष से वर्ष 1988-89 (चालू गन्ना पेराई सत्र सहित) के दौरान पुनःस्थापना/आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि का ऋण दिया गया और इससे इन गन्ना मिलों की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त अवधि के दौरान गन्ना विकास हेतु इन चीनी मिलों को कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ; और

(ग) इस उद्देश्य में कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) उत्तर प्रदेश की 10 चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्वासन करने के प्रयोजन हेतु 1988-89 के दौरान चीनी विकास निधि से कुल 23.24 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। उपर्युक्त ऋण का भुगतान करने के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि का मूल्यांकन मिलों की इस समय कार्यान्वयनाधीन योजनाओं के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) उत्तर प्रदेश की इन दस मिलों में से एक मिल को गन्ना विकास कार्यक्रमों के लिए 1988-89 के दौरान कुल 24.40 लाख रुपये दिए गए थे।

(ग) उपर्युक्त ऋण की मंजूरी के फलस्वरूप गन्ना विकास कार्यक्रमों की उपलब्धि का जायजा इस समय कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

"गंगा की सफाई"

7064. **डॉ० बी० एल० शैलेश** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी के लिए बनाये गये विशेष कार्यवाही कार्यक्रम, जिसमें नालों तथा मल निकासी योजनाओं और "ट्रीटमेंट प्लांटों" पर जोर दिया गया है, के अंतर्गत गंगा की सफाई में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था और आज तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली गंगा के अधोप्रवाह क्षेत्र के लिए प्रदूषण को रोकने और इस पर नियंत्रण करने के कार्य को कम करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वाराणसी के लिए 38.11 करोड़ रुपये की लागत पर 35 संस्वीकृत स्कीमों में से 2.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 12 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। अन्य सभी स्कीमों में कार्य प्रगति पर है और अभी तक 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों के लिए अभी तक 258.61 करोड़ रुपये की लागत पर 262 स्कीमें मंजूर की गई हैं। आज तक 132.2 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है

(ग) उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 116.20 करोड़ रुपये की लागत पर 116 स्कीमें मंजूर की गई हैं। अधिकांश स्कीमों के सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक और शेष स्कीमों के आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है।

भोपाल गैस दुर्घटना पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अनुसंधान

7065. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में अनुसंधान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान के क्या परिणाम हैं अथवा अन्तरिम निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना कार्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को शुल्क के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) निष्कर्षों का सारांशा नीचे दिया गया है :-

विषैली गैस से प्रभावित व्यक्तियों पर पड़े अल्पकालीन/गम्भीर परिणामों तथा दीर्घकालीन परिणामों दोनों को लेखबद्ध करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन शुरू किए गये थे । इस प्रकार नेत्रों, श्वसन प्रणाली और रोग प्रतिरक्षण प्रणाली पर पड़े प्रभावों पर अध्ययन किए गए और वे क्रमबद्ध रूप में लेखबद्ध किए गए । इसी प्रकार महिला प्रजनन संबंधी शारीरिक क्रिया विज्ञान के प्रभावों, गर्भ के परिणाम, बच्चों की बढ़ोतरी और विकास पर अध्ययन किए गये । यह घटना प्रभावित लोगों के लिए एक भारी सदमा थी । अत: मानसिक स्वास्थ्य सकेतकों की मानिटरिंग भी की गई थी ।

भोपाल अध्ययनों की मुख्य-मुख्य बातें भोपाल शहर के प्रभावित क्षेत्रों में से 80,021 व्यक्तियों और अप्रभावित क्षेत्रों में से 15,931 व्यक्तियों का पता लगाया जा चुका है जिनके मामले में दीर्घकालीन निगरानी की जानी है । यह संख्या प्रभावित और अप्रभावित जनसंख्या का क्रमश: लगभग 20 प्रतिशत और 5 प्रतिशत बैठती है । अप्रभावित क्षेत्रों में लोगों में मृत्युदर और रोग दर नियंत्रित जन समूहों की तुलना में कहीं ऊंची रही । लगता है गैस के प्रभाव गहनता से मृत्युदर और रुग्णता दर दोनों प्रभावित हुए हैं । बच्चे और वृद्ध व्यक्ति अधिक अनुपात में प्रभावित हुए थे । अत्यधिक प्रभावित होने वाले अंग फेफड़े थे जबकि बहुत सारे प्रभावित व्यक्तियों में कार्निया की अपारदर्शिता देखी गई है । आंखों में मोतियाबिंद जल्दी उतर आने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं ।

गर्भवती महिलाओं संबंधी अध्ययनों में प्रभावित जन समूह में स्वत: होने वाले गर्भपातों की दर ऊंची देखी गई । यह निरन्तर ऊंची होती गई है । भोपाल शहर में जनसंख्या पर आधारित एक कैंसर रजिस्ट्री स्थापित कर ली गई है ताकि आने वाले वर्षों में कैंसर होने की प्रवृत्तियों पर नजर रखी जा सके ।

फुफ्फुसीय अपसामान्यताएं अधिकतर प्रतिबंधक हैं जिनमें वायु मार्ग का थोड़ा अवरोध हुआ है और पैरेंकाइमल फाइब्रोसिस हुआ है । विश्लेषण से पता चला है कि जिन लोगों के वक्ष के स्कायाग्राम सामान्य आए हैं उनमें भी गैस प्रभावित लोगों में 56% में अपसामान्य पी. एफ.टी. लक्षण हैं जबकि नियंत्रित क्षेत्रों में ये 18% में हैं ।

विषैली गैस से प्रभावित लोगों के श्वसनिका वायुकोश धावन से पता चला है कि जो प्रभावित व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनमें बृहद भक्षक (मैक्रोफेज) क्रियाशीलता की दर ऊंची रही।

गैस प्रभावित लोगों में कॉर्निया की अपारदर्शिता (15%) की शिकायत आम देखी गई। गैस प्रभावित लोगों में कुल मिलाकर विक्षिप्ति की दर अपेक्षाकृत ऊंची रही है। रोग से मुक्त होने के प्रमाण भी मिले हैं और कभी-कभी रोग निदान में भी परिवर्तन आया है परन्तु नियन्त्रित जनसमूहों की तुलना मे गैस प्रभावित जन समूह में रोग से मुक्त होने की दर काफी कम है।

(ग) भोपाल में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को कोई फीस नहीं मिली है। बहरहाल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भोपाल अध्ययनों पर अपने बजट में से लगभग 3.75 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।

माला-डी के विज्ञापन पर किया गया खर्च

7066. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाने की गर्भ निरोधक गोलियों माला-डी की वाणिज्यिक माध्यमों से बिक्री के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और अब तक कितनी गोलियों की बिक्री हुई ;

(ख) अन्य बिके गोलियों का कितना स्टाक है, और सरकार का इन्हें किस प्रकार से उपयोग या निपटान करने का विचार है ; और

(ग) दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों पर इस गर्भ निरोधक के विज्ञापन दिखाए जाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) प्रारम्भ से 31 मार्च, 1989 तक मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियों के सामाजिक विपणन पर कुल व्यय और आजमायशी बिक्री इस प्रकार सूचित की गई है :-

(I) कुल व्यय	312.07 लाख रुपये
(II) बिक्री	49 लाख चक्र

(ख) 31 मार्च, 1989 तक विपणन कम्पनियों और मेडिकल स्टोर डिपुओं के पास बिना बिके 98.9 लाख चक्र उपलब्ध थे। इनका 1989-90 के दौरान बिक्री के लिये उपयोग किया जाएगा क्योंकि मुखसेव्य गोलियों के चक्रों को उपयोग करने की अवधि 5 वर्ष तक होती है।

(ग) 66.44 लाख रुपये।

प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी

7067. **श्री एन० डेनिस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी देने के बारे में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० ने बताया है कि कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इस उद्यम में प्रबंध में श्रमिक सहभागिता योजना बन्द हो गई है। इस योजना को फिर से लागू करने के लिए समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

एड्स के रोगियों के लिए परीक्षित औषधियों का आयात

7068. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एच० (इम्यूनोलोबीना) रोधी औषधियों के उपयोग पर सरकार द्वारा लगाये रोक ने डाक्टरों को असमंजस में डाल दिया है जैसा कि 26 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो एड्स पीड़ित व्यक्तियों की जान बचाने के लिए विदेशों से परीक्षित एवं स्वीकृत औषधियों का आयात करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का उन मरीजों पर, जिन्होंने संदेहास्पाद संक्रमित औषधियों का उपयोग कर लिया है, सतत निगरानी रखने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सरकार ने रक्त उत्पादों के आयात में ढील दी है। तथापि आयातित औषध के साथ उसके एड्स विषाणुरहित होने का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है तथा आयात के समय उनका एच. आई. वी. एन्टीबॉडीज संबंधी परीक्षण किया जाएगा।

(ग) दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रेस में विज्ञापन दे दिया गया है कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 2 वर्ष के दौरान रक्त/प्लासेंटा उत्पाद लिए हैं उन्हें समीपतम स्थित एड्स निगरानी केन्द्र में अपने रक्त की जांच करवा लेनी चाहिए।

एकल चिकित्सा संवर्ग

[हिन्दी]

7069. **श्री राजकुमार राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रम विभाग के अन्तर्गत पहले कार्यरत चिकित्सा केन्द्रों का विलय करके एक एकल चिकित्सा संवर्ग (सिंगल मेडिकल कैडर) गठित करने के उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश जारी किए थे और राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त चिकित्सा संवर्ग का इस बीच गठन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सभी राज्य सरकारों को (उत्तर प्रदेश सरकार सहित) परामर्श दिया है कि वे क.रा.बी. चिकित्सा पदों का एक पृथक काडर बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तदनुसार वर्ष 1985 में क.रा.बी. चिकित्सा पदों का पृथक काडर गठित किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सुरक्षा गार्डों का शोषण

[अनुवाद]

7070. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की सुरक्षा गार्ड यूनियन ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा उनके शोषण के बारे में केन्द्रीय श्रम उप मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) कर्नाटक की सुरक्षा गार्ड यूनियन ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सुरक्षा गार्डों को भविष्य निधि, उपदान, बोनस, वर्दी भत्ते, समयोपरि मजदूरी आदि जैसे लाभों के अभाव और उनके द्वारा सामना की जा रही कतिपय अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। यूनियन ने अन्य बातों के साथ-साथ एक अखिल भारतीय सुरक्षा कल्याण बोर्ड और मजदूरी बोर्ड, नियोजन और कल्याण को बिनियमित करने और सुरक्षा गार्डों को कार्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधान के अधिनियमन का सुझाव दिया ।

(ग) यह महसूस किया गया है कि समस्या विधान के प्रभाव के कारण उतनी नहीं है जितनी कि विद्यमान श्रम विधानों के कारगर कार्यान्वयन की है । केन्द्रीय सरकार समय-समय पर समुचित प्राधिकारियों को विद्यमान श्रम विधानों के उपबंधों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने की सलाह देती रही है जिनमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 शामिल है । इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यों/संक्रियाओं/प्रक्रियाओं आदि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने की शक्तियां प्रदत्त हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिष्ठानों के स्वामित्व वाले या अधिगृहित उन भवनों की चौकीदारी में, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, पहली मार्च, 1977 से ठेका श्रम नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दिया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि उप-कार्यालय, करनाल में लंबित पड़े परिवार पेंशन के मामले

7071. **डा० ए०के० पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन संबंधी भविष्य निधि संगठन का रिकार्ड इसके करनाल स्थित उप-कार्यालय में भली-भांति रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत 15 और इससे अधिक वर्ष से परिवार पेंशन की अदायगी न करने का कोई मामला सामने आया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी. हां ।

(ख) से (घ) यह सूचित किया गया है कि मैसर्स एटलस के एक मृतक कर्मचारी के विशेष मामले में, परिवार पेंशन को मंजूरी नहीं दी जा सकी, क्योंकि कर्मकार द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व दिए गए अंशदान में कुछ कमी थी। तथापि, विधवा के अभ्यावेदन पर, जीवन बीमा लाभ की उसकी पात्रता से राशि लेकर कमी को पूरा कर दिया गया है तथा उसे परिवार पेंशन की स्वीकृति दे दी गई है।

मंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर व्यय

7072. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रि-परिषद के सदस्यों को पानी तथा बिजली की सीमा रहित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ख) इन सेवाओं के संबंध में, सदस्य-वार, वर्ष 1987-88 के दौरान तथा 1988-89 के दौरान 31 दिसम्बर, 1988 तक कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) इन दो अवधियों के लिए, अलग-अलग, प्रत्येक सेवा पर, सदस्य-वार प्रति माह औसत कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

7073. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुवाहाटी में भारतीय खाद्य निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम का एक नया जोनल कार्यालय स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है और असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में यह अपने परिचालनों को नियंत्रित करता है। यह कार्यालय 1.4.1989 से कार्य कर रहा है।

केरल में अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के लिए जापान से सहायता

7074. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिकतम बनाने और कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम के लिए जापान सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केरल सरकार के अधीन मेडिकल कालेजों के विकास तथा क्षेत्रीय कैंसर, त्रिवेन्द्रम में सुविधाओं को अद्यतन बनाने के बारे में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे सहायता उपलब्ध करने के लिए जापानी प्राधिकारियों के सामने रखा गया है। बहरहाल, केरल सरकार से अपेक्षित प्रपत्र में ब्योरा मांगा गया है तथा केरल सरकार से इस ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रम प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना

7075. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार इसके स्थान पर श्रम विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए श्रम प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) व्यवसाय संघ तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 जिसे 13 मई, 1988 को राज्य सभा में पेश किया गया है, के अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अधीन औद्योगिक संबंध आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। इन आयोगों में न्यायिक और तकनीकी सदस्य होंगे, तकनीकी सदस्य उद्योग, श्रम या प्रबंधतंत्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से होंगे। इन आयोगों को औद्योगिक विवादों (श्रम न्यायालयों को सुपुर्द विवादों के अलावा) के न्यायनिर्णयन और श्रम न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के कार्यों को सौंपने का प्रस्ताव है। उक्त विधेयक इस समय संसद के समक्ष है।

बंगलौर में सरकारी गैस्ट हाउस

7076. **श्री बी॰एस॰ कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए बंगलौर में सरकारी गैस्ट हाउसों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्तमान गैस्ट हाउसों में उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या बंगलौर शहर में कोई नये गैस्ट हाउसों के निर्माण का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर्नाटक को वित्तीय सहायता"

7077. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर्नाटक राज्य कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार और कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1987-88 में 20.83 लाख रुपए और 1988-89 में 7.40 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी ।

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए असम को सहायता"

7078. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए असम को कोई धनराशि आंवटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) असम सरकार और असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1988-89 में 7.40 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी ।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

7079. **श्री टी० बशीर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग में विभिन्न स्तरों पर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कोई कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की समीक्षा

7080. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में 29 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम को अत्यधिक सफल बनाने हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहनों और प्रोत्साहन न देने के स्वरूप की समीक्षा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नया प्रोत्साहन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रोत्साहन न दिए जाने का भी प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम को देश की लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए जन-आन्दोलन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बहरहाल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस समय उपलब्ध प्रोत्साहनों की समीक्षा की जा रही है।

परिधान निर्यात कोटा के लिए "ओपन टेंडर सिस्टम"

7081. **डा० ए. के. पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को परिधान निर्यात कोटा के लिए "ओपन टेंडर सिस्टम" के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके विरोध में क्या कारण बताए गए हैं ;

(ख) "ओपन टेंडर सिस्टम" से बाहर कोटे की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) "ओपन टेंडर सिस्टम" कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है और क्या पिछले कोटे को काला बाजार में बेचा जाता है ; और

(घ) "ओपन टेंडर सिस्टम" के अन्तर्गत कितनी धनराशि एकत्र की गई और इसका वस्त्र निर्यात संवर्धन के लिए किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) परिधान निर्यातकों के कुछ संगठनों तथा कुछ अलगअलग निर्यातकों ने इस आधार पर खुली निविदा प्रणाली (ओ.टी.एस.) को लागू करने के विरुद्ध अभिवेदन प्रस्तुत किये हैं कि इस प्रणाली के फलस्वरूप बड़े निर्यातकों को कोटा आवंटन में नजरन्दाज किया जाएगा तथा इससे निर्यात में कमी आएगी जिससे निर्यातकों को लाभ नहीं मिल सकेगा।

(ख) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के प्रावधानों के अनुसार जबकि विगत निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई.) के अन्तर्गत निर्यात हकदारी तथा गैर कोटा निर्यातक प्रणालियां हस्तान्तरणीय हैं, अन्य प्रणालियों अर्थात पहले आओ पहले पाओ (छोटे आर्डर) विनिर्माता निर्यातक खुली निविदा तथा केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणालियों के अन्तर्गत हकदारियां अन्तरणीय नहीं हैं। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

सुपरफास्त् श्रेणियों के लिए कुल वार्षिक उपलब्ध स्तरों की 15% मात्रा खुली निविदा प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन के लिए निर्धारित की गई है। जहां तक विगत निष्पादन हकदारी का सम्बन्ध हैं, नीति में इसके हस्तान्तरण की अनुमति है।

(घ) खुली निविदा के अन्तर्गत अब तक लगभग 55 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए हैं। परिधानों के निर्यात संवर्धन के लिए अनेक स्कीमों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, ये हैं विदेशों में प्रचार, हवाई भाड़ा उपदान, नमूना उपदान,, जापान तथा आस्ट्रेलिया के लिए कार्य योजना सिलेसिलाए परिधानों का सर्वेक्षण, आदि। फिर भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में स्पष्ट किया है कि खुली निविदा प्रणाली के अन्तर्गत प्रीमियम एकत्र करना वैधानिक नहीं है। सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक एस. एल. पी. दायर की है।

रांची (बिहार) में जी० ई० एल० चर्च द्वारा सम्पत्ति का पट्टा

7082. **डा० ए० के० पटेल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भूमि के हस्तांतरण, पट्टे बन्धक रखने अथवा भूमि सुधार के लिए, पूंजी निवेश किए जाने से पूर्व सहमति अथवा स्वीकृति दिए जाने के संबंध में दिनांक 13 अक्तूबर, 1919 के अनुबंध पत्र द्वारा गवर्नर-जनरल इन काउंसिल को प्रदत्त शक्तियां अभी भी विद्यमान हैं।

(ख) क्या रांची (बिहार) में जी० ई० एल० चर्च ने सम्पत्ति को पट्टे पर दिए जाने से पहले भारत के राष्ट्रपति (गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के उत्तराधिकारी) से कोई पूर्व स्वीकृति प्राप्त की थी यदि नहीं, तो यह पूर्व स्वीकृति न लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई ऐसा कानूनी उपबंध है जिसके अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति (गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के उत्तराधिकारी) की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

शहरी विकास मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान और गुजरात में "हुडको" आवास योजनाए

7083. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको द्वारा राजस्थान तथा गुजरात के लिए 30 जनवरी, 1989 तक कितनी आवास योजनायें "मंजूर की गई थी" ;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान और गुजरात के लिए कुछ और आवास योजनायें मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार राजस्थान और गुजरात राज्यों में हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

(I) गुजरात ··· 659

(II) राजस्थान ··· 459

(ख) और (ग) विभिन्न आवास योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों को वर्ष 1989-90 के लिए क्रमशः 36.72 करोड़ रुपये और 33.52 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

राजस्थान को चीनी और "पाम आयल" की सप्लाई

7084. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा गत आठ महीनों के दौरान चीनी और "पाम आयल" की प्रति मास कितनी मांग की गई और उसे कितना आवंटन किया गया तथा उसने कितना सामान प्राप्त किया ;

(ख) क्या सरकार का इन वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अनुसार, लेवी चीनी का आवंटन राज्य सरकारों से प्राप्त हुई मांग अथवा अनुरोध पर आधारित नहीं होता है बल्कि वह 1-10-1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड पर आधारित होता है। तदनुसार, राजस्थान को फरवरी, 1987 से प्रतिमास 16914 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की जा रही है। राजस्थान सीधा अलाटी राज्य है। और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे वैधता अवधि के अंदर ही समस्त आवंटित मात्रा को उठाने की व्यवस्था करें।

तेल वर्ष 1988-89 के दौरान (नवम्बर, 1988-अक्तूबर, 1989) राजस्थान सरकार ने 30,000 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों की मांग की थी। पिछले आठ महीनों के दौरान राजस्थान को आवंटित किए गए और उनके द्वारा उठाए गए आयातित तेलों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

	आवंटन	उठान
सितम्बर, 1988	1500	20
अक्तूबर, 1988	1500	74
नवम्बर, 1988	1000	30
दिसम्बर, 1988	400	200
जनवरी, 1989	400	174
फरवरी, 1989	300	20
मार्च, 1989	300	105
अप्रैल, 1989	—	—
	5400	623

स्वदेशी तेलों की बढ़ी हुई उपलब्धता की वर्तमान स्थिति और उसके फलस्वरूप आयात में कमी हो जाने की दृष्टि में राजस्थान के लिए आयातित तेलों के मासिक आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं है।

पश्चिमपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा

7085. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री लाला राम केन : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमपुरी के जनता फ्लैट में सार्वजनिक क्षेत्रों और दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर मादीपुर के स्लम क्वार्टरों के निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण में, अतिक्रमणों का पता लगा है लेकिन अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध औपचारिक कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण आवश्यक ब्यौरे एकत्र करने हेतु कार्यवाही कर रहा है।

एड्स रोगियों का गहन उपचार

7086. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में तथा देश में एड्स रोगियों के उपचार के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में हुई अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश के अत्याधुनिक अस्पतालों में भी एड्स रोगियों का उचित उपचार नहीं किया जाता है और डाक्टर, नर्सें तथा परा-चिकित्सा कर्मचारी एड्स रोगियों के सम्पर्क में आने से बचते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एड्स रोगियों के गहन उपचार हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एड्स को ठीक करने अथवा इसके उपचार का पता लगाने के लिए विश्वव्यापी अनुसंधान प्रयास किए जा रहे हैं तथापि, एड्स को ठीक करने अथवा एड्स की रोकथाम करने के लिए अब तक किसी औषध की खोज नहीं हो पाई है। भारत सरकार चल रहे अनुसंधान प्रयासों की लगातार मानीटरिंग कर रही है ताकि जब कभी आशाजनक औषधों का पता चले तो उन पर भारत में अध्ययन शुरू किए जा सकें।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने विभिन्न मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों और अर्ध चिकित्सीय स्टाफ के लिए एड्स के क्लिनिकल उपचार पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं। अब तक 6 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और चार और कार्यशालाओं का अगले छह सप्ताह के दौरान आयोजित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, कुछ चिकित्सकों और नर्सों को एड्स के रोगियों के उपचार और परिचर्या में विदेश में प्रशिक्षित किया गया है।

बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, बंगलौर, लखनऊ, गोवा, जयपुर, श्रीनगर और कटक मे एड्स के रोगियों के क्लिनिकल उपचार के लिए एड्स यूनिटें स्थापित की जा रही हैं।

"बांस की खेती"

7087. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का आन्ध्र प्रदेश के किन क्षेत्रों में किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी भागों में किसानों को बांस की पौद का मुफ्त अथवा रियायती दरों पर वितरण किया जाता है ।

(ख) वर्ष 1988-89 से बांस सहित लघु वनोत्पाद के वृक्ष उगाने के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बांस के वृक्ष उगाने के लिए प्रति हैक्टेयर 4000 रुपये तक शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

"आन्ध्र प्रदेश में तेंदू के पेड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता"

7088. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेंदू के पेड़ लगाने के लिए दक्षिण पठार में आन्ध्र प्रदेश बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस प्रयोजन के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को तेंदू के पेड़ लगाने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तेंदू आन्ध्र प्रदेश के पठारों सहित दक्षिण के पठारी क्षेत्र के जंगलों में पैदा होता है ।

(ख) तेंदू के पौधरोपण के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किए गए हैं । इसे लघु वन उत्पाद के पौधरोपण में एक प्रजाति के रूप में उगाया जाता है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य सरकार को विशेष रूप से तेन्दू के पौधरोपण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"आन्ध्र प्रदेश में पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षण देना"

7089. **श्री बी. तुलसीराम** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश को राज्य में पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए सहायता दी जाएगी तथा वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार किया गया है ; और

(ग) ऐसे औद्योगिक एककों का इस्पात तथा अन्य संयंत्रों सहित ब्यौरा क्या है, जिनके कारण राज्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रमों से संबंधित संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1989-90 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के बजट में 4 करोड़ रुपए का योजना प्रावधान किया गया है। वनरोपण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए अलग आवंटन उपलब्ध हैं । 1989-90 में आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली निश्चित राशि तथा किन स्थानों के लिये यह राशि दी जाएगी, यह राज्य द्वारा किये गये अनुरोधों के मूल्यांकन और पहले दी गई निधि के उपयोग पर निर्भर करता है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में जिन औद्योगिक इकाइयों से पारिस्थितिकी जो क्षति पहुंच सकती है और जिन इकाइयों ने उपचार संयंत्र लगा लिये हैं, वे निम्नलिखित हैं :

क्र.संख्या	उद्योग श्रेणी	इकाइयों की संख्या	शोधन संयंत्र वाली इकाइयों की संख्या
1.	चीनी और मद्यनिर्माणशाला	45	22
2.	उर्वरक, रसायन तथा औषधीय	50	17
3.	डरी और खाद्य	75	11
4.	लोहा एवं इस्पात	9	2
5.	कपड़ा, लुगदी और कागज	52	16
6.	सामान्य इंजीनियरी	49	16
7.	अन्य	60	21
	कुल	340	105

आन्ध्र प्रदेश में लघु तथा मध्यम दर्जे के कस्बों को समन्वित विकास योजना को लागू करना

7090. **श्री वी. तुलसीराम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के किन-किन कस्बों में लघु और मध्यम दर्जे के कस्बों के समेकित विकास की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार को कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ; और

ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश के उन कस्बों के नामों का विवरण संलग्न है, जहां छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता किस्तों में की जाती है जो प्रत्येक चयनित कस्बों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश राज्य में छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत छठी तथा सातवीं योजना के दौरान लाभान्वित कस्बों की सूची :

दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)

क्र.सं०	राज्य/नगर	छठी योजना	सातवीं योजना	योग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश :				
छठी योजना के कस्बे :				
1.	रामचन्द्रपुरम	21.00	18.00	39.00
2.	तैनाली	37.00	2.00	39.00
3.	अनकापल्लई	23.83	10.00	33.83
4.	विजयनगरम	37.00	3.00	40.00
5.	भीमवरम	34.50	4.00	38.50
6.	करीमनगर	40.00	—	40.00
7.	तिरुपति	12.00	26.00	38.00
8.	श्री काकूलम	18.50	20.00	38.50
9.	मेडक	26.00	13.00	39.00
10.	गुन्टाकल	16.50	22.50	39.00
11.	चित्तौड़	5.00	—	5.00
12.	गडवाल	22.00	17.00	39.00
13.	नन्दियाल	27.30	12.70	40.00
14.	प्रोदातुर	40.00	—	40.00
15.	महबूब नगर	14.00	16.00	30.00

1	2	3	4	5
16.	मीमुनी पट्टीनम	19.00	17.00	36.00
17.	जहीराबाद	10.00	30.00	40.00
18.	सिद्दी पैट	—	—	—
सातवीं योजना के कस्बे :				
19.	खम्मस	—	45.00	45.00
20.	आंगले	—	35.00	35.00
21.	गुडीवाड़ा	—	36.00	36.00
22.	अदिलाबाद	—	15.00	15.00
23.	नालगोंडा	—	20.00	20.00
24.	कवाली	—	20.00	20.00
25.	यमीगानुर	—	8.50	8.50
26.	पदापुरम	—	20.00	20.00
	योग :	403.63	410.70	814.33

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की योजना

7091. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की योजना के बारे में दिनांक 24 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 3106 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक चार वर्षों में सरकार की नीति के अनुसार नियमन के लिए विचारार्थ ली गई गैर-मान्यता प्राप्त कालोनियों का सही ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में ऐसी कुछ और कालोनियों नियमित करने पर विचार करने की कोई योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित चार कालोनियों को नियमित किया गया है : —

1. ओम बिहार (उत्तम नगर)।
2. सावन पार्क विस्तार तथा हरिजन कालोनी।
3. सादोरा कलां चौकी नं० 2 तथा ;
4. आर्य नगर (शाहदरा)।

(ख) फिलहाल किसी और अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"वन क्षेत्र का ह्रास"

7092. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री वन क्षेत्र का ह्रास के** बारे में 10 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2431 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ईंधन लकड़ी और चारा हेतु वृक्षारोपण के अन्तर्गत विशेषकर प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख हैक्टेअर भूमि में वन लगाने के उद्देश्य से व्यापक वनरोपण कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई हैं ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष के लिए वांछित लक्ष्य प्राप्त किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में, 5 वर्षों की अवधि (1985-90) के लिए कुल वनीकरण लक्ष्य (पौदवितरण शामिल है) 10 मिलियन हैक्टेयर है जिसके पूरा हो जाने की आशा है। अब तक की वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
	(क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में)	
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77
1988-89	2.00	1.96 (जनवरी 1989 तक)

वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक के लिए प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सातवीं योजनावधि के दौरान वनीकरण के लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(पौध लाखों में)
(जन० 89 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	2600.00	3156.00	3000.00	2874.15	3000.00	3051.34	3200.00	2703.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	103.00	125.00	125.08	125.00	127.04	140.00	31.51
3.	असम	400.00	396.00	400.00	625.50	500.00	497.87	600,00	445.50
4.	बिहार	1500.00	1523.00	2600.00	2711.00	3500.00	3152.00	3600.00	3603.54
5.	गोआ*	32.00	45.00	75.00	67.73	75.00	74.70	75.00	72,00
6.	गुजरात	2550.00	2497.00	1631.00	2271.00	2250.00	2141.50	2600.00	4019.93
7.	हरियाणा	950.00	937.00	725.00	741.58	600.00	380.00	750.00	546.28
8.	हिमाचल प्रदेश	550.00	672.00	625.00	671.28	600.00	615.09	700.00	623.89
9.	जम्मू एवं कश्मीर	350.00	467.00	522.00	570.52	405.00	400.06	500.00	169.53
10.	कर्नाटक	2500,00	2546.00	2500.00	2316.74	2500.00	3152.21	3300.00	2872.02
11.	केरल	600.00	1166.00	1200.00	1519.24	1700.00	1555.44	1750.00	1470,97
12.	मध्य प्रदेश	3500.00	3501.00	3700.00	3920.00	4000.00	4090.46	4400.00	4415.00
13.	महाराष्ट्र	2000.00	2165.00	2400.00	2381.70	2600.00	3079.96	3300.00	4028.79
14.	मणिपुर	120.00	125.00	160.00	148.80	170.00	180.25	200.00	198.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	130.00	131.00	150.00	158 00	150.00	237.57	270 00	329.77
16.	मिज़ोरम	700 00	700.00	1128.00	478.05	725.00	27.50	300.00	300.00
17.	नागालैण्ड	180 00	269.00	350.00	543.50	200.00	200.00	230.00	230.00
18.	उड़ीसा	3142.00	1930.00	2400.00	2326.72	2600.00	2340 05	3000.00	2762.17
19.	पंजाब	527.00	590.00	550.00	567.59	450.00	495.52	500.00	496.30
20.	राजस्थान	820.00	958.00	1100.00	1341.03	1200 00	1173.87	1300.00	1259.00
21.	सिक्किम	82.00	82.00	110.00	115.03	120 00	133.87	150.00	123.15
22.	तमिलनाडु	1100 00	1215.00	2400.00	1981 28	2400.00	1911.74	1800.00	1628.15
23.	त्रिपुरा	150.00	200.00	320.00	263.00	260.00	267 13	260.00	267.00
24.	उत्तर प्रदेश	3250.00	3548.00	4500.00	4865.00	4200.00	4420.71	5100.00	5311.95
25.	पश्चिम बंगाल	1100.00	1115.00	1400.00	1416.00	1400.00	1391.08	1800 00	1100.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95.00	95.00	120.00	122.32	100.00	100.43	100.00	107.59
27.	चण्डीगढ़	2.90	1.52	3.40	3.83	3.40	3.59	4.00	3.26
28.	दादरा एवं नगर हवेली	30.00	31.00	50.00	35.20	40.00	31.22	35.00	38.32
29.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	25.00	0 53	2.00	1.17
30.	दिल्ली	25.00	25.00	30.00	63.03	30.00	18.06	50.00	57.62
31.	लक्षद्वीप	0 04	0.25	0.12	0.29	0.20	0.24	0 50	2.25
32.	पांडिचेरी	10.00	11.00	10.00	12.93	12.60	10 32	10 00	7.13
	योग :	29095.94	30200.77	34284.52	35237.32	35939.20	35511.35	40026.50	39226.02

*वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान संघशासित क्षेत्र दमन और द्वीव को भी शामिल किया गया है ।

"कृतिक बल की स्थापना"

7093. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री कृतिक बल की स्थापना के बारे में दिनांक 2 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में भी पारिस्थितिक कृतिक बल की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों राज्यों में कब तक इनकी स्थापना की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में 29. 6. 1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 148 व्यक्तियों का एक कृतिक बल स्थापित किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में कोई पारि-कृतिक बल स्थापित नहीं किया गया है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लिए पारि-कृतिक बल की स्थापना आठवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी ।

"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"

7094. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में 18 अगस्त, 1988 के अनारांकित प्रश्न संख्या 3239 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित कृतिक बलों ने सभी राज्यों में बड़े उद्योगों पर इसे लागू किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इसे किन-किन बड़े उद्योगों में लागू किया गया है और हिमाचल प्रदेश सहित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सीमेंट उद्योग के लिए कृतिक बल के गठन का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई निगरानी के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों अर्थात् ताप-विद्युत संयंत्रों, लुगदी और कागज, सीमेंट, लोहा और इस्पात, उर्वरक तथा तेल शोधक कारखानों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृतिक बलों का गठन कर लिया है।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सीमेंट उद्योगों के लिए कृतिक वल की संरचना निम्नलिखित है :-

राष्ट्रीय स्तर :

अध्यक्ष : श्री पी. आर. घरेखा

इण्डियन पैट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा।

सदस्य :

1. सीमेंट मैनुफैक्चरर एशोसियसग दिल्ली का प्रतिनिधि।
2. मैसर्ज एन्ड्र्यू यूले लिमिटेड कलकत्ता का प्रतिनिधि।
3. नैशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल, दिल्ली का प्रतिनिधि।
4. मैसर्ज हॉलटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड, दिल्ली से एक सलाहकार।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रतिनिधि-संयोजक।

क्षेत्रीय स्तर (हिमाचल प्रदेश के लिए)

अध्यक्ष :

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष

सदस्य :

1. जम्मू और कश्मीर, सिमाचल प्रदेश, हरियाणा मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव।
2. मैसर्ज हॉलटेक इंजिनिरिंग लिमिटेड से एक सलाहकार।
3. सीमेंट मैनूफेक्चरर्स एशोसियसन से एक प्रतिनिधि।
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, के प्रभारी अधिकारी।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्यवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के प्रभारी अधिकारी — संयोजक।

देश में 94 सीमेंट संयंत्रों में से 53 संयत्र मानकों को पूरा कर रहे हैं, 30 संयंत्रो ने मानकों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया है दो संयंत्र बन्द कर दिए गए हैं और 9 दोषी संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां दो सीमेंट यूनिटें हैं। उनमें से एक यूनिट 250 एम. जी./एन. एम.3 के निर्धारित उत्सर्जन मानक को पूरा करती हैं और दूसरी यूनिट भट्टी, कच्चा माल संस्करण मिल तथाकोयले से चलने वाले संयंत्र 250 एम. जी./एन. एम.3 के उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं कर रही है। जो यूनिट मानकों के अनुकूल नहीं है उसने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा है।

उड़ीसा में बंधुआ मजदूरों के लिए सहायता राशि का उपयोग

7095. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की है और उसमें से अब तक वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत, जब कभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन्हें राशियां प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि वे पहले प्रदान की गई राशियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजने तथा जिला स्तर स्क्रीनिंग समिति के कार्यवृत्त को भी, जिसमें पुनर्वास की विशेष योजना को अनुमोदित किया गया हो, भेजने जैसे कतिपय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें। सातवीं पंचवर्षीय प्लान के प्रथम चार वर्षों के दौरान उड़ीसा को दी गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	दी गई राशि (रुपये लाखों में)
1985-86	70.03
1986-87	66.98
1987-88	84.02
1988-89	18.50

उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 30. 11. 88 तक केन्द्रीय अंश की बाबत 711.09 लाख रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। यह स्थिति 1981-82 और उसके बाद तक की है तथा वर्षवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

"एड्स इन्फेक्टेड मेडिसिन्स अपील टू पब्लिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7096. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 अप्रैल, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "एड्स इन्फेक्टेड मेडिसिन्स अपील टु पब्लिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसम यह बताया गया है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा ने ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान रक्त उत्पाद औषधी का प्रयोग किया है, एच० आई० वी० एन्टीबाडी के लिए अपना खून निकटस्थ एड्स निगरानी क्षेत्र में अपने खून की जांच करवाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या ये उत्पाद औपसर्गिक पाए गए थे ; और

(ग) यदि हां तो इस अपील के बाद कितने लोगों ने अपने रक्त की जांच करवाई है तथा तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : जी. हां। सरकार ने 3. 4. 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे समाचार को देखा है।

(ख) और (ग) कुछ उत्पादों में एच० आई० वी० प्रतिपिण्डों का पता लगाया गया था जिसका अर्थ है कि कुछ रक्त दाता, जिन्होंने रक्त दान किया था सीरो पॉजिटिव थे। पर्याप्त सावधानी के

रूप में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी रक्त उत्पादों को हटा लिया जाए और नष्ट कर दिया जाए। एक अपील की गई है कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान रक्त उत्पाद लिए हैं एच० आई० वी० संक्रमण की जांच करवाने के लिए समीपवर्ती निगरानी केन्द्रों से सम्पर्क करें।

निगरानी केन्द्रों से अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

"लाश सड़ती रही पर पोस्ट मार्टम नहीं हो पाया" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

7097. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1989 के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता में "लाश सड़ती रही पर पोस्ट-मार्टम नहीं हो पाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पोस्ट-मार्टम न करने के क्या कारण हैं जिसके कारण शोक संतप्त परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ा ; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी हां, । श्री रमेश कुमार, 20, कल्याणपुरी निवासी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी जब वे अपने स्कूटर पर कालका जी मन्दिर से आ रहे थे। पुलिस के अनुसार, उनकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गयी थी और जब उन्हें अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में लाया गया तो उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। उनके शव को सफदरजंग अस्पताल ने स्वीकार किया था।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

7098. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संशोधित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और भी संसोधन किए जाने का विचार है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम नए संशोधनों के लिए अत्यधिक जोर दे रहें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो संभावित संशोधनों का क्या ब्यौरा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने इस मामले में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली क्लाथ मिल्स को बन्द करना

7099. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली स्थित दिल्ली क्लाथ मिल्स को अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन सभी मिलों के लिए समान नीति अपनाने का विचार है जो शहरों के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर स्थित अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अन्य स्थानों पर ले जाना चाहते हैं ; और

(ग) क्या सरकार को आशंका है कि ऐसी और मिलें भी बंद हो जायेंगी तथा आधुनिकीकरण के लिए धन प्राप्ति हेतु अपनी शहरी सम्पति को बेचना चाहेंगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मिल बन्द होने/भूमि की बिक्री की अनुमति संबंधी मुद्दे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं ।

सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को भर्ती करना

7100. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को भर्ती करने के लिए कोई मार्ग निर्देश हैं जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग के अस्पताल नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए कि दिल्ली में उन सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया है, जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग के अस्पताल नहीं हैं ; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसायटी की दिल्ली शाखा द्वारा यह बताया गया है कि एक श्रीमती चौदावा जिन्हें कुष्ठ के खुले घाव थे, रेडक्रास सोसायटी अस्पताल के बहिरंग विभाग में 22 मार्च 1989 (छुट्टी) को प्रसव के लिए आई । चूंकि यह छुट्टी का दिन था, अतः ड्यूटी पर तैनात डाक्टर को आदेश हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करने में कुछ समय लगा । तथापि, श्रीमती चौदावा ने स्त्री रोग विज्ञानी की उपस्थिति में प्रसव किया तथा उन्हें सेप्टिक वार्ड में भर्ती किया गया ।

खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले रंगों का प्रयोग

7101. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सभी खाद्य पदार्थों में रंग से होने वाली अनेक बीमारियों और रंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कार्यरत कामगारों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखकर सभी खाद्य पदार्थों से रंग चरणबद्ध रूप से रंग समाप्त करने की सरकार की नीति के विरुद्ध खाद्य पदार्थों में रंग की मिलावट जारी रखने के लिए एक क्रमबद्ध अभियान चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले के सभी पहुलुओं की जांच करने और इस मामले में सरकार को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अधीन एक अध्ययन दल गठित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल के लिए विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन आते रहे हैं ।

(ख) खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की जांच विशेषज्ञों के परामर्श से की जा रही है ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

7102. **श्री देबी घोषाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 500 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अस्पताल के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं । बैरकपुर में 500 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

7103. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी योजना कार्यान्वित की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : महाराष्ट्र में स्थित उन 21 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिन्होंने प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता की योजना को, जैसा कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 1983 में अधिसूचित किया गया है या उसमें परिवर्तनों के साथ, शाप फ्लोर/प्लांट स्तरों पर लागू किया है ।

विवरण

क. उन उद्यमों की सूची जिन्होंने दिसम्बर, 1983 में सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शाप फ्लोर/संयंत्र स्तरों पर प्रबंध में कर्मकारों की भागिता योजना को लागू किया है।

1. इंडियन रेयर अर्थस लि०,
2. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि०
3. वैस्टर्न कोलफील्डस लि०
4. इंडियन आयल कारपोरेशन लि०
5. लुबरीजोल इंडिया लि०
6. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०
7. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लि०
8. हिन्दुस्तान आर्गेनिक एंड कैमिकल्स लि०
9. महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स लि०
10. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि०
11. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन लि०
12. द काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
13. एयर इंडिया लि०
14. मिनरल एक्सपलोरेशन कारपोरेशन लि०
15. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
16. नेशनल फिल्म डिवलपमेंट कार्पोरेशन लि०

ख. उन उद्यमों की सूची जिन्होंने इस योजना का संशोधित स्वरूप लागू किया है।

17. इंडियन आयल ब्लैंडिग लि०
18. मैंजागांव डॉक लि०
19. एन. टी. सी. (उत्तरी महाराष्ट्र) लि०
20. एन. टी. सी. (दक्षिणी महाराष्ट्र) लि०
21. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लि०

"महाराष्ट्र की नदियों में प्रदूषण"

7104. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण से प्रभावित महाराष्ट्र की नदियों का ब्यौरा क्या है और इन नदियों के प्रदूषण होने के क्या कारण हैं ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की नदियों में प्रदूषण की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ङ) सरकार का इन सुझावों को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र में कृष्णा, गोदावरी, उल्हास और पातालगंगा नदियां प्रदूषित हैं। इन नदियों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत नगर-पालिकाओं से छोड़ा जाने वाला अपशिष्ट जल और उद्योगों के बहिस्राव हैं।

(ख) इन नदियों के जल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा अन्य औद्योगीकृत राज्यों के समतुल्य है।

(ग) और (घ) जी, हां। इन नदियों के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1) नदी जल गुणवत्ता की निगरानी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत स्थापित किए गए निगरानी केन्द्रों के जरिए की जा रही है।

2) उद्योगों एवं नगरपालिकाओं को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने बहिस्रावों को नदियों में फेंकने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित कर लें।

3) कृष्णा नदी बेसिन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, गंगा कार्य योजना के आधार पर कृष्णा नदी की सफाई के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(ङ) इन नदियों के प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और निगरानी के उपाय करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृष्णा कार्य योजना पर गंगा कार्य योजना से प्राप्त अनुभव एवं निधियां उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।

महाराष्ट्र को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों पर राजसहायता

7105. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासियों के लिए महाराष्ट्र को खाद्यान्नों की सप्लाई पर केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष कितनी राजसहायता राशि वहन करती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल मुहैया करने की योजना के अधीन महाराष्ट्र को जारी किए गए खाद्यान्नों पर भारत सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता की राशि नीचे दी जाती है :—

	(करोड़ रुपये में)
वर्ष	राजसहायता की कुल राशि
1986-87	20.03
1987-88	24.74
1988-89 (फरवरी, 1989 तक)	17.75

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोरूमों की बिक्री

[हिन्दी]

7106. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने उत्पादों की बिक्री हेतु संपूर्ण देश में अपने शोरूम खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के अन्त तक खोले गये इन शोरूमों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या इन बिक्री केन्द्रों की बिक्री गत तीन वर्षों से लगातार घट रही है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान अलग-अलग कितनी बिक्री हुई है ;

(ङ) क्या इन वर्षों में इन बिक्री केन्द्रों द्वारा किये गये कारोबार का अध्ययन करके स्थिति में सुधार करने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति अनुसार समूचे देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 417 प्रदर्शन कक्ष थे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रदर्शन कक्षों में 1987-88 के दौरान 3644 लाख रुपये की बिक्री हुई, जबकि 1986-87 के दौरान यह 4499 लाख रु० की थी। तथापि, अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है और वह 3284 लाख रुपये की रही।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रदर्शन कक्षों की बिक्री में सुधार लाने हेतु निम्न-लिखित उपाय किए गए हैं :—

I. विशेष बिक्री काउन्टर खोलना ;

II. व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना

III. प्रदर्शन-कक्षों की सामान-सूची तथा स्टाक को बारीकी से मानीटर करना ;

IV. बाजार की जरूरतों को पूरा करने हेतु नए उत्पाद/डिजाइन विकसित करना ;

V. बिक्री में लगे कर्मचारी-वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि ।

मिलों से प्रदर्शन-कक्षों के वस्त्रों की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कम्पनी स्तर पर एक खरीद समिति का गठन किया गया है ।

रुई के निर्यात के लिये पृथक एजेंसी

7107. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुई का मूल्य स्थिर रखने के लिये इसका बफर स्टाक रखने की बजाये समय-समय पर रुई का आयात अथवा निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रुई निगम ने इस प्रयोजन के लिये एक पृथक एजेंसी स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है अगर सरकार ने इस सुझाव को लागू करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) घरेलू उपलब्धता तथा कीमत को ध्यान में रखते हुए रुई के आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल के मूल्यों में कमी

7108. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति उत्पादकों द्वारा खाद्य तेलों के मूल्यों में स्वेच्छा से की गई कमी को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्य तेल के मूल्यों में कमी करने का है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) तिलहनों की भरपूर फसल होने के परिणामस्वरूप बाजार में खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में काफी कमी आई है, परन्तु थोक मूल्यों में आई यह कमी खुदरा स्तर पर परिलक्षित नहीं हो रही हैं । सरकार ने खुदरा स्तर पर तेलों के मूल्यों में कमी की आवश्यकता को महसूस किया और इसलिए उसने खाद्य तेलों के लोक प्रिय ब्रांडों के पैककर्ताओं से अपने मूल्यों को कम करने की अपील की थी, जिसके

परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के अनेक पैककर्ताओं ने अपने उत्पादों के खुदरा मूल्यों में प्रति कि. ग्रा. 0.50 पै० से लेकर 2.00 रु० तक की कमी की है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल के मूल्यों का संबंध है, उनका निर्णय मूल्य, देशीय खाद्य तेलों के चल रहे मूल्यों की तुलना में कम है और इनके मूल्यों में कोई कमी करने से इनके चोरी से अनधिकृत माध्यमों में चले जाने, देशीय तेलों में मिलावट किए जाने आदि जैसे कदाचारों के अवसर बढ़ जाने की सम्भावना है।

गेहूं की धीमी खरीद

7109. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में सेंटर अनडिमाइडेड आन व्हीट प्रोक्योरमेंट" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा गेहूं का खरीद मूल्य कम निर्धारित किए जाने के कारण सरकारी एजेंसियां पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं खरीद पाएंगी, यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद के लिए किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा सरकार के समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा स्वैच्छा से की गई पेशकश के प्रति गेहूं की वसूली की जाती है। किसानों द्वारा पेश किए गए तथा विहित मानकों के अनुरूप सभी गेहूं को वसूली एजेंसियों द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्ववित्त पोषण योजना श्रेणी-तीन के अन्तर्गत मकान

7110. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्ववित्त पोषण योजना श्रेणी-दो के पंजीकृत लोगों को श्रेणी-तीन का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की है ;

(ख) क्या पंजीकरण के समय इन दो श्रेणियों के लिए पंजीकरण संबंधी शर्तें भिन्न-भिन्न थीं ;

(ग) यदि हां, तो यह अन्तर इस समय किस प्रकार समाप्त किया गया है और यह सुविधा उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन व्यक्तियों को जिन्होंने प्रारम्भ में अपने आप को श्रेणी-तीन में पंजीकृत कराया था, मकानों का आवंटन कर दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या अब इस श्रेणी में पंजीकृत लोगों की भारी संख्या हो जाने के कारण, उन्हें मकानों के आवंटन में विलम्ब नहीं होगा ; और

(च) यदि हां, तो श्रेणी-तीन में पंजीकृत हुए लोगों को मकानों का शीघ्र आवंटन करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर केवल यह है कि श्रेणी-II के लिए निश्चित जमा राशि 10,000 रुपये और श्रेणी-III के लिए 15,000 रुपये है।

(ग) जिन पंजीकृत व्यक्तियों को श्रेणी-III के लिए परिवर्तन की अनुमति दी गई है, उन्हें ब्याज सहित निश्चित जमा राशि के अन्तर का भुगतान करने के लिए कहा गया है। पंजीकृत व्यक्तियों ने श्रेणी-III में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि उनके परिवार का विस्तार हो गया है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो गई है।

(घ) उन व्यक्तियों को जिनकी श्रेणी-III में पर्याप्त उच्च योजना वरिष्ठता है तथा जिन्होंने उन कालोनियों के लिए विकल्प दिया है जहां पर्याप्त फ्लैट उपलब्ध हैं, फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। अन्यों को इनका आवंटन नहीं किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। श्रेणी-II से उनके पंजीकरण के परिवर्तन के बाद श्रेणी-III के लिए नये पंजीकृत व्यक्तियों के कारण उन्हें श्रेणी-III के विद्यमान पंजीकृत व्यक्तियों के सब से नीचे रखा गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपदान का भुगतान न करना

[अनुवाद]

7111. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में ऐसे कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान उनके उपदान की राशि की अदायगी नहीं की गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इसके शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन का उत्तर-दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। अतः, अपेक्षित सूचना उक्त राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यह यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

मिन्टो रोड प्रेस, नई दिल्ली का आधुनिकीकरण

7112. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिकीकरण से पूर्व मिन्टो रोड स्थित भारत सरकार के प्रेस को दो स्वतन्त्र एककों में बांट दिया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार का प्रेस (फोटोलियो एकक) का अनुमानतः 11.12 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस नई परियोजना के लिए प्रत्येक श्रेणी के कितने पद सजित किए गए हैं ;

(घ) इसमें सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक श्रेणी के कितने पद भरे गए हैं ; और

(ङ) इसमें प्रत्येक श्रेणी के कितने पद लेटर प्रेस एकक के विभागीय उम्मीदवारों में उन्हें पुनः रोजगार देकर, पदोन्नति देकर और उनका तबादला करके भरे गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विवरण-I संलग्न है ।

(घ) विवरण-2 संलग्न है ।

(ङ) शून्य ।

विवरण—I

क्रम संख्या	[illegible] किए गए पद	पदों की संख्या
1.	इलैक्ट्रानिकी इंजीनियर	1
2.	सहायक इलैक्ट्रानिकी इंजीनियर	1
3.	मशीनमैन (आफसैट)	12
4.	सहायक मशीनमैन (आफसैट)	24
5.	की बोर्ड आप्रेटर	200
6.	मशीन आप्रेन्टर (फोटोकम्पोजिंग)	4
7.	डार्क रूम सहायक	3
8.	वरिष्ठ आर्टिस्ट ले-आउट	9
9.	जूनियर आर्टिस्ट रिटचर	8
10.	आर्टिस्ट रिटचर	6
11.	सहायक आर्टिस्ट रिटचर	6
12.	प्लेट मेकर	12
	कुल जोड़ :	286

विवरण—2

क्र. सं.	पदनाम	भरे गये पदों की संख्या
1.	की बोर्ड आपरेटर (आफसेट)	57
2.	डार्क रूम सहायक	2
3.	मशीनमैन (आफसेट)	3

सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर का आधुनिकीकरण

7113. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रेस भुवनेश्वर, के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का आरम्भ

[हिन्दी]

7114. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक सब को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्यों के विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को कोई योजना आरंभ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरंभ की जाएगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि यह योजना आरंभ हो गई है, तो यह योजना बिहार के किन-किन जिलों में चलाई जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारिणों के लिए है । बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पटना में चल रही है ।

"भिटारकनिका अभयारण्य (उड़ीसा) में वन्यजीवों का संरक्षण"

[अनुवाद]

7115. डा. वी. विजयरामा राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में स्थापित भिटारकनिका अभयारण्य जैसे वन्य जीवन अभ्यारण्यों में मगरमच्छों तथा अन्य वन्यजीवों को मानव खतरा बना रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके तथा अन्य संगत सुरक्षा उपाय करके भिटारकनिका जैसे अभयारण्यों में मगरमच्छों तथा वन्यजीवों को मानव खतरा कम हुआ है ।

(ख) भिटारकनिका अभयारण्य में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भिटारकनिका वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान करना ;

(2) समुद्र तट से 10 किलोमीटर की दूरी तक मेकानाइज्ड फिशिंग पर प्रतिबन्ध लगाना ;

(3) बेतार सुविधा से सुसज्जित एक चलती-फिरती गश्ती यूनिट के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करना ; और

(4) इस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों से सहायता प्राप्त करना ।

उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

7116. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी और मार्च, 1989 के लिए उत्तर प्रदेश ने गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल और चीनी की कितनी-कितनी मांग की थी, उसे इनकी कितनी -कितनी मात्रा का आवंटन किया गया और उसने इनकी अलग-अलग कितनी मात्रा उठाई ;

(ख) क्या उक्त राज्य सरकार ने इन महीनों के दौरान राज्य में गेहूं की कमी को देखते हुए निर्धारित कोटे से अधिक गेहूं की मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य ने जितने गेहूं मांगे थे उतने उसे उपलब्ध कराए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोधों की दृष्टि में सार्वजनिक वितरण प्रणली के अधीन उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं के आवंटन को जनवरी, 1989 के लिए 55,000 मीटरी टन के किए गए आवंटन से बढ़ाकर फरवरी और मार्च, 1989 के लिए 57,750 मीटरी टन प्रति मास और उसे बढ़ाकर अप्रैल, 1989 के लिए 60,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

विवरण

फरवरी, 1989 और मार्च, 1989 के महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के संबंध में गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल और चीनी की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

	फरवरी, 1989			मार्च, 1989		
जिन्स	मांग	आवटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
गेहूं (सा० वि० प्र०)	70.0	57.75	54.5	70.0	57.75	59.0
चावल (सा० वि० प्र०)	60.0	32.0	29.7	60.0	32.0	26.3
मिट्टी का नेल	@	71.91	73.19	@	68.71	68.89
चीनी	*	52.9	**	*	52.9	**

@ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का मूल्यांकन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लिए किए गए आवंटन पर उपयुक्त वृद्धि की दर की अनुमति देते हुए किया जाता है। कोई मांग आमंत्रित नहीं की जाती है।

* 1. 10. 1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की एक समान दर पर सभी राज्यों को आवंटन किए जा रहे हैं। कोई मांग आमंत्रित नहीं की जाती है।

** राज्य सरकार आवंटित चीनी फैक्ट्रियों से उठाने का स्वयं प्रबन्ध कर रही हैं।

काजू उद्योग में श्रम दिवस

[अनुवाद]

7118. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केरल में, काजू उद्योग में कुल कितने दिन तक कार्य किया गया ; और

(ख) सरकार ने इन श्रमिकों के काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना केरल सरकार से एकत्र की जा रही है और यह यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"हुडको" की सहायता से केरल में आवास परियोजनाएं

7119. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको की सहायता से केरल में कौन-कौन सी आवासीय परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं ;

(ख) हुडको द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ; और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने आवासों का निर्माण किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हुडको ने केरल राज्य में अब तक 320 योजनायें स्वीकृत की हैं। स्वीकृत योजनाओं के अभिकरण वार ब्यौरे, परियोजना लागत और हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण एवं निर्मित किए जाने वाले रिहायशी एककों की संख्या आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य : केरल

अभिकरण	योजनायें	परियोजना लागत (लाख रुपयों में)	स्वीकृत पूर्ण	रिहायशी एकक						प्लाट					
				ई० डब्ल्यू० एस०	एल० आई० जी०	एम० आई० जी०	एच० आई० जी०	अन्य	योग	ई० डब्ल्यू० एस०	एल० आई० जी०	एम० आई० जी०	एच० आई० जी०	अन्य	योग
आवास बोर्ड	218	27503.66	17717.41	255209	16824	6182	3360	2	281577	0	5	51	496	0	552
विकास प्राधिकरण	67	5319.81	3888.22	15316	5664	2261	440	197	23878	135	248	213	140	0	736
नगर निगम	1	184.82	75.00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
सार्वजनिक क्षेत्र	40	3422.50	1802.46	62498	546	272	0	0	63316	0	0	0	0	0	0
निजी क्षेत्र	1	3.86	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शीर्षस्थ सहकारी समितियां	2	181.62	126.90	120	755	25	0	0	900	0	0	0	0	0	0
स्वैच्छिक समिति	1	265.00	125.00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
राज्य योग :	320	36881.27	23736.49	333143	23789	8740	3800	201	369673	135	253	264	636	0	1288

"प्रवासी समुद्री कछुवा"

7120. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवासी समुद्री कछुवों, विशेष रूप से "आलिव रिडली पैसिफिक ओशन टर्टल्स" द्वारा अपने देश में किन-किन समुद्र तटों में अपना बसेरा बनाया गया है ;

(ख) क्या अनेक समुद्री कछुवे इन समुद्र तटों पर अंडे देने और वहां बसेरे के लिए आते हैं ;

(ग) इन समुद्र तटों का विकास करने तथा प्रवासी कछुओं को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) इन समुद्री कछुओं के प्राकृतिक वासियों के सम्बन्ध में क्या शोध-कार्य किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) समुद्री कछुवे, विशेषरूप से आलिव रिडली कछुवे, पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और उड़ीसा में गहीरमाथा में समुद्री किनारों पर बसेरा बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह भी सूचित किया गया है कि ये केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी बसेरा बना रहे हैं।

(ख) सुन्दरवन और गहीरमाथा में इन कछुओं द्वारा बड़े पैमाने पर बसेरा बनाने और अंडे देने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) समुद्री तटों के विकास और प्रवासी कछुओं को सुरक्षा देने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रमुख बसेरा स्थानों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में स्थापित किया गया है।

2) सभी प्रवासी समुद्री कछुओं को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें शिकार और चोरीछिपे शिकार के विरुद्ध पूर्ण कानूनी सुरक्षा मिलती है ।

(घ) समुद्री कछुओं के प्राकृतिक वासस्थलों पर अभी तक कोई बड़ा अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है ।

जापान को पटसन का निर्यात

7121. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की वस्तुओं के लिए जापान बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिऐ उपायों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल वहां भेजने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जापान में पटसन की वस्तुओं का निर्माण करने वाले बाजार में वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) विपणन सम्भावनाएं और विविधीकृत जूट उत्पादों के अत्य प्रयोक्तम करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय किया है कि व्यापार विकास प्राधिकरण के सहयोग से पटसन विनिर्माण विकास परिषद जापान में एक समन्वित विपणन कार्यक्रम कार्यान्वित करें।

बंगलौर नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियां उपलब्ध होना

7122. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सभी औषधियां उपलब्ध नहीं हैं और रोगियों को ये औषधियां बाहर से खरीदने को कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेडिकल बिलों को प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है ;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले रोगियों की सुविधा के लिए बंगलौर में एक "सेन्ट्रल ड्रग स्टोर" खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी नहीं। जो औषधियां औषधालय में उपलब्ध नहीं होती, उन्हें स्थानीय केमिस्ट से इन्डेंट किया जाता है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सप्लाई किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी में शामिल औषधियों की सप्लाई करने के लिए एक केन्द्रीय मेडिकल स्टोर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर के अन्तर्गत पहले से ही कार्य कर रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि दरें

7123. **श्री सी० जंगा० रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों और शिक्षण संस्थाओं को भूमि वर्ष 1978, 1988 और चालू वर्ष में किस-किस दर पर दी गई ; और

(ख) भूमि की दरों में वृद्धि का आवास निर्माण गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

(1) सहकारी समितियां :

क्र०सं०	क्षेत्र	1978 में प्रति वर्ग मीटर दरें	1988 में प्रति वर्ग मीटर दरें	प्रति वर्ग मीटर चालू दरें
1.	दक्षिणी और केन्द्रीय क्षेत्र	45/- रुपये की दर से	450/- रुपये की दर से	1.4.88 से प्रभावी मान्य नई दरें निर्धारित नहीं की गई है।

1	2	3	4
2.	रोहिणी के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली	45/-रुपये की दर से	425/- रुपये की दर से
3.	पूर्वी दिल्ली और रोहिणी	-वही-	400/- रुपये की दर से

(2) संस्थागत क्षेत्र :-सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) भूमि की दरों में वृद्धि के कारण आवास निर्माण गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । ये दरें खुले बाजार मूल्यों की तुलना में अब भी बहुत ही कम हैं ।

"बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण"

[हिन्दी]

7124. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में उन फैक्टरियों को, जिनको प्रदूषण फैलाने के आरोप में फैक्टरियां बंद करने के आदेश दिए गए थे, कुछ दिनों बाद पुनः चालू करने के आदेश दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो फैक्टरियों को बन्द कराने तथा उन्हें पुनः चालू कराने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बन्द करने के बारे में 17 नोटिस जारी किए । इनमें से 13 उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के निदेश दिए गए हैं और चार यूनिटों को बन्द करने के निदेश दिए गए हैं, ये सभी यूनिटें उत्तर प्रदेश में स्थित है । इन चार इकाइयों में से किसी भी इकाई को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए ।

उड़ीसा में कारखाना निरीक्षक

[अनुवाद]

7125. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में रासायनिक और जोखम वाले उद्योगों से कामगारों को होते वाले खतरों से निपटने के लिए कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को एक विस्तृत योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को और उसके लिए अपेक्षित धनराशि मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस अधिनियम में उन्हें इस प्रयोजन हेतु पंजीकरण के लिए फीस लगाने और कारखानों को लाइसेंस देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने और औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेडिंग करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। उड़ीसा सरकार ने इसके अलावा अपने कारखाना निरीक्षणालय के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता मांगी है। इस संबंध में राज्य सरकारों को सहायता देना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों के आवंटन के मानदंड

7126. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-वित्त पोषित योजना के फ्लैटों का आबंटन वरीयता ड्रा निकाल कर किया जाता है और स्थान के चयन का कोई विकल्प प्रदान किया जाता है ;

(ख) आज की तारीख के अनुसार हुडको योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग, स्व-वित्त पोषित योजना के श्रेणी दो और तीन के फ्लैट की लागत पिछले पांच वर्षों के दौरान फ्लैटों की लागत से किस प्रकार भिन्न है और इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) उपर्युक्त फ्लैटों के कुर्सी क्षेत्रफल और निर्मित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(घ) हुडको, 1979 योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कितने लोगों ने श्रेणी में और योजना-वार परिवर्तन कराया है ; और

(ङ) हुडको योजना 1979 के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन में तेजी लाने के लिये यदि इस विषय में कोई त्वरित कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और फ्लैट कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुलाबी बाग, दिल्ली में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बनाये गये फ्लैटों में पानी की पाइपलाइन

7127. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलाबी बाग, दिल्ली में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बनाये गए श्रेणी-III के भूतल स्थित फ्लैटों में और जिसमें प्रतिदिन प्रातः और सांय मात्र दो घंटे तक ही पानी आता है और इस कालोनी में बने डुप्लेक्स फ्लैटों से भी कम है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुलाबी बाग में स्व-वित्त पोषित योजना श्रेणी-III के भूतल फ्लैटों और डुप्लेक्स फ्लैटों में जल-आपूर्ति एक समान है। यह सुबह और शाम दो-दो घंटे के लिए है तथा यह नगर पालिका के स्रोत से पानी की उपलब्धता के अनुसार है। तथापि, डुप्लेक्स फ्लैटों के शौचालयों में खुली छतों पर ऊपरी टंकियों की व्यवस्था है।

(ग) चूंकि, यह पद्धति आयोजनानुसार है, अतः किसी उपाय की परिकल्पना नहीं है।

गैर-सरकारी पार्टियों को मुद्रण कार्य देना

7128. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग के मुद्रण विंग द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 में गैर-सरकारी पार्टियों के माध्यम से कराये गए मुद्रण कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) गैर सरकारी पार्टियों को मुद्रण कार्य किस प्रकार आवंटित किया जाता है और उनके लिए दरें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं ; और

(ग) मौजूदा सरकारी मुद्रणालयों, विशेषकर कलकत्ता स्थित मुद्रणालयों, का आधुनिकीकरण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :

(क)	1987-88	1988-89
	50.64 लाख रुपये	40.73 लाख रुपये

(ख) केवल अपर्याप्त क्षमता अथवा समय, विशेष प्रकार के खास उपकरण की अनुपलब्धता आदि जैसी कतिपय रुकावटों की स्थिति में जब कार्य भारत सरकार के मुद्रणालयों में नहीं किया जा सकता, तब प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से कराया जाता है। कतिपय मामलों में संबंधित विभागों को अपना कार्य स्वयं कराने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। दरों के सम्बन्ध में, निविदायें आमंत्रित करके न्यूनतम निविदा-दाता को पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करने और निजी पार्टियों की कार्य करने की क्षमता की शर्तें पूरी करने पर यह कार्य दिया जाता है। कतिपय मामलों में, दरों में और कमी कराने के लिए बातचीत भी की जाती है।

(ग) भारत सरकार के मुद्रणालयों, जिनमें कलकत्ता स्थित मुद्रणालय भी शामिल है, के प्रतिस्थापन /आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत हालांकि आधुनिक प्रौद्योगिकी कुछ मुद्रणालयों में आरम्भ की गई है, फिर भी, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली का व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। पहले से ही किये गये अथवा चल रहे आधुनिकीकरण से, सम्बन्धित मुद्रणालयों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो गयी है और इसमें आगे और वृद्धि होने की सम्भावना है।

मद्रास से जाफना, श्रीलंका को चिकित्सा राहत सामग्री की सप्लाई

7129. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में हुए जातीय उपद्रवों के दौरान जाफना, श्रीलंका को सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से चिकित्सा राहत सामग्री की सप्लाई की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सप्लाई पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या यह लागत डिपो के वार्षिक कारोबार में शामिल की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख)

1987-88	रुपये
(I) सीधी सप्लाई	68,21,468 रुपये
(II) रेड क्रास के माध्यम से	451,493 रुपये
	कुल 72,72,961

1988-89	
(I) सीधी सप्लाई	शून्य
(II) रेड क्रास के माध्यम से	34,65,694 रुपये
	34,65,694

(ग) कुल बिक्री में जाफना को सप्लाई की की गई राहत औषधों की लागत शामिल है।

मद्रास स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में कम उत्पादन का रुख

7130. **श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित सरकार मेडिकल स्टोर डिपो फैक्टरी में गत तीन वर्षों से कम उत्पादन का रुख चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन औषधियों का उत्पादन किया गया और इनका मूल्य कितना है ; और

(ग) आगामी वर्षों में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का मूल्य इस प्रकार था :-

1986-87	93.46 लाख रुपये	
1987-88	126.72	,,
1988-89	140.00	,,

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में सरकारी मकानों का निर्माण

7131. **श्री हरिहर सोरन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सरकारी मकान मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 को स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्मचारियों के लिए अनुमानतः कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 3.97 करोड़ रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आवंटन वर्ष 1988-89 के लिए प्राप्त सीमित आवेदन पत्रों के आधार पर 31. 3. 89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के श्रेणी वार ब्यौरे इस प्रकार है :-

		लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या
टाइप-I	—	5596
टाइप-II	—	14773
टाइप-III	—	9364
टाइप-IV	—	2805
टाइप-IV (विशेष)	—	260
टाइप-V	—	700 लगभग
टाइप-VI	—	741
टाइप-VII	—	241
टाइप-VIII	—	113

(घ) 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार, 574 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं । इनके 1989-90 के दौरान पूर्ण होने तथा सौंपे जाने की सम्भावना है ।

टाइप-बी	—	184
टाइप-II	—	90
टाइप-III	—	300
	योग :	574

इनके अलावा, 1989-90 के दौरान निर्माण के लिए 588 एककों की स्वीकृति दी गई है ।

गुर्दे तथा मूत्रवाहिनी की पथरी के मामलों में वृद्धि

7132. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुर्दे तथा मूत्रवाहिनी की पथरी के मामलों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान रोगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार जननमूत्रीय रोग तथा गुर्दे तथा मूत्रवाहनी की पथरी के मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में इन रोगों के लिए चिकित्सा करने वाले विशेष अस्पतालों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुविधाओं को कम से कम केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों को दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विस्तार

7133. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस समय हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कन्डोमों को तैयार करने में लगा हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, 6080 लाख नगों की है । इस समय इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, उत्पादों में विविधता लाने के लिए कम्पनी के पास निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

1) प्रतिवर्ष 40 लाख नगों की कुल क्षमता सहित कॉपर-टी 200 बी. और 380 ए. का उत्पादन ।

2) प्रति वर्ष 600 लाख सिरिंजों और सुइयों के 1000 लाख नग की क्षमता सहित डिस्पोजेबल सीरिंजों और सुइयों का उत्पादन ।

3) प्रतिवर्ष 500 लाख नगों की क्षमता सहित लेटेक्स सर्जिकल दस्तानों का उत्पादन ।

(ग)	1988-89	1.00 लाख
	1989-90	155.90 लाख

खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की परीक्षा

7134. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री खाद्यान्न, फलों और सब्जियों के भण्डारण के दौरान कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण के दौरान खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों के अधिकांश नमूनों के लिए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि इन वस्तुओं में कीटनाशक दवाओं की निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और परीक्षण की गई प्रत्येक वस्तु के कितने नमूने लिए गए तथा इनमें से कितने नमूनों में अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पाया गया और कितने नमूनों में अनुज्ञेय सीमा से अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग पाया गया ;

(ख) उन नमूनों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है जिनमें कीटनाशक दवाओं की मात्रा अनुज्ञेय मात्रा से अधिक पाई गई है ; और

(ग) इन नमूनों का परीक्षण किन-किन कीटनाशक दवाओं के बारे में किया गया तथा सभी पंजीकृत कीटनाशक दवाओं का परीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा वर्ष, 1987 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में किसानों और बाजार से एकत्र किए गए विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 648 अनौपचारिक नमूनों का मुख्य तौर पर डी०डी०टी० और बी०एच०सी० के लिए विश्लेषण किया गया था। प्रत्येक वस्तु की संख्या और उन नमूनों की संख्या का ब्यौरा जिनमें निर्धारित सीमा से परे कीटनाशी अवशिष्ट मौजूद थे संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे कीटनाशी अवशिष्टों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए खाद्य नमूनों का विश्लेषण करें। चूंकि डी-डी.टी. और बी.एच.सी. का अन्य कीटनाशकों की अपेक्षा अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मुख्य बल इन दो कीटनाशकों के अवशिष्टों और उनके आयसों भर तथा चयापचयों का अनुमान लगाने पर दिया जा रहा है। इस सर्वेक्षण को जारी रखा जा रहा है जिसमें व्यापक क्षेत्र को शामिल किया गया है, ताकि कार्रवाई शुरू करने से पहले नमूनों में पता चले अवशिष्टों के स्तर के साथ कीटनाशकों के इस्तेमाल का संबंध स्थापित किया जा सके।

विवरण

प्रत्येक वस्तु, विश्लेपित नमूनों की संख्या और निर्धारित सीमा के आने के नमूनों की संख्या

	वस्तु का नाम	विश्लेषित नमूनों की संख्या	निर्धारित अवधि के बाद वाले नमूनों की संख्या
1.	सब्जियां	233	1
2.	फल	181	1
3.	अन्न	74	6 x
4.	दालें	103	2 x
6.	खाद्य तेल	52	—
6.	डेरी उत्पाद	7	6
	कुल	648	16

*अनाजों के 33 नमूनों और दालों के 31 नमूनों ने डी.डी.टी. की मौजूदगी भी दर्शायी थी जिसके लिए कोई सहन सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, चावल और गेंहू के आटे के ज्यादातर नमूनों में स्तर पता लगाने वाले स्तर से निम्न था ।

"स्टेप्स टेकन आन टू चैक स्प्रेड आफ एड्स इन तिरूपति" शीर्षक से समाचार

7135. **श्री सोडे रमैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1989 के हिन्दू "समाचार पत्र में" "स्टेप्स टेकन आन टू चैक स्प्रेड आफ एड्स इन तिरूपति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तिरूपति में एड्स रोग के मामलों का पता लगाने की जांच करने हेतु कोई दल भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार ने दिनांक 23 मार्च. 1989 के "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से तिरूपति में स्थापित निगरानी केन्द्र ने 31 मार्च, 1989 तक अधिक खतरे वाले समूह में 1877 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है और 7 व्यक्ति सीरो-पाजिटिव पाए गए हैं।

(घ) एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम ये हैं :

— अधिक खतरे वाले समूहों की स्वास्थ्य शिक्षा।

— अधिक खतरे वाले समूहों की स्क्रीनिंग तथा सीरो-पाजिटिव व्यक्तियों को परामर्श देना।

— एच०आई०वी० प्रतिपिण्डों के लिए रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग।

— रक्त उत्पाद तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले रक्त तथा रक्त उत्पादों की एच०आई०वी० प्रतिपिण्ड संबंधी स्क्रीनिंग।

— अधिक खतरे वाले समूहों तथा सीरोपाजिटिव व्यक्तियों द्वारा कन्डोम तथा गर्भ-निरोधकों के प्रयोग को बढ़ावा।

लाला रामस्वरूप टी. बी. अस्पताल को वित्तीय सहायता

7136. **श्री राज करन सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाला रामस्वरूप टी. बी. अस्पताल को वर्ष 1988-89 के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1989-90 के लिए योजना और गैर-योजना परिव्यय क्षेत्रों के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इस अस्पताल के कामकाज पर किसी प्रकार का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(घ) क्या भारतीय तपेदिक संगठन (टी. बी. एसोसिएशन ऑफ इंडिया) भी इस अस्पताल के रखरखाव/कार्यचालन लागत पर अपने कोष में से कुछ भी धनराशि नहीं देता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सूचना इस प्रकार है :-

		(लाख रुपये)
	योजना	योजनेत्तर
1988-89	शून्य	104.97
1989-90	50.00	50.00

(ख) और (ग) लाला रामस्वरूप क्षयरोग अस्पताल का प्रबन्ध एवं संचालन भारतीय क्षय रोग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस अस्पताल पर भारत सरकार का कोई आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। इस अस्पताल को स्थापित करते समय यह वचन दिया गया था कि भारत सरकार भारतीय क्षयरोग एसोसिएशन को उचित सहायता अनुदान दे कर अस्पताल की पूंजीगत एवं आवर्ती लागत को पूरा करेगी। तथापि, अस्पताल का भारतीय क्षयरोग एसोसिएशन से अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारतीय क्षयरोग एसोसिएशन से प्राप्त सूचना के अनुमार यह अस्पताल के रखरखाव के लिए धन नहीं देती है क्योंकि यह एक धमार्थ संस्था है और इस उद्देश्य के लिए उसके पास कोई धन नहीं है।

इलैक्ट्रोपैथी के बारे में त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

7137. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एस०पी० त्रिपाठी इलैक्ट्रोपैथी के बारे में जांच समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) यह समिति कब से कार्य आरंभ कर देगी ; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। 10 अप्रैल, 1989 से।

(ख) पहली मई, 1989।

(ग) 1.8.1989।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

7138. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों में इस समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल खोले गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किन-किन स्थानों पर ऐसे औषधालय खोलने का है ; और

(ग) यह औषधालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) उन शहरों में जो इस योजना के लागू करने के मानदंड को पूरा करते हैं अर्थात् जहां 7500 या इससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए ।

गुरू तेग बहादुर अस्पताल में सुविधाओं की कमी

[अनुवाद]

7139. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के गुरू तेग बहादुर अस्पताल में सुविधाओं एवं सहूलियतों की कमी की ओर आकर्षित किया गया है जहां हैजा/आंत्र-शोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ के किसी भी रूप में फैलने की स्थिति में उपचार किया जाता है ; और

(ख) उक्त अस्पताल में रात्रि के दौरान ई०सी०जी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) हैजा/आंत्र शोथ आदि के किसी भी रूप में फैलने की स्थिति में उसके उपचार के लिए गुरू तेग बहादुर अस्पताल में सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने ई.सी.जी. तकनीशियनों के छह पद पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं। इन रिक्तियों पर भर्ती किए जाने तक आपातकाल में ई.सी.जी. सुविधाओं के लिए तदर्थ व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यकर्ताओं के वेतन और भत्ते

7140. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने के लिए कोई सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य लागत की 50:50 की साझेदारी के आधार पर एक केन्द्र प्रायोजित वर्ग II प्लान स्कीम है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है और वे संबंधित राज्य/संघ राज्य में प्रशासन के सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं।

"एड्स" रोग की रोकथाम के लिए केवल डिस्पोजेबल सिरिंज" प्रयोग करने के लिए निदेश

7141. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एड्स" जैसे संक्रामक रोगों को फैलाने मे रोकने के लिए केवल "डिस्पोजेबल सिरिंज" प्रयोग करने हेतु सभी संबंधितों को निदेश जारी किए हैं ;

(ख) "डिस्पोजेबल सिरिंज" की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) देश में "एड्स रोग की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई अन्य निदेश जारी किए गए हैं ; तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अस्पतालों और क्लीनिकों में सही निर्जीवाणुकरण पद्धति सुनिश्चित करने और यथासंभव पूर्व निर्जीवाणुकरण "डिसपोजेबल सिरिंजें" और सुइयां इस्तेमाल करने का परामर्श दिया गया है।

(ख) विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उनसे की गई मांग के अनुसार सिरिंजों का देशीय उत्पादन हो रहा है।

(ग) रक्त और रक्त उत्पादों की संरक्षा के लिए दिशा निर्देश व प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं।

केरल में कोबाल्ट थिरेपी की स्थापना

7142. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का केरल में कोबाल्ट थिरेपी की एक नई युनिट स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थान के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई है/प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्राप्त करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोनीपत में प्राधिकृत चिकित्सा परिसरों (मैडिकल अटेंडेंड) की नियुक्ति

7143. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सोनीपत (हरियाणा) में अपने कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिसरों की नियुक्ति करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए नर्सों तथा महिला कामगारों की कमी

7144. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्यणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांवों में नर्सों तथा महिला परिवार नियोजन कामगरों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनेक कारणों में से यह भी एक कारण है जिसका परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) गांवों में नर्सों/महिला परिवार कल्याण कामगारों का अनुपात कितना है तथा यह अनुपात महाराष्ट्र में कितना कम है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की नर्सों तथा महिला परिवार नियोजन कामगारों की संख्या में वृद्धि करने तथा कमी को पूरा करने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सहायक नर्स मिडवाइफों की थोड़ी कमी है । राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में स्थापित 1,12,004 उपकेन्द्रों में से केवल 4041 उपकेन्द्र सहायक नर्स मिडवाइफों के बिना हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक सहायक नर्स मिडवाइफ को सामान्य क्षेत्रों में 5000 आबादी और पर्वतीय आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में 3000 आबादी के लिए सेवाए प्रदान करनी होती हैं । वह एक उपकेन्द्र से सेवा करती है । 31 दिसम्बर, 1988 को महाराष्ट्र में 9238 उपकेन्द्र कार्य कर रहे थे जिसमें से 176 उपकेन्द्र सहायक मिडवाइफों के बिना थे ।

(घ) सहायक नर्स मिडवाइफों का प्रशिक्षण और रोजगार एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है । प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हैं क्योंकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिया जाता है ।

आर० के० पुरम में पीछे की गलियों का रखरखाव

7145. **श्री बाल चन्द शेन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम में पीछे की गोलियों के रखरखाव के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ; और विवाद की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद को शीघ्र सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) साधारणतया, सरकारी कालोनियों में पीछें की गलियों में झाड़ू लगवाने तथा सफाई कराने की जिम्मेवारी स्थानीय निकायों की होती है, जिसके लिए नगर पालिका करों के साथ-साथ, सफाई प्रभारों का भुगतान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पीछे की गलियों तथा सर्विस लेनों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा औपचारिक रूप से स्थानीय निकायों को सौंपने के पश्चात तथा आबंटतियों द्वारा किए गए अतिक्रमों को हटा कर, कच्चे मार्गों पर खंड़जे बिछाने आदि जैसी खामियों को दूर करने के पश्चात इस बारे में स्थानीय निकायों द्वारा कारंवाई की जाती है। खामियों को दूर करने के पश्चात, रामकृष्ण पुरम में पीछे की गलियों को सुपुर्द करने के लिए औपचारिक रूप से आवश्यक कारंवाई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र की जाएगी, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

भारतीयों में एच०आई०वी० विषाणु की उपस्थिति

7146. **डा० वी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा करवाये गए सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 7.5 प्रतिशत भारतीयों में एच०आई०वी० के विषाणु विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा इससे प्रभावित अन्य देशों के साथ मिलकर उपचार का पता लगाने के लिए अभिप्रेत एवं अनुसंधान तथा विकास पर विचार किया गया है ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपचारात्मक तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सातवीं योजना के दौरान अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराना

7147. **श्री बक्कम पुरूषोत्तम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है ;

(ख) वर्ष 1988-89 तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक सन्तोषजनक प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सातवीं पंच वर्षीय योजना (1985-90) में रखे गए लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक 1000 आबादी के लिए एक अस्पताली पलंग उपलब्ध करना है।

(ख) 1.1.1988 तक देश में प्रत्येक 1351 आबादी के लिए एक अस्पताली पलंग उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्वास्थ्य "राज्य का विषय" है और यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करें।

रक्त पर आधारित उत्पादों का आयात

7148. **श्री राज कुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्त पर आधारित किन-किन उत्पादों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उत्पाद का वर्षवार कुल कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या सप्लायर संबंधित रक्तदाता के शरीर में एड्स के जीवाणु न होने संबंधी जांच प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन उत्पादों के क्या नाम हैं और उनके आयात करने वालों और विदेशी सप्लायरों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान रक्त पर आधारित प्रत्येक उत्पाद का वर्षवार कितना आयात किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क), (ख) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए रक्त उत्पादों के नाम उनकी मात्रा के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आयात के समय मानव रक्त से निकाले गए रक्त उत्पादों के साथ एड्स मुक्त प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उन्हें रिलीज करने से पहले एच०आई०वी० संक्रमणों से मुक्त होने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्पाद का नाम	1986-87	1987-88	अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988
1. टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन शीशियां	100 शीशियां	—	—
2. टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन पाउडर	39 एम० यू०	55.5 एम०यू०	71 एम०यू०
3. हैपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन	1000 मि० लि०	600 वायलस	1000 वायलस
4. ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन	58 कि० ग्रा०	—	30 कि० ग्रा०
5. एण्टी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरा	40 लीटर	—	—
6. हैपेटाइटिस बी वैक्सीन	24.170 शीशियां	815 खुराकें	500 वायलस
7. लिम्फैग्लोबुलिन	50x5 मि०लि०	—	—
8. एण्टी लिम्फोसाइठ ग्लोबुलिन	25x5 मि०लि०	50×10 मि०लि०	210 वायलस
9. एण्टी ह्यूमन सीरम	—	4 लीटर	—
10. ह्यूमन इम्यूनो ग्लोबुलिन	—	200x10 मि०लि०	10.000 वायलस
11. पैन्टा ग्लोबुनिन	—	—	10.000 मि०लि०
12. एण्टी लिम्फो साइट सीरम	—	—	70 मि०लि०
13. एण्टी आर०एच० इम्यूनोग्लोबुलिन	—	—	500x10 मि०लि०
14. पेन्टाग्लोबुलिन गामा प्रोटेक्ट हैपेटाइटिस	—	—	350 वायलस

बंगलौर में तंत्रिका रोगियों की शल्य चिकित्सा में "आटोट्रांसपराजन ऑफ ब्लड" का प्रयोग

7149. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो सांईसिज में तंत्रिका रोगियों की अन्य चिकित्सा में "आटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड" का प्रयोग शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बंगलौर स्थित नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो सांईसिज में "आटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का प्रयोग करके कितने रोगियों की शल्य चिकित्सा की गई है ;

(ग) क्या इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

"एड्स" रोग के मामले

7150. **श्री एन० डेनिस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार गत तीन वर्षों में "एड्स" रोग के कितने मामले सामने आए हैं ; और

(ख) "एड्स" रोग से प्रभावित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) निगरानी/संदर्भ केन्द्रों द्वारा अब तक एड्स के 29 रोगियों की सूचना दी गई है ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

सूचित किए गए एड्स रोगियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986	1987	1988	1989	योग
1	2	3	4	5	6
भारतीय					
आन्ध्र प्रदेश	1	—	—	—	1
चण्डीगढ़	—	1	3	—	4
दिल्ली	—	2	1	—	3
गुजरात	—	1	—	—	1
जम्मू व कश्मीर	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6
केरल	—	—	1	—	1
महाराष्ट्र	1	1	1	—	3
पांडिचेरी	—	—	1	—	1
तमिलनाडु	—	1	—	1	2
पश्चिम बंगाल	—	—	1	—	1
	3	6	8	1	18
विदेशी	2	5	3	1	11
	5	11	11	2	29

	पुरुष	महिलाएं	कुल
भारतीय	15	3	18
विदेशी	9	2	11
कुल :	24	5	29

कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले रोगों के बारे में सर्वेक्षण

7151. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में जनसंख्या के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले रोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को उचित उपचार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या इसके लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने संस्थानों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से जनसंख्या के शोषित वर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण किए थे। यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के तीन जिलों नामतः झाबुआ, बस्तर तथा सरगुजा में आदिवासियों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर के बारे में किया

गया था। इन जिलों में जो प्रमुख आदिवासी समूह रहते हैं वे हैं झाबुआ में भील, मिलालास तथा पटेलियास, सरगुंजा मारिया में गोंड, कांवर, सोन्दस तथा ओरोन तथा बस्तर में मुरिया, गोन्ड हल्बास, मदमट्स, डोर्लान।

इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

संचारी रोगों में श्वसन क्षेत्र, चर्म तथा जठरान्त्र प्रणाली में संक्रमण सर्वेक्षण किए गए सभी क्षेत्रों में आम पाया गया। तीनों जिलों में इन परिस्थितियों की व्याप्तता दर अलग-अलग है। झाबुआ में इसकी व्याप्तता दर सबसे अधिक है तथा इसके बाद निचले क्रम में सरगुंजा तथा बस्तर आते हैं। दूसरे दो क्षेत्रों के मुकाबले झाबुआ में मलेरिया की व्याप्तता दर भी अधिक थी। तथापि सीरम-विज्ञान संबंधी परीक्षणों में बस्तर में मलेरिया एक स्थानिकमारी की समस्या पाई गई। इन क्षेत्रों में कुष्ठ रोग मध्यम स्तर का पाया गया (प्रति हजार पर एक या दो रोगी)।

गैर-संचारी रोगों के पैटर्न से पता चलता है कि प्रौढ़ आयु वर्ग में दुश्चिकित्स्य त्रुटियां तथा मोतिया बिन्द जैसी नेत्र विकारों तथा युवा आयु वर्ग में तिर्यक दृष्टि कार्नियल ओपेसिटी आदि की व्याप्तता दर बहुत अधिक थी। झाबुआ तथा सरगुना के मुकाबले बस्तर जिले में यह दर अधिक थी। सामान्य दुर्बलता, पेश्यार्ति, सन्धि आर्ति आदि जैसी स्थितियों की व्याप्तता का स्तर तीनों जिलों में एक समान था।

बस्तर में जी-6-पी. डी. की कमी तथा सिकल सेल रोग अधिक थे। सर्वेक्षण किए गए दो अन्य क्षेत्रों में भी वे एक समस्या के रूप में पाए गए। दन्त क्षरण की समस्या केवल झाबुआ में पाई गई।

पोषण की कमी से होने वाले रोगों में तीव्र रक्तप्रल्पता बस्तर में अत्यधिक थी और झाबुआ में अपेक्षतया कम थी। सरगुजा में यह सबसे कम थी। बहरहाल सरगुजा गलगण्ड की स्थानिकमारी वाला जिला है। पी. ई. एम, के नामत: क्वाशिदोरकर और भरास्मस और विटामिन की कमी के कारण होने वाले लक्षण बाइटाट स्पौट तथा एन्गुलर स्टोमेटिटिस के आवर्ट रोगी आम ग्रामीण लोगों की तुलना में अपनी बहुत कम व्याप्तता के कारण स्पष्ट थे।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की पद्धति के जरिये लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है उपचारात्मक सेवाएं उपलब्ध करने के अलावा ये केन्द्र निवारक सेवाएं भी उपलब्ध करते हैं। इस पद्धति के जरिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, पोषण की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता, रोकथाम कार्यक्रम आदि जैसे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाते हैं।

इस अनुसंधान दल ने प्रभावित व्यक्तियों को उपचार भी उपलब्ध किया था।

(घ) आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए दी जाती है। इन क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र तथा 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर किया जाता है।

राष्ट्रीय अतिसार रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

7152. डा० कृपासिंधु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय अतिसार रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या उड़ीसा में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो कब से ; और

(ग) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल रिहाइड्रेसन थिरेपी का कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ।

(ख) उड़ीसा में यह कार्यक्रम 1986 के उत्तरार्ध से शुरू किया गया है ।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों सहित समूचे उड़ीसा में इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ।

I. कवर किए गए जिले तथा आवंटित धनराशि (वर्ष वार)

वर्ष	कवर किए गए जिलों की संख्या	आवंटित धन राशि (लाख रुपए में)
1986-87	4	7·37
1987-88	3	23.17
1988-89	11	19.33

शेष दो जिलों को 1989-90 में लाभान्वित किया जा रहा है । कर्मचारियों के प्रशिक्षण, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने संबंधी सामग्री तथा जीवन रक्षक घोल की सप्लाई के लिए धनराशि उपलब्ध की गई है ।

2. राज्य को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो प्रशिक्षण केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दो वाहन सप्लाई किए गए हैं तथा एक वाहन राज्य स्तर के अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया गया है ।

3. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता में राज्य के तीन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था ।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

7153. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फाइलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यकलाप आरम्भ किए गए हैं ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इन लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) संगठित राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एन. एफ. सी. पी.) के माध्यम से फाइलेरियासिस के नियंत्रण के लिए की जा रही मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं :-

(1) देश में 204. नियंत्रण यूनिटों द्वारा फैक्ट्रोयॉन और टेमेफोस जैसे एम. एल. ओ. और ओ. पी. सम्मिश्रण के इस्तेमाल द्वारा साप्ताहिक आधार पर लार्वारोधी पुनरावर्ती उपाय किए जा रहे हैं।

(2) डी. ई. सी. द्वारा माइक्रो-फाइलेरिया वाहकों और रोगियों का पता लगाने और उनके उपचार के माध्यम से 186 फाइलेरिया क्लिनिकों द्वारा रात में घर-घर जा कर परजीवी रोध उपाय किए जा रहे हैं।

(3) 27 सर्वेक्षण यूनिटें यह जानने के लिए सर्वेक्षण कर रही हैं कि क्या यह क्षेत्र फाइलेरियासिस के लिए स्थानिकमारी क्षेत्र हैं अथवा नहीं।

(ग) वर्ष 1985-86 और 1988-89 के बजट आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में नई यूनिटें खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं।

7वीं योजना-अवधि के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	लक्ष्य नियंत्रण यूनिटें	सर्वेक्षण यूनिटें	क्लिनिक	उपलब्धियां नियंत्रण यूनिटें	सर्वेक्षण यूनिटें	क्लिनिक
1984-85	5	1	30	8*	1	9
1985-86	10	1	50	9	1	35
1986-87	10	1	50	1	1	10
1987-88	10	1	50	2	—	7
1988-89	10	1	50	4	1	19
1989-90	10	1	50	—	—	—

* पिछली अवशिष्ट उपलब्धियां।

विवरण

1985-86 से 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के राज्यवार बजट अनुमान और खर्च

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86						1986-1987					
	बजट अनुमान			खर्च			बजट अनुमान			खर्च		
	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सा० के रूप में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	13
1. आन्ध्र प्रदेश	7.00	8.56	15.56	6.25	9.35	15.60	10.50	8.95	19.45	9.46	10.63	20.09
2. असम	—	0.96	0.86	—	1.05	1.05	1.00	1.20	2.20	0.25	1.05	1.30
3. बिहार	2.00	9.46	10.46	0.50	9.24	9.74	2.00	8.76	10.76	0.50	10.45	10.95
4. गुजरात	4.00	6.29	10.29	1.50	6.88	8.38	3.00	6.42	9.42	1.51	8.09	9.60
5. गोआ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. कर्नाटक	2.00	5.36	7.36	0.50	5.85	6.35	2.00	5.68	7.68	0.50	6.66	7.16
7. केरल	1.00	6.68	7.68	0.25	7.33	7.58	3.00	7.02	10.02	0.75	8.68	9.43
8. मध्य प्रदेश	2.00	3.63	5.63	0.50	3.96	4.46	2.00	4.18	6.18	0.50	4.63	5.13
9. महाराष्ट्र	6.00	13.36	19.38	21.70	14.62	36.12	8.00	14.06	22.06	11.06	17.10	27.10
10. उड़ीसा	4.00	3.69	7.69	1.00	4.07	5.07	3.00	4.08	7.08	0.75	4.62	5.38
11. तमिलनाडु	4.00	9.52	13.52	1.50	10.40	11.90	3.00	9.85	12.85	0.75	20.10	20.85
12. उत्तर प्रदेश	7.00	9.59	16.59	6.25	10.48	16.73	10.50	10.23	20.73	10.42	11.97	22.39
13. पश्चिम बंगाल	1.00	6.25	7.25	0.25	6.83	7.00	2.00	6.69	8.69	0.50	0.16	0.66
योग :	40.00	82.37	122.37	40.00	90.06	130.66	50.00	87.12	137.12	36.89	104.14	141.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14. दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—
15. गोवा	—	3.86	3.86	—	4.21	4.21	—	2.90	2.90	—	2.13	2.13
16. पांडिचेरी	—	3.93	3.93	—	4.30	4.30	—	6.05	6.05	—	4.06	4.06
योग :	—	7.79	7.79	—	8.51	8.51	—	8.95	8.95	—	6.19	6.19
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1.55	1.55	—	1.69	1.69	—	3.47	3.47	—	2.39	2.39
18. लक्षद्वीप	—	0.29	0.29	—	0.29	0.29	—	0.46	0.46	—	0.39	0.39
योग :	—	1.84	1.84	—	1.98	1.98	—	3.93	3.93	—	2.78	2.78
अखिल भारत	40.00	92.00	132.00	40.00	100.55	140.55	50.00	100.00	150.00	36.88	113.11	150.00

	1987-88						1988-89					
	बजट अनुमान			खर्च			बजट अनुमान			खर्च		
	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	5.00	9.42	14.42	5.00	2.51	7.51	3.00	4.46	7.14	1.00	1.94	2.94
असम	1.00	1.14	2.14	2.00	1.55	3.55	1.00	2.34	3.34	1.00	1.56	2 56
बिहार	3.00	9.16	12.16	5.00	11.94	16.94	2.00	15.31	17.31	0.50	12.57	13.37
गुजरात	4.00	6.64	10.54	3.37	2.66	6.03	2.00	8.12	10.12	2.00	19.19	21.19
गोवा	—	—	—	—	—	—	1.00	1.87	2.87	1.00	2.90	3.90
कर्नाटक	3.00	5.92	8.92	5.00	0.26	5.20	2.00	6.12	8.22	0.50	4.96	5.46
केरल	3.00	7.33	10.33	5.00	11.53	16.53	1.00	14.71	15.71	1.00	7.74	8.74
मध्य प्रदेश	3.00	4.12	7.12	5.00	2.42	7.42	2.00	1.64	3.64	0.50	0.70	1.20
महाराष्ट्र	11.00	14.78	25.73	14.25	15.50	29.75	15.00	21.20	36.20	30.82	18.35	49.27
उड़ीसा	5.00	4.14	9.14	4.43	5.33	9.76	2.00	9.64	11.64	3.50	6.66	10.16
तमिलनाडु	5.00	10.49	15.49	7.00	8.87	15.17	3.00	20.46	23.46	5.00	21.82	26.82
उत्तर प्रदेश	5.00	10.41	15.42	15.88	0.52	16.40	10.00	18.01	28.01	16.44	14.60	31.04
पश्चिम बंगाल	2.00	6.97	8.97	2.00	5.47	7.47	1.00	10.71	11.71	1.00	9.65	10.65
योग :	50.00	90.42	140.42	73.93	68.50	142.43	45.00	134.27	179.27	84.26	122.94	187.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
दमण और दीव	—	—	—	—	—	—	—	4.80	4.80	—	0.99	0.99
गोवा	—	3.26	3.26	—	2.58	2.58	—	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	—	3.56	3.56	—	2.99	2.99	—	11.23	11.23	—	7.53	8.53
योग :	—	6.82	6.82	—	5.57	5.57	—	16.03	16.03	—	8.52	8.52
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	2.38	2.38	—	1.82	1.82	—	3.85	3.85	—	3.89	3.89
लक्षद्वीप	—	0.38	0.38	—	0.18	0.18	—	0.85	0.85	—	0.39	0.39
योग :	—	2.76	2.76	—	2.00	2.00	—	4.70	4.70	—	4 28	4.28
अखिल भारत	50.00	100.00	150.00	73.93	76.07	150.00	45.00	155.00	200.00	64.26	135.74	200.00

एड्स एंटीबाडी की विद्यमानता का पता लगाने की दृष्टि से टीकों, सीरम आदि का परीक्षण

7154. **श्री राज कुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, एड्स एंटीबाडी की विद्यमानता का पता लगाने के लिए रक्त से निर्मित वैक्सीन, सीरम, और अन्य टीकों के कितने नमूनों का परीक्षण किया गया ;

(ख) इनमें से कितने उत्पाद एड्स की दृष्टि से पाजिटिव पाये गये ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में प्रति वर्ष एड्स से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु रक्त चढ़ाये जाने और रक्त उत्पाद के उपयोग के कारण हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रशामन सामग्री नियमों को संशोधित किया जा रहा है ताकि उनमें रक्त स्राव के समय सभी रक्त यूनिटों में एच० आई० वी० प्रतिपिण्डों से मुक्त होने संबंधी परीक्षण शामिल किया जा सके ।

पर्याप्त सावधानी के तौर पर राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को मार्च, 1989 में निर्देश दिया गया है कि मानवीय रक्त प्लास्मा और प्लासेंटा से प्राप्त किए गए अब तक विनिर्मित सभी उत्पादन नष्ट कर दिए जाने चाहिए ।

(ग) अब तक 18 भारतीयों का पता लगाया लगाया है, जिन्हें एड्स रोग है, इनमें से 17 की मृत्यु हो गई है । 3 मौतें (एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक भारत में) रक्ताधान के कारण तथा (एक संयुक्त राज्य अमेरिका में) रक्त उत्पादों के आधान के कारण हुई हैं ।

"नीड टु स्क्रीन ब्लड डोनर्स फॉर एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7155. **श्री राजकुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "नीड टु स्क्रीन ब्लड डोनर्स फॉर एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एड्स प्रतिरक्षण के लिए रक्तदाताओं की जांच करना अनिवार्य नहीं है ;

(ग) क्या अन्य देशों में इस प्रकार की जांच की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिम जर्मनी में यह जांच कब से की जा रही है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार ने 31. 1. 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे समाचार को देखा है ।

(ख) आरम्भ से ही व्यावसायिक रक्तदाताओं की जांच एच. आई. वी. संक्रमण के लिए सीरो-निगरानी कार्यक्रम का एक भाग रहा है। देश में एच. आई. वी. प्रतिपिण्डों के लिए सभी रक्तदाताओं की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। यह जांच बम्बई (जनवरी, 1989) मद्रास (फरवरी, 1989) और दिल्ली (मार्च, 1989) में पहले ही शुरू कर दी गई है। आशा है कि कलकत्ता में भी इस कार्यक्रम को शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। जब तक देश में सभी रक्तदाताओं की जांच नहीं कर ली जाती तब तक इस जांच कार्य का क्रमिक रूप से विस्तार किया जायेगा।

(ग) और (घ) जी हां। यू० के०, यू० एस० ए० और पश्चिमी जर्मनी में एच० आई० वी० प्रतिपिण्डों के लिए सभी रक्तदानों की जांच की जा रही है। इन देशों में ऐसी अनिवार्य जांच 1985-87 के दौरान शुरू की गई थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए मेडिकल स्टोर खोलना

7156. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सभी औषधियां उपलब्ध नहीं होती हैं और रोगियों को ये औषधियां बाहर से खरीदने को कहा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जटिल प्रक्रिया के कारण मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए एक विशिष्ट मेडिकल स्टोर खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मुलरी में शामिल की गई अधिकांश औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध हैं। यदि कोई एलोपैथिक औषध विशेषज्ञ द्वारा "अनिवार्य" तौर पर निर्धारित की जाती है और वह औषधालय में उपलब्ध नहीं होती तो उसे मै० सुपर बाजार/प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से खरीदा जाता है और लाभार्थी को सप्लाई कर दिया जाता है। अत्यावश्यकता की स्थिति में लाभार्थी को सुपर बाजार/प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से बिना किसी कीमत के औषध खरीदने के लिए दस्ती प्राधिकार दिया जाता है। सुपर बाजार/प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट के यहां उस औषध के उपलब्ध न होने की स्थिति में लाभार्थी उसे खुले बाजार से खरीदने और मै० सुपर बाजार/स्थानीय कैमिस्ट के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्राधिकृत है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मुलरी में शामिल की गई औषधों की सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर पहले से ही कार्य कर रहा है।

हृदय रोग का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त आहार

7157. **श्री पी० आर० कुमार-मंगलम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वैज्ञानिकों के अनुसार हृदय रोग का मुकाबला करने के लिए भारतीय आहार सर्वाधिक उपयुक्त आहार है (डेकेन हेराल्ड 23-2-89) और यदि हां, तो इस विचार का आधार क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का इन आहारों की वास्तविक विशिष्टता का ब्यौरा तैयार करने तथा इनका देश भर में व्यापक प्रचार करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सामान्यतया भारतीय भोजन में वसा तथा कोलेस्ट्रोल की कमी होती है तथा उसमें तन्तु अधिक होता है। इस प्रकार के भोजन से रक्तवाहिका में कोलेस्ट्राल जमा होने की संभावना कम रहती है और हृदय की बीमारियों को नही होने देता है।

(ख) हृदय संबंधी बीमारियों पर कम वसा कोलेस्ट्राल वाले भोजन के लाभों के बारे में अनेक संगोष्ठियों/व्याख्यानों में चर्चा की गई है तथा समाचार पत्रों में भी इसके बारे में छापा गया है।

जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए टीका

7158. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसौली स्थित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए टीका तैयार किए जाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की आवश्यकता के लिए इसका पर्याप्त उत्पादन किया जाएगा ;

(ग) क्या इसका निर्यात किए जाने की भी कोई योजना है ; और

(घ) क्या यह टीका आयातित टीके जैसा ही उच्च स्तर का होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय अनुसंस्थान, कसौली ने जापान सहयोग से पहले ही इनएक्टिवेटिड मूषक मस्तिष्क जापानी एनसेफलाइटिस वैक्सीन का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय परिस्थिति में जापानी एनसेफलाइटिस वैक्सीन की प्रभावकारिता और जापानी एनसेफलाइटिस की घटना में कमी करने में इसके प्रभाव का जायजा लेने के लिए जिसमें 2-3 वर्ष का समय लग सकता है, कुछ राज्यों को पर्यवेक्षणाधीन सेवन के लिए वर्ष 1988 के दौरान इस संस्थान द्वारा तैयार की गई जापानी एनसेफलाइटिस वैक्सीन की 7.295 लाख खुराकें दी गई थीं। संस्थान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 15 लाख खुराक प्रति वर्ष है। इस समय तैयार की जा रही वैक्सीन राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रोग प्रतिरक्षण से पहले और रोग प्रतिरक्षण के बाद सीरम के प्राप्त हुए परिणामों को अत्यधिक प्रभावकारी और भारतीय स्ट्रेन के विरुद्ध प्रभावकारी भी पाया गया था। तथापि, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने भारतीय स्ट्रेन का इस्तेमाल करके जापानी एनसेफलाइटिस तैयार करने पर अनुसंधान और विकास कार्य शुरू कर दिया है।

सरोजिनी नगर में सफाई की स्थिति

7159. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरोजिनी नगर में टाइप-चार के क्वार्टरों की सर्विस लेनों में सफाई की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास "ई" टाइप फ्लैट्स कल्याण संघ, नई दिल्ली से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं और सर्विस लेनों में उपद्रवी घूसों द्वारा इनकी नींव को क्षति पहुंचाए जाने के कारण वे खतरनाक और असुरक्षित घोषित किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी सम्पत्ति की क्षति का और राजस्व की हानि रोकने के लिए टाइप-चार के मकानों की सर्विस लेनों में और उनके आसपास बरसाती नालों को पाटने पर विचार करेगी जैसाकि बहुत समय पहले निकटवर्ती लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र में किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिवारों/आर.सी.सी. स्लैबों में दरारों के कारण टाइप-IV के 10 फ्लैट खतरनाक घोषित किये गये हैं। इन दरारों का कारण उपद्रवी घूस नहीं हैं।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका का बरसाती पानी के नालों को ढकने का प्रस्ताव है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किया जायेगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

दिल्ली में नर्सिंग होम/प्रसूति गृहों की संख्या

7160. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने नर्सिंग होम तथा प्रसूति गृह हैं ;

(ख) नर्सिंग होम/प्रसूति गृह के पंजीकरण हेतु नियमों के अन्तर्गत किन-किन न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं कम से कम कितने चिकित्सकों, नर्सों, भेषजज्ञों, बिस्तरों आदि की आवश्यकता होती है ;

(ग) क्या सरकार ने इन नर्सिंग होमों की मासिक अथवा नियमित जांच हेतु कोई बोर्ड स्थापित किया है ;

(घ) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा गत छः महीनों में बोर्ड द्वारा किए गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) सरकारी नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने वाले नर्सिंग होमों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन में 125 प्राइवेट नर्सिंग होम तथा प्रसूति गृह पंजीकृत हैं ।

(ख) दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत किसी नर्सिंग होम/प्रसूति गृह के पंजीकरण की अपेक्षाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऊपर (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग होम तथा प्रसूति गृह सीधे नर्सिंग होम के चिकित्सा अधीक्षक की देखरेख में काम करते हैं । इन गृहों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ।

(च) दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 की धारा 2 के अन्तर्गत नर्सिंग होम का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है ।

विवरण

दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत नर्सिंग होम/प्रसूति गृह के पंजीकरण की अपेक्षाएं

1. नर्सिंग होम के लिए अपेक्षाएं :

(क) स्थान तथा आसपास का वातावरण :

नर्सिंग होम एक ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जिसके आसपास का वातावरण साफ-सुथरा हो और यह किसी खुले मल-निर्यास, नाले या सार्वजनिक शौचालय या धुंआ छोड़ने वाली फैक्टरी अथवा हानिकारक गंध के नजदीक नहीं होना चाहिए ।

(ख) भवन :

(I) नर्सिंग होम के उपयोग में लाया जा रहा भवन नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों से मेल खाता हुआ होना चाहिए ।

(II) नर्सिंग होम के कमरे खुले हवादार होने चाहिए तथा उनमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो और उन्हें साफ-सुथरी तथा स्वास्थकर हालत में रखा जाना चाहिए । कमरों को गर्मियों में ठंडा रखने तथा सर्दियों मे गर्म रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(III) प्रसव कक्ष तथा आपरेशन थियेटर की दीवारें फर्श से चार फुट तक की उंचाई तक इस प्रकार निर्मित होनी चाहिए कि उनमें पानी न आए ।

1. फर्श ऐसा होना चाहिए जिस पर धूल जमा न होने पाए । दीवारों या फर्श पर दरारें या छेद नहीं होने चाहिए ।

(VI) प्रसव कक्ष तथा आपरेशन कक्ष को साफ सुथरा रखना होगा ।

(V) पूतिक तथा संक्रमण वाले रोगियों को अलग रखने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी ।

(ग) (I) रोगियों आदि के लिए खुला स्थान :

नर्सिंग होम में एक पंलग के लिए 120 वर्ग फुट का तल्ला होगा तथा कमरें में प्रत्येक अतिरिक्त पंलग के लिए 80 वर्ग फुट का स्थान रखना होगा।

(II) प्रसव कक्ष/आपरेशन थियेटर का फर्श कम से कम 180 वर्ग फुट का होगा।

(III) ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को एक ड्यूटी कक्ष उपलब्ध करना होगा।

(IV) दवाइयों, खाद्य वस्तुओं, उपकरणों आदि के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जाएगा।

(घ) पानी की सप्लाई :

नर्सिंग होम में इस्तेमाल में होने वाला पानी शुद्ध तथा पीने योग्य होना चाहिए।

2. कर्मचारियों के स्वास्थ्य, पहनावे तथा सफाई संबंधी अपेक्षाएं :-

(I) तैनात किए गए कर्मचारी संक्रामक रोगों से मुक्त होने चाहिए तथा उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उपयुक्त वर्दी देनी होगी।

(II) कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनकी शारीरिक जांच की जाएगी तथा समय-समय पर उनकी ऐसी जांच की जाती रहेगी। कर्मचारियों को चेचक का टीका तथा आन्त्र और हैजे का टीका लगाया जाएगा।

3. उपकरण तथा विनन आदि :-

नर्सिंग होम में निम्नलिखित व्यवस्था की जानी होगी तथा उनको अच्छी स्थिति में रखा जाना होगा :-

(I) पर्याप्त संख्या में कमोड, बैंड पैन तथा फ्लशिंग व्यवस्था सहित स्लॉप सिंक होने चाहिए।

(II) उच्च दाब वाले विसंक्रामक यंत्र तथा उपकरण सिक्रामकयंत्र।

(III) आक्सीजन सिलिण्डर तथा अक्सीजन देने के लिए आवश्यक उपकरण।

(IV) रक्तादान के लिए उपकरण।

(V) पर्याप्त संख्या में चादरें, गद्दे, तकिये, कम्बल, ड्रा-शीट तथा दूसरे कपड़े ; और।

(VI) जहरीले पदार्थ रखने के लिए उपयुक्त अलमारी जिसमें ताला लगाने की उपयुक्त व्यवस्था हो।

4. भोजन : यदि नर्सिंग होम रोगियों को भोजन उपलब्ध करता है तो यह स्वास्थकर स्थितियों में बनाया तथा परोसा जाना चाहिए।

5. नर्सिंग स्टाफ :- नर्सिंग होम में प्रत्येक दस पंलगों या उनके किसी भाग के लिए हर समय एक नर्स ड्यूटी पर रखनी होगी। इसके अतिरिक्त नर्सिंग होम को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कुछ नर्सिंग स्टाफ, मिडवाइफ, फार्मेसिस्ट, ड्रेसर आदि जैसे दूसरे प्रशिक्षित कर्मचारियों के स्थान पर कुछ नर्सिंग स्टाफ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

कुपोषण का व्यक्तियों पर प्रभाव

7161. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के दौरान छः राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया था और यदि हां, तो इसके परिणामों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्तियों के कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान है ;

(ख) क्या अन्य दोषों के अतिरिक्ति, रतौंधी, अतिसार एवं वमन जैसी बीमारियों का भी पता चला था और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और बीमारीवार, ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण के पश्चात् संबंधित राज्यों को राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में व्यक्तियों के रतौंधी से पीड़ित होने के बावजूद बाडमेर जिले में केवल 1200 व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है जबकि इस बीमारी से लगभग 5 लाख लोगों के पीड़ित होने का अनुमान है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दो गई है।

विवरण

(क) जी, हा। केन्द्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1987 में अपने संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, क्षेत्रीय आदिवासी स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर और मरुस्थली औषध अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर के माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया था। यह सर्वेक्षण आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। इस सर्वेक्षण में प्रोटीन शक्ति कुपोषण की समस्या वाले बच्चों को उनके शरीर के वजन की स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। गोमेज वर्गीकरण के अनुसार स्कूल पूर्व बच्चों के वर्तमान वर्गीकरण को दर्शाने वाली एक सारणी संलग्न हैं (उपाबंध-1)। अपनी आयु के अनुसार सामान्य शरीर भार वाले बच्चों का अनुपात सूखे की पूर्व स्थितियों की तुलना में वर्तमान सर्वेक्षण में बहुत ही कम था। आन्ध्र प्रदेश राज्य को छोड़कर जहां अत्यधिक कुपोषण की प्रतिशतता में तीन गुनी वृद्धि पाई गई थी (4.2 प्रतिशत से 15.0 प्रतिशत), अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक कुपोषण में कोई भी खास अन्तर नहीं पाया गया। यह इन राज्यों में चलाए जा रहे पुनर्वासीय एवं राहतकार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप हो सकता है।

(ख) सर्वेक्षित जनसंख्या नमूनों में कुपोषण की कमी के चिह्नों के आंकड़े संलग्न विवरण (उपाबंध-II) में दिये गए हैं। बच्चों में जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा वे प्रोटीन शक्ति कुपोषण (पी.ई.एम.), विटामिन "ए" की कमी और बी-कम्लैक्स विटामिनों की कमी थी। क्लिनिकल रक्ताल्पता भी प्रचलित थी। रक्ताल्पता सभी आयु वर्गों में पाई गई थी। सर्वेक्षित राज्यों में कुपोषण की कमी के लक्षयों के प्रचलन की सीमा में बहुत अधिक विभिन्नता पाई गई थी। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में रतोंधी और बाइटोट स्पॉटों का प्रचलन बहुत अधिक बतलाया गया था। ये लक्ष्य राजस्थान में वयस्कों में भी पूर्ण रूप से देखे गए थे जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं था।

(ग) जी, नहीं। स्कूल पूर्व बच्चों में विटामिन "ए" घोल वितरण के कार्यक्रम को इस कामी के रोकथाम के रूप में राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई भी सांख्यकीय आंकड़े नही रखे जा रहे हैं।

उपाबंध-I

गोमेज वर्गीकरण के अनुसार स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों का प्रतिशत वर्गीकरण*

		गोमेज गेड्स			
राज्य		मामान्य	मामूली	मध्यम	गंभरी
आन्ध्र प्रदेश	788	4.9 (18.3)	34.8 (43.4)	45.3 (33.5)	15.0 (4.2)
उड़ीसा	1160	12.1 (18.3)	51·2 (43.4)	33.3 (32.5)	3.8 (5.8)
गुजरात	2059	12.4 (11.8)	43.1 (37.1)	36.3 (40.1)	8.2 (11.0)
तमिलनाडु	735	17.4 (17·6)	50·5 (46.2)	28.7 (30.1)	3.4 (5·8)
कर्नाटक	1153	11.5 (14.2)	50·9 (47.7)	34.0 (35.3)	3.6 (4.8)
मध्य प्रदेश	1970	7.6 (13.4)	35·9 (29.4)	44.2 (42.9)	12.3 (14.8)
राजस्थान	1225	17.1	40.3	33.4	6.2

*हैदराबाद के धनी बच्चों में मानक मूल्यों का प्रयोग किया गया।

कोष्ठक के आंकड़े एन.एम.एम. बी. सर्वेक्षणों के अनुसार हैं।

उपाबंध-II

स्कूल जाने की आयु से पूर्व आयु के बच्चों में पोषण की कमी के लक्षणों की प्रतिशत व्याप्तता

राज्य	प्रोटनी कृशता	शक्ति शोफ	कुपोषण सूखा रोग	रतोंधी	बायटाट्स स्पोटर्स	कोणीय मुखपाक	रक्ताल्पता
आंध्र प्रदेश	2.8	0.8	2.0	0.4	2.2	7.5	2.2
उड़ीसा	5.3	1.0	3.3	0.1	0.3	6.8	4.9
गुजरात	1.8	0.3	1.0	0.7	4.1	0.4	0.3
तमिलनाडु	0.4	0.1	0.9	0.1	2.0	10.1	7.4
कर्नाटक	1.0	0.1	0.5	—	1.0	16.1	2.3
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	0.1	0.6	0.9
राजस्थान	—	मिलाकर 13.3	—	13.6	14.4	27.4	46.1

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लालारामस्वरूप टी.बी. अस्पताल में उपचार

7162. **श्री राजकरन सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला रामस्वरूप टी.बी. अस्पताल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का उपचार करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान है ;

(ख) क्या इस अस्पताल में भर्ती अधिकतर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के प्रभार के रूप में लाला रामस्वरूप टी.बी. अस्पताल को लगभग कितनी धनराशि प्रदान करती है और वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी. हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के प्रभार के रूप में लाला रामस्वरूप टी.बी अस्पताल को निम्नलिखित राशि प्रदान की गई है :-

1986-87	33,18,267.00 रु०
1987-88	36,59,783.00 रु०
1988-89	43,00,000,00 रु०

राजधानी के अस्पतालों में लापरवाहियां बरतना

7163. **श्री सोडे रमेया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली के अस्पतालों में बरती जा रही विभिन्न लापरवाहियों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण सफदरजंग अस्पताल में कितनी मौतें हुई हैं ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ;

(घ) राजधानी के अस्पतालों में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध है, दिल्ली के अस्पतालों से किसी ऐसे विशेष मामले की सूचना नहीं मिली है जिसमें ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी हो ।

(ख) और (ग) दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लापरवाही के कारण कोई मौत नहीं हुई है ।

(घ) धनराशि की उपलब्धता के अनुसार उपस्कर और स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ब्लड बैंकों की समय समय पर जांच करना

7164. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट ब्लड बैंकों के कार्यकरण की समय समय पर जांच के लिए कोई प्रक्रिया बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन बैंकों में आवश्यक उपकरणों और कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था है और इसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाला मानव निर्धारित रक्त मानक और गुणवत्ता की न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने मामलों में राजधानी में कार्यरत प्राइवेट ब्लड बैंक गलत तरीके से काम करते हुए पाए गए और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ब्लड बैंकों पर निगरानी रखने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) ब्लड बैंकों को राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार ब्लड बैंकों को एक अपेक्षित लाइसेंस लेना जरूरी होता है और उनके पास अपेक्षित भौतिक सुविधाएं, प्रयोगशालीय ढांचा और कार्मिक शक्ति आदि होनी चाहिए। भारतीय भेषजसंहिता में रक्त के मानक निर्धारित किए गए हैं।

औषध नियंत्रण संगठन समय-समय पर ब्लड बैंकों का निरीक्षण करता है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, आपने कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर मेरे नोटिस को स्वीकृति देकर बड़ी कृपा की है···(**व्यवधान**)··· ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शान्ताराम नायक को अनुमति दी है।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कब होगी। आपने मेरा नोटिस स्वीकार किया है।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। मैंने एडमिट कर लिया है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : क्या आपने इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्य मंत्रणा समिति को दे दिया है। अब कार्य मंत्रणा समिति इसका फैसला करेगी ।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : सदन को यह पता लगना चाहिए कि उन्होंने विदेशों से कितना धन प्राप्त किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे रोक नहीं रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं। मैं पहले ही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं जो कुछ कर सकता था वह मैंने कर दिया है। अब कार्य मंत्रणा समिति इसका फैसला करेगी ।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, आप कार्य मंत्रणा समिति से कहें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं नहीं कह सकता ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न उठा रहा हूं। आप इस सम्माननीय सदन की उत्तम परम्पराओं को बनाए हुए हैं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका निर्णय चाहता हूं। यह बजट सत्र है। आज की कार्य सूची में मैंने यह देखा कि मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इस्पात और खान मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि—जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारा काफी समय बर्बाद हो चुका है। किन्तु यह मूलतः बजट सत्र है। हम यहां बजट पर चर्चा करने आए हैं (व्यवधान)।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पिछले सप्ताह उन्होंने काफी समय बर्बाद किया है। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। हम जानते हैं कि हमारा काफी समय बर्बाद हो चुका है। किन्तु इन मांगों पर चर्चा नहीं की गई। आप दीर्घ-कालीन उपायों के बारे में क्या सोचते हैं मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं। किन्तु अल्पकालीन उपायों के लिए मैं दो सुझाव देता हूं। एक तो यह है कि यदि हम गृह, रक्षा आदि मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं करते हैं तो मुझे इतनी चिन्ता नहीं है और यदि हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं करते हैं तो भी मुझे कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि हम इस सरकार की विदेश नीति से सहमत हैं। किन्तु मानव

संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जानी चाहिए। कृपया विदेश मंत्रालय की मांगों पर हो रही चर्चा को बीच में रोकिए और मानव संसाधन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ कीजिए। इसके लिए यदि हमें देर रात तक भी बैठना पड़े तो भी हमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करनी चाहिए।

महोदया, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि हमारे पास इन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है तब इसके लिए बजट समितियां होनी चाहिएं। आपको इस सदन की उच्च परम्पराओं को बनाए रखना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर आपका निर्णय जानने का इच्छुक हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है सोज साहब कि उर्दू में एक कहावत है कि कुफ्र टूटा खुदा-खुदा कर के। शुक्र है कि जागे तो सही और हम सभी को पता है कि बजट के लिए यह सेशन बुलाया गया था। अब जो कुछ हुआ, वह सामने है मेरे। मैं कल कह रहा था कि जो काम करना था, वह हम ने नहीं किया। अब जो प्रोपोजल पेन्डिंग हैं, वह भी आप लोगों के जिम्मे है। जो हमारा बजट कमेटीज का प्रोपोजल है, वह अगर मंजूर कर लेते. तो भी का ठीक हो सकता था। मैं तो तैयार हूं लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एक्सटर्नल फेयर्स पर बहस कोई जरूरी नहीं लेकिन ह्यूमैन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की डिमाइस पर बहस होनी चाहिए।

[پروفیسر سیف الدین سوز : ایکسٹرنل افیئرس پر بحث کوئی ضروری نہیں لیکن ھیومین ریسورز منسٹری کی ڈیمانڈس پر بحث ہونی چاہیئے ۔]

[अनुवाद]

क्योंकि शिक्षा सभी कार्यों का मूल है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जोर से मत बोलिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आराम से ही बोलूंगा।

[پروفیسر سیف الدین سوز : میں آرام سے ہی بولوں گا ۔]

अध्यक्ष महोदय : जो हाउस कर देगा, वह मुझे मंजूर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते (राजपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रो० सोज के समर्थन में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा प्रस्ताव नियम समिति के समक्ष लंम्बित पड़ा है। किन्तु बजटीय मांगों की संवीक्षा करने के लिए स्थायी वित्त समिति गठित किए जाने के संबंध में किया गया प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाएगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह तो दीर्घ-कालीन मुद्दा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह समझता रहा हूं कि यह प्रस्ताव मेरा था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप काफी समय से इसके बारे में सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप पर है। मैं तैयार हूं। मैं यह समझ रहा था कि यह मेरा प्रस्ताव है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे। कृपया इसे यथा संभव शीघ्र ही स्वीकार करें। (**व्यवधान**)।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी चर्चा समाप्त करें ...।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : विदेश मंत्रालय पर कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा सभी प्रकार के विकास कार्यों का मूल है। (**व्यवधान**)।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर मत करो।

[**अनुवाद**]

ऐसा न करें। एक-एक करके बोलें। (**व्यवधान**)

डा० सुधीर राय (वर्दवान) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कलम बंद हड़ताल है और अध्यक्ष विदेश यात्रा कर रहे हैं...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, आप मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

डा० सुधीर राय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है।

(**व्यवधान**)

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा....।

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है ?

डा० वी० वेंकटेश : पिछले छः महीनों से कोलार सोने की की खानों पीने को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता। आप मुझे कुछ लिख कर दें। इस प्रकार नहीं।

डा० वी० वेंकटेस : महोदय, इस समस्या का संबंध पीने के पानी से है। कृपया सरकार को निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे अनेक गांव हैं, जहां पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती है।

डा० वी० वेंकटेक : यह केन्द्रीय विषय है। मैं कोलार सोने की खानों की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया सरकार को निदेश दें। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : पिछले वर्ष केरल में आइलैण्ड एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की जांच रिपोर्ट समाचारपत्रों में छप चुकी है। रेलवे मंत्री ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। किन्तु उन्होंने रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, चौधरी साहब।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : एक शब्द और।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैंने श्री चौधरी को अनुमति दी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जैसा कि प्रो० सोज़ ने कहा, आज गिलोटीन लागू होगा। और हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु हम अगले दिन मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली और वित्त मंत्रालय की कार्य प्रणाली हम इस तरह से चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। मैं नियमों के अनुसार चलूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझसे, बहस मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सरकार को निदेश नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिये, बैरागी जी।

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, लम्बे समय से हम लोग आपका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मैं आज भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत समय से आज तक भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करने को संघीय लोक सेवा आयोग टालता रहा है। देश में सब जगह आंदोलन चल रहे हैं लेकिन भारतीय भाषाओं की अवहेलना बराबर हो रही है।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल हो रही है।

श्री बाल कवि बैरागी : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सिलसिले में सरकार से बात करें। आप हस्तक्षेप करें ताकि सभी भाषाओं को उनका उचित स्थान मिल सके। आप इस दिशा में कोई निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले कहा था। मेरे ख्याल में हमारे पास यह आश्वासन है कि वह करेंगे। पता नहीं क्यों अवहेलना हो रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुन लिया करो। मैं चाहूंगा कि··· ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, आप उचित ढंग से क्यों नहीं बैठ सकते ? आप बिना मेरी अनुमति लिए सदैव चिल्लाते हैं । नहीं। पहले मेरी अनुमति लीजिए। मैं चाहता हूं कि सरकार यह कार्यवाही करे और इस सदन को यह जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम इस बारे में बहुत चिन्तित रहे हैं। गत वर्ष भी उनसे इस बारे में पूछा गया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस कार्य को कर दिया जायेगा। मैं इसका अनुपालन न होने के कारण बहुत चिन्तित हूं। मैं यह नहीं जानता कि क्या हम उन व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री चिरन्जी लाल शर्मा (करनाल) : मैं करनाल चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । हरिजनों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं, उन्हें सहन नहीं किया जा सकता । मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं। पुलिस द्वारा सी० आर० पी० की सहायता से एक विशेष स्थान पर वर्ष 1946 से बसे हुए 194 बाल्मीकि हरिजन परिवारों को हटा दिया गया है। उन्होंने बुलडोजर लेकर उनके मकानों को गिरा दिया और उन्हें अभी तक पुन: बसाया नहीं गया है। उनसे उस स्थान पर जाने के लिए कहा गया है जहां सम्पूर्ण कस्बे का कूड़ा फेंका जाता है··· ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करिये, आप मुझे लिख कर दीजिये ।

[अनुवाद]

तब मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा क्योंकि यह विषय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित है। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : यह एक केन्द्रीय विषय है जो कि हरिजनों से सम्बंधित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तभी मैंने कहा है कि मुझे लिख कर दीजिए। मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, यह पहला मौका है कि जबकि रक्षा मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा नहीं की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं।

श्री अजय मुशरान : यह पहला अवसर है जबकि अनुदान की मांगों पर चर्चा नही की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहला अवसर है जबकि हम केवल तीन मंत्रालयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सम्भवत: तीसरे मंत्रालय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा न की जा सके। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ?

श्री अजय मुशरान : विदेश मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय से प्राथमिकता इन वर्षों के दौरान नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सदन पर निर्भर करती है यह मेरा दोष नहीं है। न ही इसमें मेरे सचिवालय का दोष है। यह बात आप लोगों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादव पुर) : बजटरी कमेटीज तो सैट-अप कीजिए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की मांगों पर बजट सम्बन्धी समिति में चर्चा की जानी चाहिए।

12.11 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा अधिसूचना जिसमें 3 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 8 (अ) का शुद्धि-पत्र सम्मिलित है

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण और (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 237 (अ), जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या का० आ० 394 (अ), में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7792/89]

(2) अधिसूचना संख्या का० आ० 190 (अ), जिसमें 3 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 8 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7793/89]

संसद, राष्ट्रपति सचिवालय इत्यादि की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से, संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7794/89]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7795/89]

औषधि और प्रशाधन सामग्री (पाचंवा संशोधन) नियम, 1988, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखों और उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पाचंवां संशोधन) नियम, 1988, जो 6 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 681 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र जो 20 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 44 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7796/89]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7797/89]

(5) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7798/89]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) योजना, 1989, जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 227 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 1989, जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 228 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7799/89]

12.12 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

65वां प्रतिवेदन

श्री एम. तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 65वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

79वां और 80वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संबंध में प्राक्कलन समिति का 79वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) जल-भूतल मंत्रालय —महापत्तनों में निकर्षण संक्रियाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति का 80वां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही -सारांश ।

12.12½ म. प.

लोक लेखा समिति

159वां, 164वां और 165वां प्रतिवेदन

श्री आर. एस. स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(1) एक कपड़ा विनिर्माता द्वारा संयंत्र और मशीनरी के कथित व प्राधिकृत आयात, माल की गलत घोषणा और कम मूल्य के बीजक बनाने के संबंध में एक सौ चौसठवां प्रतिवेदन ।

(2) रेल पथ सामग्री की अधिप्राप्ति और उपयोग के संबंध में एक सौ पैंसठवां प्रतिवेदन ।

(3) नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-दो नई दिल्ली में निजी भवन किराये पर लेने के बारे में 73वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन ।

12.13 म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

57वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं भारतीय खाद्य निगम — अवमानक गेहूं के पारेषणों के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

48वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय—भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12·13 1/2 म. प.

सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : मैं सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का चौबीसवां तथा पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के चौबीसवें तथा पच्चीसवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.14 म०प०

बंगलौर नगर में टेलीफोनों के लिए किराया प्रभार में वृद्धि किए जाने के बारे में याचिका

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं बंगलौर नगर में टेलीफोनों के लिए किराया प्रभार में वृद्धि किए जाने संबंधी श्री डी० जयराम और अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर युक्त याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

12.14-1/2 म०प०

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का धीमा कार्यान्वयन

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए 1983 में भारत सरकार द्वारा स्थापित उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के धीमे क्रियान्वयन, जिसके परिणामस्वरूप उनमें असंतोष व्याप्त है, तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

12.15 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : महोदय,

श्री कृष्ण चन्द्र पंत की ओर मैं कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के मामले ऐसे हैं जिनको सरकार अत्यधिक महत्व देती है और इस प्रयोजन के लिए योजनाओं और

सुविधाओं का एक व्यापक "पैकेज" बनाती है। इसके लिए पुनर्वास संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन सारे देश में जिला स्तर तक फैला हुआ है। रक्षा सेनाओं से अपेक्षाकृत युवावस्था में सेवा-निर्मुक्त होने वाले सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण की देखभाल करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय निदेशालयों के अतिरिक्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 29 राज्य सैनिक बोर्ड और 282 जिला सैनिक बोर्ड हैं। पेंशनरों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कार्यों की देख-भाल करने के लिए स्वयं भूतपूर्व सैनिक अफसरों द्वारा संचालित सैनिक बोर्डों की तुलना में कोई और संगठन नहीं है। एक समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इन सैनिक बोर्डों को पुनः आरंभ किया गया है जिसे कई राज्यों में कार्यान्वित किया जा चुका है।

2. किए गए कार्य की समीक्षा करने और अतिरिक्त उपाय सुझाने के लिए सरकार ने मार्च, 1984 में तत्कालीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1984 में सरकार को पेश की। समिति ने रिपोर्ट में 68 सिफारिशें की थीं। इन सभी सिफारिशों पर निर्णय ले लिया गया है। पचास सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, 6 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और 12 को स्वीकार नहीं किया गया है। रोजगार, पेंशन, आचार संहिता, कल्याण और पुनर्वास महानिदेशालय के पुनर्गठन से संबंधित अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। जिन 12 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है उनमें से 4 की देख-भाल विद्यमान योजनाओं और संस्थानों के माध्यम से की जाती है।

3. स्वीकार की गई या आंशिक रूप से स्वीकार की गई 56 सिफारिशों में से 35 सिफारिशें पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, 11 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों—दोनों से संबंधित है और 9 का संबंध केवल राज्यों से और एक स्वयं भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। जिन 20 सिफारिशों में राज्यों को भी कार्रवाई करनी है, उनके ईमानदारी और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन के लिए, सभी राज्य सरकारों को लिखा गया है और समय-समय पर स्मरण-पत्रों तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठकों के माध्यम से उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है।

4. स्वीकृत सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। यथावश्यक आदेश जारी करने के अलावा, कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों और एजेंसियों को वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में लिखा जाता रहता है। इसकी प्रगति का प्रबोधन और पुनरीक्षण आवधिक विवरणियों के माध्यम से किया जाता है और समीक्षा की जा रही है। चूंकि अधिकतर भूतपूर्व सैनिक उन्हीं राज्यों में बसते हैं जिनके वे मूल निवासी होते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र यदा-कदा ही होते हैं, इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कार्रवाई अधिक कारगर ढंग से करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकारों की ओर से सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाना, भूतिपूर्व सैनिकों की कई समस्याओं को सुलझाने में काफी हद तक सहायक सिद्ध होगा।

5. रक्षा सेनाओं से सेवामुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों की पहली आवश्यकता लाभकारी रोजगार प्राप्त करना है। केन्द्रीय सरकार और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों पर भर्ती में आरक्षण करने से प्रतिवर्ष लगभग 15,000 पद उपलब्ध होते हैं। राज्यों द्वारा इनके लिए किए गए आरक्षण से भी लगभग इतने ही पद उपलब्ध होते हैं। शेष को स्वःरोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए पुनर्वास नीति के उद्देश्य ये हैं :-

(क) कारगर प्रबोधन के जरिए आरक्षित रिक्तियों का पूरा उपयोग करना ;

(ख) कुशल कार्मिक बनाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिससे रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी या स्वःरोजगार में सहायता मिलेगी ; और

(ग) वित्तीय और अन्य सहायता से स्वःरोजगार के उद्यमों को प्रोत्साहन देना ।

6. भर्ती में आरक्षण और रोजगार केन्द्रों के माध्यम से प्रायोजित करने से प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से 25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है । चूंकि भूतपूर्व सैनिकों के पास उपलब्ध कौशल अपेक्षित कौशल के अनुरूप न होने से, उनका अपने घरों से अधिक दूरी पर सिविल पदों पर जाने के लिए तैयार न होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से लगभग 45 प्रतिशत आरक्षित पदों का ही उपयोग हो पाया इसलिए केन्द्रीय सरकार ने, पदों के अनारक्षण करने और उनको एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने से पहले, विशेष भर्ती पखवाड़ों, पदों की बहुत पहले सूचना देने, पुनर्वास महानिदेशालय से पुष्टि प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किए हैं । इन उपायों, जिनकी सिफारिश उच्च स्तरीय समिति ने भी की, के पूरा कार्यान्वित होने से आरक्षित रिक्तियों के उपयोग में सुधार आने की संभावना है । हमने राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के उपाय करने और एक समीक्षा और प्रबोधन प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है । इसके आगे निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को और अधिक बढ़ाने के लिए हमने वाणिज्य और उद्योग मण्डल (चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) के कई संघों से सहयोग देने के लिए अनुरोध किया है । इसके लिए हमें अनुकूल उत्तर मिल रहे हैं ।

7. भूतपूर्व सैनिकों की नियोजिता को सुधारने और उन्हें सिविल क्षेत्र में आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों में पूरे देश में बड़ी भारी संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इनमें तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेडों में सेवानिवृत्ति से पूर्व और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों प्रशिक्षण शामिल हैं । इस समय 400 पाठ्यक्रमों में 13,000 व्यक्तियों, जिसमें 1300 अफसर हैं, को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इससे उन्हें न केवल रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलने की संभावना है बल्कि स्वःरोजगार में भी सहायता मिलने की संभावना है ।

8. चूंकि सशस्त्र सेनाओं से प्रतिवर्ष लगभग पचास हजार व्यक्ति सेवानिवृत होते हैं, और उन सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करना संभव नहीं होता है, इसलिए सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को स्वःरोजगार उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है । औद्योगिक/वाणिज्यिक भू-खंण्डों (प्लाटों) शैडों और वितरण एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण/प्राथमिकता देने और बैंक ऋण पर ब्याज-सहायता तथा रक्षा मंत्रालय के लिए मदों की बिक्री पर कीमत-सहायता की योजनाओं के रूप में किए जा रहे अनेक उपायों के अतिरिक्त परिवहन, संचार और सुरक्षा सेवाओं में भी स्वःरोजगार के नए अवसरों की ओर ध्यान दिया जा रहा है । इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से 1987 में शुरू की गई "भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वःरोजगार" योजना (सेमफेक्स-1) है । इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग-धन्धों और परिवहन सेवाओं के लिए राज्य वित्त निगमों के माध्यम से मियादी ऋण और आधार पूंजी सहायता प्रदान की जाती है । अब तक 1768 व्यक्तियों को कुल 44 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं । वाणिज्यिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कृषि और इससे संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से 1988 में "भूतपूर्व

सैनिकों के लिए स्वःरोजगार योजना" (सेमफेक्स-II) नामक एक अन्य योजना आरंभ की गई। सेमफेक्स योजनाओं विशेषकर सेमफेक्स-I के लिए प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक है। बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सेमफेक्स-I के अधीन काफी अच्छे कार्य किए हैं। इस योजना को अन्य राज्यों में भी अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कारंवाई की जा रही है। इस योजना का प्रचार करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, अल्मोड़ा, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और बेंगलूर में गोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। इस योजना को और बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की राजधानियों में भी ऐसी ही और गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।

9. कई कल्याण उपायों के बारे में हम राज्य सरकारों को भी लिखते रहे हैं। सेना अस्पतालों और अनेक सहकारी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सहायता दी जा रही है। हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने हेतु सेना अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से और 1155 बिस्तरों की व्यवस्था करने की योजना तो बनाई ही है, हमने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और शैययाएं आरक्षित करके सिविल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाएं जिसके लिए पूंजीगत लागत का 50% व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। क्रमिक रूप से विद्यमान अधूरे मकानों का विस्तार करने और नए मकान बनाने तथा कृत्रिम-अंग केन्द्रों (आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर्स) का विस्तार करने की योजनाएं बनाई गई हैं। भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक कैंटीन स्टोरों से रिआयती कीमतों पर दैनिक उपयोग की अनेक मदें भी खरीद रहे हैं। अधिकतर राज्यों ने अपनी आवासीय योजनाओं में मकानों/मकानों के लिए भूखण्डों के आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था की है। हमने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन करके भूतपूर्व सैनिकों की कृषि भूमि और आवासीय भवनों का स्वामित्व वापस दिलाने के लिए शीघ्र कारंवाई करें। इसी उद्देश्य से हाल ही में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम का भी संशोधन किया गया है।

10. जहां भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं हमें समय-समय पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा उठाई जाने वाली मांगों की भी जानकारी है। वास्तव में, इनमें से अधिकतर मांगों का संबंध उच्च-स्तरीय समिति की उन सिफारिशों से है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार करना संभव नहीं है। "रैंक के अनुसार पेंशन" की मांग, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कोई भी हो, चतुर्थ वेतन आयोग ने विचार किया था लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को अतिरिक्त राहत देने की चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली थी। मौजूदा सभी पेंशनरों के लिए निशक्तता तत्व को भी व्यापक रूप में बढ़ाया गया। सरकार ने वर्गीकृत आधार पर निर्वाह खर्च में वृद्धि के लिए पेंशन पर राहत देने के लिए की गई सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है। सामाजिक सुरक्षा-उपाय के रूप में न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिमास कर दी गई है। "समान रैंक के लिए समान पेंशन" संबंधी मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

11. उठाई गई एक अन्य मांग सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुनिश्चित करने के बारे में है। इस संबंध में उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश यह थी कि सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्मिकों के लिए वैकल्पिक सिविलियन रोजगार की व्यवस्था करने की एक प्रणाली आरंभ करने के लिए विस्तृत रूप से जांच करके भारत

सरकार को उपयुक्त मानदण्ड बनाने चाहिएं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में एक समिति ने इसकी जांच की। प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् समिति ने ऐसा करना व्यवहार्य नहीं पाया। इसके बदले समिति ने यह सुझाव दिए—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अधिक से अधिक पदों को उन्हीं के द्वारा भरने के प्रयास किए जाएं और जो कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी तथा उपलब्ध पदों की सूचना एकत्र करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली बनाई जाए और भूतपूर्व सैनिकों के घरों के नजदीक पुनर्वास के लिए स्व:रोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन और सहायता देने पर बल दिया जाए। भूतपूर्व सैनिक वित्त निगम और भूतपूर्व सैनिक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के बारे में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इन प्रस्तावित निगमों से जो सहायता मिलने की संभावना है वह सहायता पहले से ही विद्यमान संस्थानों से मिल सकती है। उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से क्रमशः "सेमफेक्स-I" और "सेमफेक्स-II" नामक योजनाएं आरंभ की गई। आधार सूचना और आंकड़ें तैयार करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय में एक कम्प्यूटर स्थापित किया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को रोजगार दिलाने की योजना बनाने और उसमें सुधार करने में सहायता मिलेगी।

12. जिन तीन अन्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है वे राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास अधिनियम बनाने, भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास आयोग और एक संसदीय समिति के गठन के बारे में हैं। इन सिफारिशों की विस्तारपूर्वक जांच की गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्य-पालिका के अनुदेशों में यह लाभ है कि ये उदार होते हैं जबकि इनका प्रभाव वही होता है जो कानूनी अनुदेशों का तथा रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकती है और करती रही है तथा परामर्श दे रही है, इसलिए इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया।

13. मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगी। यह उन लोगों के प्रति एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भाग देश की रक्षा के लिए समर्पित किया है। लेकिन देश के सामने मौजूद विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमें इस दायित्व को पूरा करना है। इस प्रयास में हमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों के खुले दिल से सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन वास्तव में उन्हीं के द्वारा किया जाना है। हमारे राष्ट्रीय विकास में इन प्रशिक्षित और अनुशासित व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और सिविल जीवन में उनके पुनर्वास के संयुक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जो रचनात्मक सुझाव देंगे मैं उनका सहर्ष स्वागत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, चूंकि इस वर्ष हम लोग रक्षा मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा नहीं कर पायेंगे इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिन सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य मिला है उन्हें कुछ अधिक समय दिया जाए। अपनी बात शुरू करते हुए मैं दो बातों का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। डेढ़ दशक से भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जो कदम उठाए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है।

बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे भूतपूर्व सैनिकों की माली जिन्दगी में बहुत फायदा हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा भी इस संदर्भ में बहुत सहयोग दिया गया है। दूसरी बात यह है कि 1984 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में जो हाई लेवल कमेटी ओन प्राबल्म्स आफ एक्स-सर्विस मैन बनी थी, उसने रिकार्ड टाइम में अक्टूबर 84 में अपनी संस्तुति दे दी थी। इस कमेटी ने जो उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिए सारे भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, इस सदन की तरफ से, इस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों और भारत सरकार को इस बात के लिए कि भारत सरकार ने इसमें से अधिकांश सिफारिशों को माना है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वह सरकारी कर्मचारी है जो अनुपातिक रूप में कम उम्र में ही सेवा-निवृत्त होकर आता है। एक निश्चित जिन्दगी को वर्षों तक जीने का आदि रहता है। उसमें ताकत, शक्ति और अनुशासित रूप से काम करने की भावना होती है। यही कारण है कि जब वह सेना को छोड़कर रिटायर होकर आता है या रिटायर कर दिया जाता है तो उसके बाद भी उसके दिल में यह इच्छा रहती है कि उसे कहीं-न-कहीं री-एम्पलाय किया जाए और उसे कोई न कोई गेनफुल एम्पलायमेंट या कोई ऐसा काम मिले जिसमें वह अपनी ताकत को लगा सके। इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी कई बार इस प्रश्न को सदस्यों द्वारा उठाया गया है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा पे-कमीशन गठित किया गया तो फोर्थ पे-कमीशन की टर्म्स और रेफरेंस में संशोधन किया गया और उनको कहा गया कि आप भूतपूर्व सैनिको की पैन्शन पैरिटी और डिसएबिलिटी पैन्शन को इक्जामिन करें।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रक्षा मंत्रालय को कि उन्होंने जो डिसऐबिलिटी कैटेगिरी में जितनी भी सिफारिशें पे-कमिशन ने की थीं चाहे बार इंजुरी के केसेज में हो, चाहे डिसऐबिलिटी कैटेगरीज की हों उसमें भी सुधार करके जितना पे कमिशन ने सुझाव दिया उससे भी अधिक भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों को दिया। अगर आज जो भूतपूर्व सैनिकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है वही है वन रैंक वन पेंशन का। 19:3 के बाद जो लोग रिटायर्ड हुए उनको बहुत अधिक मिल रहा है पेंशन के रूप में और जो 1973 से पहले रिटायर्ड हो गये जिनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1965 की लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में भाग लिया आज उनको वह पेंशन नही मिल पा रही है जो उनके जूनियर्स को जो उनके बाद रिटायर्ड हुए हैं, 1973 में उनको मिल पा रही है। सवाल केवल पैसे का नहीं है उनका ईगो भी हर्ट करता है। वह समझते हैं कि भारत सरकार की जो हमारी सर्विस है वह प्रापर रिकगनीज नहीं हो पा रही है। भारत सरकार की दिक्कत को भी मैं समझता हूं। मेरा खयाल है यदि वन रैंक वन पेंशन का सिद्धांत मान लिया जाये तो 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा प्रतिवर्ष इसमें खर्चा आयेगा। निश्चित तौर पर ऐसी मांग सिवीलयन की साइड से भी उठेगी। लेकिन सिविलियन के साथ इनको जोड़ना किसी भी रूप में उचित नहीं हैं, यदि हम इनको सिविलियन साइड के साथ जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं उन सैनिकों को जो लोग सीमा पर अपनी जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, जो भारत माता के लिए सर्वोच्च त्याग हो सकता है उसको करते हैं, वह उनके साथ अन्याय होगा। हमें सैनिकों के मामले को अलग देखकर सोचना चाहिए सिविलियन साइड से। सिविलियन साइड में उसकी क्या रिपरकशन हो सकती हैं इसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत सरकार को इसमें बहुत दिक्कत महसूस हो, मैं ऐसे केसेज़ जानता हूं जिसमें आपके मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के मामले में एक्सग्रेसिया रिलीफ के रूप में पैसा दिया है। दो ऐसे आर्डर हैं जो एक कमेटी के बैठने के बाद हुए। क्या आप वन 'रैंक वन पैंशन की जो मांग' भूतपूर्व सेनिकों की है जो सारे सदन की मांग है, सारे देश की मांग है इसको स्वीकार करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है, तो फाइनेंशियल गैप है उसको एक्स-

प्रेमिया रिलीफ से भरने के विषय में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। पचास हजार सैनिक प्रतिवर्ष रिटायर हुए। इनमें से कितने लोगों को हम हर साल री-इम्प्लायमेंट कर रहे हैं मेहरबानी करके बताने की कृपा करें। जिनको हम री-इम्प्लाइ नहीं कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में नहीं ले पा रहे हैं उनमें से हमने कितने लोगों को सैल्फ इम्प्लायमेंट स्कीम के अन्तर्गत काम दिया है। सैल्फ इम्प्लायमेंट स्कीम जिसकी सैनफैस वन और सेकण्ड के रूप में कहा गया है इसकी वर्कशाप को देखने का मौका मुझे मिला, रक्षा मंत्री खुद अल्मोड़ा गये थे। इस तरीके के वर्कशाप में हम कामयाब रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, स्वयं रोजगार अपनाने की दिशा में। इस तरीके की और गोष्ठियां आप ब्लाक स्तर पर जिनमें डेंसिटी आफ एक्स-सोलजर्स ज्यादा है वहां करने के विषय में कुछ विचार करेंगे और साथ-साथ जो सनफैस वन और सेकेण्ड के बारे में जिन कमियों का उल्लेख भूतपूर्व सैनिकों ने किया है इस योजना को व्यावहारिकता के विषय में, उनको सुधारने के विषय में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? री-सैटलमेंट डायरेक्टोरेट के विषय में बहुत सारी शिकायतें भूतपूर्व सैनिकों को हैं। उन शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? राज्यों के और जिला सैनिक बोर्ड के सदस्यों के कार्यों के बारे में बहुत सन्देह है। मैंने देखा है कि जो आदमी जिला सैनिक बोर्ड में बैठा हुआ है वह बहुत भेदभाव करता है विशेष तौर पर भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक मदद देने के बारे में। यदि वहां पर बैठा हुआ आदमी जिम्मेदार है उसमें कमिटमेंट की भावना है तो भूतपूर्व सैनिकों को सारी सुविधायें दी जा सकती हैं। लेकिन अधिकांश जिला सैनिक बोर्ड ऐसे हैं जो ठीक तरीके से अपनी फंक्शनिंग प्रोपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें प्रोपर मैन-मैनेजमेंट नहीं है। इस सम्बन्ध में हाई पावर्ड कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किन-किन सदस्यों ने माना है। जिन राज्यों ने उन्हें नहीं माना है, वे राज्य भी उन सिफारिशों को मानें, इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 16 (4) के जरिये रिजर्वेशन की व्यवस्था है, मेरा निवेदन है कि आप एक अमैंडमैंट लाकर भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिजर्वेशन की क्लॉज इसमें और जोड़ दें। इससे न केवल गवर्नमेंट सर्विसेज में बल्कि पब्लिक सैक्टर में भी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों की एक मांग यह है कि री-सैटलमैंट कमीशन की नियुक्ति की जाये, इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में कोई न कोई निर्णय अवश्य लें।

आखीर में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप बनाने का विचार है जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रुल्स फारमूलेट करे इन रिगार्ड टू रिकग्नीशन ऑफ मिलिटरी सर्विस फार प्री-फिक्संशन एण्ड प्रोमोशन इन सिविल जौब्स। खास तौर से भूतपूर्व सैनिकों में जो वार वैटरन्स हैं, सैकेण्ड वर्ल्ड वार के, बर्मा सोल्जर्स हैं, जिन्होंने बर्मा आर्मी में काम किया, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके कल्याण के लिए, उन्हें विशेष आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है जिसे राष्ट्र किसी लड़ाई या छुट-पुट लड़ाई के पश्चात् हीरो महसूस करता है। उसकी यह कह कर स्तुति की जाती है कि उन्होने राष्ट्र की सेवा की है। जब वह युद्ध क्षेत्र से वापस आता है तो जय-जवान के नारे लगाये जाते है लेकिन जब युवा व्यक्ति का सेवाकाल समाप्त होने को आता है तब हमारे पास काफी बहाने हैं जिस चीज का उन्हें अधिकार है, उसे देने में हमारे पास अनेकों बाधायें हैं।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने काफी काम किया है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा दिलाने को तत्पर रहती थीं उस स्थिति पर यह हुआ था कि एक कैडर पुनरीक्षण किया गया और अनेक अफसर जो एक स्तर विशेष पर रुके हुये थे उनकी तरक्की शुरू हो गई, लेकिन उनका पुर्नवास संबंधी कार्य, एक कमेटी को सौंपा गया जिसकी अध्यक्षता उस समय के रक्षा राज्य मंत्री श्री के०पी० सिंह देव ने की। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि इन भूतपूर्व सैनिकों को हम आगे नागरिकों से ज्यादा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष राष्ट्र को समर्पित करके हमसे कहीं ज्यादा कुर्बानी करते हैं। यह युवा लोग उन परिवारों से आते हैं जो संपन्न नहीं हैं। संपन्न उद्योगपतियों के लड़के अब सेनाओं मे भर्ती नहीं होते हैं क्योंकि सेना में वह तड़क-भड़क नहीं है, पेंशन, सहूलियतें आदि नहीं हैं जो एक वक्त अंग्रेज दिया करते थे। यह एक अफसोसजनक पहलू है। मैं एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगा। भारत सरकार के कितने मंत्री, राष्ट्र के कितने उद्योगपतियों, संसद सदस्यों के लड़के सेना में हैं? यदि हम इसे देख सकें तो हम यह समझ पायेंगें की हम सेना के लिए क्या कर रहें हैं। इसका कोई कारण जरूर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश यह कारण मात्र वित्तीय दबावों का नहीं है। महोदय, मैं राष्ट्र के रूप में सदन से गुजारिश करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हू कि यदि राष्ट्र को कुछ कटौतियां भी करनी पडें और आम, नागरिकों को दी गई सहूलियतों में, उनकी जरूरतों में कुछ कमी भी करनी पड़े, तो भी हमें ऐसा करना चाहिए कि वह भूतपूर्व सैनिकों के हित में हो जिससे उन्हें एक सम्मानित पेंशन के साथ सेवा अवकाश दिया जायें।

वास्तव में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां मिल पाती हैं? आज जब एक जेट पाइलट जो करोड़ों रुपये का वायुयान उड़ाता है जब वह रिटायर होता है तो वह निराश युवा होता ह क्योंकि जिस तरह के रास्ते उनके लिये खुले हैं दुर्भाग्यवश वह बहुत थोड़े हैं। वायुसेना द्वारा पैसा देकर सेवानिवृत्त किए जाने को देखते हुए एकबार तो वायुसेना के कुछ बेहतरीन अफसरों ने एयर इंडिया और अन्य उड्डयन संस्थानों में नौकरियां स्वीकार कीं। इसका मतलब यह है कि पैसे की कमी के दबाव को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने बेहतर सुविधायें चाहीं लेकिन महोदय, हमें यह देखना है कि जो जवान डकोटा जो अब एक पुराना हवाई जहाज है, को उड़ाते थे, लेकिन भारतीय वायुसेना उन्हें उड़ा रही है। ऐसे कई वायुसेना के अफसर हैं जो ए.एन. 32 उड़ा रहें थे। मैं समझता हूं उनमें तीन 1968 में दुर्घटनाग्रस्त हो गये और फिर सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ा। मिग-21 की भी अनेकों दुर्घटनाएं हुई। लेकिन वह अनुशासित अफसर अपने वायु यानों में, एक बार वायुसेना अध्यक्ष द्वारा उनके परिवारों को लिखने के बाद, मात्र भूले हुये हीरो होकर रह गये।

मैं एक बार फिर आपके ध्यान में असमानताएं लाना चाहूंगा। एक मेजर जनरल जो 1953 में रिटायर हुआ उसको 800 रु० पेंशन मिलती है। जबकि 1979 में रिटायर होने वाले एक मेजर को 875 रुपये पेंशन मिलती है। अर्थात् 30 साल पहले सेवानिवृत्त हुए एक मेजर जनरल को उसके 10 साल बाद रिटायर हुये मेजर जनरल से कम मिलते हैं।

अब महोदय अगर आप पिछले वक्त को देखें मुझे विश्वास है यहां कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 1947 के मोर्चों का पता होगा। जब आगे के मोर्चों की स्थिति ऐसी थी कि वहां कोई सहूलियतें नहीं थीं। यह अग्रिम मोर्चे देखने लायक थे। लेकिन हमारे बहादुर जवान, हमारे बहादुर अफसर, हमारे बहादुर हवाबाज उन जगहों पर टिके रहे और उन्होंने हमारी अखंडता के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्यवश उन लोगों को उन व्यक्तियों से कम धन मिलता है जो आज रिटायर हुये हैं। जिनकी

जिंदगी सेनाओं के अग्रिम मोर्चों पर ज्यादा सहूलियत भरी थी । महोदय, एक व्यक्ति जो उन दिनों रिटायर हुआ है उसे आज रिटायर होने वाले व्यक्ति से कम क्यों मिलता है ।

1971 के बाद झड़पें हुईं लेकिन हमारे बहादुर अफसरों और जवानों के कारण समाप्त हो गई जिन्होंने आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित दुश्मन को एक सबक सिखाया । हमारे जवान और हमारे वायु सैनिक कहीं बेहतर हैं और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हैं। लेकिन क्या यही बात उन युवा व्यक्तियों के भविष्य के लिए रुकावट या नकारात्मक बात बन जायेगी ।

महोदय, हमने संसद में अपनी पेंशन, अपने पारिश्रमिक बढ़ाये हैं विधान सभाओं ने अपनी पेंशन बढ़ाई है । लेकिन एक सेवामुक्त अफसर की पेंशन की क्या स्थिति है । हम जब कानून बनायें तो वर्दी के प्रति किये गये इस गंभीर अन्याय को जरूर देखें । दुर्भाग्यवश मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि रक्षा मंत्रालय में वर्दी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है । रक्षा मंत्रालय जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के सारे उपाय करने होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करनी होती है, ऊपर से नीचे तक गैर सैनिकों द्वारा चलाया जा रहा है । इन बहादुर युवा लोगों की पुर्नस्थापना का कार्य न केवल हमें देखना है बल्कि वर्दी वालों को भी देखना है ? इसलिए मैं आपके जरिये अनुरोध करूंगा कि रक्षा मंत्रालय के उच्च पदों पर जैसे संयुक्त सचिव स्तर पर वहां एक अफसर थलसेना, नौसेना या वायुसेना का बारी-बारी से, दो या तीन साल के लिये नियुक्त होना चाहिए जो विशेष तौर से हमारी सेनाओं की शिकायतों को देखें । महोदय, यह अत्यधिक अनुशासित बल है । यह सवाल नहीं करते, यह हड़ताल में भाग नहीं लेते, और यह हल्ला नहीं मचाते । इसलिए यह हमारे जैसे सांसदों और सरकार के प्रमुख का दायित्व है कि वह इन शांत, अनुशासित लोगों की समस्याओं को देखें, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अपनी जान दे देते हैं ।

महोदय, मुझे गलत न समझा जाये कि मैंने केवल नकारात्मक पहलू ही लिया है । राज्यमंत्री ने कृपा करके हमें एक सार दिया । मैं बहुत प्रभावित हूं वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं । दुर्भाग्यवश, इस संक्षेप से पूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर हमें नहीं मिल सके । लेकिन उनको ज्यादा जरूरी और बड़ी बातों को देखना है । मैं उनको दोष नहीं दूंगा लेकिन संसद सदस्य के तौर पर मैं एक बार फिर रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसे मंत्रीमंडल के समक्ष लायें । जिसे क्षेत्र को उनके महान और प्रख्यात पिता ने प्रतिनिधित्व किया वह क्षेत्र अपने लोगों के एक बड़े हिस्से को रक्षा सेनाओं में भेजते हैं । और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पहलू को ज्यादा सहानुभूति के साथ देखेंगे ।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अप्रैल 1981 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भूतपूर्व वीर सैनिकों के प्रति देश के दायित्व पर लोकसभा में बल दिया था । उन्होंने कहा था :

> "भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना राष्ट्रीय दायित्व है । हमें इस मामले पर अनिवार्य रूप से कार्यवाही करनी चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को कहा गया है । ऐसी कोई वजह नहीं है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को विभिन्न विकास कार्यों में लाभदायक रूप में रोजगार न दिया जा सके ।"

महोदय, 1981 में इस बारे में आवश्यकता महसूस की गई और भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई। 10 मार्च 1984 को गठित इस समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया और अक्तूबर, 1984 में अपनी रिपोर्ट दे दी। दुर्भाग्य से, जैसा कि माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है, स्वीकृत सिफारिशों से बुनियादी तौर पर भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक रूप में अधिक लाभ नहीं मिला है। वास्तव में स्वीकृत हुई कुछ सिफारिशों के कारण तो भूतपूर्व सैनिकों के हित में रुकावट उत्पन्न हो रही है। मैं इस बारे में बाद में विस्तार से कहूंगा। मेरे लिए यह कहना अत्यधिक अनुचित होगा कि रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं किया है। वास्तव में, 1981 के बाद से भूतपूर्व सैनिकों पर देश का ध्यान तो सामान्य रूप में और रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और 1984 में इस उच्चस्तरीय समिति की इन सिफारिशों के प्रकाशित होने के बाद काफी कुछ किया जा चुका है।

लेकिन इस बारे में कार्यवाही बहुत धीमी हुई है और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज एक भूतपूर्व सैनिक क्या महसूस करता है इस बारे में मैं माननीय रक्षा मंत्री के ध्यान में एक दोहा लाना चाहूंगा।

> "लड़ाई के समय में भगवान और सैनिक की अत्यधिक पूजा होती है, इससे पहले नहीं होती है। जब लड़ाई समाप्त हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है तो भगवान को भुला दिया जाता है और सैनिक की उपेक्षा की जाती है।"

एक भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल इसी प्रकार महसूस करता है, चाहे यह ठीक है या गलत। इसी कारण मैं संक्षेप में और शीघ्रतापूर्वक यह बताना चाहूंगा कि इस उच्च स्तरीय समिति का कार्यान्वयन कैसे धीमा रहा है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, स्वीकृत हुई महत्वहीन सिफारिशें, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा सेवा-निवृत्ति प्रमाणपत्र में सुधार से संबंधित हैं और कुछ सिफारिशें ऐसे हैं जिनके बारे में केन्द्र सरकार ने राज्यों को केवल पत्र लिखे थे। इन पत्रों को प्राप्त करने वाले राज्यों ने इन्हें फाइलों में लगा दिया है और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि इस बारे में कोई वैधानिक अथवा कानूनी अनिवार्यता नहीं है। स्वीकृत हुई एक मुख्य सिफारिश यह थी कि सेवा-निवृत्त के बाद सरकारी नौकरी लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारम्भिक वेतन तय करने हेतु आदेशों को सरल और एक समान लागू किया जाए। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन भूतपूर्व सैनिकों का अपमान करना था। भिन्न नियमों के कारण भूतपूर्व सैनिकों को अपने प्रारम्भिक वेतन तय करवाने के लिए वर्षों तक इन्तजार करना पड़ा। इस सिफारिश के फलस्वरूप बनाए गए नए नियम इतने निम्न स्तरों पर निर्धारित किए गए कि वे उस अन्तरिम पुनः रोजगार के वेतन से भी कम थे जो कि इन असैनिक नौकरियों पर लगने वाले भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाते हैं। इस सिफारिश को लागू करते समय सरकार ने तो यहां तक आदेश कर दिए कि पिछले वर्षों के दौरान इन भूतपूर्व सैनिकों को जो कथित अधिक धनराशि दी गई है उसकी वसूली कर ली जाए। जब यह वसूली शुरू हुई तब अनेक भूतपूर्व सैनिकों ने, विशेष रूप से डाक और दूर संचार विभाग वालों ने अपने वेतनों में अत्यधिक कटौती करवा दी। सरकार और संबंधित मंत्रालय पर मेरे बार बार के अनुरोध से कोई असर नहीं पड़ा। अन्ततः ये भूतपूर्व सैनिक न्यायालय में गए और इन्होंने वसूली स्थगित करने के आदेश प्राप्त

किए। तब भी सरकार ने स्थगन का आदेशों का लाभ सभी भूतपूर्वसैनिकों को न देकर, उन्हीं को दिया जो न्यायालय में गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों को न्यायिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इन अनुशासित सैनिकों को यह विश्वास है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी लेकिन उनके पास न्यायालय में जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और यह अत्यंत महंगी प्रक्रिया है। जब भूतपूर्व सैनिक सेना में कार्यरत था तब उस द्वारा किराए पर दी गई कृषि भूमि, मकान और व्यावसायिक भूखंड पर उस द्वारा पुन: कब्जा करने के लिए केन्द्र सरकार ने रोजगार की रिक्तियों के आरक्षण, मकानों और आवास-स्थलों के आरक्षण, किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने जैसे अनेक मामलों पर राज्य सरकारों को लिखा था। इस संबंध में केन्द्र सरकार की इच्छा को कितने राज्यों ने कार्यान्वित अथवा उसका पालन किया है? क्या सरकार ने की गई कार्यवाही पर निगरानी रखी है? जहां तक मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी राज्य ने इन सिफारिशों को पूर्णतया लागू नहीं किया है।

मैं यह महसूस करता हूं कि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्यों पर किसी विधाई अनिवार्यता से सम्बद्ध किया जाए और माननीय रक्षा मंत्री राज्य सरकारों पर इसके अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं।

सरकार सदा यह कहती रही है कि वह भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को अच्छी तरह समझती है और मैंने सदा ही यह अनुरोध किया है कि सरकार अपनी सहानुभूति उन्हें आर्थिक सुविधाएं देकर दर्शाए। उच्च स्तरीय समिति की उन सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नही किया है जिनके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को कुछ वित्तीय लाभ अथवा उनके पुनर्वास में मदद देने के लिए कुछ धनराशि प्रदान की जानी। पुनर्वास अधिनियम बनाने और सिफारिशों का कार्यान्वयन देखने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने को भी स्वीकार नहीं किया गया है।

इन दोनों सिफारिशों से सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को कारगर रूप से लागु करने में निगरानी करने में सरकार को मदद मिलती। चूंकि सरकार इन सिफारिशों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने व निगरानी करने में असफल रही है तो यह कार्य एक संसदीय समिति को क्यों नहीं सौंप दिया जाता? इससे निश्चित रूप में मंत्रालय को अपना कार्य गैर-सरकारी आधार पर करने में मदद मिलेगी। यदि सरकार इन लोभों को कार्यान्वित करने के बारे में गंभीर है तो सरकार स्वयं के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती कि स्वीकृत सिफारिशों का समयबद्ध कार्यन्वयन हो सके।

सरकार ने यह भी कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए योजना परिव्यय के माध्यम से यह राष्ट्रीय भूतपूर्व वित्त निगम की स्थापना पर कार्यवाही करेगी। यह सच है कि एम.ई.एम. एम.एफ.ई. एक्स. I और एस-ई-एम.एफ.ई.एक्स. II नामक दो योजनाएं शुरू की गई हैं और इनके लिए मैं बहुत अच्छे कार्यान्वयन के लिए रक्षा मंत्रालय को अत्यधिक हार्दिक एवं पूर्ण रूप से बधाई देना चाहूंगा, हालांकि कुछ अन्य राज्यों में इनका कार्यान्वयन बहुत धीमा रहा है। इनके लिए वित्त व्यवस्था राज्य वित्त निगम के माध्यम से की जानी है। राज्य वित निगम इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने में बहुत धीमे हैं और काफी आवेदन आज भी लम्बित पड़े हैं। ऋण मंजूर होने के बावजूद इनकी धनराशि वितरित नहीं की गई है। मैं ऐसे अनेक मामले जानता हूं जिनमें ऋण मंजूर हो चुका है, भवन बन गया है, मशीनें स्थापित हो गई हैं, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को इन योजनाओं के तहत कार्यवाहक पूंजी नहीं दी गई है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि

वह अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए एस.ई.एम.एफ.ई. एक्स I तथा एम. ई. एम.एस. ई. एक्स II पर उचित रूप से कार्यान्वियन न कर रही राज्य सरकारों को बाध्य करें ।

350 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार का कहना है कि मौजूदा योजनाओं के माध्यम से इस पर ध्यान दिया जाएगा। केन्द्र स्तर पर 170 करोड़ रुपये का आवंटन है और राज्य स्तर पर 180 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है लेकिन वास्तव में इसमें से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे बताया गया है कि इस समय यह धनराशि एस० ई० एम० एफ० ई० एक्स-I के लिए 1 करोड़ रुपये है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था है । अब, उस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये से क्या हो सकता है जिसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है ? उन प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है जिनसे भूतपूर्व सैनिकों को यथार्थ राहत मिलती :

(क) मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेना के कार्मिकों को कम उम्र में क्यों सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तथा उन्हें 58 वर्ष तक रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है ? इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता है ?

(ख) सरकार ने समूह 'क' और 'ख' पदों पर उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिये सिफारिश 15.7 को मान लिया है ।

प्रधान मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि समूह 'क' और 'ख' के 15 प्रतिशत पदों को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरा जाए । भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का पता लगाने के लिए सचिवीय समिति बनायी गयी थी। चार वर्षों के बाद भी प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार एक भी भूतपूर्व सैनिक को भर्ती नहीं किया गया है। क्या उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश का ढिलाई से कार्यान्वयन नहीं किया गया है ?

अब मैं भूतपूर्व सैनिकों के ज्वलंत प्रश्न अर्थात् एक रैंक एक पेंशन का उल्लेख करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा सम्पूर्ण राष्ट्र इस समस्या से परिचित है । जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सेवानिवृत्ति के आधार पर रक्षा कर्मियों की पांच पेंशन दरें हैं। आज सेवानिवृत्ति होने वाले एक वरिष्ठ जे०सी०ओ० को 1977 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्नल से अधिक पेंशन मिलती है। जब मैं अपनी वस्तुयें खरीदने जाता हूं तो दुकानदार अपने मूल्य निर्धारित करने के लिए मेरी सेवानिवृत्ति की तिथि नहीं पूछता है। यदि सरकार एक रैंक एक पेंशन वाली बात नहीं मान सकती तो मेरा रक्षा मंत्रालय से निवेदन है कि विभिन्न रक्षा कर्मियों को मिलने वाली विभिन्न श्रेणी की पेंशनों के आधार पर निर्धारित मूल्यों की उचित दर की दुकानें खोलने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करें ।

सशस्त्र सेना कर्मियों को पेंशन अन्तिम वेतन के आधार पर न देकर रैंक के आधार पर दी जाती है। इस प्रकार एक मेजर को उसके वेतन को ध्यान में न रखते हुए आवश्यक न्यूनतम सेवा काल में पेंशन के रूप में एक निश्चित धनराशि मिल जाती है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि 1979 में सेवानिवृत्त मेजर को इसके पश्चात अथवा आज सेवानिवृत्त मेजर के समान ही अच्छा या बुरा जीवन निर्वाह करना होगा ।

हाल के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च-न्यायालयों और उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीशों को समान पेंशन दी है चाहे वे उच्च-न्यायालय अथवा उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस प्रकार आज कुछ न्यायाधीशों को उनके अन्तिम वेतन से अधिक पेंशन मिलती है। यद्यपि निर्णय में कहा गया कि इसे पूर्वोउदाहरण के रूप में न माना जाए परन्तु मेरे विचार से आंकड़ों की दृष्टि से यह एक उदाहरण है और प्राकृतिक न्याय के वितरण का नया उदाहरण है।

'एक रेंक की एक पेंशन' के कार्यान्वन में वित्तीय प्रभाव के अनेक आंकड़े दिये गये हैं। सरकार को डराने के लिए इन आकड़ो में गड़बड़ी की गयी है ताकि वह उस सिफारिश को स्वीकार न करे जो देश के 54 लाख से अधिक और प्रत्येक वर्ष बाद 60,000 भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांग है।

मैं विनम्रता पूर्वक माननीय रक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं कि यदि 'समान रैंक की समान पेंशन' के लाभ को कार्यान्वित किया जायेगा तो सेना, नौ सेना और वायु सेना के कर्मियों पर सरकार को 150 करोड़ रुपये से अधिक वहन नहीं करने पड़ेंगे। यह 150 करोड़ रुपये की धनराशि धीरे-धीरे कम हो जायेगी क्योंकि अधिकतर लाभान्वित लोग वे हैं। जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जो वृद्ध हैं तथा समय गुजरने के साथ-साथ लाभान्वितों की संख्या कम हो जायेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय राजस्व पर दबाव धीरे-धीरे कम हो जायेगा और यदि 1-1-1986 से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों की मृत्यु हो गयी हैं तो दबाव शून्य होगा।

मुख्य समस्या यह है कि आज समान रैंक की समान पेंशन के आधार पर असन्तोष फैल रहा है। मैं मंत्री महादय को सुझाव देना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय और रक्षा लेखा के अधिकारियों के साथ हमारी 'समान रैंक की समान पेंशन' की मांग पर गम्भीरता से विचार विमर्श करें क्योंकि आज 1984 की उच्चस्तरीय समिति की 68 सिफारिशों में से यदि 'समान रैंक की समान पेंशन' की सिफारिश को मान लिया जायेगा तो अन्य सिफारिशें भुलायी जा सकती हैं तथा उनके लिए इतना दबाव नहीं डाला जायेगा जितना इस लंबित सिफारिश के लिए डाला जा रहा है। जहां तक पुर्नवास का सन्बन्ध है, 1980 से लेकर 1989 तक सरकार ने ऐसा कार्य किया है जो विश्व के किसी देश में नहीं हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है तथा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस मांग को स्वीकार करके सरकार को सम्मान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय चिंता अधिक है।

श्री चिंतामणि प्राणिग्रही : मैं माननीय सदस्यों, श्री अजय मुशरान, श्री हरीश रावत और श्री सी० पी० एन० सिंह का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए बताया कि विगत वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने, कल्याणकारी सुविधायें देने और उचित पुर्नवास के लिए हमने तथा सरकार ने क्या किया हैं। हम अपने माननीय सदस्यो की भावनाओं को समझते हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भूतपूर्व सैनिकों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हूं तथा जब भी कोई कठिनाई होती है तो वे हमारे माननीय रक्षा मंत्री से मिलते हैं। माननीय सदस्यों को भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नवास कार्यक्रम में बड़ी रूचि है क्योंकि वे हमेशा हमें उनकी कठिनाइयां बताते हैं और हम उनकी सहायता करते हैं।

मुझे इसकी भी खुशी है कि भूतपूर्व सैनिक भी हमारे माननीय सदस्यों के सेवा कार्य के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाते हैं।

मैं एक या दो मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा जो अभी हमारे साथियों ने कही हैं। श्री हरीश रावत ने पेंशन की इस समस्या के बारे में उल्लेख किया है।

महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से भी अधिक सहायता की है।

उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया तथा पेंशन भोगियों के पेंशन ढांचे को ध्यान में रखते हुए पहली बार वेतन आयोग से भूतपूर्व पेंशन भोगियों के बारे में सिफारिश करने के लिये कहा गया।

चौथे वित्त आयोग की शिफारिशों को मान लिया गया है और जैसा कि रावत ने कहा है कि कुछ मामलों में संशोधन किया गया है। उदाहरणार्थ शत प्रतिशत निशक्तता में संशोधन किया गया है। चौथे आयोग ने वेतन अधिकारियों और अवैतनिक कमाडिंग ऑफिसरों को निशक्तता तत्व 600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने 750 रुपये प्रतिमाह की मंजूरी दी है। कनिष्ठ कमाडिंग ऑफिसरों के लिए वेतन आयोग ने 450 रुपये प्रतिमाह करने की शिफारिश की थी परन्तु सरकार ने 550 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृत दी है। अन्य रैंक के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग ने 450 रुपये की सिफारिश की थी और हमने भी 450 रुपये प्रतिमाह मंजूर किए हैं। हमने युद्ध में घायल पेंशन भोगियों की सुविधाओं में भी वृद्धि की है शतप्रतिशत निशक्तता की धनराशि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी है गयी।

न्यूनतम पेंशन के रूप में प्रतिमाह 300 रुपये की सिफारिश की गई थी जिसे बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। निशक्तता पेंशन के न्यूनतम सेवा तत्व को बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिमाह करने के लिए पेंशन के निशक्तता तत्व तथा अनुगृहीत राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

सरकार ने जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने पर कुछ अवधि बाद राहत देने से संबंधित सिफारिशों को भी मान लिया है और 1-1-1986 को जोड़ी गई पेंशन के आधार पर कुछ अवधि बाद राहत दी गई है।

अब मैं एक रैंक के लिए एक पेंशन का उल्लेख करता हूं। मेरे मित्र श्री अजय मुशरान एक भूतपूर्व सैनिक हैं और वह इन मामलों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया है। लेकिन अब रक्षा विभाग के पेंशन लेने वालों के लिए 1989-90 की पेंशन के लिए कुल बजट प्रावधान लगभग 1350 करोड़ रुपये है इसमें सिर्फ पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपये होंगे, एक बार अदायगी होने वाली उपादान राशि और पेंशन की संगणित राशि इसमें सम्मिलित नहीं हैं। (व्यवधान)... ।

श्री अजय मुशरान : महोदय, व्यय बजट के खण्ड I में 1350 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है, इसमें कहा गया है : 1350 करोड़ रुपये की धनराशि में रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति के लाभ तथा अन्य असैनिक विभाग, रेलवे इत्यादि सम्मिलित है। व्यय बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन की 1350 करोड़ रुपये की धनराशि का

वितरण इस प्रकार है : थलसेना के लिए 1279.06 करोड़ रुपये, नौ सेना के लिए 19.03 करोड़ और वायु सेना के लिए 50.90 करोड़ रुपये। इसमें इन सेवाओं में कार्यरत असैनिक भी सम्मिलित हैं। हम यहा पर पूर्ण रूप से भूतपूर्व सैनिकों की ही चर्चा कर रहे हैं। हम यहां पर इस बजट में रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध रक्षा पेंशन व्यय बजट खण्ड II के पृष्ठ संख्या 37 पर दिये गए असैनिक कर्मचारियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें इसके बाद एक स्पष्टीकरण टिप्पणी दी गई है। इसमें कहा गया है :

> "इस भाग के अन्तर्गत सेवानिवृत रक्षा कर्मचारियों से संबंधित पेंशन के खर्चों का प्रावधान है। इसमें अनुवृति, युद्ध के दौरान घायल होने पर वेतन निशक्तता पेंशन आदि आकस्मिक पुरस्कार तथा वीरता पुरस्कारों की अदायगी सम्मिलित है ·· ।

जब हम 'समान रैंक की समान पेंशन, की बात करते हैं तो हम केवल सामान्य पेंशन की ही बात करते हैं, यह लोगों को 80.40 के अनुपात में दी जाती है। चौथे वेतन आयोग से पूर्व यह अनुपात 80.30 था। वेतन आयोग ने इस अनुपात को सुधार कर 80.40 कर दिया। मौजूदा विषमता 1977, 1979, 1982, 1985 तथा दिसम्बर 1985 में हुई इन पांच वेतन वृद्धियों के फलस्वरूप है।

1.00 म प.

इसलिए इस अनुपात को 80:40 के रूप में स्वीकारा गया है। लेकिन इस 1350 करोड़ रुपये की धनराशि में व्यय बजट खण्ड एक तथा दो की इन स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अनुसार धनराशि का काफी भाग असैनिकों के लिए भी है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जैसा कि मैं कह रहा था, सरकार, हमारे मित्र तथा देश भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा पुनर्वास को सबसे अधिक सम्मान दे रहे हैं। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए हमें जो भी प्रयास करना है हम पूर्ण रूप से ये प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने यह उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। श्री अजय मुशरान ने इन्दिरा जी का वक्तव्य पढ़ा। इससे यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार तथा हमारा नेतृत्व यह सुनिश्चित करने का कितना इच्छुक है कि भूतपूर्व सैनिकों का उचित रूप से पुनर्वास हो और उन्हें सभी सुविधाएं मिलें। इसलिए जैसे इन्दिरा जी ने कहा था, हम इसे एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में लेते हैं।

जहां तक एक रैंक की एक पेंशन का मामला है, इस बारे में न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। इसलिए हमें देखना है कि न्यायालय क्या निर्णय देता है। हम इस पर विस्तार पूर्वक नहीं बोल सकते क्योंकि यह अदालत के विचाराधीन मामला है।

यह सही है कि इस 1350 करोड़ रुपये की धनराशि में रक्षा में लगे असैनिक भी सम्मिलित है। लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, संभवत: 2 लाख के आसपास है जबकि रक्षा सेनाओं के पेंशन प्राप्तकर्ता लगभग 12 लाख हैं। कुछ रैंकों की पेंशन में विषमता के बारे में, अलग अलग समय पर सेवानिवृत हो रहे एक ही रैंक के व्यक्तियों की पेंशन में विषमता सदा ही रही है और शायद सदा ही रहेगी।

श्री अजय मुशरान : इस देश में गरीबी हमेशा से ही मौजूद रही है और आप इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पेंशन प्राप्तकर्ताओं के मामले में भी ऐसा ही करना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह अलग मामला है। हमने न्यूनतम पेंशन 375 रुपये निर्धारित की है जबकि चौथे वेतन आयोग ने 300 रुपये प्रतिमाह की सिफारिश की थी। इस वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग समय पर सेवा-निवृत हुए अनेक लोगों को 1-1-86 से यही पेंशन दी गई। चूंकि मामला अदालत के पास है इसलिए देखते हैं कि क्या निर्णय होता है।

श्री अजय मुशरान : हमारे उच्च न्यायालय तो आप और पन्त जी हैं।

श्री चिन्ता पाणिग्रही : जैसा कि श्री रावत जी ने बताया है प्रतिवर्ष 50,000 व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होते हैं और भूतपूर्व सैनिक कहलाते हैं। सामान्य स्थिति यह है कि रक्षा सेनाएं छोड़ते समय लगभग 20 से 25 प्रतिशत व्यक्ति यह कहते हैं कि उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है। फिर इनमें कुशल व्यक्तियों की श्रेणी है जो स्वयं ही नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं. उन्हें सरकार से किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी दिए जाने के बावजूद अपने घर से बहुत दूर जाने के इच्छुक नहीं होते हैं। इन तीन मानदंडों को ध्यान में रख कर हम देखते हैं कि लगभग 20,000 से 25,000 भूतपूर्व सैनिकों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जा रहा है। यह अच्छी उपलब्धि है। हमें इस बारे में निराश होने की जरूरत नहीं है। लगभग बीस हजार से पच्चीस हजार भूतपूर्व सैनिकों को प्रति वर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रति वर्ष सेवानिवृत होने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 50,000 हैं और इनमें से लगभग पचास प्रतिशत को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रतिशत काफी अच्छी है··· (व्यवधान)। इसलिए जो कुछ अजय मुशरान जी ने कहा है उस पर तो राज्यों को कार्यवाही करनी है। हम उन्हें पहले ही निदेश दे चुके हैं। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय सदा ही राज्य सरकारों को यह लिखते रहे हैं कि रोजगार में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा आरक्षित किया गया है उसे वे अवश्य ही कार्यान्वित करें·······(व्यवधान)।

श्री अजय मुशरान : केवल लिखना पर्याप्त नहीं है। गृह मंत्रालय के धीमे कार्यान्वयन के कारण हमें सीमा सुरक्षा बल में 1,200 रिक्तियां खोनी पड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने इस मामले से सम्बद्ध गृह राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय को भी सूचित किया था। वे कहते हैं कि सीमा सुरक्षा बल में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति को सेना छोड़ने के दो वर्षों के भीतर इसमें शामिल हो जाना चाहिए···· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुशरान उन्हें उत्तर देने दें। मैं पहले ही आपको इतने ज्यादा प्रश्न पूछने की अनुमति देकर काफी छूट दे चुका हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मुझे खुशी है कि श्री अजय मुशरान यह सब बातें जानते है और संभवतः इस जानकारी के जोश में वह कभी कभी विषय से थोड़ा बाहर चले जाते हैं।

श्री अजय मुशरान : महोदय, चार वर्षों के बाद भूतपूर्व सैनिकों की तकलीफों पर चर्चा हो रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, वह अवश्य ही जानते होंगे कि अभी कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अब यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यह कार्य किया जाए। मान लीजिए ये 1,200 पद दे दिए जाते हैं तो हम इन रिक्तियों को भरेंगे·······(व्यवधान)।

श्री अजय मुशरान : धीमे कार्यान्वयन के कारण ये पद समाप्त हो गए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, हम इसी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हरीश रावत कह रहे थे कि सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक बोर्ड उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक समिति थी और हमने राज्य सरकारों को भेजे निदेशों में अनुरोध किया है कि इन सैनिक बोर्डों तथा जिला सैनिक बोर्डों को सक्रीय किया जाए। इसलिए यह सब राज्यों को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम प्रतिवर्ष लगभग तेरह हजार व्यक्तियों को व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार प्रारम्भ करने में मदद मिलती है। डेढ़ वर्ष की अल्पावधि में स्वरोजगार योजना संख्या 1 के अन्तर्गत 1 700 व्यक्तियों से अधिक को लगभग 44 करोड़ रुपये के ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। इन सभी प्रमुख उपायों से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में काफी मदद मिलेगी। फिर स्वरोजगार योजना संख्या 2 है, यह भी सेवा निवृत हो रहे व्यक्तियों की मदद के लिए है। यह योजना भी अब अधिक सक्रीय हो रही है और हमें आशा है कि मंत्रालय, जिला सैनिक बोर्ड तथा पुनर्वास महानिदेशक द्वारा और अधिक रुचि दर्शाने से······ (व्यवधान)।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री क्या आप एक मिनट का समय देंगे ?

[हिन्दी]

जब आप इतना कर रहें हैं और हम लोगों की शिकायत है कि इम्पलीमेंटेशन प्रोपरली नहीं हो रहा है, तो एक पार्लियामेंटरी कमेटी बना दी जाए, जो सारे इम्पलीमेंटेशन आदि को सुपरवाइज करें।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं समझता हूं कि संसदीय कमेटी से कार्यकारिणी का आदेश ज्यादा वैधानिक है ·····(व्यवधान) यह अनेक सिफारिशों में से एक है। कुल 68 सिफारिशों में से हमने 56 सिफारिशें स्वीकार की हैं। जैसे कि आपने इंगित किया है कि 20 सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं। हम राज्य सरकारों से मालूम कर रहे हैं कि यह 20 सिफारिशें जिन्हें हमने स्वीकार किया है स्वीकार क्यों न की जायें, इस तरह जो भी सिफारिशें हमने स्वीकार की हैं हम उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहें हैं।

प्रशिक्षण के बारे में पहले ही कह चुका हूं। सहायता के विषय में मैंने स्वरोजगार योजना न० 1 और 2 के बारे में बता दिया है। यह सब चीज सही तरह से प्रगति पर है···(व्यवधान)।

श्री अजय मुशरान :—उनकी प्रगति सही तरह से नहीं हो रही है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप बोलते रहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि किसी व्यक्ति को स्वरोजगार योजना न० 1 का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप हमें बता सकते हैं और हम उसे देखेंगें।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं इसे मुख्य मंत्री तक के ध्यान में लाया हूं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : आप हमें भी लिख सकते हैं। महोदय, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत करीब 44 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं और इससे 1768 लोगों को लाभ मिला है। महोदय, जहां तक संसदीय समिति का प्रश्न है मैं कह चुका हूं कि किसी पेंशन भोगी पर

इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना की भूतपूर्व सैनिकों पर दिया जा रहा है। इतने सारे सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं और इन सभी बोर्ड मीटिंगों में यह सब बातों पर विचार-विमर्श और समीक्षा की जाती है। श्री मुशरान और श्री हरीश रावत ने इस बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन में इन बातों पर चर्चा की जाती है और आपके प्रयासों के कारण ही संसद में इन बातों पर दो-तीन घंटे विचार विमर्श किया जाता है। इस तरह संसदीय समिति इसके लिए ज्यादा अच्छा मंच नहीं होगी क्योंकि हमारे मित्र इस पर यहां सदन में चर्चा कर रहें हैं। आपके द्वारा भेजे गये पत्रों का रक्षा मंत्री उत्तर भेज रहे हैं। जब कभी आप रक्षा मंत्री को पत्र लिखते हैं, जब कभी आप भूतपूर्व सैनिकों को लाते हैं वह मुझसे और रक्षा मंत्री से मिलते हैं। इस तरह हमारा उनसे सीधा संपर्क बना रहता है और हम उन्हें सुनते हैं।

श्री अजय मुशरान : रक्षा मंत्री एक मिनट के नोटिस पर ही हमसे मिलने को तैयार हैं। इस तरह रक्षा मंत्री से मिलना कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री इन योजनाओं को लागू नहीं कर रहें है, आप उनके बारे में क्या करेंगे ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे आशा है कि यह संसदीय समिति की बजाय ज्यादा बेहतर सेवा दे रही है।

श्री अजय मुशरान : आप मुख्यमंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलाते ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक के लिए उन्हें आने दीजिए……(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यह विचारों के आदान-प्रदान करने का तरीका नही है।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जहां तक प्रशिक्षण का सबंध है, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1985-86 में हमने 24.61 लाख रुपये का खर्च प्रशिक्षण देने पर किया था और कुल जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी संख्या 7812 थी। वर्ष 1986-87 में हमने 8921 भूतपूर्व सेनिकों को प्रशिक्षण दिया, 1987-88 में हमने 10,045 भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और 1988-89 में 13,688 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया। सैनिक बोर्डों के कार्यकरण के संबंध में हमने राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिये हैं कि वह मामलों को जल्दी निपटायें और वह यह देखें कि वह सुचारू रूप से कार्य करें। महोदय, जो कुछ हो सकता है सरकार उस तरफ पूर्ण ध्यान दे रही है और हम हमेशा माननीय सदस्यों से संपर्क बनाये हुये हैं और जब कभी कोई परेशानी होती है भूतपूर्व सैनिक हमारे पास आते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं। यदि वह बैंकों के साथ कोई परेशानी महसूस करते हैं तो हम बैंकों से संपर्क करते हैं या उनको लिखकर परेशानी दूर करने में मदद करते हैं। इसलिए जहां तक संभव है हम उन्हें मदद करते हैं। लेकिन यदि इसके बावजूद यदि कोई परेशानी आती है क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिकों के संपर्क में रहते हैं आप हमारी मदद कीजिए, हमें रास्ता दिखाईये और अपने सुझाव दीजिए, और सरकार पूर्ण रूप से जागरूक हैं कि उनका पुनर्वास किया जा सके क्योंकि वह हमारे अंग हैं। उनकी वीरतापूर्ण सेवा के लिए हमें उन पर गर्व है उनकी सेवाओं को रुपयों में नहीं आंका जा सकता। इसलिए हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं और जहां तक जितना संभव हो सके, हम उन्हें बेहतर मदद देने की कोशिश करेंगे।

1.15 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कमला-बलान बागमती और अन्य नदियों पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : मेरे संसदीय क्षेत्र का कुछ प्रखण्ड टापू बना हुआ रहता है। यहां विभिन्न नदियों कमला बलान, बागमती, कासी, गडक, भूतही बलान इत्यादि हैं। फलत: बाढ़ के समय में रसियारी पंचायत के साथ-साथ करीब सैंकड़ों पंचायत की जनता टापू के समान बाढ़ के जल से घिरे रहते हैं। बाढ़ के समय नदियों को पार कर कहीं उच्च स्थान में भागना जनता के लिए कष्टप्रद हो जाता है जिससे करोड़ों की जानमाल की क्षति होती है। अभी तक न तो केन्द्र सरकार ने न राज्य सरकार ने उनके बचाव के लिए कोई व्यवस्था की है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए रसियारी गांव के निकट कमला बलान पर पुल, बागमती नदी पर लरझा घाट पुल, राजघाट पुल, कोल्हुआ घाट पुल, बरियाही घाट पुल तथा हथौड़ी घाट पुल का निर्माण अविलम्ब कर इस अंचल की लाखों जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करें। इन पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को केन्द्र वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(दो) सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में स्थानीय लोगों की भर्ती संबंधी नीति का कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : यह अब भारत सरकार की घोषित नीति है कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदन कर्ताओं पर क्षेत्रीय भाषा की आवश्यक जानकारी की पूर्व शर्त निर्धारित की है।

इस नीति के बावजूद हाल ही में 16 मार्च 1989 के एक परिपत्र में बम्बई डॉक लेबर बोर्ड जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (श्रम विभाग) ने डिप्टी चैयरमैन के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन मांगते समय मराठी भाषा की पूर्व निर्धारित शर्त नहीं रखा है जबकि मद्रास डाक यार्ड द्वारा उसी तरह के पद के लिए तमिल की जानकारी आवश्यक है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों की भर्ती की नीति को लागू करते समय एक सी प्रक्रिया अपनाई जाये।

(तीन) कानपुर की पेयजल समस्या को दूर किए जाने हेतु गंगा नदी पर द्वारबाला बराज परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : कानपुर महानगर में गंगा नदी की धारा को कानपुर की ओर घाटों पर लाने तथा वहां कि पेयजल की समस्या के स्थाई निदान के लिए कानपुर में गंगा बैराज बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में मैं इस सदन में तथा अन्य माध्यमों से सरकार का ध्यान

निरन्तर आकृष्ट करता रहा हूं। उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जनवरी, 1988 में पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कानपुर में द्वारवाला बैराज बनाये जाने की संस्तुति की है। परन्तु आश्चर्य है कि इस विषय पर एक प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया है कि केन्द्र में अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुइ है। इस मामले मे किसी भी तरह का विलम्ब समस्या को दिन-प्रतिदिन जटिल और उग्र बना रहा है, जिसका दुष्प्रभाव कानपुर की लाखों जनता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना पर राज्य सरकार के सहयोग से अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करें ताकि विचाराधीन गंगा बैराज का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो सके और वहां की जनता की लम्बी समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हो सके।

(चार) हिंगोली (महाराष्ट्र) में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर टेलिविजन केन्द्रों को खोलकर टी० वी० प्रसारण को पूरे राष्ट्र में फैलाने के क्रेश कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

हिंगोली महाराष्ट्र के पिछड़े हुए मराठवाड़ा क्षेत्र का उपमंडलीय मुख्यालय है। इसकी जनसंख्या 50,000 से उपर है। यह एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केन्द्र है जो कालानूरी के अतिरिक्त जो कि ताल्लुका मुख्यालय है और 17 किलोमीटर की दूरी पर है अनेक गांवों से घिरा हुआ है हिंगोली शहर को कृपाकर टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। यह किसानों वालों, छात्रों और इस क्षेत्र की एक लाख से अधिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

(पांच) नासिक, पुणे और सिंधु दुर्ग में प्याज, अंगूर और आमों के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महाराष्ट्र समूचे राष्ट्र में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। लेकिन राज्य में कोई अंगूर अनुसंधान केन्द्र नहीं है। इसी तरह राष्ट्र के प्याज का के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत महाराष्ट्र पैदा करता है। महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा कृषि उत्पादन आम है। महाराष्ट्र के आमों की कुछ किस्में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रसिद्ध हैं। हापुस, केसरी और राजापुरी आम न केवल देश में अपितु समूचे विश्व में प्रसिद्ध है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान है कि आम, अंगूर और प्याज के लिए महाराष्ट्र में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाये। लेकिन इड़ अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। भारत सरकार की तरफ से इसे तरफ से कोई ऐसा इशारा भी नहीं है कि इस तरह का कोई अनुसंधान केन्द्र भविष्य में स्थापित किया जायेगा। कुछ दिनों पहले एक समाचार रिपोर्ट थी, जिसमें मुख्य फसलों के क्षेत्र में अनुसंधान की कमी पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन फसलों में से प्रत्येक के लिए तीन अनुसंधान केन्द्र महाराष्ट्र में स्थापित किये जायें। मैं निवेदन करूंगा कि प्याज के अनुसंधान केन्द्र नासिक में, अंगूर के लिए पुणें में, और आमों के लिए कोंकण क्षेत्र में विशेषकर सिंधु दुर्ग में जो क्रमशः इन फसलों के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं और जहां भूमि भी उपलब्ध है स्थापित किये जायें।

(छः) बंगाल पाटरीज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, भारत सरकार के अधीन बंगाल पाटरीज के श्रमिक कलकत्ता से आये हुए हैं और बोट क्लब मैदान में आए हुए हैं। तेरह सालों से सरकार के अधीन रहने के पश्चात् इस कम्पनी के श्रमिकों का भाग्य अनिश्चित है। टाटा इकनामिक कन्सलटेंसी सर्विसेज की कम्पनी को फिर से शुरू करने की अनुकूल रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने 1 नवम्बर, 1987 से इस यूनिट को अनअधिसूचित करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि श्रमिक संगठनों ने न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश ले लिया है। उद्योग मंत्री से अपील की गई है कि शीघ्रता से कदम उठाकर इस कंपनी को फिर से अधिसूचित करें और उत्पादन शुरू करने और कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाएं।

(सात) **ईद-उल-फितर 7 मई, 1989 को होने के कारण उस दिन के लिए निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने की आवश्यकता**

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय रोजगार सूचना सं० 2/87-88, 1/88-89, मद्रास के अनुसार रेलवे भर्ती परीक्षा 7 मई, 1989 को होने वाली है। इस दिन मुस्लमानों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार ईद-उल-फितर है जो एक माह का व्रत रखने के बाद आता है। ईद-उल फितर के दिन भर्ती परीक्षा लेना हमारी लोकनीति के प्रतिकूल होगा और विशेष रूप से मुस्लमानों के लिए बहुत ही असुविधाजनक होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परीक्षा को किसी अन्य सुविधाजनक तिथि के लिए स्थगित कर दिया जाए। भविष्य में भी इस बात की सावधानी बरती जाये कि परीक्षाओं की तिथियां उस दिन निश्चित न की जायें, जिस दिन ऐसे त्यौहार हों, ताकि असन्तोष और असुविधा से बचा जा सके। इस संबंध में तुरन्त आदेश जारी किये जायें।

(आठ) **दिल्ली और हावड़ा को जोड़ते हुए गया-कियुल लाइन पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता**

हिन्दी]

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नवादा रेलवे स्टेशन, गया-कियुल लाइन पर पड़ता है। यह बिहार की 60-70 वर्ष पुरानी लाइन है परन्तु इसके विकास-विस्तार पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी की हमारी मांग पर रेल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी वर्तमान गाड़ी को उस लाईन से दिल्ली हावड़ा के लिए चलाने में सरकार को कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। समूचे नवादा जिले के लोगों के लाभ के लिए यह जरूरी है। वहां से गया, बोधगया, कोकोलत जल प्रपात, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, तपोवन आदि के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी लाभ होगा। अतएव मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं कि वहां कम से कम एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रबंध निकट समय में करने का कष्ट करें।

(नौ) हथकरघा उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री आर०ओ० रत्नम** (आर्कोनम) : महोदय अमरीकी अधिकारियों की स्वीकृति न मिलने के कारण तमिलनाडु में लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य का हथकरघा सामान रुका पड़ा है। यह समझा जाता है कि सामान के उस देश में निर्यात करने से पहले ही अमरीकी अधिकारियों ने भारत के हथकरघा सामान पर कुछ नये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

महोदय, इन सभी वर्षों में करोड़ों रुपये मूल्य का हथकरघा सामान उस देश में निर्यात किया गया है। परन्तु दुर्भाग्य से अमरीका ने हथकरघा सामान की विशिष्टताओं के बारे में अचानक ही कुछ वे बुनियादी आपत्तियां उठाई हैं। भण्डार से हथकरघा माल के न उठाए जाने के कारण बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। इससे विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के वे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं जो मुख्यतः इस लघु उद्योग पर निर्भर करते हैं और यदि यही स्थिति और अधिक समय तक जारी रही तो बुनकर हैं और इस लघु उद्योग से सम्बन्धित अन्य लोग बेरोजगार हो जायेंगे। इस माल के निर्यात न होने के कारण, भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि भी होगी। वस्त्र उद्योग में व्याप्त रुग्णता के कारण हथकरघा उद्योग की समस्याएं और भी बदतर हो जायेंगी। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाये कि हथकरघा माल को उठा लिया जाये और उसका विदेशों में निर्यात किया जाये।

(दस) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के संतरा और कपास उत्पादकों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूं :—

"मैं सरकार का ध्यान मार्च महीने में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के अनेक जिलों में तूफान और ओले गिरने के कारण सन्तरा और कपास की खड़ी फसल को पहुंची क्षति की ओर दिलाना चाहती हूं। विदर्भ के किसानों के लिए ये दोनों फसलें प्रमुख हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उनकी फसल बरबाद हो रही है।

इस वर्ष 9 से 11 मार्च और 25 से 28 मार्च के दौरान ओले गिरने के कारण राज्य के सोलह जिलों में फसल प्रभावित हुई। कुल 4450 हैक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा पर प्राथमिक अनुमानों के अनुसार लगभग दस करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है यद्यपि अभी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

सरकार को जानकारी है कि किसान पूर्व के वर्षों में हुए नुकसान के कारण पहले ही परेशान है। मेरा अनुरोध है कि जिस तरह प्याज के दाम गिरने के बाद किसानों की सहायता के लिए कदम

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उठाए गए उसी प्रकार संतरा और कपास उत्पादकों की सहायता के लिए तत्काल कुछ किया जाए। राज्य सरकार अपनी ओर से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए बैंक ऋणों की अदायगी में उदारता और बिजली के बिलों की वसूली पर एक साल तक रोक, जैसे कदम उठा चुकी है; लेकिन स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्र को तत्काल कुछ सहायता राशि मंजूर करनी चाहिए। साथ ही नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल भी भेजा जाए ताकि सही स्थिति सामने आ सके : इन फसलों को भी कृषि बीमा योजना में शामिल किया जाए। धन्यवाद।"

1.28 म०प०

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—[जारी]

और

कर्णाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव—[जारी]

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 16 और 17 पर एक साथ चर्चा आरम्भ करेंगे। अब श्रीमती बसवराजेश्वरी।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : इसका उत्तर कब दिया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर लगभग 2 बजे अथवा 2.30 म०प० पर दिया जायेगा।

***श्रीमती बसवराजेश्वरी** (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि राज्यपाल की कार्यवाही असंवैधानिक थी। परन्तु देश में आम जनता की राय इससे बिलकुल भिन्न है। देश के लोगों विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों ने कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने के राज्यपाल के निर्णय का स्वागत किया है। बहुत से लोगों ने जनता दल शासन की अकुशलता, भ्रष्टाचार और अन्याय के बारे में भाषण दिये हैं। मैं अपने भाषण को केवल राज्यपाल के निर्णय तक ही सीमित रखना चाहती हूं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या गत दो वर्षों में कर्नाटक में कोई सरकार थी? वहां न तो कोई सरकार थी और न ही कोई प्रशासन था। राज्य में प्रशासन छिन्न-भिन्न हो चुका था। वहां भ्रष्टाचार व्याप्त था। वहां सर्वत्र अन्याय हो रहा था। गरीब किसानों के कष्टों को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण था। जनता दल सरकार ने कर्नाटक के लोगों के साथ विश्वासघात किया। श्री एस० जाजलिंगप्पा हमारे देश के एक अनुभवी राजनेता हैं। कर्नाटक में उनकी बातों का कुछ महत्व है वह कहते हैं कि राज्यपाल को एक वर्ष पहले ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देनी चाहिए थी। ऐसा करने से राज्य के लोगों को लाभ पहुंचता। आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में जनता दल के शासन से किस हद तक उन्हें दुख पहुंचा है।

किसानों ने यह सोचा था कि जनता दल एक किसान समर्थक दल है। अतः लाखों किसानों ने इस दल को समर्थन दिया था और इस प्रकार यह दल उस राज्य में सत्ता में आया था। परन्तु अब राज्य में किसानों का जीवन कष्टपूर्ण बन गया है। अत: मैं तहदिल से राज्यपाल के निर्णय का स्वागत करती हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चुनाव के समय जनता दल ने बहुत से नारे दिये थे। "मूल्यों पर आधारित राजनीति" और सत्ता का विकेन्द्रीकरण" उनमें से प्रमुख नारे हैं। फिर उन्होंने जिला परिषदों और मंडल परिषदों के लिए चुनाव कराये थे। परन्तु उन्होंने वे चुनाव कैसे कराये? सारा देश इस बात को जानता है कि उन्होंने चुनावों में कैसे हेर-फेर किया। उस समय हमने उन्हें चुनाव न कराने के लिए कहा था क्योंकि उस समय धनराशि उपलब्ध नहीं थी। हमने उनसे राजनीति को मंडल स्तर पर न ले जाने के लिए कहा था क्योंकि इससे शान्तिपूर्ण ग्रामीण जीवन में बाधा पड़ेगी। हमारे राज्य दल अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी उन्हें चुनाव न कराने का सुझाव दिया था। परन्तु जनता दल ने हमारे किसी भी सुझाव को नहीं माना। उन्होंने वहां चुनाव कराये। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि अब वहां गावों में क्या हो रहा है। गावों में झगड़े, चोरियाँ, डाके इत्यादि सामान्य बात बन गई हैं और गरीब लोगों को नियमित रूप से न्यायालय में जाना पड़ता है। जिला परिषदों को चलाने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। इन परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन की भी अदायगी नहीं की गई है। उन्हें दी गई धनराशि परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः विकास कार्यों के लिए धनराशि कहां से आयेगी?

वहां कुछ मण्डल जनता दल के हाथों में हैं और कुछ अन्य मण्डल कांग्रेस (आई) के हाथों में है। जनता दल के हाथों में सत्ता होने के कारण उन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में ही 15-20 मंडलों को ध्वस्त कर दिया था।

उन्होंने ऐसी घटिया कार्यवाही क्यों की? सारे देश के ग्रामीण व्यक्ति मंडलों को पुनः कायम करने के लिए शोर मचा रहे हैं। वे अपने आत्म सम्मान को बनाये रखना चाहते हैं। परन्तु आज उन लोगों की आखों में आंसू हैं और उनके अभिशाप से जनता दल अपने कारनामों से ही बरखास्त हो गया है।

जनता दल से किसानों का विश्वास डगमगा गया है। मैं तुंग-भद्रा क्षेत्र से हूं। उस क्षेत्र से हूं। उस क्षेत्र में रायचूर और बेल्लारी जिलों की लगभग 10-20 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु वहां हाल ही में क्या घटित हुआ है? उस क्षेत्र में जल सप्लाई न होने के कारण 4½ लाख एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई है। वहां फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी और कुल अनुमानित हानि लगभग 300-400 करोड़ रुपये थी। वहां किसानों ने हड़ताल की आन्दोलन किया और जलूस निकाला। परन्तु उनके बचाव के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। अन्ततः सम्बंधित मंत्री महोदय ने उस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने हमें भी बुलाया और किसानों की सभायें आयोजित की। हम उन सभाओं में उपस्थित नहीं हुए; हम चाहते थे कि वे प्रभावित किसानों का सामना करें। उस समय तक तुंग-भद्र नदियों में पानी पूर्णतया सूख चुका था। जनता दल के मन्त्रियों ने किसानों के प्रति इस प्रकार बेरुखी का रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने अपने उद्योगों को बेच दिया है और यहां तक की उन्होंने अपने पानी को भी अन्य राज्यों को बेच दिया है। यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो हम कहां जायेंगे? पानी के अभाव में किसान क्या उगायेंगे? अधिकांश किसानों ने बैंकों से ऋण लिया हुआ है। वे ऋण का भुगतान कैसे कर सकते हैं? राज्य में स्थिति गम्भीर है जनता दल ने राज्य के किसानों को यह उपहार दिया है।

श्री बोम्मई जिन्होंने श्री हेगड़े से कार्यभार संभाला था, अत्यधिक दबाव में थे। सभी 111 विधायक मंत्री अथवा सभापति बनना चाहते थे। वे सभी लोग बी०डी०ए० भू-स्थल, मारुति वैन और कारें चाहते थे।

अत: श्री बोम्मई अब राहत महसूस कर रहे होंगे। एक पत्नि के साथ ही परिवार चलाना अत्यन्त कठिन है। फिर श्री बोम्मई 111 अत्यन्त महत्वकांक्षी और लालची विधायकों के साथ सरकार कैसे चला सकते हैं। इस सरकार के सामने पहली बार ही समस्यायें खड़ी नहीं हुई हैं। एम०एल० सी० चुनावों के दौरान भी जनता दल के विधायक उलझन में थे। श्री एच०डी० देवगौडा सदस्यों को एक ओर खींच रहे थे जबकि श्री हेगड़े सदस्यों को दूसरी ओर खींच रहे थे। इस प्रकार की रस्साकसी जनता दल सरकार की एक स्थाई विशेषता बन चुकी है। राज्य में पिछले राज्य सभा चुनाव के दौरान वोटों की खरीद फरोख्त अपनी चरम सीमा पर थी। श्री राम जेठमलानी चुपचाप राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने में सफल हो गये। जनता दल के बहुत से सदस्य आज धनवान व्यक्ति बन गये हैं। परन्तु लोग यह जानते हैं कि उन्होंने थोड़े से समय में ही इतना अधिक धन कैसे एकत्रित किया है। भारत सरकार ने देश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है। जनता दल विधायकों को यह 20 सूत्री कार्यक्रम इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी इस कार्यक्रम की संस्थापक थी।

विधायकों और मन्त्रियों ने एक मुद्दा यह बनाया है कि स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस के समय ध्वजारोहण समारोह के लिए सांसदों को न बुलाया जाये।

केन्द्र द्वारा दिये गये धन का कर्नाटक में उचित उपयोग नहीं किया गया। परन्तु वे लोगों से यह कहते रहे कि केन्द्र सरकार उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है। उन्होंने सभी कार्यक्रमों के नाम बदल दिये और उन्हें वे नये नाम दिये जोकि उन्हें उचित लगते थे। तीन वर्ष के सूखे के दौरान राज्य में किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। वे केन्द्र सरकार को दोष देते रहे और केन्द्र द्वारा सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए दिये गये सम्पूर्ण धन को अन्य कार्यों में लगा लिया। सरकारी चैकों का भुगतान न करने के बहुत से उदाहरण हैं। यदि किसी व्यक्ति के चैक का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके लिए कुछ सजा की व्यवस्था है। यदि राज्य सरकार द्वारा चैक का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे क्या सजा दी जाती है? सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य दिवालिया बन गया है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे असंगत बातें कर रही हैं।

श्री जी०एस० बासवराजू (टुमकुर) : नहीं, वे असंगत बातें नहीं कर रही हैं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : नहीं, मैं असंगत बातें नहीं कर रही हूं। वास्तव में मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैं कर्नाटक सरकार के कार्य-निष्पादन के बारे में भाषण दे रही हूं। मैं यह सिद्ध करना चाहती हूं कि वास्तव में कर्नाटक में कोई सरकार है भी नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : वह बीमार सरकार थी।

श्रीमती एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आपकी सरकार की तरह। (**व्यवधान**)।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : कल अपने लम्बे भाषण में श्री जी. एस. बासवराजु ने अनेक पक्षों को स्पष्ट किया। इसके बावजूद विपक्षी दल के सदस्य अभी भी यह समझते हैं कि लोग उन्हें वोट देंगे। लोग मूर्ख नहीं हैं। कर्नाटक में जनता ने इस सदन के लिए कुल 28 उम्मीदवारों में से 24 कांग्रेस (इ) उम्मीदवार चुने थे। इसके तत्काल बाद उन्होंने राज्य के शासन के लिए जनता पार्टी को चुना। जितना विपक्षी दल के सदस्य समझते हैं वे उससे अधिक समझदार हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को अपना वेतन बचतों में निवेश करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सभी प्रकार की हमदादी राशि बचत में जाती है। वस्तुतः इस सरकार को अब "बचत सरकार" कहा जाता है। वे केन्द्र से लगभग 85 प्रतिशत ऋण प्राप्त करते हैं और तब भी वे बचत पर जोर देते हैं।

जनता सरकार लोगों की आखों में धूल झोंकती रही। श्री देवगौडा ने अनेक सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। किन्तु उनमें से एक भी शुरू नहीं की गई। मुख्यमंत्री की इस प्रवृति से तंग आकर श्री देवगौडा ने मंत्री मण्डल से इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार के पास किसी भी कार्यक्रम के लिए धन नहीं था। राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचा अकुशल हो गया था। भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया था और इसलिए राज्यपाल को दो वर्ष पहले ही सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करनी चाहिए थी। वस्तुतः श्री आर. के. हेगड़े ने स्वयं सरकार की अकुशलता को स्वीकार किया है और यह स्वीकारोक्ति स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। देश के अधिकांश लोगों को मंत्रि-मंडल का विस्तार किए जाने वाले दिन ही सरकार के पतन की उम्मीद थी। हमारी पार्टी में अनुशासन है। हमारी कांग्रेस की अपनी परम्परा है। छोटी मोटी गलतियों के कारण हमारे प्रधान मंत्री राज्य मुख्य मंत्रियों को बदल देते हैं। किन्तु विपक्षी दल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि किसी मुख्य मंत्री के खिलाफ असंख्य आरोप होने के बावजूद भी वे उसकी प्रशंसा करते हैं और कभी उस मुख्य मंत्री को बदलने की बात नही सोचते हैं।

कर्नाटक सरकार के बर्खास्त किए जाने के तत्काल बाद राज्य में हर जगह खुशी थी। हजारों रुपये के पटाखे जलाए गए थे। अब हमें चुनावों का सामना करना चाहिए। आप सभी सत्ता के भूखे हैं। आन्ध्र प्रदेश के एक विपक्षी नेता ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते समय हमारे प्रधान मंत्री के खिलाफ अनेक आरोप लगाए। आपकी भी मां और बच्चे हैं। क्या आपको जिम्मेवार राजनीतिज्ञ की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए? (व्यवधान)।

आप सभी सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। आप अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हैं। आप कभी भी लोगों की समस्याओं के बारे में विचार नहीं करते। जैसा कि हमारे राज्य के पार्टी अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा है आइए हम लोगों का सामना करें। वे आपको सबक सिखाएंगे और वही आपके राजनीतिक भविष्य का अन्त होगा।

मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रख्यापन का समर्थन करती हूं और राज्यपाल को इसके लिए बधाई देती हूं।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा (हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वैधानिक संकल्प का समर्थन करता हूं और श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं बोमई सरकार की बर्खास्तगी से खुश नहीं हूं। इसलिए नहीं कि मैं श्री बोमई को पसन्द करता हूं। यदि वह तीन महीने और रहते तो जनता दल अपने निम्नतम

स्तर पर पहुंच गया होता। ऐसा हुआ होता। बहुत से सदस्यों ने तकनीकी और अन्य बातों के बारे में चर्चा की। किन्तु ऐसा लगता है कि किसी ने वास्तविकता का विश्लेषण नहीं किया।

श्री कृष्ण अय्यर यहां उपस्थित हैं। क्या श्री संकर गौडा आपकी पार्टी के सदस्य हैं? वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह कन्नड़ भाषा में कहते हैं "राष्ट्रपति आल बीकेगे बोमई-हेगड़े कारना।" इस प्रकार उसकी पार्टी के वरिष्ठ साथी श्री हेगड़े और श्री बोमई पर आरोप लगा रहे हैं।

अब हम यह देखें कि श्री बोमई स्वयं क्या कहते हैं। 23 तारीख को प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अन्य बातों के अलावा उन्होंने कहा।

> "श्री बोमई ने यह स्वीकार किया कि विधानमंडल पार्टी के भीतर खींचातानी होने के कारण वह अपने संकट-ग्रस्त शासन को 10 माह नहीं चला सके।"
>
> उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है।

हालांकि, इस सम्पादकीय को सभी ने पढ़ा होगा किन्तु मैं बहस के लिए इंडियन एक्सप्रेस से इस सम्पादकीय का एक वाक्य ले आया हूं।

> "पिछले दो वर्षों से कर्नाटक में जनता सरकार विपक्ष और कर्नाटक के लोगों के लिए दायित्व बन गई थी।"

केवल कांग्रेस या विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता के लिए भी। मैंने इसे इसलिए उद्धृत किया क्योंकि इसके पीछे मानवतावादी दृष्टि से विचार करने का तत्व दिया है। एक ऐसा रोगी है जो एक वर्ष से अधिक की अवधि से अचेतन अवस्था में पड़ा है। उसे आक्सीजन दी जा रही है। उसके सगे संबंधी ऊब गए हैं। और हर व्यक्ति ऊब चुका है। वे चाहते हैं कि वह मर जाए। किन्तु डॉक्टर कहता है कि "मैं उसे आक्सीजन दे रहा हूं।" श्री बोमई और श्री हेगड़े की सरकार पिछले दो वर्षों से अचेतन अवस्था में थी। अब मानवतावादी दृष्टि से विचार करने के बाद इन 19 विधायकों को मार दिया गया है। कांग्रेस या राज्यपाल को नहीं। इसे सुख की मौत कहा जाता है। लोग जानते हैं कि श्री हेगड़े कैसे व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से देश में विपक्ष, मजबूत विपक्ष तथा शक्तिशाली विपक्ष चाहता हूं। किन्तु हो क्या रहा है? मान लीजिए मैं मजबूत होना चाहता हूं और मेरे शरीर में कैंसर है। जब तक इस कैंसर को हटाया नहीं जाता तब तक मैं मजबूत कैसे बन सकता हूं? या तो मुझे कैंसर को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था या यदि बढ़ गया है तो इसका इलाज कराके इसे हटाया जाना चाहिए था। आपके पास श्री रामकृष्ण हेगड़े हैं। आप मजबूत कैसे बन सकते हैं? वह विपक्ष के विकास मार्ग में कैंसर की भांति हैं। इस सबके होते हुए भी आप उनकी भक्ति करते हैं। आप उनकी भक्ति क्यों करते हैं? मेरे विचार में (शायद) आप उनकी भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया है। कर्नाटक में सरकार को उत्पाद शुल्क कार्यालय से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व मिल रहा है। जो———**———**सरकार ने जितना धन प्राप्त किया है उससे अधिक धन एकत्रित किया गया है। (व्यवधान)।

इस उद्देश्य के लिए, क्योंकि उनके पास ढेर सारा धन है इसलिए आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सामान्यतः ऐसा कहते हैं। कोई विशेष आरोप नहीं है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, क्या आपने उन्हें अनुमति दी है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई स्पष्ट आरोप है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुरूप : आप कृपया रिकार्ड की जांच करें उन्होंने '' के खिलाफ सरकारी खजाने में गए धन से अधिक धन इकट्ठा करने का स्पष्ट आरोप लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। नाम कार्यवाही में शामिल नहीं किए जाएगें।

(**व्यवधान**)

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए केवल एक मिनट का समय चाहूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शराब बनाने का कारखाना है। इसमें शराब बनती है। शराब का प्रति केट कर 425 रुपये है और इस प्रकार प्रति ट्रक का कर 27,000 रुपये होगा। एक ट्रक भार के लिए एक परमिट की आवश्यकता है किन्तु वे एक परमिट पर दस से बारह ट्रकों को अनुमति हैं। इसलिए उपभोक्ता तो सारे कर का भुगतान कर चुका होगा किन्तु कर सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जाता क्योंकि बिचौलिए अन्य ट्रक भार का कर खा जाते हैं। मैं इस सम्माननीय सदन में यह जानना चाहूंगा कि यदि उपभोक्ताओं का शोषण किया जाए तो क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। एक राज्य विशेष को लें। एक ऐसा राज्य है जहाँ विधायकों और सांसदों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे उत्तम व्यक्ति हूं। मुझे अवसर अवश्य मिला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं। यह एक ऐसी सरकार थी जो यह सोचती थी कि वह लोगों की सरकार नहीं है बल्कि यह जनता पार्टी की सम्पति है। मानलीजिए ग्रामवासी पीने का पानी या स्कूल का कमरा चाहते हैं। तो उन्हें यह उत्तर मिलेगा कि क्योंकि उन्होंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया था इसलिए उनके लिए पीने का पानी या स्कूल का कमरा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। मान लीजिए किसी ने मेरे घर में चोरी की है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी क्योंकि मैंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया था। यहाँ तक कि राजनीतिज्ञों द्वारा हत्यारों को भी शरण दी जाती है। आई. आर. डी. पी. सूची के अन्तर्गत गरीब और योग्य व्यक्तियों को सूची में नहीं रखा जाता। केवल दसों एकड़भूमि के मालिक लोगों को ही इस सूची में रखा गया क्योंकि वे जनता पार्टी के समर्थक थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पद्धति को जारी रखना चाहते हैं? क्या आप इस सरकार को सभी की सरकार बनाना चाहते है या लोगों के एक वर्ग के लिए बनाना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने किसी भी राज्य में गैर-कांग्रेसी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

महोदय, आप पुलिस कर्मियों को जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बना सकते। एक बहुत ही वरिष्ट भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से यह सुनकर मुझे शर्म आई थी कि जब उसने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका उप-निरीक्षक उसका अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है। वह जनता वर्कर का अधीनस्थ कर्मचारी है। अतः मैं आप से दोबारा पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी प्रणाली जारी रखना चाहते हैं?

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इसकी जांच कर सकते हैं। एक विधायक अपने मुख्यालय पर नहीं था। उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन पर गई और उप-निरीक्षक को फला-फला व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए कहा। उप-निरीक्षक ने उन्हें बताया कि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि गांव कुछ दूरी पर है। उस स्त्री ने कहा कि वह लाइन जाएगी। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसे पुलिस स्टेशन पर लाना चाहिए। उसके लिए कॉल बुक की जानी चाहिए। लाइन को ओपन रखा जाए जिससे कि वह हाउस बैठे बैठे फोन पर उसे पीटे जाने की आवाज सुन सके। उस व्यक्ति विशेष को पुलिस स्टेशन लाया गया था वहां पर लोग जमा हो गये और पूछा कि इनको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। उप-निरीक्षक ने उत्तर दिया कि यदि मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया होता तो मेरा यहां से स्थानांतरण कर दिया जाता। उसने तत्काल कॉल बुक की और टेलीफोन लाइन को ओपन रखा। उसने उस व्यक्ति को बताया कि वह तकिए को पीटेगा लेकिन उसे चिल्लाना चाहिए जिससे कि हाउस में बैठी मैडम पीटे जाने और उसके चिल्लाने की आवाज को सुन सके। क्या आप चाहते हैं इस प्रकार की प्रणाली चलती रहे। यहां तक कि यदि यह कांग्रेस सरकार होती तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई होती। तकनीकी बातों को देखते हुए हमें वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिसे दीर्घकाल तक और सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।

2.00 म० प०

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के वाद विवाद में भाग लिया है चाहे उन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है अथवा इसका विरोध किया है। इस वाद-विवाद में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले उठाए गए थे। हमारे पक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे, वह ये सरकार ने विधानसभा को भंग करने में असंवैधानिक रूप से कार्य किया है, कि बोम्मई की सरकार का बहुमत था अथवा नहीं उसका विधान सभा में परीक्षण किया जाना चाहिए था, कि विधान सभा को भंग किए जाने वाले दिन श्री बोम्मई का बहुमत था और उन्हें विधायकों का समर्थन प्राप्त था, कि जनता दल के सदस्यों ने अचानक ही राज्यपाल को बताया था कि उन्होंने जनता दल से त्यागपत्र दे दिया है और इसलिए जनता दल का बहुमत नहीं रह गया है कि जो कुछ राज्यपाल ने किया है वह सरकारिया आयोग, राज्यपालों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों की सभी सिफारिशों के विपरीत है।

महोदय, मैंने घोषणा के पक्ष में अधिकतर भाषणों को पढ़ा है। मुझसे पूर्व मेरे मित्र ने भी इसके पक्ष में बोला है कि बोम्मई सरकार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार थी। वहां पर अत्यधिक भ्रष्टाचार था, पूर्ण रूप से कुप्रशासन था, वित्तीय अस्थिरता थी और ऐसी बहुत सी बातें थी और इसीलिए, यह राजनीति की दृष्टि से सही था कि सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और विधान सभा को भंग कर दिया गया। मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं और हम शुरू से ही यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि चाहे सरकार एक अच्छी शासक है अथवा नहीं, इसका आधार सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करना नहीं हो सकता। एक सरकार ठीक तरह से कार्य कर सकती है, एक सरकार ठीक तरह कार्य नहीं कर सकती, एक सरकार अच्छी सरकार हो सकती है अथवा यह बुरी सरकार हो सकती है इसके बारे में अन्तिम फैसला लोगों को करना है। राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार इसका फैसला

नहीं कर सकते। प्रो० दंडवते ने संविधान सभा के वाद विवादों का उल्लेख किया था जिसमें श्री एच० एन० कुंजरू ने विशेष रूप से यह प्रश्नपूछा था कि यदि सरकार अच्छी नहीं है तो क्या अनुच्छेद 356 उस समय यह अनुच्छेद 278 था-का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए डा० अम्बेदकर का उत्तर स्पष्टतया नहीं में था। जो भी हो अच्छी सरकार अथवा बुरी सरकार के प्रश्न के बारे में निर्णय लोगों को करना है। यह प्रायः आत्मनिष्ठ विचार का मामला रहेगा। विपक्ष के सदस्यों ने भी कहा है कि बोम्मई सरकार बहुत ही बुरी थी। जनता दल सदस्यों ने कहा है कि वह एक बहुत अच्छी सरकार थी। अब इसका निर्णय कौन करेगा। यदि किसी सरकार को बर्खास्त करने का आधार अच्छा अथवा बुरा प्रशासन है तो हम राजीव गांधी की सरकार की हर रोज आलोचना कर रहे हैं। हमारे हिसाब से राजीव गांधी की सरकार इस देश में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। देश में इस समय अत्यधिक भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

आप इस का खंडन करेंगे और लेकिन आप जो कह रहे हैं हम उस का खंडन करेंगे। अब इसका निर्णय कौन करेगा ? चाहे राजीव गांधी की सरकार हो अथवा प्रफुल्ल महंत की सरकार हो अथवा ज्योति बसु की सरकार हो, जो सरकार का समर्थन करते हैं वे कहेंगे कि वहां अच्छा प्रशासन है और जो सरकार का विरोध करते हैं वे कहेंगे कि वहां पर बुरा प्रशासन है। इसका निर्णय कौन करेगा ? क्या राज्यपाल अथवा भारतीय संघ इसका निर्णय करेगा ? प्रशासन की स्थिति अच्छी अथवा बुरी है उसके लिए राज्यपाल अथवा भारतीय संघ को निर्णय करने की अनुमति देने के परिणाम का हैं ? क्या आप अच्छे प्रशासन अथवा बुरे प्रशासन की तुलना संवैधानिक तंत्र के असफल होने के साथ करते हैं ? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल लगभग 1½ वर्ष पहले, इस देश में यह विवाद था, यह विवाद कुछ निश्चित आधारों पर इस देश के चुने हुए प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर देने के अधिकार के बारे में था। मैंने उस समय एक प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। हालांकि मैं इस सरकार की आलोचना करता रहा हूं, मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया, उस समय एक वास्तविक प्रस्ताव दिया था कि किसी भी राष्ट्रपति को चुने हुए प्रधान मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल संसद के पास निहित है और अन्ततः यह जनता के पास निहित जब जनता के पास इसका समय आए तो वह इसके लिए अपना मत दे सकते हैं। इसी प्रकार, क्या सरकार एक अच्छी सरकार है इस अधिकार का निर्णय सरकार को सदन में करना चाहिए। राज्य में सरकार चलाने का आदेश देने का अधिकार भी जनता के पास निहित है न कि राज्यपाल अथवा भारतीय संघ के आत्मनिष्ठ विचार में। दुर्भाग्यवश, सत्ता पार्टी के सदस्यों ने बुरे प्रशासन अथवा कुप्रशासन की संवैधानिक तंत्र के असफल होने के साथ तुलना करने का प्रयास किया था। कुप्रशासन और संवैधानिक तंत्र के असफल होने के बीच बहुत बहुत बड़ा अन्तर है। श्री वीरेन्द्र पाटिल इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं। वह उन राजनीतिज्ञों में से एक हैं जिनके प्रति मेरा अधिक सम्मान है। उन्होंने कुछ मद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब वह कर्नाटक में कांग्रेस (सं) के मुख्य मंत्री थे, तो कुछ समय उनकी पार्टी को छोड़ गए थे और उनकी सरकार अल्पमत में रह गई थी। इसके बाद वे वापस पार्टी में आ गए। राज्यपाल ने उन्हें फिर से वापस बुलाया और कहा कि सदस्य उनके पास अब वापस आ गए हैं इसीलिए वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि वह यह महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए और उन्होंने उच्च राजनीतिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, त्याग पत्र दे दिया था। यद्यपि वह अब यहां पर नहीं है। लेकिन यदि वे यहां पर होते, तो मैं उनसे पूछता कि उन्होंने उन सदस्यों को वापस लाने के लिए

कितनी धनराशि दी थी। मैं उनसे पूछता 'क्या आपने उन सदस्यों को वापस लाने के लिए धनराशि की पेशकश की थी? उनका उत्तर नहीं में होता। यदि धनराशि की पेशकश के बिना सदस्य श्री वीरेन्द्र पाटिल के पास वापस आ सकते हैं, तो आप इस बात का निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि सदस्य धनराशि की पेशकश के बिना श्री बोम्मई के पास वापस कैसे नहीं आ सकते?······ (व्यवधान)··· कर्नाटक में ऐसी प्रथा दिखाई देती है। सदस्य पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि श्री वीरेन्द्र पाटिल के समय उन्होंने किसी धनराशि की पेशकश नहीं की होगी और उन्होंने धनराशि नही दी होगी। अब वहां यह परम्परा है (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने यह नही कहा है कि श्री वीरेन्द्र पाटिल ने धन दिया है। यह मेरी धारणा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि सदस्य अपनी मर्जी से वापस आए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो भी हो विधान सभा भंग होने से उनका कार्यकाल एक वर्ष पहले ही समाप्त हो जाएगा। अतः वे वापस आ गए। लेकिन वही बात श्री बोम्मई के साथ भी हुई है। राज्यपाल इस बात का निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि केवल क्योंकि सदस्य श्री बोम्मई के पास वापस आ गए हैं उसके ऊपर दबाव था, खरीद-फरोक्त आदि हुई हैं? मैं इस मुद्दे के बारे में पूछ रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि सदस्यों ने विधान में भी इसी प्रथा को अपनाया था। श्री पाटिल ने कहा था: राज्यपाल ने मुझसे पूछा था, मुझसे अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया था और उच्च राजनीतिक परम्परा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद पर न बने रहने का निर्णय लिया था? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कि उसी उच्च राजनीतिक परम्परा को ध्यान में रखते हुए, क्या राज्यपाल का यह कर्तव्य नहीं था कि वह श्री बोम्मई को भी बुलाते और उनसे कहते, 'अब सदस्य वापस आ गए हैं। आप कृपया अपने पद पर बने रहिए।" क्या श्री बोम्मई ने श्री वीरेन्द्र पाटिल की तरह उच्च राजनीतिक परम्परा की भावना के अनुसार कार्य किया होता अथवा नहीं वह एक अलग मामला है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि मुख्य मंत्री को वापस बुलाने और उसको यह बताने की प्रथा कि अब उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त है और उनसे अनुरोध किया जाता है वह अपने पद पर बने रहें। यह मुख्य मंत्री पर निर्भर करता है कि वह अपने पद पर बने रहे अथवा नहीं और इस प्रथा का राज्यपाल ने पालन नहीं किया। यही वजह है कि मुझे यह प्रस्ताव देने पर मजबूर होना पड़ा है इस पर भी श्री पाटिल ने कहा था कि जो शीशे के घरो में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

उन्होंने यह उदाहरण दिया कि 1977-80 में जनता सरकार ने 9 राज्य सरकारों को गिरा दिया था और 1980 में भी इसी प्रथा का अनुसरण किया गया था। फिर उन्होने कहा कि बहुमत होते हुये भी देवराज अर्स की सरकार को गिरा दिया गया था। मैं 1977 में असंवैधानिक रूप से भंग की गई 9 सरकारों का विरोध करता हूं। वर्ष 1980 में सरकारो का गिराना कतई असंवैधानिक था। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह इसका समर्थन करते हैं। मुझे कहना चाहिए कि श्री पाटिल ने ईमानदारी से कहा कि उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। यदि वह आज सभा में होते तो मैं यह आशा कर सकता था कि उन्होंने जो राजनैतिक नैतिकता उस समय दिखाई थी उसे कायम रखते हुये उनमें इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा, जो 1977 के आधार पर की गई है, और जिसे उन्होंने समर्थन नहीं किया था, का विरोध करने का राजनैतिक साहस होना चाहिए था। उन्होंने 1980 में इसका समर्थन नहीं किया था तथा उन्होंने देवराज अर्स की सरकार गिराने का समर्थन नहीं किया था और वह इस सरकार को गिराने का भी समर्थन नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री संतोष मोहन देव ने एक बहुत रुचिकर वक्तव्य दिया है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट असंगत है। यदि रिपोर्ट असंगत है तो गृह मंत्री हमें इस पर चर्चा करने के लिए क्यों कह रहे हैं ? रिपोर्ट असंगत है उन्होंने यह कहा है, आप कृपया कार्यवाही वृतांत देखिये। हो सकता है उन्होंने यह बात अनजाने में कही हो। यदि उन्होंने यह बात अनजाने में कही है तो अलग बात है। परन्तु बात यह है कि उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट असंगत है, यदि वह यह कहते हैं कि यह बात गलती से कही गई है तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु उन्होंने कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट असंगत है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट असंगत नहीं हो सकती। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सभा के समक्ष है, देश के समक्ष है और सरकार के समक्ष हैं। सरकार यह पक्ष ले सकती है कि वे सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते, सरकार यह कह सकती है कि उन्होंने सिफारिशों का अध्ययन नहीं किया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, उन्होंने मेरा भाषण ध्यान से नहीं सुना है मैंने कहा है कि जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, इस पर दोनों सदनों में वाद-विवाद हुआ है और परामर्श दात्री समिति में भी इस पर बहस हुई है। सरकार का दृष्टिकोण खुला है। परन्तु इस अवस्था में इस मुद्दे का औचित्य नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि यह असंगत है। उन्होंने केवल एक ही शब्द सुना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने श्री संतोष मोहन देव के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना था। ऐसा हो सकता है कि वह जो कहना चाहते थे, नहीं कहा। उस समय मैं यहां था। आप टेप सुन सकते हैं। उन्होंने 'असंगत' शब्द का प्रयोग किया था और शायद इस शब्द का प्रयोग अनजाने में हो गया हो। यह भूल हो सकती है। परन्तु बात यह है कि क्या आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट तर्क संगतता से इन्कार कर सकते हैं कि बहुमत सभा में साबित होना चाहिए। मेरे पास राज्यपालों की सिफारिशें हैं। वे राज्यपाल कौन हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है। वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। श्री भगवान सहाय राज्यपालों की समिति के अध्यक्ष थे, श्री बी० गोपाल रेड्डी, श्री वी० विश्वनाथन, श्री एस. एल. धवन और श्री अली यावर जंग उस समिति के सदस्य थे.........(व्यवधान)... उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा है कि जिस किसी भी प्रक्रिया या तरीके से राज्यपाल सन्तुष्ट हो जाता है, सरकार बहुमत में नहीं रहती। उन्हें मुख्यमंत्री को विधान सभा के समक्ष आने और कम से कम समय में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अपने इस प्राथमिक दायित्व से जी चुराता है और इसका पालन नहीं करता, राज्यपाल को कर्तव्य से बाध्य होकर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कदम उठाने चाहियें। ये सरकारिया आयोग की सिफारिशें नहीं है। बल्कि ये कुछ सिफारिशें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में की गई थी। राज्यपालों ने ही निरन्तर यह निर्णय किया है कि क्या सरकार को बहुमत प्राप्त है या नहीं यह बात राज्यपाल की बैठक में तय नहीं होनी चाहिए। यह एक हितकारी सिद्धांत है। एक बात स्पष्ट नहीं की गई है कि अभी तक इसका पालन क्यों नहीं किया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : इसका पालन तब किया जाता है जब राज्यपाल को कोई सन्देह हो। जब राज्यपाल वास्तव में सहमत हो जाता है फिर उसे ऐसा करना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं फिर पढ़कर सुनाता हूं। "जब राज्य पाल किसी भी प्रक्रिया या तरीके से सन्तुष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है, उसे मुख्यमंत्री को विधान सभा में

बहुमत प्राप्त करने के लिए कहना चाहिए।" यदि वह सन्तुष्ट नहीं है तो उन्हें विधान सभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। धारणा यह है कि यथा गठित सरकार को बहुमत प्राप्त होता है और केवल राज्यपाल के सन्तुष्ट होने पर ही कि यह धारणा सही नहीं है, तब उसे मुख्यमंत्री को यथा कम समय में विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए कहना पड़ता है ··· (व्यवधान)।

यदि यह सत्तारूढ़ दल का मामला है कि तमिलनाडु का नम्बर आना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु देश के लिए यह परम्परा नहीं हो सकती।

श्री संतोष मोहन देव ने एक और बात कही है कि गौहाटी उच्च न्यायालय का मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है और यह कि वहाँ विचारों में मतभेद था, यह सही नहीं है। गौहाटी न्यायालय में यह मामला उठाया गया था कि राज्यपाल की रिपोर्ट गलत थी। दोनों न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया था कि राज्य पाल की रिपोर्ट अतर्कसंगत है। फिर महान्यायवादी ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति भारत सरकार को केवल राज्यपाल की रिपोर्ट से ही प्राप्त नहीं होती, परन्तु दूसरे साधनों से भी प्राप्त होती है क्योंकि अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि सरकार से प्राप्त सूचना या अन्यथा इत्यादि। महान्यायवादी का तर्क यह था कि विधान सभा को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भंग नहीं किया गया था ··· ।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : केवल ।

श्री दिनेश गोस्वामी : परन्तु अन्य सामग्री के आधार पर भी/जब यह तर्क दिया गया था तो एक न्यायाधीश ने कहा था कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि अन्य सामग्री को भी न्यायालय के समक्ष जांच के लिए रखना चाहिए। महान्यायवादी ने तर्क दिया कि राज्यपाल की रिपोर्ट एक ऐसी विषय वस्तु है जिसकी जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है, सरकार अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। विचारों में मतभेद था और मामला तीसरे न्यायाधीश को सौंप दिया गया था।

श्री संतोष मोहन देव : मेरे पास इस समय वह वाद-विवाद है, क्या मैं सम्बद्ध भाग को पढ़ कर सुनाऊं। मैंने कभी भी 'असंगत' नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप कृपया टेप सुनिए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं टेप नहीं सुन सकता।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने जो कुछ कहा है मैं उस बात पर अटल हूं।

महोदय ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय में केवल एक अनुमति याचिका दायर करने से ही निर्णय लुप्त हो जाता है, निर्णय बचा रहता है। बेशक, न्यायालय स्थगन आदेश द्वारा यह कह सकता है कि यह प्रभावी नहीं होगा।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न पहली बार ही नहीं उठाया गया है। संविधान सभा के वाद-विवाद में श्री विश्वनाथ दास ने कहा था :

> "इस सम्बन्ध में मुझे कटु अनुभव है। कि मैं एक राज्य का प्रधानमंत्री था और मैं जानता हूं कि राज्यपाल कैसे मेरी पार्टी को तोड़ने पर तुले हुए थे।"

संविधान सभा के एक सदस्य श्री आर० के० चौधरी, जो मेरे राज्य से हैं ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था :

"भारत के प्रधानमंत्री राज्यपाल को राज्य में भेजते हैं। क्या राज्यपाल किसी दूसरी पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा ? क्या मतभेद के और अधिक अवसर नहीं मिलेंगे ? यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर आप यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अथवा एक पार्टी विशेष केवल केन्द्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी सत्ता में रहेगी ?"

आप यह देख सकते हैं श्री एच० एन० कुंजरू से लेकर संविधान के निर्माताओं ने क्या कहा है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि इस अनुच्छेद 356 के बारे में पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने कड़ी आपत्ति की थी :

"संघीय स्वरूप में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिनमें केन्द्र में एक पार्टी का शासन हो सकता है तथा राज्यों में अन्य पार्टियों का और मतभेद पैदा हो सकते हैं, और चूंकि मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसलिए हितकर सिद्धान्त प्रतिपादित करने हैं।"

राज्यपाल का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सदस्यों पर दबाव डाला। यह स्पष्ट है कि यदि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं दल का नेता हूं, तो मैं अपनी पार्टी के सदस्यों पर पार्टी में रहने के लिए दबाव डाल सकता हूं। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। प्रतिदिन बिहार और गुजरात में मंत्रियों को सदस्यों पर दबाव डालने के लिए नहीं भेजा जा रहा है ताकि वे विद्रोह न करें।

एक माननीय सदस्य : यह सच नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : ठीक है, यह कह कर खुश होइये कि यह सच नहीं है। परन्तु समाचार पत्र की टिप्पणियां हैं कि मंत्रियों को अपनी फाइलें देखने का समय नही मिल रहा है क्योंकि वे अपनी आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हैं। प्रत्यक्षतः सभी राजनैतिक दलों में आन्तरिक समस्यायें उठती हैं और मैं समझता हूं यदि मैं दल का अध्यक्ष होता तो मैं दबाव डालना चाहता। लेकिन क्या दबाव डाला जाएगा, इस आधार पर विधान सभा को भंग किया जा सकता है ? मेरा नम्र निवेदन यह है। कि यह नहीं किया जा सकता है। जिस बात का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है वह यह है कि विधान सभा भंग किये जाने वाले दिन श्री बोम्मई को बहुमत प्राप्त था और यदि उनका बहुमत था तो सरकार चलाने का अधिकार उनका था। अन्यथा इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि न केवल राज्यों में बल्कि कल राष्ट्रपति भी यह सोच सकते हैं कि उन्हें भी केन्द्र में प्रधान मंत्री को इस आधार पर हटाने की उच्च संवैधानिक शक्ति मिली हुई है कि केन्द्र में सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, यह शक्ति तो केवल विधान सभा और जनता को मिली हुई है।

महोदय, मैंने कल जिक्र किया था कि महान न्यायविद डा० बी०आर० अम्बडेकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद को प्राथमिकता देते हुए आशा की थी कि इस अनुच्छेद का कभी भी उपयोग नहीं किया जायेगा। लेकिन 1953 में जब पेप्सू सरकार को गिराया गया था तो डा० अम्बेडकर ने ही राज्य सभा में टिप्पणी की थी कि संविधान का खुलमखुल्ला उल्लंघन किया गया है। आप गुस्से के

इजहार में डा० अम्बेडकर जैसे व्यक्ति की उस भावना को समझ सकते हैं। जिस भावना में उन्होंने इस भाषा का उपयोग किया। यदि आज मैंने इस भाषा का उपयोग किया होता तो संभवतः उसे असंसदीय ठहरा दिया जाता। यदि आज डा० अम्बेडकर उपस्थित होते तो संभवतः वह कहते कि न केवल खुले आम, बल्कि संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग करते हुए जब भी विपक्षी सरकारें बिना किसी राजनैतिक कारण के जितनी ही बार गिराई गयीं तो इसका सामूहिक रूप से उलंघन किया गया। यदि जनता सरकार अपने ही आन्तरिक छल-कपट, अपनी असफलता के कारण गिर जाती तो मुझे दुख नहीं होता। मैं उस बात का अनुमोदन नहीं कर रहा हूं जो जनता दल के विधान सभा सदस्यों ने की थी। मैं समझता हूं कि राज्यपाल को पहले कुछ लिखना और फिर कुछ लिखना विधान सभा सदस्यों के लिए उचित नहीं था। परन्तु एक गलती से दूसरी गलती को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती है।

मेरे मित्र ने कहा था हमें राजनैतिक स्थिति और जो विषमतायें उभरी हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजनैतिक विषमताओं को ठीक करने के लिए राज्यपाल का शासन लागू करना कोई हल नहीं है बल्कि यह तो विषमतायें ही पैदा करेगा। यदि आप एक गन्दी मेज को गन्दे कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे साफ नहीं कर सकते हैं। आप इसमें गन्दगी ही जोड़ेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यदि आप राजनैतिक गड़बड़ी को और देश में राजनीति के गिरते स्तर को ठीक करने के इच्छुक हैं तो यह अनुच्छेद 356 के प्रयोग से नहीं किया जा सकता है, हो सकता है हम एक साथ बैठकर इसको ठीक कर लें, हो सकता है कि इसका इलाज अन्ततः लोगों के पास हो और लोग उन सबको हटा दें जिन्हें वे इस स्तर के काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन इस समस्या का उत्तर संविधान को तोड़ने-मरोड़ने से नहीं मिलेगा इसी वजह से उपाध्यक्ष महोदय मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न, जिसका संविधान के संघीय ढांचे पर काफी प्रभाव है राज्यपाल की कार्यवाही के कारण सबसे पहले उठ खड़ा हुआ है।

जैसे कि मैंने कहा था मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जनता सरकार ठीक चल रही है या खराब चल रही है। यह फैसला तो कर्नाटक के लोगों को करना है। मेरी अपनी धारणा है कि यदि संविधान के संघीय ढांचे को बरकरार रहना है तो विपक्ष द्वारा शासित राज्यों को पूरी इज्जत देनी चाहिए, लगातार समर्थन देना चाहिए और संविधान का उपयोग विपक्ष द्वारा शासित सरकार को गिराने की भावना से नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि मेरे विचार से, जिसे श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी व्यक्त किया है। कि विपक्ष की इस सरकार को राजनैतिक कारणों से गिराया गया है— क्योंकि चुनाव निकट आ रहे हैं, मैं इस घोषणा का विरोध करता हूं और मैं अपने प्रस्ताव की सभा की स्वीकृति के लिए सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार, बूटा सिंह।

(**व्यवधान**)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : हम जनता दल के विधायकों की तरह अपने मन को नहीं बदलते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : लेकिन आपने दलबदल विरोधी कानून के बारे में अपना मन बदल दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री वीरेन्द्र पाटिल चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती इंदिरा गांधी से चुनाव भी लड़े थे लेकिन बाद में वे उनसे मिल गये।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, कल से यह मान्यवर सदन कर्नाटक की स्थिति पर विचार कर रहा है और दो दर्जन से अधिक मान्यवर सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। अभी श्री गोस्वामी जी ने अपने मोशन पर बोलते हुए कुछ प्रश्नों को फिर से दोहराया है, इससे पहले कि मैं श्री गोस्वामी जी के प्रश्नों की ओर आऊं, मैं समझता हूं कि आज की डिबेट में यदि श्री मधु दण्डवते जी के व्याख्यान को मैं पहले न लूं तो उनके साथ बेइन्साफी होगी। इसलिए मैं सबसे पहले श्री दंडवते जी की स्पीच से शुरू करूंगा।

उन्होंने कल यहां कहा—

[अनुवाद]

"हम बहुत उत्सुक थे कि 21 तारीख को हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। हमने इस षडयन्त्र को खुलासा कर दिया होता और हम यह बात देश के ध्यान में ले आये होते कि यहां जनता सरकार को अस्थिर करने का षडयंत्र चल रहा है।"

[हिन्दी]

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि श्री मधु दण्डवते जी, जो हमारे बड़े सीनियर सांसद हैं, उनको इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए पार्लियामेंट में आना पड़ा। मैं आज की ताजा जो इंटरव्यू है श्री रामकृष्ण हेगड़े जी की, जो जनता दल के वाइस प्रेजीडेंट हैं, क्योंकि मैं पहले के इंटरव्यू तो शायद रेफर न कर पाऊं क्योंकि जनता दल के बड़े-बड़े लोगों की यह बहुत बड़ी खासियत है कि वह सुबह इंटरव्यू और देते हैं, दोपहर को कुछ और देते हैं और शाम को कुछ और देते हैं।

आज की जो इंटरव्यू है श्री रामकृष्ण हेगड़े की जिस पर उन्होंने जवाब दिया है, अपने इस सदन के माननीय सदस्य को वही मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस कांसीप्रेसी का संकेत श्री दंडवते जी ने इस मान्यवर सदन के सामने किया है, जिसका उल्लेख किया है, श्री रामकृष्ण हेगड़े ने उसका जवाब बंगलौर में दिया है।

[हिन्दी]

उन्होंने 'टाइम्स आफ इंडिया के साथ भेंट देते हुए कहा है—उन्होंने पूरा नक्शा भी दिया है, जिस कांसीप्रेसी का आपने जिक्र किया है।

[अनुवाद]

"जनता दल सरकार के गिरने का मुख्य कारण पिछली जनता पार्टी में मतभेद था जिसे जनता पार्टी के उच्चपदों के लोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया।"

यह बात जनता दल के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगड़े ने टाइम्स आफ इंडिया को दिये एक साक्षात्कार में कहीं। इसमें आगे कहा गया है :

"मुझे जनता पार्टी के इन नेताओं के षडयंत्र का पता था जिन्होंने 10 दिनों में मंत्री परिषद के बढ़ाये जाने से पहले एक मास्टर योजना बनायी लेकिन मैं समस्या की गंभीरता को नहीं भांप सका...."।

[हिन्दी]

जहां पर अपनी नामाकूलियत भी कहते हैं।

[अनुवाद]

मैं समस्या की गंभीरता को नहीं भांप सका क्योंकि मुझे अपने कुछ साथियों पर विश्वास था विशेष रूप से अपने जिले के विधायकों पर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा विश्वासघात करेंगे।

इसलिए, दंडवते जी आप इस सभा में किस षडयंत्र का खुलासा करना चाहते हैं? क्या यह श्री हेगड़े का षडयंत्र है? (व्यवधान)।

यह श्री रामकृष्ण हेगड़े द्वारा दिया गया साक्षात्कार था। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय के उत्तर के बाद जो भी चाहें कह सकते हैं लेकिन अब नहीं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, एक स्पष्टीकरण।

सरदार बूटा सिंह : आप क्यों परेशान हैं? मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखे गये प्रश्न और इस प्रश्न का श्री हेगड़े द्वारा दिए उत्तर का उत्तर दे रहा हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : केवल एक मिनट ...।

सरदार बूटा सिंह : आपका नाम वहां नहीं है। आपने कुछ उल्लेख नहीं किया है।

महोदय, इसीलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा था।

उन्होंने कहा था कि वह षडयन्त्र का खुलासा कर देंगे। जनता दल के उपाध्यक्ष श्री राम कृष्ण हेगड़े के मुताबिक पार्टी में कुछ ऊंची पहुंच वाले लोगों ने ही यह षडयन्त्र रचा है। क्या आप जनता दल के उन ऊंची पहुंच वाले नेताओं के नाम लेकर इस महान सभा की सेवा करेंगे जिन्होंने बंगलौर में यह षड़यन्त्र रचा? यदि आप अपनी बात के सच्चे हैं तो आपको इस सभा को इसकी जानकारी देनी चाहिए। षडयन्त्र का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि आपकी जनता दल पार्टी के उपाध्यक्ष ने किया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। चूंकि आप जानना चाहते हैं कि षडयन्त्र कौन सा है तो मैं आपको बताता हूं। मैंने यह बहुत स्पष्ट किया था। मैंने कहा था कि पार्टी में: सरकार में जो कुछ होता है, सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में जो कुछ होता है वह एक बिल्कुल भिन्न मुद्दा है।

यदि आन्तरिक रूप से कोई षडयंत्र चल रहा है तो पार्टियां इसका ध्यान रखेंगी। लेकिन यहां प्रश्न उस संवैधानिक संकट का है जो यहां उठ खड़ा हुआ है। उसके लिए ये राज्यपाल जिन्होंने एक बन्धक मजदूर की तरह कार्य किया है जिम्मेदार है।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : मुझे 'बंधुआ मजदूर' शब्दों पर आपत्ति है। वह राज्यपाल के लिए इन शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं राज्यपाल के हटाने की मांग कर रहा हूं, तो उनको केन्द्रीय सरकार का बंधुआ मजदूर पुकारना उचित ही है। (व्यवधान)।

सरदार बूटा सिंह : आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है। मैंने तो केवल उसे दोहराया है जो कुछ प्रो० दंडवते ने सदन में कहा है। और षडयंत्र के उनके प्रश्न का उत्तर भी और किसी ने नहीं बल्कि जनता दल के उपाध्यक्ष ने दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका राज्यपाल के षडयंत्र में कुछ ताल्लुक नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : इसका और किसी से क्या ताल्लुक है? क्या आप चाहते हैं कि कि मैं आपसे यह कहूं कि यह षडयंत्र मैंने रचा है? क्या तब आप प्रसन्न होंगे? मैं नहीं जानता कि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनायी जा रही है। उनके प्रश्न का सीधा उत्तर आज के समाचार पत्र में श्री रामकृष्ण हेगड़े द्वारा दिया गया है। मैं नहीं जानता, हो सकता है अब तक उन्होंने उसका खण्डन कर दिया हो।

प्रो मधु दण्डवते : जो कुछ पार्टी में हुआ वह उसका उल्लेख कर रहे थे। और मैंने संवैधानिक संकट का उल्लेख किया था जोकि राज्यपाल के षडयंत्र के कारण पैदा हुआ था।

सरदार बूटा सिंह : आपके नेता ने षडयंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। क्या अब आप इसे अपनी पार्टी में उठाएंगे और पता लगाएंगे कि इस षडयंत्र को रचने में कौन जिम्मेदार है और उसे इस देश के नोटिस में लाएंगे? कर्नाटक के लोग चाहते हैं कि आप इसके बारे में बताएं? यह सभा चाहती है कि आप हमें इसके बारे में बताएं। यदि आप वास्तव में अपनी पार्टी के प्रति सच्चे और वफादार हैं, तो कृपया उस षडयंत्र का पर्दाफाश कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : वह समझते नहीं। वह संवैधानिक संकट और पार्टी के अन्दर निजी संकट के बीच भेद को नहीं समझते।

सरदार बूटा सिंह : ठीक है मुझे मालूम नहीं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। आपने जिस षडयंत्र का उल्लेख किया है और जिस षडयंत्र का श्री रामकृष्ण हेगडे ने उल्लेख किया है उन दोनों के बीच मुझे कोई अन्तर दिखाई नहीं देता।

प्रो० मधु दंडवते : स्पष्ट रूप से, ये दो अलग अलग बातें हैं।

सरदार बूटा सिंह : यह एक जैसा षड़यन्त्र है। इतना ही नहीं। मुझे उस बात का उल्लेख करने दीजिए जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के मेता श्री बी. बी. सिवप्पा ने कही थी। मुझे यकीन है कि श्री बी. बी. सिवप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही विधायक को स्वीकार नहीं किया है। जो भी हो, आप कर्नाटक के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे विचार में आप इस बात का पता लगा लेंगे कि क्या यह सच है। विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बी. बी. सिवप्पा यह महसूस करते हैं कि जनता दल के पतन के लिए जनता दल को ही दोष देना होगा। वास्तव में, सरकार खतरे में थी।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : लेकिन इसमें राज्यपाल की कार्यवाही को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? इसका राज्यपाल की कार्यवाही से क्या लेना देना है? हमें उनकी आपसी लड़ाई की चिन्ता नहीं है। यह प्रस्ताव कुछ और चीज है। हम उद्घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप इस तरह हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं ? यदि इसमें कोई असंसदीय शब्द हैं तो आप मुझे बताईये, मैं यह देखूंगा कि वे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किये जाए। लेकिन उन्हे बोलने दीजिए।

श्री बी० किशोर चन्द्र एम० देव : हमें जनता दल के आपसी झगड़ों में क्या लेना है ? इससे राज्यपाल का व्यवहार कहां तक न्यायोचित ठहराया जा सकता है ? जिस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है उसके लिए यह कैसे प्रासंगिक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनके उत्तर देने का तरीका है। मैं क्या कर सकता हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : इस तरह की प्रतिक्रिया मेरी समझ में नहीं आती हैं। जब षडयंत्र का उल्लेख किया गया है तो इस षडयंत्र में जो कुछ भी संबंधित है उसे यहां पर लाया जाना चाहिए।

उसी रिपोर्ट में, जनता दल के एक अन्य नेता श्री एम०एस० नारायण राय यह महसूस करते हैं कि जब श्री बोम्मई ने मुख्य मंत्री का पद संभाला था तो उनकी सरकार का भाग्य उसी दिन सो गया था। तभी उनकी सरकार के पतन के बीज बोए गए थे और केवल उसका परिणाम नौ महीने बाद आया था। अतः ये इस षडयंत्र के विभिन्न पक्ष हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप जानते हैं कि यह नारायण राय कौन है ? यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री देव गौडा के साथ पार्टी छोड़ी थी। वह जनता दल के नहीं जनता पार्टी के सदस्य हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यह बात ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ही सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है (**व्यवधान**)।

सरदार बूटा सिंह : श्री आचार्य यह मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। गृह मंत्री होने के नाते, मुझे दिन में तीन बार यह जांच करनी होती है कि कौनसा नेता जनता दल में है, और कौनसा नेता जनता पार्टी में है (**व्यवधान**)।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : कांग्रेस मंत्रियों की तरह।

सरदार बूटा सिंह : यदि उनकी पार्टी का भाग्य ही ऐसा है······।

प्रो० मधु दंडवते : यह आपके अपने व्यक्ति का भाग्य है। क्योंकि श्री बीरेन्द्र पाटिल भी जो यहां पर बोले थे, जनता पार्टी में थे और उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव में हार जाने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। आपको भी यह बात नोट करनी चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : मैं रोजमर्रा की घट-बढ़ के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कभी कभी हम भी आपके मंत्रियों को नहीं पहचान पाते।

सरदार बूटा सिंह : इतना ही नहीं । मेरे माननीय साथियो, श्री वीरेन्द्र पाटिल, श्री जाफर शरीफ, श्री संतोष मोहन देव और श्री नन्जे गौडा ने **इंडियन एक्सप्रेस** से अभी अभी कुछ पढ़ा है। यह एक ऐसा समाचार पत्र है जोकि जनता दल के नेताओं को बहुत ही अधिक प्रिय है । यह एक ऐसा समाचार पत्र है जो दिन रात जनता दल को सहारा देता है । इसी ने उन्हें मूल···दिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे पास कोई बाइबल नहीं है जिसके प्रति हम वचनवद्ध हैं ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसी बात से कि उन्हें स्वयं को बचाने के लिए **इंडियन एक्सप्रेस** का उदधरण करना पड़ा, यह पता चलता है कि उनका मामला कितना कमजोर है । **(व्यवधान)** ।

सरदार बूटा सिंह : इसे बड़ा नाम दिया गया है । **(व्यवधान)** ।

प्रो० मधु दंडवते : **इंडियन एक्सप्रेस** की रात-दिन आलोचना करने के बाद, अब वे उनका उल्लेख करना चाहते हैं । क्या दुखदघटना है ?

सरदार बूटा सिंह : क्यों नहीं । मजबूरी से यदि उन्होंने कुछ निश्चित वास्तविकताओं को अभिव्यक्त किया है जोकि उनके समाचार पत्र में आयी हैं ।···**(व्यवधान)** ।

जहां भी सच्चाई है मैं उसका उल्लेख करूंगा चाहे यह किसी शैतान का उद्धरण भी क्यों न हो । यदि इसमें भी सच्चाई होगी तो मैं निश्चित रूप से उनका उल्लेख करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : जो कुछ उनके हक में जाता है वह सत्य है । **(व्यवधान)** ।

सरदार बूटा सिंह : अब हमें यह जानना चाहिए कि **इंडियन एक्सप्रेस** ने क्या कहा है । इसमें छः पैराग्राफ हैं । मैं सभी छः पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा । मैं केवल तीन मुख्य सबकों पर प्रकाश डालूंगा जोकि उन्होंने तैयार किये हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : आप सवैधानिक संकट के बारे में बात करें ।

सरदार बूटा सिंह : मैं उस विषय पर आऊंगा । आप अब चिन्तित क्यों हैं । दो दिनों में आप इसके बारे में बात कर रहे हैं और मुझे आपके मुद्दों के बारे में उत्तर देना हैं **(व्यवधान)** । पहला पहला जो उन्होंने तैयार किया है, वह यह है कि "सरकार को स्वयं जनता के आदमियों ने ही गिराया है । यह पहला सबक है जोकि भविष्य में लोगों द्वारा याद किया जाएगा ।" यह एक सबक है ।

दूसरा सबक जो उन्होंने तैयार किया है वह यह है "कि शालीनता, कि तुष्टीकरण नीति पार्टी के लिए सरकार को नहीं बचा सकी ।"

तीसरा सबक वे कहते हैं, "वी.पी. सिंह आदि के लिए है, यदि वे किसी बात पर ध्यान देंगें । पूर्णतया पूरे दो वर्षों तक श्री वी. पी. सिंह को उसके साथियों से इस बात से अलग रखा गया जो उसके साथी उसके साथियों से करते रहे ।" यह नेता का अच्छा गुण है-जो कुछ उसके साथी उनके साथियों से करते रहे हैं ।" इसमें कहा गया है, "उसे अलग रखा ," सबसे पहले बहाना तो यह था कि यह बाल जनता पार्टी से संबंधित थी और वह केवल जन मोर्चा में थे, अभी हाल ही में उनका यह बहाना था कि वह कार्यालय के कार्य में व्याप्त हैं और जनता दल के यूनिटों के लिए सही पदा-धिकारियों की बड़ी सूची को अन्तिम रूप दे रहे हैं । अब तक जो प्राप्त हुआ अब उन्हें उचित प्रक्रियाओं के बारे में समाचार पत्रों के लिए वक्तव्य जारी करने हैं ?"

इसमें आगे कहा गया है ,

"निसंदेह ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनकी जांच की जानी थी" ।

आप राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने राज्यपाल के बारे में बात की । उन्होंने राज्यपाल की आलोचना की ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने श्री बूटा सिंह के बारे में भी बात की । आप उसे पढ़िए । इंडियन एक्सप्रेस ने श्री बूटा सिंह के बारे में जो कुछ कहा है आप उसे पढ़िए ।

सरदार बूटा सिंह : राज्यपाल की आलोचना करने के बाद अब वह सरकारिया आयोग का हवाला देकर यह कहते हैं कि "राज्यपाल को इस ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए था ।" निर्णायक (अन्तिम) पैरा में जो कि बहुत ही अर्थपूर्ण है, वह कहते हैं कि "इन योग्यताओं का पालन करना चाहिए । किन्तु वे मूल (आधारभूत) तथ्यों में परिवर्तन नहीं करते हैं : विपक्ष ने अपनी ही सरकार की हत्या की है ।"

अन्तिम पैरा में श्री वी. पी. सिंह की बात करते समय वह फिर से कहते हैं कि "जब तक श्री वी. पी. सिंह और उनके साथी इन तत्वों को नहीं हटाते हैं ; जब तक श्री देवी लाल और उनके साथी अपने निकट के प्रतिद्वंद्वियों पर काबू पाने के लिए समय-समय पर इन तत्वों के साथ सांठ-गांठ करने की अवसरवादिता से छुटकारा नहीं पाते हैं ; जब तक आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारें अपने सदनों की सही व्यवस्था नहीं करती हैं ; और जब तक यह सब कार्य नहीं किया जाता है तथा ये नेता गैर-पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की अन्तहीन कार्यवाही समाप्त नहीं करते ।"

अब, इससे सारी घटनाएं स्पष्ट हो जाती हैं ।

प्रो. मधु दंडवते : इंडियन एक्सप्रेस ने आपके बारे में जो कुछ कहा है क्या आप उसे भी पढ़ेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : यह बंगलौर में जनता दल की सरकार में पक रही खिचड़ी का स्पष्ट चित्रण करता है । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब जनता दल के नेता बन गए हैं वह उच्च नैतिक मूल्यों, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार और सत्ता के लिए अपनी लालसा की अनासक्ति के बारे में बात कर रहें हैं। आपने केवल उनकी इलाहबाद की सफलता देखी है । आप जानते हैं क्या हुआ ? इलाहाबाद चुनाव के बाद दो बड़ी ताकतें अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मुस्लिमों, जिन्होंने उनकी सहायता की थी में फूट पड़ गई । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सबसे पहले कहा "उसने हमें धोखा दिया है ।" जब श्री वी.पी. सिंह इलाहाबाद से चुन लिए गए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को धोखा दिया ।

श्री हन्नान मोल्लाह : इससे तो केवल आपके भय का पता चलता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : संविधानिक संकट से इस बात का क्या संबध है ।

सरदार बूटा सिंह : उन्हें यह बचन दिया गया था कि वह उनका साथ देंगे । आचार्य जी, मैं आपको बताता हूं, यह आपके हित के लिए है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने श्री वी० पी० सिंह के

खिलाफ यह संकल्प पारित किया कि उसने उन्हें यह वचन दिया था कि वह जम्मू और कश्मीर के विशेष अनुच्छेद के निरसन के लिए कार्य करेंगे, वह अल्पसंख्यक आयोग को भंग कराने के लिए कार्य करेंगे किन्तु इसके विपरीत दूसरी ओर, हुआ क्या ? श्री हाजी मस्तान ने एक पत्र लिखा ।

श्री बसुदेव आचार्य : यह किस प्रकार संगत है ?

सरदार बूटा सिंह : मुझे यह बताना है कि कर्नाटक में पार्टी को किस प्रकार का नेतृत्व मिला हुआ है ।

श्री हाजी मस्तान ने सार्वजनिक तौर पर एक पत्र लिखा जो प्रेस में भी प्रकाशित किया गया । उसने सार्वजनिक रूप से श्री वी० पी० सिंह पर उसे नीचा दिखाने का आरोप लगाया है । उसके अनुसार उसने विभिन्न महानगरों के लोगों को तैयार करके इस वायदे के साथ श्री वी० पी० सिंह के चुनाव में ढेर सारा धन दिया कि श्री वी० पी० सिंह उसे बाबरी मस्जिद दिलाएगें और मुसलमानों का समर्थन करेंगे । मैं केवल वही बात कह रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रैस ने कही है कि श्री वी० पी० सिंह ने किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान किया है ।

अब प्रो. मधु दण्डवते की बात पर दोबारा आते हुए ··· ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने सोचा था कि श्री एच. के. एल. भगत ही ऊल-जलूल बात कर सकते है । किन्तु वह तो श्री भगत से भी आगे निकल गये ।

सरदार बूटा सिंह : प्रो. दण्डवते जी ने ऐसा कहा । (**व्यवधान**) कर्नाटक के राज्यपाल ने अपनी रिर्पोट में दो कारण दिए हैं । पहला कारण तो यह है कि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो चुका था । दूसरा यह कि विधायकों को वापस लाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी थी ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : कैसे पता चला ?

सरदार बूटा सिंह : मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे पता चला ।

श्रीमान् आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है । आप सिर्फ 1977 का श्री गोविन्द नारायण जी, गवर्नर साहब का पत्र उठा कर देख लें । यही दो रीजन, यही दो तर्क श्री गोविन्द नारायण जी ने, दिसम्बर, 1977 में दिये हैं जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी थी ।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : उन विधायकों की संख्या एक तिहाई से भी कम थी । राज्यपाल ने इस पर विचार कैसे किया ? (**व्यवधान**) आप चोर दरवाजे से दसवीं अनुसूची को समाप्त नहीं कर सकते ।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : आपको इसमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है । आप केवल 1977 की गवर्नर की रिर्पोट को पढ़ लें । आपको उससे पता चलेगा कि यही दो कारण उस वक्त के गवर्नर ने दिये थे । उन्होंने भी ये दो प्वाएंट रखे थे ।

[अनुवाद]

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : आप मुझे उत्तर दें। मैंने अपने भाषण में यह कहा था। जब हम बोले थे उस समय वह उपस्थित नही थे उन्हें नहीं पता है कि कौन से मुद्दे उठाए गए थे। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मेरी अनुमति के बिना वे जो कुछ कहते हैं वह रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पष्ट करेंगे। आप बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह मान्य और कानूनी प्रश्न है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : श्रीमान, उस वक्त के कर्नाटक के राज्यपाल महोदय ने, दिसम्बर 1977 में राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी उन्होंने दो ही आरगुमेंट्स अपनी रिपोर्ट में दिए थे। श्री गोविन्द नारायण जी ने अपने रिपोर्ट के पैरा नं. दस में लिखा था।

[अनुवाद]

> "साधारणतया मंत्री परिषद् के बहुमत का परीक्षण सदन में किया जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान स्थिति में मेरे सामने मुख्य विशेषताएं लाई गयी थी।"

[हिन्दी]

और उसमें स्पेशल फीचर कैसे-कैसे है, उन्होंने पैरा 12 में कहा है —

[अनुवाद]

मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

> "विभिन्नि गुटों में वास्तव में इस बात का भय समा गया है कि विधान सभा के सत्र के समय तक सरकार के लिए समर्थन जुटाने के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जाएगा।"

[हिन्दी]

और इससे भी ज्यादा उस वक्त की भारत सरकार का जो प्रेस नोट है, वह पढ़ने के काबिल है, जिसमें प्रो. दण्डवते जी मंत्री थे। और तो ज्यादा चेहरे उस तरफ नजर नहीं आते जो मंत्री रहे हों, लेकिन दण्डवते जी उसमें मंत्री थे। उस वक्त आपकी सरकार ने जो प्रेस नोट दिया था सन 1977 में, उसको आप देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वही कारण आज वेंकटसुबैया जी ने दिए हैं जो उस वक्त श्री गोविन्द नारायण जी ने दिए थे। (व्यवधान)।

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों दिये थे।

सरदार बूटा सिंह : आचार्य जी, सुनेंगे तो पता चल जाएगा।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

यह भी मोरार जी देसाई के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया प्रेस नोट है। इसमे कहा गया है :

"आज प्राप्त हुई राज्यपाल की रिपोर्ट से सरकार के लिए मामले की नए सिरे से समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।"

[हिन्दी]

उस वक्त भी श्री गोविंद नारायण जी ने पहले चिट्ठी लिखी थी, फिर टेलीप्रिंटर पर मैसेज दिया था. आज भी वेंकटसुबैया जी ने पहले चिट्ठी लिखी और जब उन्होंने देखा कि हार्सट्रेडिंग हो रही है तो टेलीप्रिंटर पर मैसेज भेजा कि मेरे पास ऐसी सूचना आई कि कुछ एम. एल. एज. चिट्ठियां वापिस लेकर आ रहे हैं। स्टेटसमैन ने तो यहां तक लिखा है कि बंगलौर में सब्जी मण्डी की तरह सेल काउंटर खुल गया था, एम. एल. एज. की कीमत बाजार में पड़नी शुरू हो गई, यह स्टेटसमैन ने लिखा है ··· (व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने ही यह खरीद फरोख्त शुरू की है (व्यवधान) ··· ।

सरदार बूटा सिंह : जी नहीं। मैंने नहीं की। यह श्री बोम्मई ने शुरू किया। श्री हैगड़े ने शुरू किया ··· (व्यवधान)।

प्रो. मधु दण्डवते(राजापुर) : बूटा सिंह जी खरीद फरोख्त कहीं भी ठीक नहीं है। श्री भजन लाल व्यापारी ही नहीं हैं बल्कि वह तो थोक व्यापारी हैं। वह पूरी मंत्री परिषद को एक ओर से दूसरी ओर ले गए थे। आपको इसके बारे में क्या कहना है? ··· (व्यवधान)।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : उस वक्त की सरकार का प्रेस नोट कहता है (व्यवधान)। हरियाणा के बारे में पूछेंगे तो वह भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तो कर्नाटक की बात हो रही है। उस वक्त की भारत सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक -

[अनुवाद]

राज्यपाल ने यह कहा कि अनुचित प्रभाव, रिश्वत और धमकी आदि राज्य में राजनीतिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं और इस बात का भी भय था कि विधान सभा कि कार्यवाही, जो 3 जनवरी को होनी थी, स्वतंत्र रूप से और व्यवस्थित रूप से होगी या नहीं।

[हिन्दी]

यह था उस वक्त का जवाब जो भारत सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने जिसके मुखिया श्री मोरारजी भाई थे और जिसमें श्री दण्डवते जी विराजमान थे, उस वक्त की सरकार ने कहा था, असेम्बली बुलाई जा चुकी थी, मुख्यमंत्री खुद जाकर कहता था।

[अनुवाद]

"मुझे एक अवसर दीजिए। मैं विधान सभा में जा रहा हूं।"

[हिन्दी]

उस वक्त की भारत सरकार ने यह कहा था कि हम असेंबली के सामने नहीं जाने देंगे क्योंकि मेंबर्स खरीदे जा रहे हैं, मेंबर्स को इंटीमिडेट कर रहे हैं, असेंबली में पूरी तरह से फ्री एण्ड फ्रेंक डिसकशन नहीं हो सकता, इसलिए हम काल की हुई असेंबली को भंग करते हैं। जरा फर्क देखिए दिनेश गोस्वामी जी, फर्क इतना है।··· (व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : बूटा सिंह जी क्या आपने उस समय इसका विरोध नहीं किया था? आपने उस समय इसका विरोध किया था ··· (व्यवधान)।

सरदार बूटा सिंह : फर्क इतना था कि उस वक्त के मुख्य मंत्री का दावा था कि मेरी मेजारटी है, आज का मुख्य मंत्री श्री बोम्मयी यह दावा नहीं करता था कि मेरी मेजारटी है आज का मुख्यमंत्री श्री बोम्मयी यह दावा करता था कि कृपया मुझे टाइम दीजिए, मैं मेजारटी, बनाकर दिखा दूंगा।···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वह गलत उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "27 तारीख से पहले मैं परीक्षण के लिए तैयार हूं।" (व्यवधान)।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : इसलिए असेंबली में जाने की इजाजत दीजिए, मैं अपनी मेजारटी असेंबली में दिखा दूंगा।···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : गलत उद्धरण न दें ··(व्यवधान)।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मिस्टर बोम्मयी ने आज तक यह क्लेम नहीं किया कि उसके पास 19 और 21 को मेजारटी थी, हेगड़े जी ने यह क्लेम नहीं किया, जब इनके जनता दल की पार्टी मीटिंग हुई, उसमें 95 लोग हाजिर थे, इन्होंने प्रेस को 98 लोग बताए। जब प्रोसेशन की शक्ल में मुख्य मंत्री और उनके साथी राजभवन में गए, एक सूचना के अनुसार तो 82 लोग थे, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : आप उन सबको बंगलौर में रहने की कैसे अपेक्षा करते हैं। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : राजभवन में गए तो राजभवन में जाकर श्री बोम्मयी ने राज्यपाल को यह नहीं कहा कि देखिए यह मेरी मेजारटी है।

श्री बसुदेव आचार्य : असेंबली में क्यों नहीं गए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि श्री बोम्मई के साथ विधान सौध से चले गए। श्री रामकृष्ण हेगड़े राजभवन के अन्दर नहीं गए। वे दरवाजे पर बैठ गए।

प्रो० मधु दण्डवते : कैसे जाते ।

सरदार बूटा सिंह : दंडवते जी, इसमें रहस्य है । हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि श्री हेगड़े जी में मोरल करेज नहीं था कि गवर्नर से आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें । बैंगलोर में लोगों का यह कहना है कि यह वही हेगड़े थे जिन्होंने मेजोरिटी खत्म की थी इसलिए वे कैसे गवर्नर के सामने जा सकते थे ।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा नहीं है ।

सरदार बूटा सिंह : मेरी समझ में नहीं आता आचार्य जी क्यों इतने परेशान हैं । मेरा दिल चुराए हुए वे बैठे हैं । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कहा है, आपने नहीं सुना ।

सरदार बूटा सिंह : हेगड़े जी बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत बड़े पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने समझा कि अगर अन्दर जाऊंगा तो मेरी कली खुल जायेगी इसलिए दरवाजे पर ही बैठ गए और अखबारों में फोटो छपवा दी । मैंने अपने बैंगलोर के दोस्तों को वह फोटो दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसमें एक भी एम०एल०ए० नहीं है । इसका मतलब यह है कि उनके पास मैजोरिटी उस वक्त भी नहीं थी ।

श्री बसुदेव आचार्य : असेम्बली क्यों नहीं बुलाई ।

सरदार बूटा सिंह : मैं बताऊंगा क्यों नहीं बुलाई । जो नैतिकता की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं । मुख्य मंत्री मेजोरिटी में रहकर असेम्बली कॉल करे तो उसका हक है । जब उसकी मेजोरिटी खत्म हो गई तो उसको असेम्बली कॉल करने का कोई हक नहीं है । कल से मैं जनता दल के नेताओं के विचार और आरग्युमेंट सुन रहा हूं । अगर उसको सम-अप किया जाए···· ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप जब यहां नहीं थे तो आपने सुना कैसे ।

सरदार बूटा सिंह : आपकी पूरी डिबेट मेरे सामने है । सारा लिखा हुआ मैंने पढ़ा है । जब तक देखूंगा नहीं तो आपके सामने बोलूंगा कैसे । सिर्फ सदन में सुनना ही नहीं बल्कि हमारे कमरे में भी सुनने का प्रबंध है । पूरी डिबेट पढ़कर आता हूं इसलिए आप खामोश रहिए ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसलिए ऐसा जवाब दे रहे हैं ···(व्यवधान) ।

सरदार बूटा सिंह : मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए । जनता दल के नेताओं ने, तेलुगु देशम के नेताओं ने और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत बड़े-बड़े प्रिंसिपल की बात की कि देश के हित में प्रिंसिपल कायम करने चाहिए, पालियामेंटरी डेमोक्रेसी तभी बचेगी । वह तभी बचेगी अगर हम पालियामेंटरी डेमोक्रेसी के बेसिक टैनेट्स को पार्टी के हित से कहीं ऊपर रखें । श्री दंडवते जी, श्री गोस्वामी जी और इन सबका एक ही गुस्सा है और वह गुस्सा यह है कि श्री वेंकटसुब्बैया जी ने जनता दल की सरकार क्यों नहीं बचाई ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमारा कोई गुस्सा नहीं है ।

[अनुवाद]

मुझे जनता दल सरकार से कुछ लेना-देना नहीं है ।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : गवर्नर के सामने क्या चारा रह जाता जब—

[अनुवाद]

अनेक विधायकों ने राज्यपाल को हस्ताक्षरित पत्र दिये थे ।

[हिन्दी]

आपने यह कहा कि उसमें ऐंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगाया । आप जानते हैं कि एन्टी डिफेक्शन लॉ में गवर्नर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है । एन्टी डिफेक्शन लॉ को स्पीकर साहब को इंटरप्रेट करना होता है । श्री बोम्मई जो मुख्य मंत्री थे, उनको चाहिए था कि वे स्पीकर साहब के पास जाते और यह कहते कि मेरी पार्टी के 19 एम०एल०एज० गवर्नर के पास लिखकर दे चुके हैं उन्होंने मेरा समर्थन वापिस ले लिया है और स्पीकर से कहकर एंटी डिफेक्शन लॉ की सिफारिश कर सकते थे कि हम उन मैम्बर्स को अपनी पार्टी से बरखास्त करते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन उन्होंने तो विदड्रा कर लिया ।

सरदार बूटा सिंह : गवर्नर की नहीं मैं स्पीकर की बात कर रहा हूं । अगर बोम्मई स्पीकर के पास ऐसी पत्रिका देते··· ।

उनको एप्लीकेशन देते कि हमने जनता दल से 19 विधायकों, जिन्होंने हमारे समर्थन को वापिस ले लिया है उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है, मैं समझता हूं उनके लिए यह रास्ता ठीक था, उनकी सरकार बच जाती··· (व्यवधान) ।

[अनुवाद]

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : तब उन्होंने विधान सभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है । (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : भूल जाइए । यह मेरा काम नहीं है । आप श्री बोम्मई को यह सलाह दीजिए ।

[हिन्दी]

मैं तो यह कह रहा हूं कि सीधा प्रश्न था, अगर एंटी डिफेक्शन ला से उन्होंने फायदा उठाना होता या उठा सकते तो वह सीधे स्पीकर के पास चले जाते या यह कह देते कि 19 विधायकों ने हमारी पार्टी के हित के खिलाफ राज्यपाल के पास चिट्ठी लिखी है, वह जाकर एप्लीकेशन देते । लेकिन यह क्या उम्मीद करते है कि श्री वेंकट सुबैया लिखते या चिट्ठियां लेकर जाते बोम्मई साहब की कोठी में कि श्रीमान यह 19 खत आपकी पार्टी के मेरे पास आये हैं मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार जैसे-तैसे करके बनी रहे इसलिए मैं यह 19 खत आपको वापिस देता हूं तब तो वेंकटसुबैया बहुत अच्छे थे, यही तो सारा तात्पर्य है । अगर श्री वेंकटसुबैया 19 चिट्ठियां लेकर बोम्मई साहब की कोठी चले जाते और यह कह देते कि यह आपके विधायक बागी हो गये हैं मैं इनको हाथ नहीं लगाना चाहता हूं यह आप ले लीजिये तब श्री वेंकट सुबैया अच्छे थे । लेकिन श्री वेंकटसुबैया के संविधान में एक प्रावधान है कि जब उनके सामने एक लिखित डाक्युमेंट चला जाये तो उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा ।

[अनुवाद]

वह नहीं छोड़ सकते । उन्हें रिपोर्ट देनी ही है ।

[हिन्दी]

अरे, आप क्या बात करते हैं, मैंने जैसा शुरू में कहा, 1977 में जो एक्शन लिया गोविन्द नारायण जी ने वह चिट्ठी पर नहीं लिया, वह आल इण्डिया रेडियो बोला था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, वह लाल कृष्ण आडवाणी जी का रेडियो सुनकर ही चिट्ठी लिख दी, कमाल की बात है । वह रेडियो पर सुनें और चिट्ठी लिख दें तो वह ठीक है और यहां गवर्नर के सामने 19 चिट्ठयां पड़ी हों और वह वेरीफाई हो चुकी हों फिर आप समझते हैं गोस्वामी जी कि यह गवर्नर साहब ने गलत काम किया, मैं समझता हूं कि यह तो जयादती है गवर्नर साहब के साथ । (व्यवधान) ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आप एक क्षण के लिए मानेंगे ? क्या आपने वर्ष 1977 में श्री गोविन्द नारायण जी की कार्रवाई का समर्थन किया था···(**व्यवधान**) ।

सरदार बूटा सिंह : मैं क्यों करता ?···(**व्यवधान**) ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने उस समय भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध करते हैं । वह भी असंविधानिक था और यह भी असंविधानिक है । ···(**व्यवधान**) ।

सरदार बूटा सिंह : जब आप उच्च नैतिकता की बात कहते हैं, जब आप उच्च परम्पराओं की बात कहते हैं तो मैं भी आपके या आपकी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करूंगा ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं उस समय नहीं था ।

सरदार बूटा सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप ···(**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यदि कल कोई गैर-कांग्रेसी सरकार केन्द्र में आती है और आपात-स्थिति लगाती है तथा यह कहती है कि क्योंकि वर्ष 1975 में उन्होंने आपात स्थिति लागू की थी इसलिए अब भी आपातस्थिति न्यायोचित है तो वह इस तर्क को स्वीकार करेंगे ? वह कहें कि, हां करेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : दण्डवते जी सुनिए, मैं इसका भी जवाब देता हूं । यह परिस्थिति पैदा हुई थी नागालैंड में । वहां पर 13 विधायकों ने लिखकर दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ स्पीकर साहब को । स्पीकर साहब ने उसका नोटिस ले लिया । नतीजा यह हुआ कि एक परिस्थिति पैदा हुई और हम पार्टी की तरफ से एक आब्जर्वर के रूप में गए । उस वक्त तक कार्यवाही नहीं हुई थी । उस वक्त के डिसीडेंट्स के लीडर मिस्टर चिसी मेरे पास आये मिलने के लिए । उन्होंने कहा कि हम 13 चिट्ठियां वापिस लेते हैं, पैसा लेकर नहीं, यदि आप लीडर को चेंज कर दो तो हम यह चिट्ठियां वापिस लेते हैं । मैंने उनसे कहा कि आपने गलत काम किया है । यह आपको यह काम करना या तो आप दिल्ली आते कांग्रेस अध्यक्ष के पास तब हम आपकी बात सुनते । अब आपने क्योंकि लिखकर स्पीकर को दिया है तो हम यह फैसला लोगों के पास ले जायेंगे और हमने अपनी खुद की विधान सभा भंग कर दी । आप क्यों भूलते हैं यह । हमने नागालैंड के लोगों को अधिकार दिया कि वह अपनी सरकार का चयन करें । मिजोरम में यही कुछ हुआ था । आप क्यों भूलते हैं ।

[अनुवाद]

मिजोरम में सत्तारूढ़ दल के एक तिहाई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।

[हिन्दी]

और नतीजा यह हुआ कि उस वक्त की सरकार माइनोरिटी में चली गई और जो लोग रिजाइन करके आये थे उन्होंने लिखित रूप में राज्यपाल महोदय से प्रार्थना की कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कोलीशन बनाने के लिए तैयार हैं। प्रस्ताव हुआ, मगर हमने वहां भी इसी कर्पेशन को सामने रखते हुए यह कहा कि नहीं, आप चाहे एंटी डिफेक्शन ला के नीचे सीधे मायने में वन थर्ड लेकर आये हैं, फिर भी हम इसका दुरूपयोग नहीं करेंगे। हम मिजोरम के लोगों के ऊपर छोड़ेंगे वह फैसला करेंगे। हमने मिजोरम की विधान सभा भंग की, आप क्यों भूलते हैं, क्या बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी की विधान सभायें भंग हुई हैं····हमने इस मामले

3.00 म०प० में कभी किसी का लिहाज नहीं किया। सैफुद्दीन जी, यहां आप की बात नहीं हो रही है, इसलिये आप बैठिये। श्रीमन्, मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नर के पास कोई दूसरा रास्ता नही था। क्या मेरे माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गवर्नर इनके जनता दल को चलायें, इसकी कभी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कांसटीट्यूशन के खिलाफ है। अब मैं आपसे वह बात करना चाहता हूं जो इन्होंने वैल्यू बेस्ड पौलिटिक्स की बात यहां कही···।

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप यह बताइये कि 1984 में आन्ध्र में क्या हुआ था ?

सरदार बूटा सिंह : अरे, मैं क्या बताऊं कि 1984 में आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ था, अच्छा बताता हूं, आप जरा बैठिये। (**व्यवधान**)।

आप जरा बैठिये, इन्होंने मुझसे पूछा है कि 1984 में आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ था, पहले मैं वह इनको बता दूं। आप यहां आन्ध्र की बात करते हैं, आन्ध्र में तो मारने वाले और मरवाने वाले दोनों ही आपके पास बैठे हुए हैं, जिन्होंने मारा वह भी आपके पास हैं और जिन्होंने मरवाया वह भी आपके पास बैठे हैं दोनों ही आपके पास हैं। क्या आप मुझसे नाम लेने के लिये कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सदन में किसी का नाम नहीं लूंगा। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर वैल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की इन्होंने काफी चर्चा की।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? जब मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं तो आप बीच में व्यवधान डालना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उनका व्यवस्था का प्रश्न है कृपया उन्हें अनुमति दीजिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, नियम उद्धृत किये बिना, वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : ठीक है, मैं मान लेता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यहां बार-बार यह उल्लेख किया जा रहा है कि 1977 में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था और 1980 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस (आई) और जनता इसमें दोनों पार्टियां शामिल थी। मैं जानना चाहता हूं उस समय किसने संविधान का पालन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। मैं इसे रद्द करता हूं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, यहां पर वैल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की बहुत चर्चा हो रही थी, हाई मोरल वैलयूज की बात हो रही थी, पोलिटिकल डीसेंसी की बात हो रही थी, पालियामेंटरी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा यदि मैं माननीय सदन को कर्नाटक में पिछले दो सालों में कितनी हाई वैलयूज की बातें होती रहीं, उसकी जानकारी दूं, संक्षेप में इस माननीय सदन को भी उससे अवगत कराऊं। आपको जरूर सुनना चाहिये कि वहां क्या होता रहा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक मिनट में खत्म करूंगा। जब मैंने सदन में श्री अय्यपू रेड्डी से वैल्यू शब्द सुना, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी चर्चा की, हाई वैलयूज की, जो हमारे बहुत विद्वान सांसद हैं, उन्होंने हाई वैलयूज की बात की और जनता दल के एक नेता श्री राम कृष्ण हेगड़े भी इसका बहुत ढिंढोरा पीटते रहे कि वे हाई वैल्यूज कायम करना चाहते हैं और उनकी कार्यावधि में मैंने "वैलयू" शब्द का डिक्शनरी में मतलब निकालने की कोशिश की, उसका अर्थ जानने का प्रयत्न किया तो वैल्यू के माने निकलते हैं "मूल्य"। मूल्य को दाम और कीमत भी कहा जाता है। जनता पार्टी और जनता दल के कार्यकाल में क्या कीमत निर्धारित हुई, आठ बार 1987 से लेकर, पहली बार हुई जब राज्य सभा के इलैक्शन्स हुए, उस वक्त कीमत थी दो लाख रुपये प्रति एम.एल.ए.। मैं खुद भुक्तभोगी हूं क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में वहां गया हुआ था और उपाध्यक्ष जी, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रात के करीब डेढ़ बजे हमारे दो एम.एल.ए. आये, जहां मैं ठहरा हुआ था और मुझे जगा कर कहा कि साहब, अनर्थ हो रहा है, हमारे कमरे में जनता पार्टी के लोग यह थैली फैंक कर अभी गये हैं, हम यह पैसा आपके पास लेकर आये हैं। मैंने उसी वक्त पार्टी की मीटिंग काल की। यह हंसने की बात नहीं है, सुनने की बात है।

सुनने की बात है····(**व्यवधान**) आचार्य जी जरा सुनिए।

उपाध्यक्ष जी, सारी रात बैठकर हमने पार्टी के सभी लोगों को एकत्र किया और सबसे पहले सुबह (**व्यवधान**)···।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : ये सब बातें मत कहिए।

सरदार बूटा सिंह : क्यों नहीं ? केवल सुनिये। अगर आप सुनोगे तो आप महसूस करोगे। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए (**व्यवधान**)।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आपने शुरू किया है।

सरदार बूटा सिंह : मालूम है, क्या हुआ ? अगले दिन क्या हुआ, हमारी पार्टी के नेता वह रुपया लेकर स्पीकर साहेब के पास गए और स्पीकर कर्नाटका असेम्बली के पास वह रुपया जमा करवाया। (**व्यवधान**)····।

[अनुवाद]

आप सुनिये । आचार्य जी, जब आप सुनोगे तो आप महसूस करोगे ।

[हिन्दी]

वह पैसा आज तक कर्नाटका असेम्बली के स्पीकर के पास पड़ा हुआ है । उसकी जांच हो रही है । अभी तक वह फैसला नहीं हो सका है । सन् 1987 में कर्नाटक में एक एम० एल० ए० की कीमत दो लाख रुपए थी । उसके बाद क्या हुआ, आपको मालूम है, रामकृष्ण हेगड़े ने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने कहा मैं तो सैल्फ कान्फिडेंस लूंगा और सैल्फ कान्फिडेंस लेने के लिए जनता पार्टी के एम. एल. ए. की कीमत दो लाख से बढ़ कर 5 लाख हो गई । तीसरी बार बोम्मई साहेब का इलैक्शन होना था । तब श्री रामकृष्ण हेगड़े को इसलिए दफ्तर छोड़ना पड़ा कि उन्होंने बहुत ही दुराचार का कार्य किया । अपने ही लोगों के टेलीफोन टेप कराए, विरोधी दल के लोगों के टेलीफोन टेप किए और यहां तक उन्होंने किया कि अपनी प्रेमिकाओं के टेलीफोन टेप किए । इसलिए उनको दफ्तर छोड़ना पड़ा । बोम्मई साहब का इलैक्शन हुआ उस वक्त जनता पार्टी के एम.एल.ए. की कीमत 5 से बढ़कर 10 लाख तक हो गई ।

चौथी बार जनता पार्टी में स्प्लिट हुआ और एक हिस्सा···(व्यवधान) ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अरे, आपको इतना एग्जैक्ट कैसे पता है ।

सरदार बूटा सिंह : गंगा जी, आप तो पवित्र हैं, आपकी बात नहीं हो रही है ।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : उसका नाम गीता है ।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मेरे लिए गीता भी उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा ।

श्रीमन्, जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ, तो अपने ही एम. एल. ए. से एफीडेविट लेने के लिए कीमत बढ़ गई, 10 लाख से 12 लाख रुपए हो गई । दो बार कैबिनेट एक्सपेंड हुई और दूसरी बार केबिनेट एक्सपेंड हुई तो एम. एल. ए. की कीमत 10 लाख रुपए एक, चेयरमैनशिप दो, बेंगलौर में प्लॉट और एक मारूति कार और इसके साथ-साथ दस तब्दीलियां, 10 ट्रांसफर्स । अगर इस बात का आपको सुबूत चाहिए, तो उस समय में जब ये बांटे, उस वक्त के जनता दल के एम. एल. एज. को प्लॉट अलॉट हुए हैं, यह सबसे बड़ा सुबूत है । कितने एम. एल. एज. के पास मारूति कारें आई; वह मय सबूत हैं और थोड़े से दिनों में, मैं आपके सामने उसकी सूची पेश कर सकता हूं । एक-एक एम.एल.ए. के कहने पर कितनी-कितनी तब्दीलियां हुई ; यह तीसरा सुबूत है । उसके बाद आखिरी बार जो वैल्यू पॉलिटिक्स हुई है वह 19 तारीख के बाद हुई है । 19 तारीख के बाद जो वैल्यू पॉलिटिक्स हुई है उसका उदाहरण मैं केवल एक पत्र से दिया जा सकता है । जो श्री वास्तानिया जी ने गवर्नर को लिखा है । उसमें उन्होंने लिखा है कि ।

[अनुवाद]

"महामहिम राज्यपाल—कर्नाटक।

राज भवन,

बंगलौर

माननीय महोदय,

मैंने आपको एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि मैंने श्री एस-आर. बोम्मई की नेतृत्ववाली सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया है। यह सराहनीय है कि आपने पहले ही संवैधानिक कार्यवाही करनी शुरू की है, लेकिन परिणामस्वरूप श्री बोम्मई के मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों ने मुझ पर अनावश्यक दबाव डालकर एक अलग तरह के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डाला। यह पत्र उन्होंने आपको भी भेज दिया होगा। लेकिन इस समय आज भी मैं स्वीकार करता हूं और पुष्टि करता हूं कि मैंने श्री एस-आर. बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

इस न्यूज को लेकर "स्टेट्मैन" जैसे अखबार ने पहले पन्ने पर हैडिंग दिया।

(व्यवधान)

यह कहा कि—

"ए फेयर एनकाउन्टर फेल्ड टू क्लिक"

उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि बंगलौर में इस बात की चर्चा है कि क्योंकि एम.एल.ए. को 20 लाख रुपया दिया जा रहा है, 10 लाख कैश-डाउन और 10 लाख गवर्नर साहब के सामने पेश होकर चिट्ठी देने पर।

(व्यवधान)

आचार्य जी, आपके संदर्भ में कर्नाटक में एम.एल.ए. की कीमत जो 2 लाख रुपए से शुरू हुई थी, वह 20 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।

मैं समझता हूं कि श्री वेंकट सुब्बैया जी ने, उस वक्त जो उनके सामने तथ्य पेश किए गए थे, उनकी बिनाह पर जो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी है, उनके इस कदम से यह गर्म-बाजारी बन्द हो गई, एम.एल.एज. की बिक्री बन्द हो गई और कर्नाटक में गणतंत्र को फिर से जीने का मौका मिला है।

श्री वेंकटसुब्बैया जी ने असेम्बली का दुरूपयोग नहीं किया, उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को भी सत्ता नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन हालात में जो सिचुएशन चल रही है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वह सद्गुण के आदर्श है। (व्यवधान)।

श्री एस.एम. गुरड्डी (बीजापुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं ।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अधीन ?

श्री एस.एम. गुरड्डी : मंत्री जी ने विधायकों के बारे में कहा है । क्या आप सोचते हैं कि वे बिक्री के लिए हैं (**व्यवधान**) आपको इसे सिद्ध करना होगा । अन्यथा आपको त्यागपत्र देना होगा (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जी नहीं ।

(**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन् मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो ।

[**अनुवाद**]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : वह संसदीय संस्था का अपमान कर रहे हैं । उनके भाषण के कारण समूचे विधान का अपमान किया गया है । उन्हें राज्यपाल की आचार-संहिता के बारे में उत्तर देने दीजिए । कर्नाटक में आज भी हमारा बहुमत है । अगर कोई व्यक्ति इसकी जांच करना चाहता है तो हम इसे सिद्ध करेंगे (**व्यवधान**) वह लोगों के सामने विधान सभाओं का अपमान कर रहे हैं (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए ।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैं नहीं कह रहा हूं । यह सब पेपर में हैं जो श्री रामकृष्ण हेगड़े जी के बारे में उन्हीं की पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा है । यह जो कुछ भी मैंने कहा, अखबारों में पढ़कर कहा । श्री निजलिंगप्पा जी जैसे वयोवृद्ध नेता ।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें संसद में आने के बजाय धोबी घाट जाना चाहिए ।

सरदार बूटा सिंह : मैं क्षमा चाहता हूं मुझे आपके लिए यह करना होगा लोगों को यह दिखाने के लिए आपके नैतिक विचार कितने ऊंचे हैं । आप लोग ऊंचे नैतिक मूल्यों के नाम पर गरीब लोगों का शोषण करने का प्रयास करते हैं । केवल मैं ही यह नहीं कह दूं । देश में समूची प्रेस ने कहा है श्री निजलिंगप्पा जो हमारे माननीय नेता हैं, एक बड़े स्वतन्त्रता सेनानी ने इसकी भर्त्सना की है और यह एक वर्ष पहले किया जाना चाहिए हमने यह एक वर्ष बाद किया है ।

श्री मधु लिमये जो एक महान सांसद हैं, ने जो, कुछ कहा है मुझे आपको बताना है (**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह श्री मधु लिमये को उद्धृत कर रहे हैं । क्या वह मधु लिमये को वहां उद्धृत करने के लिए तैयार हैं जहां उन्होंने राजीव गांधी सरकार के बारे में कहा है ··· । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी मुद्दे को बार-बार उठाते रहोगे तो यह बात ठीक नहीं है आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं आपसे केवल सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : श्री गुरड्डी ने चुनौती दी है कि अगर मंत्री जी ने इसे सिद्ध नहीं किया तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चुनौती देने का स्थान नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : मैं जिम्मेदारी क्यों लूं ? मैं समाचार पत्रों से उद्घृत कर रहा हूं हर रोज आप समाचार पत्रों से उद्घृत करते हैं। मैं इन छोटी मोटी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं ऐसी बातें नहीं सुनता। मैं समाचार पत्रों का सम्मान करता हूं। यह अधिकतर प्रत्येक समाचार पत्र में लिखा गया है कि वहां बड़े पैमाने ···· **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां किसी चुनौती की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री तम्पन थामस : आप त्यागपत्र दीजिए।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उन्हें श्री गुरड्डी की चुनौती स्वीकार करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां किसी चुनौती की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मंत्री जी कृपया आप आगे बोलिए। यह चुनौती देने का स्थान नहीं है।

श्री तम्पन थामस : जब उन्होने एक विधायक के विरुद्ध आरोप लगाया है तो उन्हें इसे सिद्ध करना होगा। अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना होगा **(व्यवधान)**।

सरदार बूटा सिंह : यह वह समाचार पत्र हैं जिन्होंने यह लिखा है।

श्री तम्पन थामस : आपने संसद का अपमान किया है।

सरदार बूटा सिंह : उन्हें समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने दीजिए **(व्यवधान)**।

श्री तम्पन थामस : जो कुछ श्री बूटा सिंह ने कहा है हम उसका सबूत चाहते हैं। उन्हें सिद्ध करना चाहिए। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली और बंगलौर में बहुत से प्रमुख समाचार पत्रों पर मुकदमा दायर कर सकता हूं जो ये बातें सामने लाये हैं। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। अगर वे इससे सम्बंधित हैं तो उन्हें इन समाचार पत्रों पर मुकदमा चलाने दीजिए। उन्हें न्यायालय में चुनौती देने दीजिए। मैं जिम्मेदारी क्यों लूं। इन समाचार पत्रों ने यह कहा है। इन सब समाचार पत्रों, ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है **(व्यवधान)** श्री आचार्य जी, मैं आपको उन्हें सलाह देने का अनुरोध करूंगा। उन्हे न्यायालय के समक्ष जाने दीजिए, उन्हें इसे वहां लाने दीजिए **(व्यवधान)**।

प्रो० मधु दंडवते : बोफोर्स के मामले में जब समाचार पत्रों ने इतनी बातें कहीं थीं क्या आपने उन्हें स्वीकार किया था ?

सरदार बूटा सिंह : श्री दंडवते आपका संसद का समूचा कार्य निष्पादन समाचार पत्रों पर आधारित है। आप हमेशा समाचार पत्रों से उद्धृत करते हैं। अगर मैंने समाचार पत्रों से उद्धृत किया है तो जनता दल न्यायालय के सामने जाये और समाचार पत्र और उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाये जिसने ये बातें कही थी। मैं इसके लिए जिम्मेदार क्यों बनूं ?

प्रो. मधु दंडवते : मैंने संवैधानिक विधान सभा के वाद विवाद से डा० अम्बेडकर की रिपोर्ट और सरकारिया आयोग तथा उच्च न्यायालय के निर्णय से तयार उद्धहरण दिये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. के. तिवारी) : उन्होंने कई बार श्री हेगड़े के उद्धहरण दिये। उन्हें इसको भी जिक्र करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : समाचार पत्र के लगभग प्रत्येक हिस्से में चाहे यह बंगलौर या दिल्ली में है ये बाते प्रकाशित की गई हैं। अगर कोई आधार है तो वे न्यायालय जाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

अब यह कहते हुए कि, मुझे ··· (**व्यवधान**) मैंने समाचार पत्रों से उदघृत किया है। मैं इससे सहमत हूं। इस चर्चा की गहमा गहमी यह है कि जनता दल और विपक्ष के नेता कर्नाटक के राज्यपाल से नाराज हैं क्योंकि वे अपनी चाल में सफल नहीं हो सके। कर्नाटक के राज्यपाल ने बिना किसी डर व पक्षपात के अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन को इस सिद्धान्त का समर्थन करना चाहिए कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, वर्तमान सरकार का बहुमत नहीं था और कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त जारी थी। कर्नाटक के राज्यपाल की रिपोर्ट में इन सभी वास्तविकताओं का उल्लेख किया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं इस माननीय सदन से यह सिफारिश करूंगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा की गई उदघोषणा को स्वीकृति दे और श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार करे जो कि पूर्णतया आधारहीन और राजनीति से प्रेरित है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य के मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिए बिना राज्य सरकार के विरुद्ध कारंवाई करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के सुस्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निन्दा करती है और कर्नाटक के राज्यपाल को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सन्तोष मोहन देव द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.22 म०प०

अनुदानों की मांगें, 1989-90

(एक) विदेश मंत्रालय – [जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद अर्थात विदेश मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी ।

श्री बी. आर. भगत ने उस समय सदन से अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण दिया है जब कि उन्हें अपने भाषण को जारी रखने के लिए पिछली बार बुलाया गया था । मैं उन्हें एक विशेष मामले के रूप में अपने भाषण को जारी रखने की अनुमति दूंगा ।

श्री बी. आर. भगत ।

श्री बी. आर. भगत (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को मैंने अपना भाषण आरम्भ ही किया था । मैंने यह कहते हुए अपना भाषण आरम्भ किया था कि वर्ष 1988 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर काफी सुधार हुआ था । इससे ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, शुक्रवार को 3.30 म.प. पर आपने हमें यह बताया था कि हम सोमवार को इस बारे में चर्चा करेंगे । अन्य सदस्यों को भी भाषण देने के लिए बुलाया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी-अभी यह बताया है कि मैं एक विशेष मामले के तौर पर श्री बी.आर. भगत को अनुमति दे रहा हूं । इससे पहले भी मैंने अपने एक सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी को इसी प्रकार भाषण देने की अनुमति दी थी । मैंने उन्हें अनुमति दी थी ।

श्री तम्पन थामस : प्रश्न यह है कि शुक्रवार 3.30 म.प. पर श्री भगत भाषण दे रहे थे । उनका भाषण समाप्त हो चुका था ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने भाषण नहीं दिया था । उन्होंने उस समय अपने भाषण को केवल आरम्भ किया था ।

श्री तम्पन थामस : उस दिन बहुत से अन्य सदस्यों ने अपने भाषण दिये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय वे नहीं आये थे । इसीलिए अब मैंने उन्हें एक विशेष मामले के तौर पर अपने भाषण को जारी रखने की अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये । अब मैंने उन्हें एक विशेष मामले के तौर पर अनुमति दी है । उस समय जब मैंने उनका नाम पुकारा तो वे उपस्थित नहीं हो सके । इसलिए मैंने अब उन्हें अनुमति दी है, जैसा कि पत्र में उल्लेख किया गया है । उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है ।

श्री बी. आर. भगत : आपने हमारे लिए यह शिष्टाचार बरता है। कभी हम उनके प्रति शिष्टाचार बरतते हैं। और वे हमारे प्रति शिष्टाचार बरतते हैं। वास्तविक मामले की स्थिति में ऐसा किया जाता है।

श्री तम्पन थामस : वे उस सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे। क्या ऐसा निष्कपटता से किया गया था ?

श्री बी. आर. भगत : महोदय, मैं यह कह रहा था कि वर्ष 1988 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर काफी सुधार हुआ था। यह सुधार सोवियत रूस और अमरीका के बीच तनाव शैथिल्य से आरम्भ हुआ था जिसके फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में विवाद निराकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच रेजाविक, जिनेवा और वाशिंगटन में शिखर वार्ताओं के परिणामस्वरूप आई.एन.एफ. माध्यमिक परमाणु शक्तियां समझौता हुआ जिसके कारण पहली बार एक विशेष श्रेणी के हथियारों को समाप्त किया गया। इससे वातावरण में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। दोनों महा शक्तियों के बीच पहले प्रतिरोध था जो बाद में नहीं रहा और उन्होंने सहयोग प्राप्त करने के लिए नये उपाय ढूंढने शुरू कर दिये और फिर बाद में दोनों नेताओं, अमरीका के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने मास्को में हुई सभा में यह निर्णय लिया कि इसे युद्धनीतिक हथियारों और विभिन्न क्षेत्रों में विवाद निराकरण के बारे में भी लागू किया जायेगा। और इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक क्षेत्रीय विकास हुआ है। उदाहरणतया अफगानिस्तान के बारे में जिनेवा समझौता किया गया जोकि एक प्रमुख समझौता है जिसमें न केवल क्षेत्रीय देशों ने अपितु दोनों महाशक्तियों सोवियत रूस और अमरीका ने भी भाग लिया था और वे दोनों इस समझौते के गारंटीकर्ता बने थे।

3.26 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

फिर अगोंला और नामीबीया के बारे में समझौता किया गया। फिर कम्पूचिया के बारे में संभावित समाधान किया गया और वियतनाम से सेना को वापस बुलाने की घोषणा की गई। फिर ईरान-इराक के मध्य युद्ध विराम समझौता हुआ। फिलीस्तीनी मुक्ति सगठन द्वारा की गई साहसिक पहल के फलस्वरूप इजरायल को मान्यता दी गई और उनके मध्य समस्या को निपटाने का प्रयास किया गया, फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (पी.एल.ओ.) और अमरीका के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हुआ और मध्य अमरीका में शान्ति बहाल हुई। सोवियत राष्ट्रपति श्री गोर्बाचेव द्वारा की गई साहसिक पहल, और सोवियत विदेश नीति में नई विचारधारा, जिसका अदान-प्रदान केवल राष्ट्रपति रीगन के साथ ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों के साथ भी किया गया है, के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। इन सभी बातों से आपको यह पता लगेगा कि सोवियत संघ में नई विचारधारा आई है, जो कि विवाद निराकरण, वैमनस्य शैथिल्य तथा शान्ति के लिए चेष्टा से सम्बधित है और विश्व में शान्ति और समझौते का एक नया वातावरण उत्पन्न हुआ है। इन सभी बातों के पीछे प्रधान मंत्री राजीव गान्धी और राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच नवम्बर 1986 में हुई दिल्ली घोषणा का सिद्धान्त था, जिसमें विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सम्बधों के मार्ग दर्शन के लिए गुट निरपेक्षता और अहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास, एक नया परिवर्तन है जिससे सदभाव-पूर्ण वातावरण तैयार करने और हमारे नेताओं, महाशक्तियों को वैमनस्य शैथिल्स की ओर अग्रसर होने में काफी सहायता मिली है। फिर भारत द्वारा दिल्ली में की गई पहल के फलस्वरूप छह समझौते

हुए है—पांच महाद्वीपों के छह देशों ने निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक कार्यवाही के लिए सुझाव दिये हैं। फिर प्रधान मंत्री श्री राजीव गान्धी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जून 1988 में निरस्त्रीकरण और विकास संबंधी तीसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वर्ष 2010 तक सारे परमाणु हथियार समाप्त करने की अपील की। फिर उन्होंने एक व्यापक जांच प्रणाली स्थापित करने के लिए अपील की। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का कायम रखने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धान्तों नीतियों और संस्थाओं को निर्दिष्ट किया है। अहिंसक और परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की यह अवधारणा नई दिल्ली घोषणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गान्धी द्वारा इस वर्ष के दौरान शान्ति की खोज में और वैमनस्य शैथिल्य की तलाश में भ्रमण करते हुए की गई विभिन्न प्रकार की पहल केवल एक शुरूआत है परन्तु इससे एक ऐसे विश्व की शुरूआत होगी जोकि अहिंसा और वार्ताओं पर आधारित होगा और जिसमें विवाद और विरोध के स्थान पर स्वामित्व और शान्ति की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा एक नया विश्व बनाने और विश्व में परिवर्तन करने के प्रयास के लिए की गई पहल का श्रेय उचित रूप से हम भारतीय लोगों को जाता है। यद्यपि उसका सबसे अधिक श्रेय राष्ट्रपति गोर्बाचेव और राष्ट्रपति रीगन को जाता है। परन्तु इस वर्ष प्रधान मंत्री श्री राजीव गान्धी के नेतृत्व में भारत ने जो भूमिका अदा की है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेष रूप से इन 40 वर्षों में प्रधान मंत्री नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय से गुटनिरपेक्षता आन्दोलन, उपनिदेशवाद को समाप्त करने शान्ति के सभी मुद्दों को उठाने और विश्व विवादों को हल करने के प्रयास को इतिहास का सबसे बड़ा शान्ति आन्दोलन कहा जाता है।

आजकल ये सभी विचार संगत हैं। ये विचार वर्तमान युग से सम्बधित हैं और यह हमारे लिए एक गर्व का विषय है। भारतीय संसद ने इन बुनियादी सिद्धान्तों का समय-समय पर समर्थन किया है। इस देश में भारतीय विदेश नीति के बारे में मतैक्य है और यह मतैक्य एक नये विश्व की स्थापना करने और उसे कायम रखने की भारतीय लोगों की वास्तविक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है।

मैं परम्परागत सेनाओं में कमी के लिए सोवियत पहल का उल्लेख करूंगा। इस दिशा में प्रगति जारी है। पर्याप्त सुरक्षा के सिद्धान्तों के अन्तर्गत परम्परागत सेनाओं में कमी के लिए वार्ताएं जारी हैं। इससे शांति स्थापित करने के आसार और अधिक सुधरे हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण और विकास सम्मेलन में कहा गया है। इससे शांति के आसार उत्पन्न हुए हैं।

अत्यधिक बरबादी करने वाले रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने के तरीकों पर पैरिस में सम्मेलन में सहमति हुई। भारत और विशेष रूप से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इस परिवर्तन की प्रक्रिया में मदद करने तथा इसे तेज करने में भूमिका अदा की है, इससे आज हमारे सम्मुख मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार की स्थिति आई है।

इस परिपेक्ष्य में इन पहलुओं की जांच करना आवश्यक है। विश्वस्तर पर स्थिति में सुधार हो रहा है, क्षेत्रीय टकरावों के मामले में भी स्थिति सुधर रही है। लेकिन हमारे अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है? इस क्षेत्र में भारत ने क्या भूमिका अदा की है? मैं समझता हूं कि इस संबंध में सर्वाधिक नाटकीय पहल निःसन्देह रूप से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा रही है, इससे स्थिति पूर्णतया बदल गई है और घृणा की जगह सद्भाव और टकराव की जगह सहयोग आ गया है। इस यात्रा के परिणाम अत्यधिक सकारात्मक रहे हैं। जैसा कि दोनों पक्षों ने कहा है,

इससे दोनों देशों को परस्पर सहयोग मिलेगा। विश्व के दो सबसे बड़े देश होने के नाते इनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है। यदि वे लड़ेंगे तो परिणाम भिन्न ही होगा। लेकिन उन्होंने परस्पर संबंधों को सुधारने के सभी मामलों में, तथा दोनों देशों के लोगों द्वारा परस्पर स्वीकृति के आधार पर सीमा विवाद सहित सभी समस्याओं को सही और तर्कसंगत रूप से तथा दोनों देशों के परस्पर हितों के आधार पर वार्ताओं द्वारा हल करने का प्रयास करने में सहयोग करने का निश्चय किया है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए ये कुछ नए सिद्धान्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोनों देशों के लोगों द्वारा एक दूसरे को स्वीकारना है। इससे विश्व एशिया और इस क्षेत्र पर अवश्य ही असर पड़ेगा। लेकिन पूरे विश्व में इससे शांति, सहयोग और स्थिरता में वृद्धि होगी। भारत तो शुरू से ही सदा कहता रहा है कि हम किसी कठोर सिद्धान्त पर नहीं चल रहें हैं। शुरू से ही हमने 1950 तथा 1960 को दशक में शीत युद्ध को अस्वीकार कर दिया है। हम इससे संबंधित नहीं हैं। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। हम गुट-निरपेक्ष हैं। हम स्वतन्त्रता की नीति चलाना चाहते हैं जिसका यह मतलब है कि हम अनेक सामाजिक और आर्थिक नीतियां चलाना चाहते हैं जिससे देश आत्मनिर्भर हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सम्पत्ति अर्जित करने में सक्षम हो और इस पर किसी भी पक्ष द्वारा दबाब न हो। यह एक नई धारणा थी। मैं]शुरू से ही कह रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में हमारा एक स्वतंत्र आधार रहा है। हम किसी भी प्रकार के टकराव के खिलाफ हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। हम देशों में समानता के पक्षधर हैं। हम सभी देशों और विशेषकर विकासशील देशों के लिए अवसरों में समानता के हक में हैं। आप जानते हैं कि आर्थिक विकास की दौड़ में कौन पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इन सबसे हमने एक नई विचार धारा बनाई।

भारत विदेश नीति में जड़ता की नीति को अस्वीकार करता है। हमने किसी हठधर्मिता या जड़ता को कभी भी नहीं स्वीकारा है। इस समय विदेश नीति के प्रति भारत के रवैये से बहुत मदद मिली हैं। अब इसे अधिक से अधिक स्वीकारा जा रहा है। हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के चुनाव से हमें इसका पता चलता है। भारत को प्राप्त हुए वोटों से हमें भी आश्चर्य होता है। सारे विश्व में लोगों ने न सिर्फ भारत द्वारा चलाई जा रही विदेश नीति के मूल्यों तथा सही सिद्धान्तों को महसूस किया है बल्कि इसके दृष्टिकोण के ठीक होने को भी माना है।

हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारी बुनियादी नीतियों ने किस प्रकार से शांति के उद्देश्य तथा अन्य राष्ट्रीय हितों को पूर्ण किया है। हमने इन्हें जोड़ा है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय हित तथा विश्व तथा विशेषकर इस क्षेत्र की शांति और सहयोग के हितों में कोई टकराव नहीं है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद सार्क को ही लीजिए। 'सार्क' की पिछली बैठक इस्लामाबाद में हुई। इससे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आशाजनक शुरूआत हुई है। यह पाकिस्तान की प्रधान मंत्री तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच अचानक बैठक थी। इनसे भारत-पाकिस्तान की मित्रता बढ़ी है। लेकिन हम मानते हैं कि इस मित्रता के सम्मुख अनेक संकट विद्यमान हैं। छोटी मोटी रुकावटें नहीं बल्कि बड़े संकट हैं। इसके अलावा, पंजाब में आंतरिक मामलों, में पाकिस्तान की मिलीभगत आतंकवादियों को प्रशिक्षण आदि सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने यह बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों, विशेषरूप से पंजाब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है।

इसीप्रकार एक मामला यह है। इसका संबंध अमेरिका से है। हम समझते हैं कि मौजूदा अस्थिरता, तनाव तथा टकराव का इससे संबंध है। अत्यधिक मात्रा में हथियारों तथा आधुनिक शस्त्रों के आने से भारत-पाकिस्तान के संबंध बिगड़े हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में थोड़ा सा ही पीछे है और यह सारा कार्यक्रम गुप्त रूप से चल रहा है। इस बैठक में एक शुरुआत हुई जिसके अन्तर्गत तीन समझौते हुए।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए क्योंकि अन्य अनेक माननीय सदस्यों को भाग लेना है।

श्री बी. आर. भगत : मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं क्षेत्रीय मामलों पर आता हूं भारत ने अनेक उपाय किए हैं जिनकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है। श्री लंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका की सभी ने प्रशंसा की है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने की संभावना है। इसने वहां पर गौरवपूर्ण भूमिका अदा की है। इसीप्रकार भारत मालद्वीव को बाहरी शक्तियों द्वारा अस्थिर बनाने और लोकतन्त्र को नष्ट होने से बचाने में सफल रहा।

महोदय, मैं भारत-नेपाल स्थिति पर सभा तथा देश की गंभीर चिंता के बारे में थोड़ा विस्तार से बोलना चाहूंगा। इस पर चर्चा करने से पहले, जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है, हर व्यक्ति इससे सहमत है कि इसका आधार जेनेवा समझौता है। इस मामले को राजनैतिक स्तर पर सुलझाया जाए। टकराव समाप्त होना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए और वहां पर लोगों को बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपनी स्वयं की सरकार चुनने की अनुमति दी जाए। दुर्भाग्य से इस समय यह हो रहा है कि वहां आन्तरिक अशान्ति अथवा युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान द्वारा इसमें अधिक से अधिक शामिल होने से यह एक नियमित युद्ध का रूप ले सकता है। हमारा हित इसी में है कि अफगानिस्तान अपने लोगों द्वारा ही शांतिपूर्ण निर्णय के साथ एक गुट-निरपेक्ष, स्वतन्त्र और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरे। जेनेवा समझौते की यही भावना है और हम गारंटी देने वाले दोनों राष्ट्रों, अमेरिका और सोवियत संघ से यह आशा करते हैं कि वे यह गारंटी दें कि इस क्षेत्र में खतरा उत्पन्न कर रही यह आन्तरिक लड़ाई समाप्त हो और अफगानिस्तान का निर्माण हो क्योंकि हम वहां हो रही घटनाओं से काफी चिंतित हैं।

अन्त में मैं भारत-नेपाल संबंधों का उल्लेख करना चाहूंगा, इस पर सभा को चिंता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहास, संस्कृत, धर्म तथा हर मामले में एक दूसरे से बंधे रहने तथा 1950 के मित्रता और सहयोग के समझौते के बावजूद भारत तथा नेपाल दोनों देशों के इस संबंध को बदलने दिया जा रहा है। नेपाल के शासकों का मत है कि 1950 के शांति और मित्रता के समझौते के अन्तर्गत विशेष संबंधों को बदला जाए। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी इसमें निजी रुचि है क्योंकि बीस वर्ष पूर्व मार्च, 1969 में मैंने इस व्यापार और पारगमन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह संबंध विच्छेद अचानक हुआ है और इससे अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। भारत सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस सब के बावजूद उसने अपने पूर्ण प्रयास किए हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत नेपाल को पीड़ित कर रहा है। इसलिए यह इतना आसान मामला नहीं है नेपाल में उत्पन्न स्थिति के बावजूद हम हर संभव कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां पर लोग कठिनाइयां सहन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से नेपाल सरकार के कारण हुआ है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नेपाल के लोगों की आवाज कभी न उभरे। पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 15 से 16 पारगमन स्थल थे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या आप सरकार का मत प्रकट कर रहे हैं या यह आपका अपना मत है ?

श्री बी० आर० भगत : सरकार का मत तो मंत्री महोदय बताएंगे। मैं तो अपने विचार प्रकट कर रहा हूं जैसे कि आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन यह याद रखिए कि 15 से 16 प्रवेश स्थल थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने अब ऐसा क्यों किया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उन्होंने यह स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी। भारत सरकार तो वार्ता की इच्छुक थी; वे इच्छुक थे और वास्तव में अनेक यात्राएं हो चुकी थीं। इस मामले पर काफी पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी और समझौता हो जाना चाहिए था। इस बारे में नेपाल और भारत के बीच मतभेद का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात यह है कि दूसरे पक्ष में कुछ शंका है। मैंने कहा कि प्रवेश के लिए 16 स्थल थे। इस गतिरोध के कारण केवल 2 प्रवेश स्थल रखने के लिए बाध्य हुआ है। एक जगह रक्सौल है और दूसरी जगह जोगबनी है। उन्हें सभी आवश्यक वस्तुयें और सुविधायें प्रदान करने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। नेपाल और दूसरे देशों के समाचारपत्रों में कहा गया है कि भारत नेपाल का गला घोंट रहा है। इसमें भारत की क्या रूचि हो सकती है ? इसलिये यह मुझे अनुचित प्रतीत होता है ? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं। शीघ्रता से कोई प्रयास किया जाना चाहिए। वे बातचीत के लिये राजी हो गये हैं। वे कह रहे हैं कि वे बातचीत शुरू करेंगे। परन्तु बातचीत शुरू की जानी चाहिए और समस्या को कम किया जाना चाहिए। यदि वे अपने विशेष सम्बन्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नये सम्बन्ध स्थापित करने होंगे। यह उनकी इच्छा है। परन्तु नये सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों और अन्तर्राष्ट्रीयवाद के बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर होंगे। इससे व्यापार के मामलों में राष्ट्रों के बीच अनुकूल व्यवहार या पारस्परिक हितों का आदान-प्रदान हो सकता है। परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीयवाद के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए। नेपाल सरकार की जो बात स्वीकार्य है उसके लिए भारत तैयार है। परन्तु मुख्य बात यह है कि नेपाल में इस झूठी अफवाह को रोका जाए तथा भारत नेपाल का विरोधी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह संदेह नेपाल का राजतंत्र कर रहा है। इसके पीछे यह बुनियादी बात है। नेपाल या भारत की जनता की तरफ से कोई संदेह नहीं है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है। मैं जानता हूं कि 1985 के चुनावों में नेपाल नरेश ने कहा था कि भारत ने उनके चुनावों में हस्तक्षेप नहीं किया है जो रिकार्ड में हैं। भारत नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। परन्तु क्या बात है ? विश्व में परिवर्तन हो रहा है। यदि नेपाल के राजतंत्र को भारतीय लोकतंत्र के बारे में कोई शंका है तो हमें इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते और हम इसे राजतंत्र में नहीं बदल सकते। मैं यह कह रहा हूं कि जैसा आरोप लगाया गया है यह किसी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है परन्तु ऐसा इस भय के कारण हुआ है कि नेपाल की स्थिति बदल गयी है। इसकी वजह यह है कि विकास और शिक्षा में परिवर्तन के साथ-साथ लोग भी बदल रहे हैं। लोग अधिक से अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हैं यह प्रत्येक जगह हो रहा है ऐसा सोवियत रूस और चीन में भी हो रहा है। वहां छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। आन्दोलन कर रहे हैं। यदि वहां की जनता अधिक अधिकारों की मांग कर रही है तो यह मामला राजतंत्र और नेपाल की जनता के बीच है। इसका सम्बन्ध राजतंत्र और जनता के बीच सम्बन्धों से है। इसमें भारत के इस भय का प्रश्न नहीं है कि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं। यह बुनियादी बात है।

मेरे विचार से यदि हमें इसमें पहल सफलता मिल जाये तो यह अच्छा रहेगा। बुनियादी बात यह है कि हमें उनका भय दूर करना चाहिए। हम नेपाल का हर तरह से भला चाहते हैं। मुझे ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिसकी वजह से इस प्रश्न को जल्दी से हल न किया जा सके।

सभापति महोदय : श्री ई० अय्यपू रेड्डी बोलें। कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : सत्तारूढ़ पक्ष के अनेक सदस्य बोले हैं अतः विपक्षी सदस्यों को बोलने दिया जाए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा।

हमने आशा की थी कि नेपाल के बारे में सरकार कुछ वक्तव्य देगी क्योंकि रिपोर्ट नवीनतम नहीं है। रिपोर्ट में व्यापार समझौते की पहल या हस्ताक्षर करने के बारे में कुछ वक्तव्य हैं।

विदेश नीति को निर्धारित करने और उसका पालन करने के सम्बन्ध में अपने भ्रम को व्यक्त करते समय मुझे दुख होता है। मेरे विचार से हमारी विदेश नीति कभी व्यावहारिक और फलदायक नहीं रही। इसमें कहीं किसी स्थान पर राजनीतिक पहल और सूझबूझ की कमी रही और हम अपनी आदर्शवादी घोषणाओं में ही उलझ कर रह गए।

प्रो० एन० जी. रंगा (गुंटूर) : बड़े आश्चर्य की बात है।

श्री अजय मुशरान (जबल पुर) : आपके वक्तव्य से प्रो० रंगा भी आश्चर्य चकित हो गये।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं विषयवार विवरण तैयार करता और हम इस पर निष्पक्षरूप से ध्यान देते।

मेरे भ्रम का पहला कारण यह है कि हमारी विदेश नीति को पाकिस्तान और चीन ने चालाकी से मात दी है। हमें अपनी विदेश नीति अपने निकट पड़ौसी देशों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। विदेश नीति का अकेले मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यदि हम अपनी विदेश नीति के परिणामों की तुलना चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति के परिणामों से करें तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।

दूसरा कारण यह है कि विगत चालीस वर्षों में पहली बार हमारे नेपाल के साथ सम्बन्ध इतनी बुरी तरह बिगड़े हैं। इतने सम्बन्ध क्यों बिगड़े? इसमें कहां गलती हुई? हम नेपाल की प्रतिक्रिया को समझकर उचित कार्यवाही क्यों नहीं कर सके? जैसा कि अभी श्री भगत ने बताया कि राजतंत्र को अपने स्वदेशी मामलों में हमारे हस्तक्षेप का भय है इसलिए वह राजतंत्र भारत से अलग रहने का प्रयास कर रहा था। श्री भगत ने आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित श्री कोइराला का वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि बंगलादेश और श्री लंका के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने अपने पड़ौसी देशों के लिए अच्छे कार्य किये हैं लेकिन फिर भी उनमें भारत विरोधी भावना पैदा हो रही है।

मेरा तीसरा कारण यह है कि भारत का सुरक्षा वातावरण पहले की तरह ही तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान और चीन की सैन्य क्षमता भारी मात्रा में बढ़ रही है। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। सीमाओं पर विशेषत: पंजाब और काश्मीर की सीमा पर अस्थिर और विघटन कारी गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा इसके विपरीत वे इसमें बढ़ोत्तरी कर रहे हैं और इस पर बल दे रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हमारी विदेश नीति व्यावहारिक और फलदायक नहीं है। हम गुट निरक्षेप आन्दोलन के नेता की तरह अपने आपको धोखा दे रहे हैं और शान्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए भी खेद है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी विदेश नीति के ठोस परिणाम नहीं मिले हैं।

क्रम का अगला कारण यह है कि अमरीका के प्रति हमारी नीति ढुलमुल रही है और उसके साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को आवश्यकता से अधिक सैनिक हथियार देने में अमरीका का सुझाव है। हमने इस पहलू के बारे में भी कुछ नहीं किया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आंग्लो-अमरीकी नीतियों को निरुत्साहित नहीं कर पाये हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच समानता है अथवा हम पाकिस्तान में भारत विरोधी तथा भारत में पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण को भी नहीं रोक पाये हैं जिसका पाकिस्तान और भारत में लाभ उठाया जा रहा है।

मुझे दूसरी चिंता इस बात की है कि अफगानिस्तान के प्रति भी भारत का दृष्टिकोण ठीक नहीं है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अफगानिस्तान में नागरिक युद्ध और वतमान संघर्ष के परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य सहायता और विकास के बारे में हम विकासशील देशों को गुट निरक्षेप आन्दोलन मे संगठित नहीं कर पाये हैं। औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील और अविकसित देशों का शोषण रोकने के लिए दक्षिण-दक्षिण वार्ता हुई जिसका बढ़ाचढ़ाकर प्रचार किया गया।

जहां तक फिजी का सम्बन्ध है, हम वहां भारतीयों के न्यायसंगत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा न कर सके। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारी विदेश नीति फलदायक और व्यावहारिक नहीं रही है। हमने कल्पनायें की हैं। हमारी विदेश नीति की केवल एक अच्छी बात है कि हमारे सोवियत रूस के साथ संबंध अच्छे रहें है तथा श्री गोर्वाचेव के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हुआ है। भारत की विदेश नीति के कार्यान्विन की केवल यही एक अच्छी बात है।

4.00 म०प०

जहां तक चीन के साथ सम्बन्ध का प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत को पाकिस्तान और चीन ने मात दी है। भगत जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के कारण हमारे सम्बन्धों में नया मोड़ आया है मैं ऐसा नही सोचता। इसके विपरीत यदि आप इसकी एक छवि तैयार करें तो हमने बहुत बातें मान ली है। मैं चीन की विदेश नीति की प्रशंसा करता हूं। वे पूर्णत: स्वकेन्द्रित हैं वे भावुक होकर कार्य नहीं करते हैं। तथ्य यह है कि जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो भारत ने चीन का समर्थन किया तथा चीन को संयुक्त राष्ट्र संगठन और सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए भारत ने संघर्ष किया परन्तु जहां तक चीन का सम्बन्ध है, उसका विपरीत दृष्टि कोण रहा है। वे विगत के बारे में नही सोचते। वे सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचते हैं तथा वे पूर्णत: फलदायक हैं। जहां तक चीन के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री ने तिब्बत के बारे में रियायतें दी हैं विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत में तिब्बत निवासियों द्वारा चीन विरोधी

आन्दोलन की अनुमति नहीं दी जायेगी। हमने यह रियायत दी है। परन्तु चीन ने कोई ऐसी ही रियायत नहीं दी है। क्या चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा होने की मान्यता दी है? क्या चीन ने अरूणाचल प्रदेश के बारे में बोलना छोड़ दिया है। जब अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया तो चीन ने इसकी निंदा की है। क्या इसने अपने आपको पीछे हटाया है।

क्या वे तिब्बतियों की स्वायत्तता का समर्थन करते हैं? वे तिब्बतियों की स्वायत्तता के अपने वादे से मुकर गये हैं। हम तिब्बत में इन अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ तिब्बत में किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठा पाये हैं। हमने उनके रवैये को स्वीकार किया है या उसे स्वीकार करने पर मजबूर हुए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों बड़े देशों के बीच की खाइयां कुछ कम हुई हैं। यह कैसे हुआ? यह भारत द्वारा चीन के रवैये का समर्थन करने के कारण सम्भव हो सका है ना कि उनके द्वारा पहल करने से या फिर हमारे फायदे के लिये। अतः हमने उनकी कार्यवाही को स्वीकार कर लिया है।

हम हमेशा से इस बात पर बल देते आये हैं कि हमारे आपस के सम्बन्ध सामान्य होने से पहले हमारी सीमा समस्या का भी समाधान होना चाहिये। भारत का यह सदैव से माग रही है कि चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के पहले या इसके साथ ही सीमा विवाद भी सुलझना चाहिये। लेकिन अब हमने अपना वह रवैया त्याग दिया है। अब हम ऐसी संधी तथा गैर व्यावहारिक व्यापार प्रौद्योगिकी संधी स्वीकार करने के लिये भी तैयार हैं। अब हम सर्वप्रथम अपने सम्बन्ध सुधारने के लिये सहमत हो गये हैं और जब सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे तब हम अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये किन आधारों पर? किन शर्तों पर? यह गठित किए गए संयुक्त कार्य दल द्वारा परस्पर रूप से स्वीकार्य और न्यायोचित शर्तों पर आधारित हैं और फिर सीमा पर शांती कायम रखी जा सकती है। हमने ये सभी रियायतें दी हैं।

प्रो० एन. जी. रंगा : नहीं, नहीं। यह दोनों देशों द्वारा किया जाता है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : ये रियायतें प्रदान करने से हम चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि हम अरूणाचल प्रदेश में सोमदरंग सू घाटी पर उनका कब्जा स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि हम उन्हें अपनी भूमि से हटाने या अपना क्षेत्र खाली कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। अगर आप प्रधान मंत्री द्वारा चीन की हाल ही की यात्रा पर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि इस यात्रा से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है और नहीं इससे कोई सफलता मिली है। नेपाल और भारत के बीच संबंध बिगड़ने का कारण भी चीन के द्वारा नेपाल को हथियार देना खासकर विमान भेदी तोप देना है है। वह नेपाल को आवश्यक वस्तुएँ भी भेजने की कोशिश कर रहा है। नेपाल भी भारत के विरुद्ध चीनी हथकंडा अपना रहा है। जहां तक भारत और चीन के सम्बन्धों का प्रश्न है यह उसका लेखा-जोखा है।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है हमें इस बात की खुशी है कि वहां अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम हो गयी है। आज भी मेरा अनुमान है कि अमरीका का प्रादेश यहां श्री जिया के शासन काल से भी ज्यादा प्रभावी रूप से कार्यरत है। श्री जिया ऐसे व्यक्तित्व वाले थे कि वह अमरीका से अपनी बात मनवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्थिति बदल चुकी है अब अमरीकी की लॉबी पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गयी है क्योंकि वे प्रजातांत्रिक तरिके से निर्वाचित

सरकार के विरुद्ध सेना का उपयोग करने में सक्षम हैं। हाल ही के अमरीकी कांग्रेस कमेटी के वक्तव्य से यह साफ जाहिर होता है कि वे वर्तमान व्यवस्था से बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और इसीलिये वे 631 मिलियन डॉलर की सहायता दे रहे हैं। वे विस्तृत योजना के आधार पर पाकिस्तान को 60 नए लडाकू विमान भी दे रहे हैं क्योंकि चीनी लडाकू विमान अब पुराने हो चुके हैं। उनका पाकिस्तान को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना भारत के लिये कोई सांत्वना की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो पाकिस्तान का रक्षा बजट की है। इस वर्ष इसमें 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह हमें अब पूरी तरह पता है कि पाकिस्तान पंजाब और काश्मीर में आतंकवादीयों को सहायता प्रदान कर रहा है। यह आपकी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। अब मैं इसका एक पैरा पढ़कर यह बताना चाहूंगा कि वहां सुरक्षा का बातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है।

नेपाल के मुद्दे पर मैं यह कहना चाहूंगा की उन्होंने 1950 की संधी का उल्लंघन किया है। वे इसे नकार रहे हैं।

अब आप श्री कोरायला का कथन को देखें। उन्होंने भारत सरकार की कड़ी निंदा की है। श्री कोरायला के इस वक्तव्य को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और यह अत्यावश्यक हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बने रहें हमें तुरन्त कदम उठाने चाहिएं।

अब मैं बंगलादेश के बारे में बतलाना चाहूंगा। यहां हमारे केवल बुराईयों को दर्शाया जाता है और अच्छाईयों का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। चकमा शरणार्थी और बंगलादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना यह दर्शाता है कि वहां भारत विरोधी प्रवृत्ति विकसित हो रही है।

इसके अलावा बंगला देश से प्रतिदिन चकमा शरणार्थियों का भारत में प्रवेश करना और बंगलादेश और नेपाल की सीमाओं पर तस्करी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज श्री लंका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? अब तक हमने बंगलादेश श्री लंका और पाकिस्तान में अपना लहू बहाया है पर उसके बदले में हमें किसी भी प्रकार की सहानुभूति उनसे नहीं मिली है। भारतीय शांती सेना वहां ठीक इरादों विचारों से भेजी गयी थी, लेकिन श्रीलंका के दोनों जातिय गुटों, श्री लंका की सरकार और श्रीलंका के आम नागरिक भी भारतीय शांति सेना की वापसी के लिये मांग कर रही हैं। जितनी जल्दी भारतीय शांति सेनाओं को वापस बुलाया जायेगा उतना ही हमारे अपने हित में होगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वह इस संबंध में एक ठोस वक्तव्य दें कि भारतीय शांती सेनाओं को जल्द से जल्द और बड़ी सावधानी से स्थिति को ध्यान में रखते हुए वापस बुलाया जायेगा अन्यथा हम सामान्य नागरिकों के मन में भारत का नाम धूमिल हो जायेगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, हमारी विदेश नीति स्वतंत्रा संग्राम के दौरान बनाई गई थी और यह गुट-निरपेक्षता और साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिये, यह नीति अभी तक सुचारू रूप से विद्यमान है और इन चालिस सालों में अनेक बदलाव आने के बावजूद इसका मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। गुट-निरपेक्षता के मूल-सिद्धान्त अनेक कठिनाईयों के बावजूद कायम है और इसके साम्राज्यवाद विरोधी और गैर-उपनिवेश के सिद्धान्तों से

भारत हमेशा ही उत्पीड़ित राष्ट्रों के साथ है। इन्ही मूल सिद्धान्तों के कारण ही हमने अपनी सरकार को पूरा समर्थन दिया है। यह किसी राजनीतिक दल विशेष की नीति नहीं है; जब भी हमने सरकार की जनता विरोधी नीति की आलोचना की है, हमने सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया है।

अब सोवियत नेता गोरबाचोव के साहसपूर्ण कल्पनातीत पहल के कारण दुनिया में तनाव की स्थिति कम हुई है। आई०एन०एफ० संधी और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना की वापसी की एकपक्षीय घोषणा तथा अन्य अनेक उपायों से सोवियत संघ ने ऐसा वातावरण बनाया है। दुनिया का कोई भी देश ऐसी मित्रता के प्रति अपना समर्थन दर्शाने से पीछे नहीं हट सकता। साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी इस शांतीपूर्ण पहल पर अपना समर्थन व्यक्त कर रही हैं क्योंकि विश्व में जनमत की इतना ठोस प्रति क्रिया और दबाव से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। जहां तक इस पहल का सम्बन्ध है गुप्त-निरपेक्ष देश के नेता के रूप में हमारे देश ने विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 36 वर्षों में पहली बार पिछले वर्ष चीन की यात्रा की जो एक उदाहरण है। यह हमारे लिये खुशी की बात है, क्योंकि विगत वर्षों से हम चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण समझौते की कटु आलोचनाओं के विरोध में तर्क देते आ रहे हैं।

सीमा विवाद के प्रश्न के संबंध में संयुक्त कार्य दल का गठन करने तथा व्यापार और आर्थिक संबंधों और वैज्ञानिक तथा तकनिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन करने का निर्णय लेना और यात्रा के अन्त में एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी करना और सामाम्य बातों पर बल देना यह जाहिर करता है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच विवादों का शांतीपूर्ण ढंग से सुलझाने में बहुत सफल रही है। भारत और चीन के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। देश के भीतर और बाहर निहितस्वार्थ सम्बन्धों का सामान्य बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं लेकिन देश में सभी शांतिप्रिय और प्रगति शील शक्तियां इस पहल का पूर्ण समर्थन करेंगे। हम निश्चय ही आशा करते हैं कि भारत और चीन के बीच एक शांति और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे।

अब मैं अपने निकट के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कहना चाहूंगा। वहां प्रजातांत्रिक सरकार के सत्ता में आने के बावजूद सेना सरकार पर अपना वर्चस्व अभी भी बनाये हुए है। वहां सेना का सरकार पर पूरा प्रभाव है। पाकिस्तान की नई सरकार को पग पग पर इस बात को ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान का अमरीकी सामरिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिका ने लाखों डालर पाकिस्तान को दिये हैं। उन्होंने उनकी कड़ी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा इकट्ठा करने में मदद की है और अमेरिका जो हथियार पाकिस्तान चाहता है उसे देने का इच्छुक है। अमेरिका अब तक इन सब हथियारों को अफगान विद्रोहियों की मदद की आड़ में सप्लाई करता रहा है। अब वह इस तरह के बनावटी बहाने नही बना सकता। एक बार सोवियत सैनिक वहां से चले गये तो वह इस तर्क को आगे नहीं रख सकता। लेकिन फिर वह अफगान विद्रोहियों की मदद कर रहा है और पाकिस्तान में हथियार इकट्ठे कर रहा है। इसमें अब बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो हथियार वह पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है वे पंजाब में आ रहें हैं या तो अफगान विद्रोहियों के जरिये या किन्हीं अन्य रास्तों से और आतंकवादियों द्वारा हमारे राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अस्थिरता लाने का कार्य है जो अमेरिकी हमारे राष्ट्र में कर

रहें है । हमारी आलोचना यह है कि सरकार इसका पर्दाफास नहीं कर रही है । वह उनका पर्दाफास करने को तैयार नहीं है । आप इस अस्थिरता सिद्धान्त का इस्तेमाल जब आप किसी कठिन स्थिति में होते ? उससे ऊबर पाने के लिए करते हैं । आप के लिए साम्राज्यवादी और उनके यंत्र हम विपक्षियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के सुलभ हथियार है । आप इस बात को समझ लीजिए कि ये उन लोगों की ही मदद करेगें जो राष्ट्र में अस्थिरता लाने पर तुले हुए हैं । आप इस क्षेत्र में अमेरिकी जाल के विरुद्ध खुलकर सामने क्यों नहीं आते ? इसकी बजाय हमारे राष्ट्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुला छोड़ दिया गया है । आप अमेरिकियों के साथ रक्षा सहित हर तरह की साझेदारी करने के बहुत इच्छुक हैं । और यहां तक कि विन्नी के अलेन्दे को मारने की भूमिका के लिए विश्व भर में विख्यात पेप्सी कोला जैसी कम्पनी को हमारे राष्ट्र में जो कुछ वह करना चाहे उस करने की अब छूट दी जा रही है ।

महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ इस तरह की नरमी, अमेरिका से हथियार लेने की प्रबल इच्छा और काफी बड़ी मात्रा में लिया गया विदेशी कर्ज - ये सब बातें हमारी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध विदेश नीति के अभियान को कमजोर कर देंगी । यह आपको समझ लेना चाहिए । सरकार को हमारे देश में लोकतांत्रिक आम धारणा द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए ।

आतंकवादियों के विषय पर बोलते हुए प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हम कनाडा के साथ किसी समझौते पर पहुंच चुके हैं । परन्तु पूरे प्रतिवेदन में ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । ब्रिटेन के विदेश सचिव की भारत यात्रा के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है । ब्रिटेन के साथ हुए समझौतों और आतंकवादियों के संबंध में हुई सहमति का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है लेकिन इसके बारे में प्रतिवेदन में कुछ नहीं कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ।

दूसरी बात हमारी लेने समय से चली आ रही मांग के बारे में हैं हम इसके प्रति अब नरमी बरत रहें हैं । यह मांग हिन्द महासागर की शांति का क्षेत्र बनाने की है । डियगो गार्शिया के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है । अब हम हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की अपनी मांग पर चुप क्यों बैठे हैं ।

नेपाल के बारे में प्रतिवेदन एक खुशहाल तस्वीर पेश करता है । लेकिन हम जानते हैं कि अब संबंध बहुत तनावपूर्ण है । मेरा सरकार से निवेदन है कि नेपाल से संबंध सामान्य बनाने के हर संभव प्रयास किये जायें ।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है, सरकार को श्रीलंका पर दबाव डालना चाहिए कि भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत दी जाने वाली शक्तियां क्षेत्रीय परिषद को दी जाएं और वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा की जाए जिससे भारतीय शांति सेना की जल्द वापसी या क्रमबद्ध वापसी, जो भी हो, की जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय, आज जब समूचे विश्व की कुल मिलाकर स्थिति देखता है तो वह थोड़ा आरामदेह महसूस करता है और उस चिन्ता, भय और तनाव से ऊपर उठकर एक सुखद अनुभूति सी होती है । विरोध की जगह सहयोग लेता जा रहा है और संशय के बादल

धीरे-2 छट रहे हैं ऐसा लगता है कि शांति व तनाव-शैथिल्य का एक नया अध्याय मानवता के लिए आरम्भ हो रहा है ।

विश्व स्थिति में इस बदलाव के अनेक कारण हैं । लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने शांति के इन प्रयासों को एक निर्णायक दिशा दी है। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परमाणु परिसीमित संधि गोर्बाचेव के प्रमाणों का एक सकारात्मक उत्तर है और इससे विश्व में शांति की संभावनाओं की नयी आशा पैदा हुई है ।

नवंबर 86 की दिल्ली घोषणा और गुट निरपेक्षता के सिद्धान्तों ने विश्व के अनेक भागों में नये सोचविचार के लिए दार्शनिक आधार की व्यवस्था की है। "दिल्ली छह" ने हथियारों की कटौती की प्रक्रिया को शुरू करने में अपना योगदान दिया है । प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जून 1988 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के निःशस्त्रीकरण संबंधी तीसरे विशेष अधिवेशन में व्यक्तिगत योगदान दिया है । उसमें उन्होंने वर्ष 2010 तक नाभकीय अस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत की ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि आई०एन० एफ० समझौते के तुरन्त बाद ही अफगानिस्तान के लिये जिनेवा समझौता, अंगोला और नामीबिया समझौता और कम्पूचिया की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाये गये । ईरान और ईराक के बीच युद्ध विराम से पूरे विश्व को एक सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ । ये उपलब्धियां हासिल हुई । पी०एल०ओ० द्वारा उठाये गये साहसिक कदम द्वारा फिलिस्तीन समस्या शीघ्र के समाधान के लिए आशायें बंधी हैं । सेन्ट्रल अमेरिका में शान्ति की पुनःस्थापना के लिए उत्साहवर्द्धक संकेत मिले हैं और पांच राष्ट्रों ने वहां एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुए इन सभी विकासों और उपलब्धियों का हम स्वागत करते हैं क्योंकि गत 25 या उससे भी अधिक वर्षों में भारत और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा उठाये गये कदमों, का इन्होंने समर्थन किया है । मैं यह सब श्री अयप्पूरेड्डी को बताना चाहता हूं जो कि हमारी विदेश नीति में कोई अच्छाई नहीं देखते हैं । ये सभी घटनायें पंडित नेहरू जन्म शताब्दी समारोह में हो रही है । इससे तो यह प्रतित होता है कि मानो स्वयं इतिहास ही भारत के इस महान सपूत को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजली अर्पित कर रहा है । इन सब मामलों में, इन सब उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अवश्य ही हमें इसकी सराहना करनी चाहिए ।

यह सब कहते हुए मैं इस बात से भी अवगत हूं कि विश्व शांति का मार्ग अभी भी स्पष्ट नहीं है और उस राह में अनेक बाधायें है । विश्व शांति के लिए अभी हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना है । अफगानिस्तान के मामले में, सोवियत संघ ने समय से पूर्व ही अपनी सेना वापस बुला कर समझौते के अनुसार कार्य किया । लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा बाह्य हस्तक्षेप जारी है और काबुल की सत्ता के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए मुजाहिद्दीन विद्रोही पूरी तरह शस्त्रों से लैस हैं और इससे तो पूरी तरह से जेनेवा समझौते का उल्लंघन होता है । यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और इस सम्बन्ध में हम और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान की नीतियों के प्रति खेद प्रकट कर सकते हैं । अफगानिस्तान की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है, इसका राजनीतिक समाधान किया जाना होगा । मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति श्री नजीब ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं और अन्य लोगो को इन प्रस्तावों का उत्तर देना चाहिए ।

अपनी मातृभूमि के लिए फिलीस्तीनियों के अनन्य अधिकार के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह बड़े ही दुःख की बात है कि इजराइल ने पी०एल०ओ० द्वारा उठाये गये कदमों के प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उस क्षेत्र में अभी भी शांति कोसों दूर है।

दक्षिण अफ्रीका में ब्राणाविल प्रोटोकॉल द्वारा नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए एक समय निश्चित कर देने के बावजूद भी लड़ाई अभी भी जारी है और नामीबिया को पूर्णरूप से स्वतंत्रता मिलना अभी बाकी है। किसी भी हालत में उस क्षेत्र में अफ्रीकी लोगों को तब तक सच्ची आजादी का अनुभव नहीं होगा जब तक कि स्वयं दक्षिण अफ्रीका अल्पसंख्यक गोरे लोगों की सत्ता से मुक्त नहीं होगा और रंगभेद की नीति सदा के लिए समाप्त न होगी।

हमें इस बात से खुशी है कि विश्व धीरे-धीरे निःशस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन एक अन्य गंभीर समस्या विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है और वह है एक तिहाई विकसित लोगों और दो तिहाई विकासशील लोगों के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक असंतुलन। प्रत्येक वर्ष विकासशील राष्ट्रों का ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है और इस समस्या के उचित समाधान के लिये विकसित राष्ट्रों द्वारा कोई निश्चित और ठोस उपाय नहीं किया गया है। नार्थ-साउथ वार्ता द्वारा भी कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इस समस्या के प्रति अपने रवैये पर उत्तरी देश अड़े हुए हैं।

विकसित और विकासशील देशों के बीच असंतुलन कम करने के लिये गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने समानता और न्याय पर आधारित एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की मांग की है। इस सन्दर्भ में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को बहुत ही प्रभावकारी बनाना होगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि इसके लिए सबसे प्रभावकारी उपाय साउथ-साउथ वार्ता में तेजी लाना होगा। इससे न सिर्फ गुट निरपेक्ष आन्दोलन का आधार दृढ़ होगा और आत्मनिर्भरता में तेजी आयेगी बल्कि इसके द्वारा उचित और लाभकारी परिणाम के लिये साउथ के साथ वार्ता के लिए नार्थ आने को बाध्य हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि भारत एक अति लाभकारी स्थिति में है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

महोदय, विश्व में आजकल हो रही गतिविधियों द्वारा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्त और दर्शन उचित सिद्ध हुये हैं। उभरती हुई नई प्रवृतियों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आज भी गुट निरपेक्षता का बहुत औचित्य है तथा आने वाले दशकों में भी इसका औचित्य बना रहेगा। एक नई विश्व व्यवस्था की रचना करना बहुत ही बड़ा कार्य है और इस कार्य के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन को पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। पुनः यहां भारत को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। प्रमुख भूमिका का अर्थ बिलकुल हावी होने वाली भूमिका नहीं है बल्कि इसका अर्थ समान स्तर के देशों में अग्रणी देश की भूमिका निभाने से है। समानता तथा एक दूसरे की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखडता के प्रति आदरभाव रखने वाले राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग द्वारा विश्वशांति की प्राप्ति ही हमारी विदेश नीति का मूल आधार है।

महोदय, और अधिक व्याख्या करने का अवसर मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं संक्षेप में कहता हूं। महोदय, विदेश नीति के मामले में किसी भी देश की प्रथम प्राथमिकता स्वाभाविकरूप से उसके पड़ौसी देश होते हैं। अतः दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में भारत बहुत जागरूक है और इस क्षेत्र में हमारी भूमिका के सम्बन्ध में भी सचेत है। हाल ही में मालदीव द्वारा एक मित्र देश के रूप में प्रार्थना किये जाने पर वहां की गयी कार्यवाही सिद्धान्त के तौर पर पूर्णतः उचित थी और

एक मित्र राष्ट्र की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखण्डता जो कि बाहरी ताकतों के कारण गंभीर खतरे में थी. को बचाने की दृष्टिकोण से भी यह कार्यवाही उचित थी। इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने के लिये अपने प्रधानमंत्री को मुझे अवश्य बधाई देनी चाहिए।

महोदय, भारत श्रीलंका समझौते की अनेक आलोचनायें की गयी थीं और आज भी इसकी आलोचना की जा रही है। इस समझौते की आलोचना करने का उनका क्या आधार है, मैं यह नहीं समझ पाया, भारत-श्रीलंका समझौते के तीन मुख्य उद्देश्य थे— प्रथम, श्रीलंका के तमिलों की वैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति, द्वितीय, श्रीलंका की एकता और अखण्डता की रक्षा करना और तृतीय उस क्षेत्र में हमारे वैधानिक सुरक्षा को बनाये रखना। इस समझौते को सफलतापूर्वक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और उस देश की कठिन दशा को सम्भालने में यह नीति सही और सफल सिद्ध हुई है। इसने श्रीलंका के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत किया है।

महोदय, दक्षेस का संगठन बनाकर एक सही कदम उठाया गया था तथा इस संगठन को और भी प्रभावकारी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। महोदय इस क्षेत्र में एक नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्कराते हुए बलिदान देने वाले तथा उनकी महान सक्षमता के लिए मैं भारतीय शांति सेना को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कर्त्तव्य का पालन करते हुए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धन द्वारा सराहनीय नेतृत्व और नीति का प्रदर्शन कर दूसरो के समक्ष एक उदाहरण रखने के लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, मैं नेपाल के बारे में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही दोनों देशों के बीच कुछ बातचीत होगी और दोनों देश समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अत: अभी दोनों देशों के बीच उठने वाले मुद्दों के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि बातचीत के दौरान नेपाल दोनों देशों के बीच न केवल लम्बे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का ध्यान रखेगा बल्कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखेगा। ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जिससे कि व्यर्थ ही भारत और नेपाल के बीच तनाव और भ्रम उत्पन्न हो जाये। समय की मांग अभी दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने की है ताकि आपसी लाभ के लिए समस्या का समाधान किया जा सके। अत: इस मुद्दे पर मैं और कुछ अधिक नहीं कह सकता हूं।

महोदय, अन्य मुद्दों के सन्दर्भ में विशेष कर पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः कायम किये जाने तथा वहां की नयी निर्वाचित सरकार का स्वागत किया है। हमने इसका स्वागत किया। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि पाकिस्तान में स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की अन्तंसेवा गुप्तचर विभाग द्वारा अफगान विद्रोही और भारतीय आततंकवादियों के बीच गठबंधन स्थापित होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पाकिस्तान अभी भी अफगान समस्या में अन्तर्गत है और इस समस्या को समाप्त किया जाना चाहिए और इसलिए पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उससे मैं खुश हूं। मैं और अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं।

चीन के सम्बन्ध में यह पूर्णरूप से एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे प्रधान मंत्री की चीन यात्रा एक शानदार सफलता थी, इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। आप एक दिन

में ही परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं, इसमें समय लगेगा तथा मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सारी बातें सही दिशा में हो रही हैं। यह तो चीन के संबंध में मैंने कहा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की ओर आकर्षित करूंगा जहां कि हम अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं किया है। इस क्षेत्र में हमें जो करना चाहिए हमने नहीं किया है। हमें इस क्षेत्र में उचित ध्यान देना चाहिए।

आपकी बात समाप्त करने के पूर्व मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत-रूस मैत्री संबंध को हमारे शांति, मैत्री और सहयोग की नीति के मुख्य अवलम्बन के रूप में बरकरार रहना चाहिए। यह एक दूसरे की प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर आदर और समानता पर यह आधारित है। समय की परीक्षा में भी यह खरा उतरा है। दिल्ली घोषणा ने इसे एक नया आयाम दिया है और इसे दर्शन के स्तर तक ऊपर उठा दिया है। अन्य राष्ट्रों से मित्रता खोकर यह मैत्री नहीं स्थापित की गयी है। हम अमरीका और पश्चिम जर्मनी से भी अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारी विदेश नीति का मुख्य अवलम्बन भारत-रूस मैत्री है।

श्री एच०एम० पटेल (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। मैं लन्दन के **इकोनोमिस्ट** नामक अखबार, जो कि साधारणतया भारत के साथ मित्रतापूर्ण रवैया रखता है, मैं यह पढ़ कर आश्चर्यचकित हो गया कि भारत एक सामन्तवादी देश की तरह व्यवहार कर रहा है। यह अपने सभी पड़ोसी राष्ट्रों पर हावी हो जाना चाहता है। वे छोटे राष्ट्र हैं, भारत एक बड़ा राष्ट्र है। नेपाल के साथ हो रहे व्यवहार से इसने शुरूआत की है नेपाल की घेराबंदी की जा रही है, भारत की अधीनता स्वीकार करने के लिये नेपाल पर दबाव डाला जा रहा है और इस प्रकार से इसने भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत द्वारा किये जा रहे व्यवहार का वर्णन किया है। अब प्रश्न यह है कि साधारणतया भारत के प्रति मित्रता पूर्ण रवैया रखने वाला और इसके सम्बन्ध में अच्छी जानकारी रखने वाला अखबार दि **इकोनोमिस्ट** ने क्यों अचानक भारत के प्रति विपरीत रूख अपना लिया है? अवश्य ही विदेश में भारत की यह छवि बनने का कोई कारण है कि भारत चारों ओर से भूमि से घिरे नेपाल की भांति छोटे देश के साथ अनुचित तानाशाही ढंग से पेश आ रहा है। इस सम्बन्ध में दो समझौते हुये थे, वे दोनों समाप्त कर दिये गये, मैं इस बात की गहराई में जाना नहीं चाहता हूं अथवा इस बात को उठाना नहीं चाहता हूं कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। लेकिन क्या यह बात नहीं है कि यदि सारी स्थिति को भिन्न तरीके से निपटाया जाता तो विदेशों में भारत की यह छवि नहीं बनती ? क्या अन्य देशों को यह बताने का कोई रास्ता नहीं है कि वास्तविकता क्या है ? नेपाल क्यों अपने हित के विरुद्ध कुछ करना चाहता है ? ऐसा करने के लिये यह बाध्य क्यों है ? अन्ततः सिर्फ दो शस्त्रों की अनुमति देने से कौन परेशानी उठा रहा है ? नेपाल की आम जनता कष्ट उठा रही है। इसलिए नेपाल ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाए ? यह ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति पूछेगा, निश्चित रूप से इस देश का प्रत्येक नागरिक पूछता है। इसका उत्तर यह है कि वह चीन का पक्ष ले रहा है। यह चीन के साथ बातचीत करना चाहता है। एक निश्चित ढंग का व्यवहार चीन के साथ रखने के बावजूद यह भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा कहना है कि यह असाधारण तरीका है। नेपाल भारत को ब्लैकमेल करता रहा है। जो लोग यह तर्क देते

हैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को इसमें सचाई प्रतीत नहीं होती । हां, ब्लैकमेल शब्द गलत हो सकता है। किन्तु नेपाल भारत का पूरा-पूरा फायदा उठा रहा है। वे सभी लाभ ले रहे हैं किन्तु जब कुछ लाभ उचित ढंग से लौटाने की बात आती है तो वे इन्कार कर देते हैं । वे किस बात से इंकार करते हैं। वास्तव में वे कोसी तथा अन्य नदियों से सिंचाई की समस्या पर हमसे सहयोग करते रहे हैं। आप नेपाल से सहयोग चाहते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने आपसे कब सहयोग नहीं किया ? जहां तक नेपाल का संबंध है यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने दी गई। जहां तक मालदीव का संबंध है सभी कहते हैं "हां, हम तुरंत उनकी मदद के लिए गए थे, और यह अच्छा ही हुआ। किन्तु जहां तक सिलोन की बात है, क्या हमने ठीक किया है ? मेरे विचार में यह साबित करने का जिम्मा विदेश मंत्रालय का है। यह किसी भी प्रकार से इतना स्पष्ट नहीं है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री विपिन पाल दास ने कहा कि यह एक शानदार नीति है, आदि, आदि । मेरे विचार में केवल कहने से ही नीति शानदार नहीं हो जाती । क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया है ? आपने क्या कीमत चुकाई है ? क्या इसे किसी अन्य ढंग से नहीं किया जा सकता था ? अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसका पूरा पूरा उत्तर दिया जाना चाहिए । जब आप अनुदानों की मांगे रखते हैं तो संतुष्ट करना आपका दायित्व होता है। सौभाग्य से आपको बहुमत के कारण ऐसा नहीं करना पड़ता । किन्तु अन्यथा ऐसा करना बहुत आवश्यक होता । जब आप कहते हैं कि यह ऐसा तथ्य है जो इस बात का औचित्य सिद्ध करता है कि हजारों सैनिक मारे गए हैं तो क्या उसके बदले में कोई लाभ हुआ है ? उसकी आर्थिक लागत क्या है ? कितने करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं ? यदि आप चाहें तो इसे प्रशिक्षण स्थल मान सकते हैं। तब तो बात समझ में आती है। किन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह औचित्यपूर्ण है । क्या हमारी सेना वहां भेजने का यह औचित्य था ? कहा जाता है कि एल०टी०टी०ई० को प्रशिक्षण हमने दिया । क्या यह सही नहीं है ? क्या यह सत्य नही है ? हमें अभी तक किसी ने यह नहीं बताया । क्यों ? निश्चित रूप से यह सत्य है किन्तु सरकारी तौर पर किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। किन्तु आपने उन्हें इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है कि वे गुरिल्ला हमारी प्रशिक्षित सशस्त्र सेनाओं से बहुत अच्छी तरह सर्वाधिक कुशलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। वे सफलतापूर्वक उन पर घात लगा सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ ? मेरे विचार में आप अपने उत्तर में इन बातों पर कुछ हद तक प्रकाश डालेंगे । बर्मा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता ? जैसे कि बर्मा का अस्तित्व ही न हो । बर्मा हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। आपने क्या किया है ? हमारे हजारों लोग वहां नियमित रोजगार पा रहे थे । अब वहां से लगभग सभी वापिस आ गए हैं और कोई भी वहां नही जाता । क्या आप यह महसूस नहीं करते कि भारत और बर्मा के बीच कोई संबंध होने चाहिएं ? आप उस देश के साथ क्या संबंध रखते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? हमारे उस पड़ोसी के प्रति हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। फिर मैं बांगलादेश की बात पर आता हूं। बांगलादेश एक छोटा सा देश है। हमने इसे मुक्त कराने में इसकी सहायता को । किन्तु जब यह कठिनाई के दौर में है हमने इसकी कितनी सहायता की ? हम दावा करते हैं कि वहां जब भी बाढ़ आदि का प्रकोप हुआ तो हमने उनकी सहायता की। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि कितनी, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ आर्थिक नीतियों, कुछ सिंचाई संबंधी नीतियों—ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव रोकने, गंगा नदी की समस्या आदि के बारे में उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया । ये सभी समस्यायें अभी तक विद्यमान हैं। क्या आपने इनका निदान किया है ? हमने इस संबंध में वैसी प्रगति क्यों नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए थी ? यह देश निश्चित रूप से कृतघ्न नहीं था ।

4.46 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई ।]

इस समय बंगलादेश की स्थिति काफी खराब है। इसके क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग भंयकर सूखा पीड़ित है। लोग भूखों मर रहे हैं। हमने उनकी क्या मदद की है? इस प्रकार की कोई बात नहो की गई सिवाय इसके कि बांगलादेश के साथ हमारे संबंध "संतोषजनक" हैं। जैसे कि शब्द "सतोषजनक" में ही सब कुछ आ जाता हो।" "संतोषजनक" का अर्थ यह है कि हमारा उनसे झगड़ा नहीं है। किन्तु उससे ऊपर एक बड़ा देश होने के नाते छोटे देशों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। पिछले वर्ष हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा किन्तु चूंकि हमने विभिन्न दिशाओं में प्रगति की थी; हमने आसानी से उसका मुकाबला कर लिया। इस वर्ष स्थिति संतोषजनक है। हम उनकी सहायता कर सकते थे। हमें बांगलादेश की सहायता करनी चाहिए थी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसका कारण जानना चाहता हूं। बांगलादेश के बारे मे कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? आप पड़ोसी देशों की किस प्रकार सहायता कर रहे हैं? छोटे पड़ोसी देशों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए।

अब आप बड़े तथा अधिक कष्ट दायक पड़ोसी देश चीन तथा पाकिस्तान की बात पर आइए। अब पाकिस्तान के साथ नाभिकीय शास्त्रों की बात आती है। वे उनका विकास कर रहे हैं। नाभिकीय शास्त्रों के संबंध में आपकी नीति क्या है? क्या अब वह समय नहीं आया जब हमें इसका निर्णय करना चाहिए? आप यही कहते रहते हैं कि यदि वे ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे। किन्तु क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया है? उनका नाभिकीय अस्त्रों का विकास किस अवस्था में है, यह एक सर्वविदित तथ्य है और आप जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यदि आपको कुछ संदेह है तो अमरीका ने एक वक्तव्य दिया है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है और वे भारत में नाभिकीय शस्त्रों का विकास करके उसे संतुलित करना चाहते हैं। किन्तु हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं? आप परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए श्री गोर्वाचिव तथा अन्यों की प्रशंसा करते हैं। अमरीका तथा सोवियत रूस के बीच नाभिकीय शस्त्रों के संबंध में चर्चा हुई है जिसके फलस्वरूप उन्होंने इस दिशा में निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई है। यह सब ठीक है। किन्तु हमारी एवं पाकिस्तान की क्या स्थिति है? हमारी नीति क्या है? हम जानते हैं कि अमरीका अपने हित के लिए ही पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। हमें भी अपने हितों के लिए एक नीति अपनानी चाहिए। हम केवल अपना रक्षा व्यय कम करने की बात कर रहे हैं। किन्तु यदि हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो हमें अपना रक्षा व्यय कम नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आप इस दिशा में बचत कर रहे हैं। किन्तु आप अपनी नीति की व्याख्या नहीं कर सके क्योंकि रक्षा अनुदानों पर कोई चर्चा नहीं हुई। किन्तु मेरे विचार में मेरे लिए यह बताना अत्यन्त तर्क संगत है कि रक्षा व्यय कम करने की चाहे कितनी भी आवश्यकता हो, हथियारों के मामले में अधिकतम कार्य कुशलता सुनिश्चित करने तथा अपनी रक्षा सुनिश्चित करने की कीमत पर हमें ऐसा नहीं नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए अतः मेरे विचार में निःसंदेह रक्षा व्यय में कटौती महत्वपूर्ण है किन्तु हमारी लड़ाकू क्षमता की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

अब मैं एक पहलू के बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं। विदेश नीति के संबंध में हमारा कुछ निश्चित रुख है। ऐसा लगता है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में विश्व में स्थिति चाहे कुछ भी हो, हमारी इसराइल के प्रति नीति वैसी ही रहेगी। फिलिस्तीनियों ने अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित समझा, इतना परिवर्तन कि वे कहने लगे कि वे इसराइल को एक राज्य के रूप मान्यता देते हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन। किन्तु हमारा इसराइल से कुछ लेना-देना नहीं है, मानो उस देश का अस्तित्व ही न हो। यह एक ऐसा देश है जो अनेक दिशाओं में हमारे लिए लाभकारी है, हम इसे अनदेखा क्यों करें ? हमें उस देश से कुछ लेना-देना नहीं है। हम ऐसा असाधारण रवैया क्यों अपनाएं ? क्या कोई और देश इसराइल के प्रति ऐसा रवैया रखता है जैसा कि हम; केवल इसलिए कि फिलिस्तीन के प्रति हमारे रवैये में परिवर्तन न हो। आप निश्चित रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करते रह सकते हैं। इससे मना कौन करता है। इसराइल के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम इसराइल के साथ कोई संबंध क्यों न रखें ? यदि इसके लिए हमें अपनी नीति में कोई परिवर्तन भी करना पड़े तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। इन वर्षों में हमने क्या परिवर्तन किया है ? हमारी टीमों को इसराइल के साथ टेनिस आदि खेलों में प्रतिस्पर्धात्मक मैच खेलने पड़ते हैं। किन्तु हम यहां तक कह देते हैं कि हम डेविस कप टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। हम ऐसा क्यों करें ? दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारा रवैया समझ में आता है। किन्तु इसराइल के प्रति हमारा यह रुख किस प्रकार औचित्यपूर्ण है। यदि यह उचित नहीं है, तो मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब हमें इस पर विचार करना होगा। मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री स्पष्ट शब्दों में हमारी नीति की व्याख्या करेंगे ताकि इस देश में हम सभी लोग उसे समझ सकें।

हम उन्हें अपने सम्मेलनों में बुलाने को तैयार हैं। किन्तु यदि सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन जैसा बड़ा हो तो इसराइल का प्रतिनिधि यहां नहीं आ सकता। इसराइल ने क्या अपराध किया है ? मेरे विचार में हमने कुछ मुद्दों पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और उन्हें दोबारा खोलना नहीं चाहते।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एच० एम० पटेल : अब आपने घंटी बजा दी है तो मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करें। श्री पटेल।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदया वे आपके प्रति उदार हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं इस अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करने के लिए राजी हूं कि हमें अपने पड़ोसियों, बंगलादेश नेपाल और इसराइल के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम अभी तक ऐसा क्यों समझते हैं कि जो कुछ भी नीति हमने अपनायी है वह संतोषजनक ही रही है और ठीक ही है तथा भविष्य में यदि हमें कुछ परिवर्तन करना है तो क्या करना है। केवल यह कह देना कि यह हमारी नीति है, काफी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहने के अतिरिक्त कि हमारी नीति क्या है यह वांछनीय है कि आप इसे इस देश के लोगों के समक्ष उचित सिद्ध करें। अब क्योंकि आपको बड़ा बहुमत प्राप्त है तो यह काफी नहीं है कि आप केवल इतना कहें कि यह हमारी नीति है

और यह बहुत उचित है। यह बात नहीं है। हमें यह मान लेना चाहिए कि सरकार उस नीति का अनुसरण इसलिए कर रही है क्योंकि यह इस नीति को ठीक समझती है। परन्तु निश्चित रूप से कुछ और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कृपया इसे स्पष्ट करें कि नीति ठीक क्यों है। माननीय मंत्री जी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उदाहरण के लिए नेपाल के संबंध में माननीय मंत्री को महसूस करना चाहिए कि इससे इस देश में क्या गलत प्रभाव पड़ रहा है और वे भारत के आम लोगों के प्रति क्या पूर्वग्रह पैदा कर रहे हैं तथा भारत और नेपाल के आम लोगों के बीच में क्या पूर्वग्रह पैदा कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब माननीय मंत्री को वास्तव में इस नीति को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए और नेपाल के साथ-साथ भारत के लोगों को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि हमारी नीति, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, ठीक दिशा में है और यह भारत और नेपाल के आम लोगों के विरुद्ध नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदया, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का उत्तर देने में माननीय विदेश मंत्री को, गिलोटीन को देखते हुए जो कि होने ही वाला है, दिक्कत होगी। इसलिए मैं स्वयं को दो या तीन मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि कहने के लिए कई बातें हैं। परन्तु यह निराशाजनक बजट चर्चा जिसे हम अब 6 म० प० पर समाप्त करने वाले हैं हमें अधिक अवसर नहीं देती है।

ये दो घिसी-पिटी बातें कुछ संक्षेप में दोहराई गयी हैं, लेकिन एक बात भारत सरकार को विदित है कि जहां तक हमारा संबंध है, पंडित जवाहर लाल नेहरू और यहां तक कि उनसे भी पहले हमारे आजादी के आन्दोलन के समय से हमारी विदेश नीति के जो सामान्य मानदंड उभर रहे हैं उनको हमेशा हमारा समर्थन मिलता रहा है और मिलता रहेगा क्योंकि हमें विश्वास है कि यह नीति अन्ततः वह एक मात्र नीति है जो हमारे अपने देश के हित में हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में बहुत आमूल परिवर्तन हुए हैं। अन्य सदस्य पहले ही इन तथ्यों का जिक्र कर चुके हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक नयी विचारधारा पैदा की है तथा जिनसे ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिनकी कुछ वर्ष पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और जिनसे सभी देशों के लाखों लोगों के मन में आशा जागी है कि आणविक खतरे से बचा जा सकता है और छोटे झगड़ों और क्षेत्रीय झगड़ों को लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि सम्मेलनों के माध्यम से निपटाया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई समय नहीं है। इस पृष्ठभूमि की वजह से मैं उन एक या दो मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं जिसके कारण मुझे डर है कि कुछ निराशा हाथ लग सकती है। क्यों ? क्योंकि हमें यह लगता है कि इन मुद्दों पर हमारी सरकार और इसकी नीतियां इस नये अन्तर्राष्ट्रीय माहौल से मेल नहीं खाती हैं जिनके बारे में हम इतने विस्तार से बातें करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि की जाने वाली कुछ नयी पहलों, दिखायी जाने वाली कुछ सक्रियता अपनी तरफ से की जाने वाली कोशिश जो पुरानी घिसी-पिटी तौर तरीके वाली न हो, के लिए उपबन्धित अवसरों की कमी दिखाई देती है जो कि हमारी तरफ से अधिक होनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी अधिक समस्यायें हैं। ये क्षेत्रीय समस्यायें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रीय हित पर प्रभाव डालेंगी। मैं समझता हूं कि विश्व में उत्पन्न यह नयी स्थिति, अन्य देशों, हमारे पड़ौसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से जिस पर कई सदस्यों ने इस समय जोर दिया है, नई पहल के लिए अवसर प्रदान करती हैं और इस प्रकार हमारे अपने पक्ष में हमारे सुरक्षा माहौल को मजबूती प्रदान करती हैं।

5.00 म०प०

महोदय, जहाँ तक नेपाल की बात है मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इससे निपट लेंगे। वह इसे नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी इसे टालने की कोई इच्छा नहीं है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, श्री नरसिंह राव जी। यही वह समय है जब नेपाल गतिरोध या जटिलता पर, जिसे आप कुछ भी कहें, भारत सरकार की तरफ से एक सरकारी वक्तव्य दिया जाना चाहिए, और यदि इस विकृत वाद-विवाद से सभा में सरकारी वक्तव्य प्राप्त करने के अलावा और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो मैं समझता हूं कि इसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर हैरान है कि क्या हो रहा है। कोई भी पूर्ण सत्य या तथ्यों के बारे में नहीं जानता है। हमें प्रत्येक दिन कई प्रकार की रिपोर्टों के लिए प्रेस पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि मुझे भी इसका पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। अचानक यह संकट कैसे पैदा हुआ? आखिर यह इतना अचानक नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ हुआ है। मैं अपने कुछ सदस्यों से जो नेपाल से लगे जिलों में काम करते हैं या रहते हैं यह सब सुनता रहा हूं। और आप जानते हैं, उस क्षेत्र में नेपाल आना जाना बहुत आसान है। लोग नेपाल आते-जाते हैं। एक ही जातीयता मूल वाले लोग सीमा के दोनों ओर रह रहे हैं। वहाँ बहुत ही अशान्त कर देने वाली रिपोर्टें मिल रही हैं। मैं नहीं समझता कि यह केवल व्यापार और सीमा शुल्क का ही सवाल है। व्यापार और सीमा शुल्क तो उसका एक भाग है, उसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, क्या उनका पुनः नवीकरण किया जाये या उन्हें आगे बरकरार नहीं रखा जाये आदि। लेकिन कई अन्य मुद्दे उठाये जा रहे हैं। नागरिकता के अधिकार का प्रश्न - क्या नेपाल में कार्य कर रहे भारतियों के लिए कोई कार्य परमिट की बात है या इस तरफ से कोई अन्योन्य कार्यवाही का प्रश्न है। मैं नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में काम करने वाले नेपाल के लोग जो कि काफी संख्या में हैं को कभी भी ऐसा करने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे यह भी याद है कि हाल के वर्षों में, काफी संख्या में नेपाली कामगार, निर्धन लोग, शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों को मेघालय और असम से निकाला गया है। और यह बात मेरे राज्य में श्री सुभाष घीसिंग के गोरखालैंड आन्दोलन का मुख्य मुद्दा थी। सवाल यह उठता है कि दोनों देशों को एक दूसरे देश के कार्यरत नागरिकों से कैसा सलूक करना चाहिए। अब क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूं।

फिर नेपाल द्वारा अचानक नये कर लगाने भारी कर लगाने, भारतीय समान पर आयात कर लगाने का प्रश्न है — शायद यह किसी सन्धि का उल्लंघन है। मैं नहीं जानता कि स्थिति क्या है। यह कुछ भी हो, लेकिन इन कठिनाइयों को हल किया जाना चाहिए।

चीन से विमान रोधी तोपें खरीदने का भी प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। मैं जानता हूं कि हमारे दोनों देशों के मध्य 1951 की शान्ति और मित्रता की सन्धि में एक खण्ड है, जिसमें कहा गया है कि यदि नेपाल किसी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र खरीदना चाहता है तो इन्हें भारत के मार्फत नेपाल लाया जायेगा। परन्तु यह काफी पहले की बात है। विश्व में कई परिवर्तन आये हैं। मैं समझता हूं उन दिनों चीन से नेपाल तक कोई सड़क नहीं थी। नेपाल के दक्षिण में अब जो सड़क है, उसका पहले निर्माण नहीं हुआ था। और निश्चित रूप से यदि हम नेपाल को

प्रभुता सम्पन्न देश समझा है — मैं आशा करता हूं कि हम समझते हैं, चाहे यह कितना ही छोटा हो— मैं समझता हूं कि हम कानूनी तौर पर किसी अन्य देश मे उनकी खरीददारी के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं। निसंदेह यदि वे इसे भारत से खरीदें तो हम इसे प्राथमिकता देंगे। लेकिन मान लीजिए कि वे किसी अन्य देश से खरीदना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उनके अधिकारों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। क्या हिमालय क्षेत्र में हमारी सुरक्षा नेपाल की किसी कार्यवाही से खतरे में पड़ सकती है ऐसा मैं नहीं जानता हूं। अतः हमें यह बताया जाना चाहिए। खैर मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इसमें जहां तक हमारी बात है काफी अनुमान लगाना पड़ेगा। हमारे यहां इस सम्बन्ध में कोई सरकारी बयान भी नहीं दिया गया है जो मैं आशा करता हूं कि कुछ हद तक आज मिल जायेगा।

मेरा मुख्य मुद्दा यह है, हम राजनैतिक कारणों के लिए काफी चिन्तित है न कि इन सन्धियों के तकनीकी मानदण्डों के लिए। राजनैतिक रूप से, आगे यदि इस गतिरोध को बने रहने दिया गया या यदि संबंधों को बिगड़ने दिया गया तो नेपाल को नुकसान नहीं होगा बल्कि भारत को नुकसान होगा। यही सारी उलझन है और ऐसे ही विश्व गठित हुआ है। ऐसे ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह की धारणा पर प्रतिक्रिया जाहिर करती है।

भारत की एक बड़े देश के रूप में छोटे देश की हाथ मरोड़ने या डराने की कोशिश करने वाली छवि दिखाई गयी है जिसे कई देशों का समर्थन मिलेगा। कुछ लोग ऐसा शरारत के तौर पर या जानबूझ कर करते हैं लेकिन कुछ इसमें भी अभिभूत हो जाते हैं।

हम दोनों देश 'सार्क' के सदस्य हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में 'सार्क' की काफी सफल बैठक हुई थी जहां नेपाल नरेश और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सद्भावनापूर्वक बातें हुई थी जब इन सभी देशों के मध्य सहयोग के नये समझौतों पर विचार किया गया था। अब अचानक क्या हुआ है ?

मैं तो यही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर यथा संभव अधिक जानकारी देंगे। मैं समझता हूं हमें केवल बैठकर कुछ होने का इन्तजार नहीं करना चाहिए।

यदि नेपाल कोई पहल करना नहीं चाहता है तो भी चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है तथा हम मित्रता के इस परम्परागत बंधन को किसी भी तरह क्षति नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए हमें अपने विचारों में अधिक उदार होना चाहिए और हमें पहल भी करनी चाहिए।

यह आश्चर्यजनक बात है कि दोनों सरकारों के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए। हम ने कहा कि हम बात-चीत के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने कहा है कि वे भारत सरकार द्वारा बातचीत की इच्छा प्रकट करने के विचार का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ इच्छा और इरादों तक ही सीमित रख रहे हैं इससे पहले की मामला बिगड़ जाए हमें कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए तथा और कुछ कदम उठाये जाने चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक ऐसी ताकतें भी हैं जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहेगीं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नेपाली लोगों के मन में भारत विरोधी भावनायें उत्पन्न हों और यह हमारे लिए एक त्रासदी होगी।

दूसरा मुद्दा जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं वह अफगानिस्तान के बारे में है। जैसा कि सब जानते हैं कि जेनेवा समझौते के अनुसार अन्तिम सोवियत सैनिक ने 16 फरवरी को अफगान की भूमि छोड़ी तथा पिछले दस वर्षों में उनके करीब 13000 या 14000 सोवियत सैनिकों की जानें गई थीं। यह तो इतिहास ही बतायेगा कि अफगान में सोवियत हस्तक्षेप सही था या नहीं, न्यायोचित था अथवा नहीं। लेकिन इन सारे वर्षों में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान जिसे कि अपनी सीमा के पास सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के कारण खतरा महसूस होता था, को शस्त्रों की सप्लाई करने का यह प्रत्यक्ष कारण रहा था। और हमेशा हमे यही आश्वासन दिया जाता रहा है कि इनका प्रयोग हमारे विरुद्ध नही किया जाएगा। अफगानिस्तान में मुजाहिद्दीन विद्रोहियों को भारी समर्थन दिये जाने का यही कारण बताया गया था। सभी सम्बन्धित लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में जेनेवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। सिर्फ एक पक्ष ही इस समझौते का पालन सफलता पूर्वक कर रहा है तथा अन्य पक्ष तो इस समझौते का खुले तौर पर घोर उल्लंघन कर रहे हैं।

क्या इस मामले में हमारी अधिक रुचि बहुत अधिक नही है? हमेशा से हमारी यह राय रही है और मैं समझता हूं कि अब भी हमारी यह राय है कि हम नहीं चाहते हैं कि काबुल में इस्लामी कट्टरपंथी सरकार सत्ता में आये क्योंकि इससे इस पूरे क्षेत्र को, हमें भी तथा इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचेगा। यह वह बात नहीं है जो कि नजीबुल्ला सरकार द्वारा काबुल में प्रस्तावित किया गया था बल्कि यह प्रस्ताव रखा गया था विभिन्न बलों और सभी दलों को मिलकर एक मिली-जुली सरकार बनानी चाहिए। लेकिन एक पक्ष ने इस बात से इन्कार कर दिया है तथा इसका कहना है कि काबुल में वर्तमान सरकार को अपदस्थ किया जाना चाहिए, उसे सत्ता से हटाया जाना चाहिए और तब वे लोग वहां नई सरकार बनायेंगे।

अब वहां क्या हो रहा है? सभी अखबारों में दी न्यूयार्क टाईम्स ने एक समाचार प्रकाशित किया है। कि मुझे विश्वास है कि हमारे विदेश विभाग ने इसे अवश्य देखा है।

वहां हुई बैठक का जिक्र किया गया है जिसमें अफगानिस्तान से किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, कोई मुजाहिद्दीन या अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था सिर्फ पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारी तथा असैनिक अधिकारी और पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत वहां उपस्थित थे। उस बैठक में विगत कई सप्ताह से जलालाबाद पर हो रहे आक्रमण से सम्बन्धित योजना बनायी गयी थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार ऐसे कुछ लोगों की हैं आशाओं से कभी सहमत नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस बात की अपेक्षा हमने कभी नहीं किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत नहीं थे कि काबुल की सरकार और इसकी सेना दो सप्ताह में ही अपदस्थ हो जायेगी। वे अपदस्थ नही हुए। मैं नहीं जानता हूं कि वे सत्ता सम्भालने में सफल होंगे अथवा असफल लेकिन तथ्य यह है कि अमेरिका पूरी तरह से जेनेवा समझौता का उल्लंघन कर रहा है तथा पाकिस्तानी सेना की दो डिविजन अफगान में मुजाहिद्दीन विद्रोहियों का समर्थन कर रही हैं। अब यह गृह युद्ध नहीं रहा। जब तक विद्रोही काबुल सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे यह गृह युद्ध था। अब आप इसे गृह युद्ध की सजा कैसे दे सकते हैं जब कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुस गई है? पूरे स्तर पर युद्ध जारी हो गया है, राकेट और प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग कर असैनिक आबादी को हताहत किया जा रहा है। इसका जो परिणाम हो सकता है क्या उससे हम आवश्यक रूप से सम्बद्ध नहीं हैं? लेकिन हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है। यही मेरी शिकायत

है। हमारी सरकार क्या कर सकती है, आप कहेंगे कि शायद हम अधिक कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अतीत में भारत की प्रतिष्ठा, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा इस कारण भी थी कि इसने शांति और न्याय के लिये अपने नैतिक बल का प्रयोग किया है। अतः संयुक्त-राष्ट्र संघ के संरक्षण में एक समझौता किया गया था जिसका हमने उस समय बहुत स्वागत किया था और वह ठीक भी था और अब जिसका खुले रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। कम से कम इस सम्बन्ध में हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें कुछ कहना चाहिए, हमें यह मांग करनी चाहिए कि सभी पक्षों द्वारा इस समझौते का पालन और इसका उचित कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। हमने जितना किया है उससे अधिक हमें इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्पूर्ण अधिवेशन में माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। लेकिन इसके बाद भी इसकी परवाह किसने की ? स्थिति अब और अधिक संकटपूर्ण हो गयी है।

अमरीका-वासियों ने पेशावर में स्थापित इस तथाकथित विद्रोही सरकार को मान्यता भी दे दी है। हर तरह से अमेरिका-वासी यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शस्त्रों की मदद से यह पूरा क्षेत्र एक अन्य बड़े संघर्ष में उलझ जाये। इस सारे मामले में हमारी क्या स्थिति है ? मैं जानना चाहूंगा इस मामले में हमारे क्या विचार हैं। मैं सोचता हूं कि जलालाबाद; जहां मुझे एक बार जाने का अवसर मिला था और जहां कि खान अब्दुल गफ्फार खान को दफनाया गया है, उन्हें उस घर के अहाते में ही दफनाया गया है जो कि उनके निवास के लिये उन्हें अफगान सरकार द्वारा दिया गया था—अब इस नगर को षडयंत्र रचकर बरबाद किया जा रहा है। भारतीय मूल के अनेक लोग वहां रहते हैं, अब शायद वे भारतीय नागरिक नहीं हैं वे लोग वहां निवास कर रहे हैं। वे दुकनदार, व्यापारी, कृषक तथा सिक्ख लोग हैं। वे जानते हैं कि जलालाबाद को जीता जा सकता है। फिर शायद काबुल के लिये भी मार्ग खुल जायेगा। मैं इसमें किसी सैनिक हस्तक्षेप के लिये नहीं कह रहा हूं। स्पष्टतः हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बल्कि वर्तमान समय में इस मामले में जेनेवा समझौते के उल्लंघन के विरुद्ध जनमत और विश्वमत बनाने के लिये राजनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाया जाना चाहिए।

अन्त में अखबार में प्रकाशित एक समाचार की बात मैं कहना चाहूंगा और जिसकी ओर मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, वांशिगटन के 'वालस्ट्रीट जनरल' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है,

> "पश्चिम जर्मनी की दो कम्पनियों ने न्यूक्लीयर शस्त्रों से सम्बन्धित सामग्रियों, जिरकोनियम की सप्लाई पाकिस्तान को किये जाने की बात स्वीकार की है तथा यह भी बताया है कि अनभिज्ञतावश उनका एक स्त्रोत भारत था।"

5.16 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं नही जानता हूं कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन इसका संकेत इस ओर है कि सरकार इस मामले में छान-बीन करे तथा अपने सूत्रों द्वारा सच्चाई का पता लगाये। यह बहुत ही गंभीर खबर है कि जिरकोनियम, जो कि एक विशेष प्रकार का संक्षारणरोधी धातु है, जिसे कि न्यूक्लियर संयंत्रों के फ्यूएल रॉड में प्रयोग किया जाता है और जिसके की निर्यात मनाही है, किन्तु यह धातु भारतीय स्त्रोत द्वारा उन जर्मन कम्पनियों को भेजा गया जोकि इसकी सप्लाई करके पाकिस्तान की मदद कर रही है। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि यह खबर सच्ची है या नहीं।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि हम जानते हैं कि अब श्री लंका में लिट्टे और जे.वी.पी. दोनों ही राष्ट्रपति श्री प्रेमदास पर उस बात को पूरा करने का दबाव डाल रहे हैं जो उन्होंने निर्वाचित होने से पूर्व कही थी। उन्होंने यह कहा था कि एकबार उनके राष्ट्रपति बन जाने पर भारतीय शांति सेना को वापस लौट जाने के लिये कहा जायेगा। अब वे कहते हैं कि अब चूंकि वे राष्ट्रपति बन चुके हैं अब विदेशी या वायु सेना को हमारे देश में मौजूद रहने की अनुमति क्यों दी जाये। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पूर्व कहा है कि अन्ततः भारतीय शांति सेना वापस बुला ली जायेगी लेकिन जिस कार्य के लिये इसे भेजा गया था वह अवश्य पूरा किया जाना है। अब वास्तव में यह एक नीतिगत कार्य है। चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित किये जा चुके हैं। प्रान्तिय परिषदें बन चुकी हैं।

नई संसद का चुनाव किया गया है। भारतीय शांति सेना द्वारा नीति संबंधी काम किया जाना चाहिये। मैं उनकी विवशता को समझता हूं। लेकिन हम कब तक ऐसा कर सकते हैं। इसका कोई अन्त नहीं होगा।

इसलिये; मेरे विचार से सरकार को श्री लंका सरकार से कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक पहल करनी चाहिये और साथ ही ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिये जिससे भारतीय शांति सेना को कुछ चरणों में वापस बुलाया जा सके, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि अपनी सेना का ज्यादा दिन किसी दूसरे देश में रहने से इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। अनेक देशों का इतिहास भी यही बताता है और हम अनावश्यक रूप से अलोकप्रिय नहीं बनना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में इस सभा के वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। एक समय ऐसा होता था जबकि, विदेश नीति से सम्बन्धित मुद्दों पर लोक सभा में वाद-विवाद के समय यह सभा सदस्यों से भरा रहता था। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अब ऐसा नहीं है।

जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि पिछले 42 सालों से इस सभा में, संसद में और देश में विदेश नीति के सम्बन्ध में सर्वसम्मति रही है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की दूरदर्शिता के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के आज़ाद होने से पहले ही भारत की इस विदेश नीति का व्यापक ढांचा तैयार किया था और हमें पिछले सालों में इस विदेश नीति में कोई भी मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारी विदेश नीति में कभी भी मूल परिवर्तन नहीं आया है। हमारी विदेश नीति ना तो अवसरवादी रही है और ना ही प्रासंगिक रही है। यह कुछ निश्चित विचारों पर आधारित है और हमने उसी को अपनाया है जिसे देशवासियों ने समर्थन दिया है। मैं श्री एच०एम० पटेल को सम्मानपूर्वक यह सूचित करना चाहता हूं कि सन् 1977 में जब केन्द्र में दूसरी सरकार का आगमन हुआ था उस समय भी उस सरकार के लिए यह कदापि सम्भव नहीं हो सका की वे भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव करनी चाहे इसमें इजराईल के साथ हमारे सम्बन्ध का मामला ही क्यों ना हो। यह ठीक है कि उस समय जनरल मोशे दयान को भारत आमंत्रित किया गया था लेकिन फिर भी यह पाया गया था कि हमारी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं उनके द्वारा किये गए हस्तक्षेप का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं श्री विपिन पाल दास से शुरू करूंगा जिन्होंने कहा है कि हमने दक्षिणपूर्व एशिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वह इस मंत्रालय में एक मंत्री रह चुके हैं। इसलिये, उन्हें

इसका ज्यादा ज्ञान है । लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पायेंगे की पिछले 5 अथवा 6 सालों के दौरान लगातार दक्षिण-पूर्व एशिया के दौरों से दोनों ओर आने जाने में काफी वृद्धि हुई है। थाइलैंड के साथ संयुक्त आयोग की बहुत अल्प ही बैठक होने वाली है । थाइलैंड के प्रधान मंत्री की पहली भारत यात्रा कुछ समय पूर्व ही सम्पन्न हुई है ? मैंने दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सभी देशों का एक से ज्यादा बार दौरा किया है । मैंने इण्डो-चीन राज्यों का भी दौरा किया है । आज सुबह और दोपहर में विदेश मंत्री और मैंने वियतनाम के विदेश मंत्री से विचार-विमर्श किया । उनका प्रधान मंत्री द्वारा स्वागत किया गया था । मैं भी वहां उपस्थित था । यहां आने से पूर्व मैंने उनसे कम्पूचिया की स्थिति के बारे में एक घंटे तक विचार-विमर्श किया था । मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि कुछ दिनों में मैं थाइलैंड और इण्डोनेशिया का दौरा कर अपने साथियों से कम्पूचिया के संबंध में सलाह-मशिवरा करूंगा । जैसा कि आप जानते हैं कि इंडो-चीन के तीन राज्यों ने 5 अप्रैल को एक घोषणा कर यह कहा था कि 1954 के जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का पुनर्गठन करना चाहिए और उस आयोग के सदस्य भारत, पोलैण्ड, और कनाडा थे, जिसका अध्यक्ष भारत था । अपने चर्चा के दौरान मैंने न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के देशों और इंडो-चीन के राज्यों से ही चर्चा की भी अपितु पेरिस में प्रिंस सानुक से भी वार्ता की थी । न्यूयार्क अपने अमेरिकन मित्रों से और फ्रांस के मित्रों के अलावा अन्य देशों के साथ भी बातलाप किया । जिसमें सभी की आम राय थी की भारत को इसमें भूमिका निभानी है । मैं इस सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि 'इंडो-चीन' के साथ वाक्यांश का कुछ मतलब हो इसका मतलब दो सभ्यताओं का मिलन है ताकि एक-दूसरे का मुकाबला करना है । ऐतिहासिक और समकालीन कारणों के कारण इण्डो-चीन में जो भी हो रहा है उससे अनिभिज्ञ नहीं रहा जा सकता है । हम अपनी भूमिका को लादना नहीं चाहते लेकिन सभी ओर से यह कहा गया है कि इसमें भारत की भूमिका अनिवार्य है । मैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए थाइलैंड और इंडोनेशिया का दौरा करूंगा और वहां अपने मित्रों की इस बारे में राय जानने की कोशिश करूंगा कि वे इस संबंध में क्या सोच रहे हैं । वहां पर हम लोगों ने थाइलैंड के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से विस्तार से और स्पष्ट रूप से बातचीत की थी । मैंने दो बार थाईलैंड का दौरा किया और वहां के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से वार्तालाप किया था । मैंने राष्ट्रपति सुहार्तो से जकार्ता में मुलाकात की थी । मैंने वहां के विदेश मंत्री श्री अली अल्तास से भी मुलाकात की थी । आप जानते हैं कि प्रिंस सिहानुक और प्रधान मंत्री हुन-सेन की जाकर्ता में 2 और 3 तारीख को बैठक है और वहां से हम लोग प्रस्थान करेंगे । मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम संसार के इस भाग से खासकर सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के देशों से अपने संबंधों के बारे में बहुत ही सचेत हैं । वहां अपने वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि की बहुत ही ज्यादा सम्भावना है और इन देशों के साथ हमारे वित्तीय सम्बन्धों में भी सुधार के आसार हैं । एकबार कम्पूचिया समस्या का समाधान निकल जाए—हम जकार्ता में 2 तारीख 3 तारीख की बैठक से और 15 मई से चीन और रूस की पेंकिंग में वार्ता से बहुत ही आशावान हैं कि कम्पूचियन समस्या के समाधान का जल्द हल निकलेगा । सम्भव है कि इस संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक बुलायी जाय । जिम-II नियंत्रण आयोग की स्थापना की माँग कर सकते हैं । यह जरूरी हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के क्षेत्र को और बढ़ाया जाय क्योंकि सन् 1954 में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ नहीं बना था । उस समय केवल 65 या उससे अधिक स्वतंत्र देश थे अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के इतने ही सदस्य थे । आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देशों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है । आज 159 देश इसमें शामिल हैं । हमें इन सभी को ध्यान में रखना होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में हुए मैं यह कहूंगा कि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस कथन से सहमत हूं कि पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जोरदार बदलाव आया है क्योंकि आज जो हो रहा है वह दो साल पूर्व असोचनीय था। श्री शेवरनादजे ने लगभग तीन महीने पहले मुझसे कहा था कि वह और श्री शुल्ज गत 30 महीनों में 32 बार मिल चुके हैं। पिछले ढाई सालों में श्री गोरबाचेव और श्री रेंगन पांच बार मिल चुके हैं। सम्पूर्ण विश्व की स्थिति बदल चुकी है। तनाव में कमी आई है। क्षेत्रीय झगड़ों को सुलझाया जा रहा है। आणविक अथवा परंपरागत युद्ध का भय कम हो रहा है। आणविक और समर्पित निशस्त्रीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आई०एन०एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं और इस दिशा में अच्छी शुरूआत की गई है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में भारत का सहयोग कम महत्वपूर्ण नहीं है।

नवम्बर, 1986 में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्री गोरबाचेव के बीच एक ऐतिहासिक 'दिल्ली घोषणा पत्र' पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें दोनों देशों ने इस संसार को आणविक हथियारों से मुक्त कर इसे अहिंसा पर आधारित करने का संकल्प लिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे अब संसार के अत्याधिक देश अनुसरण करने के लिए इच्छुक हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिये कि हमने तनाव को कम कर आज संसार में एक शांति का वातावरण तैयार किया है।

महोदय अब मैं अफगानिस्तान के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि हम इस दिशा में निष्क्रिय नहीं रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने महासभा में विदेश मंत्रालय के वक्तव्य का उल्लेख करके अच्छा ही किया है। लेकिन हाल ही में सुरक्षा-परिषद में एक वाद-विवाद के अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने इस वाद-विवाद के बीच में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने हस्तक्षेप करके अपने विचार विस्तार में रखे। अगर सभा की इच्छा है तो मैं इसे यहां पढ़ सकता हूं अथवा इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। मैं इसके एक या दो भागों को यहां उद्धृत करना चाहता हूं।

हम अफगानिस्तान समस्या के लिए शांतिपूर्ण और बातचीत द्वारा समझौता चाहते हैं अफगानिस्तान जिससे एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, स्वतंत्र, गुट-निरपेक्ष अफगानिस्तान सुनिश्चित हो सकेगा। हम अनुभव करते हैं कि इस समस्या का समाधान एक व्यापक आधार पर निर्वाचित सरकार द्वारा हो सकता है जो कि विद्यमान तथ्यों तथा सभी दलों की उचित चिन्ता को ध्यान में रखेगी जिसे अफगान लोगों द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वत: तैयार किया गया हो।

और फिर उन्होंने आगे कहा है कि:

"इस बात की भी आवश्यकता है कि जेनेवा संधि का कड़ाई से पालन कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए।"

हमारी खुश किस्मती है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री फरवरी में दिल्ली आये पर थे। मैंने और दोनों विदेश मंत्रिओं ने उनके साथ विस्तार से चर्चा की थी हम श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि अफगानिस्तान में सुख और शांति कायम करने के लिए जेनेवा समझौता को लागू करना अत्यन्त आवश्यक और मौलिक कार्य है लेकिन इन समझौतों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपने किसी खास बैठक के बारे में उल्लेख किया था जोकि न्यूयोर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में हमारे पड़ोसी राज्यों के इसमें सम्मिलित होने से समस्या पैदा हुई है। सोवियत संघ द्वारा

वायदे के अनुसार 15 फरवरी तक अपनी सेना वापस बुला लेने के बाद भी हस्तक्षेप जारी है। विश्व के कुछ देशों का यह अनुमान था कि सोवियत सेना की वापसी के बाद नाजीबुल्ला सरकार सत्ता में नहीं रह पायेगी। हमने हमेशा कहा है कि ऐसी स्थिति नहीं थी।

राष्ट्रपति नजीबुल्ला और उनके सहयोगी भी अफगान के निवासी है। उनके मित्रों, सम्बन्धियों तथा सहयोगियों ने भी खून बहाया है। वे भी मारे गये हैं। उन्हें वहां के अन्य व्यक्तियों की तरह अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति नजीबुल्ला ने कई बार यह उचित प्रस्ताव रखा है कि वह सभी सम्बद्ध पक्षों की व्यापक सरकार की स्थापना करना चाहते हैं परन्तु इन प्रस्तावों को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया है। अब स्थिति यह है कि मुजाहिद्दीनों को अत्याधुनिक सैन्य सहायता दी जा रही है। हमें उन लोगों का अजीब उत्साह समझ में नहीं आता जिन्हें कल्पना में भी लोकतांत्रिक या प्रबुद्ध नहीं कहा जा सकता है। हम यह कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की स्थापना की जाए जो इसकी जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, इस प्रकार अमन चैन लाया जा सकता है और इसकी प्रभुसत्ता तथा गुट-निरपेक्ष दर्जा बनाये रखा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति नजीबुल्ला की पी०डी०पी० ए०ओ० सरकार को भंग कर दिया जायेगा तो अफगानिस्तान में स्थायी शान्ति नहीं होगी। पी०डी० पी०ए०ओ० के बिना उचित समाधान नहीं निकाला जा सकता। हम नैतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण में श्री नजीबुल्ला की सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कल हमारे राजदूत की अगवानी की तथा उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय ढंग से भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिये वह बड़े आभारी हैं। हम यह सहायता संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से द्विपक्षीय ढंग से दे रहे हैं और हम काबुल की वर्तमान सरकार का समर्थन करते रहें हैं। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिये जेनेवा समझौतों को ईमानदारी से लागू करना होगा।

जहां तक श्रीलंका का सम्बन्ध है, हमारे और श्री लंका के सम्बन्धों के बीच भारत-श्रीलंका समझौता बुनियादी आधार संसदीय है। कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रांतीय, संसदीय और राष्ट्रपति के सफलतापूर्वक चुनावों से स्पष्ट है कि समझौते के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वियन में पर्याप्त उन्नति हुई है। पूर्वोत्तर प्रांत में तमिल-बहुल प्रांतीय परिषद और प्रांतीय सरकार की स्थापना हुई है जो प्रभावी होती जा रही है। हालातों में सुधार होने से भारतीय शांति सेना की टुकड़ियों की क्रमिक वापिसी संभव हो सकती है। सरकार श्रीलंका में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये भारत-श्रीलंका समझौते को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगी। हम प्रतिदिन श्री लंका की सरकार, राष्ट्रपति प्रेमदास और उनके साथियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। हमारी वहां की कार्यवाही या समझौता के कार्यान्वन के बारे में कोई मतभेद नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कि वहां हजारों अधिकारी नहीं मरे हैं, जैसा कि श्री पटेल ने कहा है। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि कुछ अधिकारी मारे गये हैं। हमारा यह प्रयास है कि हमारा कोई भी सैनिक न मारा जाए। मैं अपनी शान्ति सेना की प्रशंसा करता हूं जिसने कठिन परिस्थितियों में हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा हमारे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिये शानदार ढंग से कर्तव्य का पालन किया है।

जहां तक इजरायल का सम्बन्ध है, बम्बई में इजरायल का वाणिज्य दूतावास है, जो सामान्य ढंग से कार्य कर रहा है। इजरायल के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र तथा तकनीकी एवं गैर सरकारी सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं इसके अतिरिक्त वे अपनी वैयक्तिक हैसियतों से गैर-सरकारी सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं।

जहां तक टेनिस का सम्बन्ध है, मैं अखिल भारतीय टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष की हैसियत से कहता हूं कि हमने इजरायल की टीम को दिल्ली में टेनिस खेलने की अनुमति दी है। परन्तु हमने गाजा में उनकी कार्यवाही के कारण अपनी टीम को वहां खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय भारत जैसे देश की टीम का इजरायल के खिलाड़ियों के साथ खेल के लिए वहां भेजना असंभव था।

अन्त में जहां तक बर्मा का प्रश्न है, बर्मा की सरकार ने मई 1990 में चुनाव कराने घोषणा की है। हम वहां की स्थिति पर सतत ध्यान दे रहे है। यह दुखद स्थिति है। प्रधान मंत्री दिसम्बर 1987 में स्वयं वहां गये थे। हम बर्मा को हर सम्भव सहायता दे रहे हैं जहां यह विकास के लिए हो अथवा यह इसके सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्र के लिए हो इसके साथ-साथ हमने यथा सम्भव सहानुभूति दिखायी है। यह सच है कि हम बर्मा में लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति तटस्थ नहीं हो सकते, हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। हम इस मामले की तह तक नहीं गये हैं। हम वहां की नाजुक स्थिति को जानते है, वह उनका आन्तरिक मामला है। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि हम अपने पडोसी देशों के साथ सम्बन्ध बिगाड़ रहे हैं, नेपाल तथा अन्य पडौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में विदेश मंत्री विस्तृत जानकारी देंगे।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपनी विदेश नीति पर गर्व होना। चाहिए जो पूर्णतः गांधीजी के अहिंसा, नेहरू जी के गुट निरपेक्षता तथा निरस्त्रीकरण के सिद्धान्तों पर आधारित है। मुझे अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से प्रधान मंत्री को अपने पडौसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने के लिये उनके प्रयासों के लिये बधाई देते हुए खुशी हो रही है।

मुझे केवल दो मिनट का समय दिया गया है इसलिये मैं अपने भाषण श्री लंका के मामले तक ही सीमित रखूंगा। भारत श्री लंका समझौता केवल श्री प्रेमदास को राष्ट्रपति बनाने के लिये ही नहीं किया गया। यह समझौता मुख्यतः श्रीलंका में तमिलों की हत्यायें रोकने के लिये किया गया था। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि समझौते के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए। अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञों ने भारतीय शांति सेना की वापसी के बारे में कहा है। परन्तु साथ ही हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि श्री लंका में हमारे तमिल भाई सुरक्षित हैं। उनके जीवन को इस तरह दॉव पर नहीं लगाया जाना चाहिए जैसा कि 1986-87 में था।

हम सबको हमारे प्रधान मंत्री की श्री लंका की यात्रा के दौरान घटित घटना की याद हैं। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आप ने उनका धैर्य देखिए। वह गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुयायी हैं। वह बौद्ध देश के हैं। हम भारतीय उस घटना को नहीं भुला पाएगें। हम भारतीय, विशेषतः तमिलनाडु के लोग उनकी वीरता और धैर्य से बहुत खुश हैं। श्री लंका समझौता केवल श्री प्रेमदास को राष्ट्रपति बनाने के लिये ही नहीं किया गया बल्कि श्री लंका में तमिल मूल के निवासियों की हत्यायें रोकने के लिये किया गया था अतः तमिलनाडु की जनता की राय की प्रशंसा की जानी चाहिए किन्तु फिर भी तमिलों पर शक किया जा रहा है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविण मुनेत्र कषगम का एक सांसद बिना पासपोर्ट या वीसा के श्री लंका गये थे उन्हें केवल भारतीय शांति सेना की सहायता से वापस लाया गया। मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कि इस विशेष घटना के

बारे में क्या कार्यवाही की गयी है। डा० करुणानिधि पहले इस समझौते के खिलाफ थे वह अब चुप-चाप हैं। एक वर्ष पहले वह ईलम के समर्थक थे परन्तु अब वह चुप बैठे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने से पहले अच्छी तरह विचार किया जाए। उन्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी सिंहली तमिल की हत्या नहीं होगी और 1686-87 की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

हम विदेश नीति के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। अपने स्वर्गीय नेताओं अन्ना तथा एम.जी.आर. की तरह हम निश्चित रूप से केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करेंगे। हमारी वर्तमान नेता कुमारी जयललिता की भी यही नीति है।

श्री सैफुद्दीन अहमद (मंगलदाई) : महोदय, मुझे भी अनुमति दें। अनेक वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। आप मुझे थोड़ा समय क्यों नहीं देते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हमारे पास बहुत कम समय होने के बावजूद अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक ऐसा वाद-विवाद करना जबकि गिलोटीन होने वाला हो और वाद-विवाद बिल्कुल ही न करना, दोनों में चयन करना मुश्किल है। कुछ मामलों में, यह वाद विवाद न करना अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि हम यह वाद-विवाद कर रहे हैं। विशेष रूप से किसी की गलती के बिना इसलिए, उपलब्ध समय में हमें यह वाद विवाद करना है। हमें यह बताया गया था कि हमारे पास 9 घंटे होंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि हमने इस समय का 40 प्रतिशत भी नहीं लिया है।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : मांगों के पारित होने के बाद हम इस मामले पर एक पृथक चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं भी यही प्रस्ताव कर रहा हूं। ये सभी मामले सभा के सम्मुख पहली बार नहीं आ रहे हैं। इन पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। इन पर फिर चर्चा हो सकती है और यह चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि इन मुद्दों में हरेक की नवीनतम स्थिति के प्रति सभा को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन मुद्दों में हरेक पर सभा को विश्वास में लेना चाहेंगे।

मेरे साथी ने अफगानिस्तान, कम्पूचिया, श्रीलंका और इजरायल संबंधी तीन या चार अति महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। अब संभवतः हमारे नेपाल से संबंध का मामला भारत के लोगों के दिमागों में है और संभवतः अपने अपने उद्देश्य के साथ विश्व की अन्य राजधानियों में भी इस मामले का जिक्र हो रहा है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, यह अचानक नहीं हुआ है। ऐसा कुछ समय से चल रहा है। इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना होगा। हमने अभी तक कोई सरकारी वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ऐसे मामले में नियंत्रित प्रतिक्रिया करना चाहते थे जिस पर ऐसा पहले ही कुछ कहने से अधिक अच्छा है चाहे यह मामला कितना ही बाध्य करने वाला क्यों न हो। लेकिन अब समय आ गया है और मेरे विचार से यह सभा सबसे अच्छा मंच है जहां मुझे भारत-नेपाल संबंधों पर भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

हाल के महीनों में भारत और नेपाल के पुराने संबंधों में कुछ तनाव आया है। यह हमारे लिए दुःख और खेद का समय रहा है। भारत नेपाल संबंध वास्तव में अनूठे रहे हैं। विशेष संबंधों की तरह इसका वर्णन सामान्य रूप में नही हो सकता है। इस क्षेत्र के किन्हीं अन्य दो राष्ट्रों में ऐसे संबंध नहीं थे। दोनों देशों के हजारों देशवासी प्रतिदिन बगैर वीसा के भारत और नेपाल की खुली सीमा को अनेक उद्देश्यों के लिए पार करते हैं जो कि भारत नेपाल के संबंधों को दर्शाता है ; इस प्रकार भारत-नेपाल सीमा एक राजनैतिक वास्तविकता होते हुए भी एक महान सामाजिक और सांस्कृतिक निरन्तरता का भी एक भाग है।

वर्ष 1950 अथवा शांति और मित्रता की सन्धि से पूर्व प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल में संबंध रहे हैं। फिर भी, 1950 की सन्धि संबंधों में एक अनूठी महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह संबंधों के मानक कूटनैतिक प्रारूप से परे हैं और शताब्दियों से चले आ रहे महान स्वप्न को मजबूत करने में सहायक है। यह स्वप्न दोनों देशों के महान नेताओं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजाधिराज त्रिभुवन ने संजोया था। नेपाल और भारत का यह स्वप्न था कि वे स्वतन्त्र, प्रभुत्तासम्पन्न और मुक्त रहें लेकिन अटूट संबंधों से जुड़े रहें। यह दो देशों का स्वप्न था जो उनकी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार था और इसमें दोनों देशों के लोगों को जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में बराबर मानने का वायदा किया गया था, और निवास, सम्पत्ति में स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में भागीदारी, औद्योगिक और आर्थिक विकास में तथा ऐसे विकासकार्यों के संबंध में रियायतों और ठेकों के संबंध में तथा अन्य ऐसे विशेषाधिकारों में समान व्यवहार करना था। यह अकाट्य तर्कों पर आधारित थी और इसके अन्तर्गत यदि प्रभुसत्ता से प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार मिलता है और यदि राज्य अपनी इच्छा व समझ से यह सही समझते हैं तो इससे यह अधिकार भी मिलता है कि वह इन प्रतिबन्धों को हटा सकता है।

गत वर्षों और दशकों के दौरान भारत ने 1950 की सन्धि का पूर्ण रूप से पालन किया है। इस प्रकार एक प्रावधान तो यह है कि भारत में विदेशियों द्वारा नौकरी करने के विरुद्ध अत्यंत सख्त नियम हैं, लेकिन लाखों नेपाली भारत सभी भागों में स्वतन्त्र रूप से रहते तथा कार्य करते हैं। यह बात ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि नेपाली न सिर्फ सेना में नियुक्त होने के पात्र हैं बल्कि भारत में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सीमित पदों को छोड़कर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पाने के योग्य हैं। इस देश में नेपाली देशवासियों की काफी जायदाद है। वे यहां पर किसी रुकावट के बगैर व्यापार करते हैं। उनके द्वारा अपनी बचत या लाभ की कोई धनराशि वापस नेपाल भेजने पर कोई रोक नहीं है।

इसके अलावा भारत ने नेपाल के आर्थिक विकास के लिए पूर्ण रूप से सहायता दी है, हालांकि इसके पास आर्थिक तंगी है और औपनिवेशिक रुद्धता के लम्बे युग से निकलते हुए इसे अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। नेपाल की कोसी और गंडक परियोजनाओं जैसे जल संसाधनों के विकास के लिए भारत ने पारस्परिक सहयोग की योजनाओं को पूर्णतया वित्तीय सहायता दी है और इन्हें कार्यान्वित किया है ? अन्य अनेक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में हमारी सहायता एक वर्ष में लगभग 20—25 करोड़ रुपये होती है। इंजीनियरिंग तथा मैडीकल के काफी स्थानों सहित लगभग 275 स्थान नेपाली छात्रों को प्रतिवर्ष विभिन्न वजीफों के तहत दिए जाते हैं। 1950 से ही विभिन्न व्यापार एवं पारगमन सन्धियों के अन्तर्गत भारत ने विशेष रूप से नेपाल के प्राथमिक उत्पादों और निर्मित वस्तुओं के लिए गैर-पारस्परिक

आधार पर अत्यधिक प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार किया है इसके साथ ही तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापर के लिए अत्यधिक व्यापक पारगमन सुविधाएं दी है। नेपाल द्वारा आयातित भारतीय वस्तुओं पर लगा उत्पाद शुल्क पूर्ण रूप से नेपाल को दे दिया जाता है। आवश्यक वस्तुओं का एक कोटा जैसे कोयला, लोहा और इस्पात चीनी, खाद्यान्न, शिशु आहार, दुग्ध उत्पाद, जिन पर आम तौर से निर्यात की मनाही होती है, नेपाल को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराए गए। भारत ने खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट, इत्यादि की आपातकालीन सप्लाई के नेपाल के अनुरोध पर सकारात्मक कार्यवाही की है। नेपाल के भारतीय करेंसी के भंडार में तदर्थ कमी को पूरा करने के लिए 25 करोड़ ऋण नेपाल को दिया गया। कलकत्ता बन्दरगाह पर भारतीय आयातकों को दी जा रही सुविधाओं से भी अच्छी सुविधाएं नेपाली आयातकों को दी गई जिस पर प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए और भारत सरकार ने इसे वहन किया। नेपाल के साथ उत्पाद बदलने के समझौते के अन्तर्गत भारत ने बन्दरगाह पर कुछ शोधित पैट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल को ले लिया और इसके बरावर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अनेक किस्मों को भारत नेपाल सीमा के साथ अनेक स्थलों पर सप्लाई किया। भारतीय तेल निगम ने नेपाल से केवल वास्तविक व्यय ही लिए और यह भी रुपये के रूप में लिए।

महोदय, मैं ये विस्तृत जानकारी सिर्फ यह दर्शाने के लिए दे रहा हूं कि हमने अपनी सीमाओं के अन्दर रहते हुए अपने पुराने संबंधों की भावना के अनुरूप तथा 1950 की सन्धि में निहित स्वप्न के अनुकूल ही नेपाल के साथ अपने पीढियों पुराने सम्बन्ध बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है।

भारत बदले में नेपाल से अपने सम्बन्धों की प्रशंसा और मित्रता चाहता है। इसलिए संभवतः यह अपरिहार्य बात थी कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का झुकाव भारत के पक्ष में अधिक रहा है वर्ष 1960 में दोनों देशों के बीच एक साझा बाजार स्थापित करने के लिए एक नए व्यापार और पारगमन सन्धि के अन्तर्गत एक साहसिक प्रयास किया गया था। हमारा यह महान स्वप्न अवास्तविकता अथवा अति महत्वकांक्षी होने के कारण नहीं अपितु नेपाल में आन्तरिक राजनैतिक परिवर्तनों के कारण साकार नहीं हो सका।

दुर्भाग्य से गत वर्षों के दौरान हमारा 1950 का स्वप्न पूरा नहीं हुआ। इसकी भावना में कमी आई है भारत नेपाल सम्बन्ध के विषय में प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक तौर पर इसमें कमी हुई है। इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि नेपाल में रहने वाले 1,50,000 भारतीयों, जो कि अपेक्षाकृत छोटा समुदाय है, के देनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रमबद्ध रूप से भेदभाव किया जा रहा है। इसके विपरीत भारत में रहने वाले 3—4 मिलियन नेपाली लोग उन सभी अधिकारो का उपयोग कर रहे हैं जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। नेपाल में भारतीयों की सम्पति के स्वामित्व पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अप्रैल 1987 में तो और भी अधिक गम्भीर बात हुई है। नेपाल की सरकार ने भारतीयों को उन विदेशियों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है, जिन्हें नेपाल के किसी भी संगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। काठमांडू के इर्द गिर्द के तीन जिलों से आरम्भ होकर सितम्बर 1988 में सम्पूर्ण देश में यह कार्यवाही की गई। यद्यपि अभी तक इसे पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है, तथापि अनेक भारतीय पेशेवर लोगों को, जिनमें बहुत से वे अध्यापक भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक नेपाली युवकों को पढ़ाया है, सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गये हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य रिपोर्टें भी हैं कि भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थापित कुछ नेपाली प्रतिष्ठान केवल नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र के आधार

पर श्रमिकों को काम पर लगा रहे हैं। यह भी सरकारी रिपोर्ट है कि वहां की सरकार पिछले 12 वर्षों में मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों को दिये गये नागरिकता प्रमाण पत्रों की समीक्षा करने की योजना बना रही है। यह कहा जाता है कि इस अभियान में 6.48 मिलियन लोग सम्मिलित हैं। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें नेपाल में अपने अनुबन्धों को निष्पादित कर रही किसी तीसरे देश की फर्मों द्वारा रोजगार पर लगाये गये भारतीय व्यवसायियों को केवल भारतीय होने के कारण रोजगार देने से इन्कार कर दिया गया है। ये सभी दुख की बातें हैं। जवाहरलाल नेहरू और महामहिम नरेश त्रिभुवन के दृष्टिकोण के अनुसार और आगे कल्पना करना कठिन होगा। इन सब बातों के विरुद्ध दिये गये अभ्यावेदनों का नेपाल की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को यह कहकर रद्द करने के प्रयास किये गये हैं कि कार्य परमिट प्रणाली को सुरक्षा कारणों से आरम्भ किया गया है और इसका आशय आंकड़े एकत्रित करना था और इसका उद्देश्य मूलभूत आवश्यकता कार्यक्रम को पूरा करना था। मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्थिति से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

वहां न केवल भारतीय व्यक्तियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है अपितु उन भारतीय फर्मों को भी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बोली में अनुबन्ध प्राप्त किये हैं। तीसरे देशों के पक्ष में चालाकी के माध्यम से, उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है। यहां भी हमारे अभ्यावेदनों के फलस्वरूप हमें केवल ऐसे आश्वासन दिये गये हैं जिन्हें व्यवहार में लागू नहीं किया जा रहा है।

व्यापार और पारगमन के क्षेत्र में जिसके बारे में हाल ही में कुछ मुद्दे सामने आये हैं, भारत का रवैया सदैव अनुकूल रहा है यह समझते हुए कि नेपाली अर्थव्यवस्था की विशेष आवश्यकतायें हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है वर्ष 1960 की व्यापार और पारगमन सन्धि भारत-नेपाल के साझा बाजार की परिकल्पना पर आधारित थी जिसे बाद में पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद भी, 23 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन सन्धियों ने नेपाली निर्यात और तीसरे देशों के साथ नेपाल के पारगमन में व्यापक प्राथमिक व्यवस्था की है। स्वदेशी नेपाली उत्पादों और निर्मित माल को निशुल्क, बिना कोटे के भारतीय बाजारों में पहुंचाया जाता था। रुपये के माध्यम से अदायगी के आधार पर व्यापार किया जाता था। नेपाल को अपने पारगमन व्यापार के लिए भारतीय भूक्षेत्र में से होकर जाने वाले 15 मार्ग दिये गये थे। इसके अतिरिक्त बंगलादेश और भूटान के साथ नेपाल के व्यापार के लिए अलग पारगमन मार्ग थे। नेपाल को भारतीय भू क्षेत्र से होकर देश के एक भाग से दूसरे भाग में सामान ले जाने की भी अनुमति दी गई थी।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कलकत्ता बन्दरगाह पर नेपाली आयात कर्ताओं को विशेष सुविधायें दी गई थीं। महोदय केवल 1950 के सन्धि की भावना के अनुसार ही ये सभी साधन सुविधायें नेपाल को दी जाती थी। अन्यथा वैधानिक स्थिति यह है कि नेपाल जी०ए०टी०टी० का भी सदस्य नहीं है। भारत ने स्थल रूद्ध देशों के पारगमन व्यापार के लिए न तो अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा अथवा समुन्द्र कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र परम्परा का समर्थन किया है। अतः पारगमन मामलों के बारे में नेपाल के प्रति भारत का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। परन्तु भारत ने कभी भी इस वैधानिक स्थिति का सहारा नहीं लिया है।

फिर भी व्यापार के क्षेत्र में हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है। भारत को केवल यह रियायत दी गई कि तीसरे देशों की अपेक्षा नेपाल में निर्यात करने के लिए, उसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। इसके बदले, भारत में नेपाल के लिए प्राथमिकता के तौर पर उसके नजदीक ही सघन

बाजार की व्यवस्था की गई थी। फिर भी जून 1987 में अपने बजटीय प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाते समय, भारतीय निर्यात के लिए पहले से उपलब्ध कराए गए इन सभी टैरिफ लाभों को पूर्ण तया समाप्त कर दिया गया था। कुछ श्रेणियों के भारतीय सामान पर मूल सीमा शुल्क के अलावा अतिरिक्त सीमाशुल्क भी लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1987-88 में नेपाल को किया भारतीय निर्यात घटकर इससे पूर्व वर्ष की तुलना में आधा रह गया।

जब मार्च 1988 में भारत-नेपाल व्यापार सन्धि समाप्त हुई तो अक्टूबर 1988 में इस दिशा में एक नई सन्धि तैयार की गई जिसमें नेपाल की ओर से दो आश्वासन दिये गये। वे आश्वासन ये थे कि सबसे पहले भारतीय माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को हटा लिया जायेगा और दूसरे यह सुविधा किसी अन्य तीसरे देश को नहीं दी जायेगी। फिर भी नेपाल ने किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया। फरवरी 1989 तक, पांच महीने व्यर्थ में इन्तजार करने के बाद नेपाल सरकार को बहुत से अनुस्मारक पत्र दिये जाने के बावजूद हमारे सामने केवल यही विकल्प था कि नेपाल को एक नई एकीकृत व्यापार और पारगमन सन्धि के लिए कहा जाये। यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्योंकि किसी भी नई सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं इसलिए उसे "रद्द करने" का प्रश्न ही नहीं उठता है, जैसा कि कुछ नेपाली अधिकारियों द्वारा दावा किया गया है।

भारत सरकार ने सदैव यही चाहा है और वर्ष 1978 तक नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन के सम्बन्ध में एकमात्र सन्धि ही की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और नेपाल जैसे देशों के लिए, जिनकी 1700 किलोमीटर बहुत ही लम्बी खुली सीमा है, व्यापार और पारगमन बाध्यकारी रूप से जुड़े हुए मामले हैं। भारत द्वारा नेपाल को दी गई व्यापक पारगमन सुविधाओं का भारी पैमाने पर तस्करी के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 1978 में कुछ आपत्तियों के बावजूद भी, भारत अलग-अलग सन्धियों के लिए सहमत हो गया परन्तु उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। इसीलिए अब हम एकमात्र सन्धि के लिए कह रहे हैं।

अतः वर्तमान स्थिति, पूर्ण रूप से नेपाल की ओर से की गई गलतियों का ही परिणाम है। भारत ने अपनी ओर से अन्तिम समय तक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये कि नेपाल अक्टूबर 1988 में भारत को दिये गये आश्वासनों को पूरा करे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

व्यापक सन्धि की समाप्ति के परिणामस्वरूप नेपाली सामान के लिए दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता की व्यवस्था के स्थान पर सामान्य आयात-निर्यात व्यवस्था को लागू कर दिया गया है जोकि बहुत से अन्य तीसरे देशों के साथ भारत के व्यापार के बारे में लागू होती है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्यवाही की है कि इसके कारण नेपाल के आम लोगों के सामने उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्यूनतम किया जा सके। यद्यपि व्यापार सन्धि समाप्त होने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कोटा प्रणाली समाप्त हो गई है परन्तु फिर भी नेपाल सरकार को यह कहा गया है कि वर्ष 1989 के दौरान उन्हें चीनी, बेबी फूड, दुग्ध उत्पाद, नारियल तेल गुड, इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण सप्लाई की जायेगी। परन्तु महोदय उनकी ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। उनके व्यापारियों को ये सामान उठाने के लिए भी नहीं कहा गया है। उन्हें एल.सी. खोलने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए कुछ सामान नेपाल नहीं जा रहा है।

पारगमन के क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत समुद्री सीमा विहीन राष्ट्र को समुद्र तक एक पारगमन मार्ग इस्तेमाल करने का अधिकार है। पारगमन संधि के बिना भी नेपाल को अब निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

1. दो पारगमन स्थल रक्सौल और जोगबनी, जो कि कलकत्ता पत्तन के बहुत निकट हैं और जिस मार्ग से पहले अस्सी से नब्बे प्रतिशत तक माल ले जाया जाता था।
2. कलकत्ता पत्तन पर ऊपर बताई गई सुविधाएं।
3. बंगला देश और भूटान के साथ व्यापार के लिये पहले वाले पारगमन मार्ग।
4. भारत होकर नेपाल से नेपाल के लिए पारगमन मार्ग।

नेपाल के विदेश मंत्री ने 26-27 मार्च, 1989 की अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान हमें व्यापार सन्धि का नया मसौदा दिया था। यह मसौदा अपने आप में यह इंगित करता है कि नेपाल सरकार स्वयं पहले की स्थिति से हटना चाहती है और एम.एफ.एन. दर्जे की तरफ जाना चाहती है। इससे यह स्पष्ट है कि नेपाल सरकार भारत के साथ पहले वाली व्यापार सन्धि करने की इच्छुक नहीं है। जिसे 11 अप्रैल 1989 भारी मात्रा में बढ़ाये गये सीमा शुल्क से यह जिससे भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर जो भी रियायती सीमा शुल्क लगता था उसको समाप्त कर दिया है। यह और भी स्पष्ट हो जाता है इसलिए हमें यह समझ में नहीं आता कि भारत पर व्यापार के क्षेत्र में नेपाल के लिए कठिनाईयां पैदा करने का आरोप क्यों लगाया जाता है।

पारगमन के क्षेत्र में नेपाल ने पहले वाली ही सन्धि का पुनः प्रवर्तन चाहा है।

जबकि भारत व्यापार और पारगमन की एक संयुक्त सन्धि चाहता है, नेपाल को, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पारगमन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

"नवीनतम स्थिति यह है कि राष्ट्र को नववर्ष के अपने संदेश में 13 अप्रैल, 1989 को महामहिम महाराजा बीरेन्द्र ने उनके भौगोलिक रूप से समुद्र विहीन राष्ट्र होने के कारण थोप दी गई" समस्याओं को "मित्रता पूर्ण वार्ता और विचार विमर्श से" समाधान करने की इच्छा जाहिर की है। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने न्यूयार्क टाइम्स और बी. बी. सी. को अलग अलग दिये गये अपने साक्षात्कार में यह बताया गया है कि नेपाल भारत के साथ अब कोई विशेष संबंध नहीं चाहता है, कि किसी अन्य राष्ट्र पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है और यह कि अब नेपाल अन्योन्याश्रय चाहता है। उन्होंने, जैसा कि बताया गया है इसकी भी पुष्टि की है कि 11 अप्रैल से लागू सीमा शुल्क को नहीं बदला जायेगा और विशेष, अनोखे और परंपरागत संबंध "अब समाप्त" हो गयें हैं। तदुपरान्त नेपाल सरकार के मुख्य प्रवक्ता द्वारा नेपाल द्वारा सिर्फ एक संधि और वो भी पारगमन संधि किये जाने की पुष्टि करने वाले बयान दिये गये हैं। तथाकथित रूप से उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि भारत यह महसूस करता है कि नेपाल ने 1950 की संधि का उल्लंघन किया है, जिसे नेपाल ने स्वीकार नहीं किया है, नेपाल-भारत नेपाल संबंधों के पूरे परिवेश पर विस्तृत और सीधी बात करने को तैयार है। उन्होंने तथाकथित रूप से नेपाल में विदेशी नागरिकों के लिए कार्य नागरिकता प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र की आवश्यकता को लागू करने के नेपाल सरकार के निश्चय को दोहराया है।

इन सभी वर्षों में हमारी इच्छा नेपाल के साथ संबंधों को जारी रखने की रही है, जोकि दोनों देशों और उनकी जनता के लिए लाभप्रद हो। साथ ही हर बार हमने उन्हें आश्वासन दिया

है कि उनकी प्रभुसत्ता, राष्ट्र के रूप में उनकी पहचान का हम सम्मान करते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि अब और भविष्य में उनकी समृद्धि हो। 1950 की संधि एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुये हमारे आपसी संबंधों को निर्धारित करती है और हमारे इन दो राष्ट्रों के बीच एकता के सिद्धान्त को विश्व में दर्शाती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नेपाल के साथ आपसी लाभ पर आधारित संबंधों को कम करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है।

नेपाल द्वारा इसके विपरीत घोषणा के बावजूद भारत ने 1950 की संधि की समालोचना की मांग कभी नहीं की यह हमेशा हमारी हार्दिक इच्छा रही है और अब भी है यही है कि संधि की भावना को अक्षरशः लागू किया जा सके। लेकिन नेपाल के हाल ही के बयानों से ऐसी किसी भावना के जोर पकड़ने का पता नहीं चलता है। जैसा कि मैंने विस्तृत तौर पर बताया है कि उन्होंने कई अवसरों पर यह दोहराया है कि वह 1950 की संधि से प्रसन्न है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों राष्ट्र इस संधि के सही कार्यनिष्पादन से तथा इस संधि की भावना को अक्षरशः लागू करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत आपसी संबंधों के ताने-बाने पर विचार विमर्श करने का इच्छुक है और इसके लिए तैयार भी है।

हम भारत-नेपाल संबंधों को पहले की तरह एक आदर्श के रूप में जारी रखना चाहेंगे। हमेशा की तरह हम नेपाल सरकार और उसके लोगों का भला चाहते है। हम केवल यही चाहते हैं कि हमारे आपसी संबंध, प्रभुसत्ता आपसी विश्वास, आपसी लाभ और आपसी समझबूझ तथा एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए बने रहें नेपाल के लोग हमें इसमें पीछे नहीं पायेंगे। उनकी चिन्ताओं को मैं समझ सकता हूं तथा उनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के अलावा हमारे हृदय में कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को अलग से रखना चाहें तो वे मुझे बता सकते हैं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में मांग संख्या 24 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1989-90 के लिए विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग

मांग संख्या मांग का नाम	17 मार्च, 1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
विदेश मंत्रालय	रु०	रु०	रु०	रु०
24. विदेश मंत्रालय	82,89,00,000	10,73,00,000	367,69,00,000	53,67,00,000

6.00 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

एक माननीय सदस्य : गिलोटीन, महोदय ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ने करवाया, मैं कर रहा हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ··· ।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह एक छोटा सा व्यवस्था का प्रश्न है । 1985 में मुझे याद है आपने सुझाव दिया था ··· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, 1985 में आपने सुझाव दिया था ··(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात को नहीं माना जाता है··· ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपका यह विनिर्णय था कि बजट समितियां बनायी जायेंगी ········ (व्यवधान) ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस बार हम ऐसा करेंगे ···(**व्यवधान**) ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, अब नहीं ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं···।

(**व्यवधान**)

6.02 म०प०

अनुदानों की मांगें, 1989-90—जारी

(दो) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि, आदि

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों से संबंधित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

(1) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 और 7 ;

(2) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 और 9 ;

(3) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 से 12 ;

(4) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 19 ;

(5) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 ;

(6) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 से 28,30,31 और 33 से 37 ;

(7) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 38 और 39 ;

(8) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 40 ;

(9) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41 और 42 ;

(10) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 से 47 और 90 से 95 ;

(11) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48 से 51 ;

(12) उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 55 ;

(13) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56 और 57 ;

(14) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 ;

(15) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 ;

(16) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60 ;

(17) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 ;

(18) पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 ;

(19) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64 ;

(20) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 ;

(21) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66 से 68 ;

(22) इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 और 70 ;

(23) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71 से 73 ;

(24) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 ;

(25) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75 से 77 ;

(26) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 ;

(27) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79 ;

(28) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 80 और 81 ;

(29) इलक्ट्रोनिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 82 ;

(30) महासागर विकास विभाग में संबंधित मांग संख्या 83 ;

(31) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 84 ;

(32) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 85 ;

(33) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 86 ;

(34) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 88 ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1989-90 के लिए नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि से संबंधित अनुदानों की मांगे

मांग की संख्या	मांग का नाम	17 मार्च, 1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय					
1.	नागर विमानन विभाग	12,09,00,000,	3,11, 00,000	60,45, 00,000	15,53,00,000
2.	पर्यटन विभाग	8,15,00,000	3,01,00,000	40,80,00,000	15,04,00,000

1	2	3	4	5
वाणिज्य मंत्रालय				
3. वाणिज्य विभाग	292,68,00,000	28,24,00,000	14,64,42,00,000	141,19,00,000
4. पूर्ति विभाग	3,79,00,000		18,98,00,000	...
संचार मंत्रालय				
5. सचार मंत्रालय	1,08,00,000	...	5,42,00,000	—
6. डाक सेवाएं	204,79,00,000	8,03,00,000	1023,99,00,000	40,17,00,000
7. दूर संचार सेवाएं	529,53,00,000	364,58,00,000	26,47,67,00,000	1822,91,00,000
रक्षा मंत्रालय				
8. रक्षा मंत्रालय	121,67,00,000	29,33,00,000	608,38,00,000	146,66,00,000
9. रक्षा पेंशनें	224,93,00,000	...	1124,64,00,000	...
10. रक्षा सेवाएं थल-सेना	1128,59,00,000	...	5642,96,00,000	...
11. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	130,75,00,000		653,75,00,000	...
12. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	312,26,00,000		1561,27,00,000	...
13. रक्षा आयुध कारखाने	23,35,00,000		116,74,00,000	...
14. रक्षा सेवाएं पर पूंजी परिव्यय	..	649,08,00,000	...	3245,39,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय				
15. पर्यावरण और वन मंत्रालय	35,11,00,000	51,00,000	175,56,00,000	2,57,00,000
वित्त मंत्रालय				
16. आर्थिक कार्य विभाग	66,66,00,000	24,86,00,000	332,70,00,000	124,27,00,000
17. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	49,17,00,000	30,86,00,000	245,82,00,000	154,29,00,000
18. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	49,34,00,000	811,03,00,000	244,34,00,000	805,10,00,000
19. पेंशनें	88,74,00,000		443,70,00,000	...
20. राज्य सरकारों को अन्तरण	625,94,00,000	17,50,00,000	3129,69,00,000	87,50,00,000
21. सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	30,17,00,000	...	150,83,00,000
22. व्यय विभाग	134,30,00,000	42,00,000	1171,48,00,000	2,10,00,000

1	2	3	4	5
23. सेवा परीक्षा	37,48,00,000	...	187,38,00,000	
24. राजस्व विभाग	29,30,00,000	51,00,000	37,67,00,000	2,54,00,000
25. प्रत्यक्ष कर	32,16,00,000	20,00,00,000	160,82,00,000	100,00,00,000
26. अप्रत्यक्ष कर	51,43,00,000	21,23,00,000	257,17,00,000	106,13,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय				
27. खाद्य विभाग	395,84,00,000	29,43,00,000	1979,19,00,000	147,12,00,000
28. नागरिक पूर्ति विभाग	4,99,00,000	64,00,000	24,93,00,000	3,20,00,000
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय				
29. खाद्य संसाधन उद्योग विभाग	2,67,00,000	1,68,00,000	13,37,00,000	8,37,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
30. स्वास्थ्य विभाग	71,59,00,000	27,87,00,000	357,95,00,000	139,36,00,000
31. परिवार कल्याण विभाग	122,81,00,000	26,00,000	614,05,00,000	1,32,00,000
गृह मंत्रालय				
32. गृह मंत्रालय	31,07,00,000	1,33,00,000	155,37,00,000	6,67,00,000
33. मंत्रिमंडल	3,50,00,000	...	17,50,00,000	...
34. पुलिस	206,82,00,000	24,28,00,000	1034,10,00,000	121,40,00,000
35. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	42,56,00,000	24,04,00,000	174,74,00,000	72,24,00,000
36. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	10,37,00,000	5,51,00,000	51,84,00,000	27,52,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
37. शिक्षा विभाग	253,68,00,000	13,00,000	1323,98,00,000	63,00,000
38. युवा कार्य और खेल विभाग	15,92,00,000	32,00,000	79,61,00,000	1,60,00,000
39. कला और संस्कृति	18,79,00,000	3,42,00,000	82,21,00,000	17,08,00,000
40. महिला और बाल विकास विभाग	49,51,00,000	33,00,000	224,67,00,000	1,67,00,000
उद्योग मंत्रालय				
41. औद्योगिक विकास विभाग	57,50,00,000	45,34,00,000	287,50,00,000	226,67,00,000

1	2	3	4	5
42. कंपनी कार्य विभाग	1,33,00,000	1,00,000	6,66,00,000	...
43. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2,83,00,000	14,01,00,000	14,16,00,000	70,09,00,000
44. सरकारी उद्यम विभाग	6,04,00,000	69,90,00,000	30,17,00,000	349,49,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
45. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12,71,00,00	45,00,000	63,56,00,000	2,24,00,000
46. प्रसारण सेवाएं	85,37,00,000	50,39,00,000	426,86,00,000	251,99,00,000
श्रम मंत्रालय				
47. श्रम मंत्रालय	50,15,00,000	21,00,000	250,86,00,000	1,06,000,000
विधि और न्याय मंत्रालय				
48. विधि और न्याय	30,99,00,000		154,94,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय				
49. संसदीय कार्य मंत्रालय	17,00,000	...	83,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
50. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	6,87,00,000	54,00,000	34,32,00,000	2,71,00,000
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
51. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	18,56,00,000	27,53,00,000	92,77,00,000	137,67,00,000
योजना मंत्रालय				
52. आयोजना	6,80,00,000	2,08,00,000	34,01,00,000	10,42,00,300
53. सांख्यकी विभाग	6,22,00,000	...	31,08,00,000	...
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
54. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	14,00,000		71,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
55. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	38,30,00,000	5,26,00,000	157,08,00,000	26,33,00,000
56. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग	37,64,00,000	88,00,000	188,19,00,000	4,42,00,000
57. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	8,44,00,000	75,00,000	33,71,00,000	4,78,00,000

1	2	3	4	5
इस्पात और खान मंत्रालय				
58. इस्पात विभाग	10,11,00,000	107,79,00,000	50,54,00,000	538,99,00,000
59. खान विभाग	26,22,00,000	10,54,00,000	104,19,00,000	52,69,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय				
60. जल-भूतल परिवहन	4,96,00,000	24,40,00,000	24,79,00,000	122,00,00,000
61. सड़कें	53,69,00,000	173,64,00,000	268,43,,00,000	421,21,00,000
62. पत्तन दीपस्तंभ और नौवहन	18,71,00,000	76,55,00,000	93,52,00,000	289,74,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
63. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	94,54,00,000	51,88,00,000	472,72,00,000	259,40,00,000
शहरी विकास मंत्रालय				
64. शहरी विकास और आवास	16,25,00,000	19,78,00,000	81,27,00,000	98,92,00,000
65. लोक निर्माण कार्य	29,61,00,000	21,27,00,000	148,07,00,000	106,34,00,000
66, लेखन सामग्री और मुद्रण	13,01,00,000	72,00,000	64,07,00,000	3,63,00,000
जल संसाधन मंत्रालय				
67. जल संसाधन मंत्रालय	54,51,00,009	3,44,00,000	230,52,00,000	27,18,00.000
कल्याण मंत्रालय				
68. कल्याण मंत्रालय	50,33,00,000	60,00,000	255,16,00,000	3,01,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग				
69. परमाणु ऊर्जा	63,11,00,000	96,34,00,000	315,56,00,000	481,70,00,000
70. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	70,70,00,000	40,00,00,000	144,42,00,000	200,00,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग				
71. इलेक्ट्रानिकी विभाग	12,76,00,000	5,39,00,000	64,57,00,000	26,95,00,000
महासागर विकास विभाग				
72. महासागर विकास विभाग	4,82,00,000	48,00,000	24,10,00,000	2,37,00,000
अन्तरिक्ष विभाग				
73. अन्तरिक्ष विभाग	44,18,00,000	43,93,00,000	238,30,00,000	63,76,00,000

1	2	3	4	5
संसद राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
85. लोक सभा	2,93,00,000	...	14,66,00,000	...
86. राज्य सभा	1,16,00,000		5,78,00,000	...
88. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	4,00,000		18,00,000	...
गृह मंत्रालय-संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंडल वाले				
90. दिल्ली	138,89,00,000	72,73,00,000	694,44,00,000	363,63,00,000
91. अंदमान और निकोबार	20,55,00,000	20,24,00,000	102,73,00,000	66,21,00,000
92. दादरा और नगर हवेली	4,22,00,000	1.08,00,000	21,12,00,000	5,42,00,000
93. लक्षद्वीप	4,84.00,000	2,49.00,000	24,17,00,000	12,47,00,000
94. चंडीगढ़	23,67,00,000	6,44,00,000	118,33,00,000	32,17,00,000
95. दमन और दीव	2,43,00,000	1,70.00,000	12,14,00,000	8,51,00,000

6.04 म०प०

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय, राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

*दिनांक 26-4-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं **:

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.05 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 27 अप्रैल, 1989/7 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।